लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 14 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIV Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 35, मंगलवार 2 मई, 1972/12 वैशाख, 1894 (शक)

No. 35, Tuesday, May 2, 1972/ Vaisakha 12, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन-सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	... 1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		... 4
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
646 कोयले के लापता वैगनों की प्रतिशतता	Percentage of Missing Coal Wagons	... 4
650 बिहार को ऊंची दरों पर बिजली की सप्लाई	Power Supply to Bihar at Higher Rates	... 6
651 सूती कपड़ा मिलों के लिये निर्यात सहायता	Export Assistance for Cotton Textile Mills	... 9
652 पश्चिम रेलवे में रेल दुर्घटनाएं	Railway Accident in Western Railway	... 11
653 गडक बैसिन और लोअर दामोदर क्षेत्र में बाढ़ की समस्याओं का अध्ययन	Study of Flood Problems in Gandak Basin and Lower Damodar Region	... 12
654 पटसन का मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Jute Price	... 14
656 दिल्ली के लिये मास रेपिड यून्जिट सिस्टम	Mass Rapid Transit System for Delhi	... 16
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
621 उर्वरक के मूल्य में वृद्धि पर बजट प्रस्तावों का प्रभाव	Effect of Budget Proposal on the Increase in price of Fertilisers	16
622 हल्दिया पत्तन और पोत निर्माण परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करना और उनसे रोजगार के अवसर	Completion of works of Haldia Port and Ship Building Project and Employment opportunities	... 17
623 भारत में बच्चों को हृदय रोग	Heart Disease among Children in India	... 18
924 उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उपाय	Step for availability of Fertilisers	... 18
625 परिवार नियोजन के लिये विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Family Planning	... 19
626 अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Inter State Road Transport	... 20
627 नई नगरों में वयस्क शिक्षा योजना	Adult Education Scheme in big Cities	... 21
उत्तर प्रदेश में एक कृषि अनुसन्धान संस्थान की स्थापना	Establishment of an Agricultural Research Institute in U. P.	... 21
खाद्यान्नों के उत्पादन, मुर्गीपालन तथा मछली, दूध और सब्जियों के उत्पादन के लक्ष्य	Targets of production of Foodgrains Poultry, Fish, Milk and Vegetables	... 22

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
630	भूगत जल संसाधनों का अध्ययन	Study of Sub soil Water Reserve ...	23
631	दिल्ली पोलिक्नीक में कार्य कर रहे कर्मचारी	Staff working in Delhi Polytechnics ...	24
632	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा लिए गए अस्थायी ऋण	Temporary Advances drawn by Officers of IIT, New Delhi	25
633	नई दिल्ली में केन्द्रिय स्वास्थ्य सेबा के औषधालय से औषधियों की चोरी	Pilferage of Medicines from C. G. H. S. Dispensaries in New Delhi	25
634	बिश्व नौहन टन भार में भारत का भाग	India's Share in World Shipping Tonnage ...	26
635	गन्ना विकास सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee on Development Sugarcane	27
636	मध्य प्रदेश में कपास के मूल्यों में गिरावट	Fall in the price of Cotton in M.P. ...	27
637	म्यूनिख के ओलम्पिक खेलों में भारतीय प्रेस के प्रतिनिधि	Representativss from indian Press in Olympic Games at Munich ...	27
638	भारतीय लाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली का कार्यकरण	Working of Bal Bhavan Society of India, New Delhi	28
639	विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के वेतन ढांचे के सम्बन्ध में गजेन्द्रगडकर समिति	Gajendragadkar Committee on Pay Structure of University and College Teachers	29
640	तकनीकी शिक्षा का विकास एवं सुधार	Development and Improvement of Technical Education	29
641	निर्यात सम्बन्धी दायित्व पूरा न करने वाली फर्मों के विरुद्ध की गई कार्यवाई	Action taken Against Firms for not Meeting Export Obligations	30
642	फिल्मों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned through Export of Films	30
643	त्रिपुरा में गुमटी परियोजना की प्रगति	Progress made in Gumati Project in Tripura	30
644	ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों की भीड़भाड़ से निपटने के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव	Proposal for Running Special Trains to meet Summer Rush of Travellers	31
645	सिंचाई विकास योजना	Irrigation Development Plan ...	32
647	कुल निर्यात में केरल का योगदार	Kerala's Contribution in Total Exports ...	32
649	कुटीर उद्योग एम्पोरियम, कलकत्ता	Cottaga Industries Emporium Caalcutta	33
655	महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों को सरकारी अधिकार में लेना	Take over of Taxtile Mills in Maharashtra	33
657	भूतपूर्व सहारनपुर लाइट रेलवे को पुनः चालू किया जाना	Re-opening of former S. S. Light Railway	34
658	अंकाटाड-III में विकसित देशों में रियायतों की सम्भावना	Concessions expected from Developd countries at UNCTAD III ...	34
659	उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधिपतियों के रूप में महिला एडवोकेटों की नियुक्ति	Appointment of Lady advoates as Puisne Judges of High Courts ...	35

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
660 पोरबन्दर तापीय बिजली घर का बिड़ला बन्धुओं को बेचा जाना	Selling of Porbander Thermal Power Station to Birlas ...	35
अता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
4424 मध्य प्रदेश में आवास बोर्ड को दिये गए ऋण	Loan Sanctioned to Housing Boards in Madhya Pradesh ...	36
4425 वर्ष 1972-73 के लिये जूट उत्पादन के लक्ष्य	Jute Production Target for 1972-73. ...	36
4427 मध्य प्रदेश में रीवां तथा सतना जिलों के ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुदान	Central Grant for Rural Works Programme for Rewa and Satna Districts in M. P.	37
4428 राजस्थान में गेहूँ के बीज की नई किस्म का उत्पन्न किया जाना	Evolution of a New Variety of Wheat in Rajasthan	37
4429 ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधायें	Drinking Water Facilities in Rural Areas ...	38
4430 निरन्तर सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये	Assistance for Chronocially Drought Affected Areas	88
4431 मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन पर व्यय	Expenditure on Eamily Planning in Madhya Pradesh ...	39
4432 रक्षित क्षेत्रों और नेशनल पार्कों के अधीन क्षेत्र	Area under Sanctuaries and National Parks ...	39
4433 मध्य प्रदेश की संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान	Grants by Central Social Welfare Board to Institutions in Madhya Pradesh ...	40
4434 मध्य प्रदेश के अध्यापकों के लिये तिहरी लाभ योजना हेतु वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Triple Benefit Scheme for Teachers of Madhya Pradesh ...	40
4435 बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) में स्टेडियम का निर्माण	Construction of Stadium in Burhanpur (Madhya Pradesh)	40
4436 केरल के तटीय क्षेत्रों के मछुओं की सामाजिक स्थिति	Social Condition of Fishermen of Coastal Areas of Kerala	41
4437 केरल में मत्स्य पत्तन के विकास पर व्यय	Expenditure on the Development of Fishing Harbour in Kerala	41
4438 राज्यों में स्वास्थ्य केन्द्रों को छोटे अस्पतालों में बदलना	Conversion of Health Centres into Small Hospital, in States	42
4439 सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के लिये नियम	Rule for Allotment of Government Quarters ...	43
4440 दुग्ध चूर्ण का आयात	Import of Milk Powder ...	44
4441 दिल्ली में पंजीकृत धार्मिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Registered Religious Institutions in Delhi ...	45
4442 रोजगार के अवसर और 1972-73 के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता	Employment Opportunities created and Financial Assistance to State under Crash Programme ...	45
4443 गैर सरकारी क्षेत्र में जहाज निर्माण कार्य	Ship Building Activity in Private Sector ...	46
4444 भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Compulsory Primary Education in India ...	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.		
4445 लद्दाख के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Students from Ladakh ...	47
4446 विश्वविद्यालयों में अंशकालिक इन्जीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम	Part-time Engineering Degree Course in Universities. ...	47
4447 सरकारी आवास पर कब्जा किये भूतपूर्व संसद् सदस्य	Ex-Members of Parliament in Possession of Government Accomodation ...	48
4448 डी० आइ० जैड क्षेत्र, नई दिल्ली सैक्टर डी० में खुले नाले	Open Nullahs in Sector 'D' to DIZ Area, New Delhi	48
4449 राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारी	Employees of National Seeds Corporation	49
4450 जनकपुरी कालोनी, नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के और बूथों का खोला जाना	Opening of More DMS Booths in Janak Puri Colony, New Delhi	50
4451 जनकपुरी, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेट	DDA Flats in Janak Puri, New Delhi	51
4452 मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनाएं	Small Irrigation Schemes-in Madhya Pradesh ...	52
4453 दिल्ली में अनुसूचित जातियों के अध्यापकों को स्थायी करना	Permanency to Scheduled Castes Teachers in Delhi	51
4454 वर्ष 1970-71 और 1971-72 में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिये स्वीकृत किया गया धन	Amount Sanctioned for Rural Works Programme during 1970-71 and 1971-72	52
4455 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई	Supply of Consumer Good through Fair Price Shops	53
4456 मध्य प्रदेश के भौंडी पिपरिया गाँव में चांदी के सिक्के	Silver Coins found at Bhondi Pipria Village of Madhya Pradesh	53
4457 जीवन बीमा निगम की नई आवास योजना	Housing Scheme of Life Insurance Corporation	54
4458 आर्थिक संकटग्रस्त जिला सहकारी बैंकों का पता लगाना	Identification of Sick District Co-operative Banks	54
4459 कृषि उत्पादों के विपणन और निरीक्षण सुविधाओं में सुधार करने के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पंचवर्षीय परियोजना	United Nations Development Programme fo 5 Year Project for Streamlining Marketing and Inspection facilities for Agricultural Products ...	56
4460 भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, नई दिल्ली के निर्देशक द्वारा की गई अनियमिततायें	Irregularities Committed by Director I.I.T., Delhi	56
4461 मछुआ नाव का निर्माण और आयात	Manufacture and import of a Trawler ...	57
4462 शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ का प्रभाव	R. S. S. Influence in Educational Institutions	57
4463 अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और जन सम्पर्क साधनों के विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई जनसख्या सम्बन्धी नीति	Population Policy Recommended by Economists, Socialogists and Mass Communication Experts	58
4464 आदिवासी क्षेत्रों के लिए ग्राम्य विद्युतीकरण निगम योजना	Rural Electrification Corporation Schemes, for Adivasi areas	59
4465 गुजरात में छूआछूत और बंधक श्रम	Untouchabillity and bonded Labour in Gujarat ...	59
4466 राज्यों में चावल का वसूली मूल्य	Procurement Price of rice in States ...	59

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4467	शैक्षणिक संस्थाओं में हाथ का काम करने की व्यवस्था और उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियां	Manual work and production activities in Educational Institutions	... 63
4468	दामोदर घाटी क्षेत्र में भूमि संरक्षण के विकास के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम	Phased Programme for Development of Soil Conservation in Damodar Valley area	... 61
4469	दामोदर घाटी क्षेत्र मे बनारोपण के विकास के लिवे क्रमबद्ध कार्यक्रम	Phased programme for Development of afforestation in Damodar Valley area	... 61
4470	दामोदर घाटी क्षेत्र में मत्स्य पालन के विकास के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम	Phased programme for Development of Fisheries in Damodar Valley area	... 62
4471	दामोदर घाटी क्षेत्र में कृषि के बिकास के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम	Phased prograamme for Development of Agriculture in Damodar Valley area	... 62
4472	दामोदर घाटी में जन स्वास्थ्य के विकास के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम	Phased programme for Development of Public Health in Damodar Valley	... 63
4473	तम्बाकू के मूल्य में वृद्धि और तम्बाकू व्यापार विचौलियों को हटाना	Increase in price of Tobacco and Elimination of middlemen	63
4474	मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का विकास	Development of Tribal Areas in Madhya Pradesh	... 64
4475	जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए योजनायें	Plans for Zila Parishads Village Panchayats and Panchayat Samitis	... 64
4476	दिल्ली प्रसाशन द्वारा मद्य निषेध नीति में सुझाए गए परिवर्तन	Changes in Prohibition Policy suggested by Delhi Administration	... 64
4478	नई दिल्ली में विशेष केन्द्रीय विद्यालय के लिये भवन का निर्माण	Construction of Buidling for Special Central School, New Delhi	... 65
4479	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommendations of the Study Group for fixing Ceiling on Urban Property	... 65
4480	उर्वरक के प्रयोग में कमी के बारे मे जांच करने के लिए समिति का गठन	Appointment of Committee to Investigate Fall in use of Fertiliser	... 66
4481	उर्वरको के प्रयोग में तेजी लाने के लिए संवर्द्धक कार्यक्रम	Promotional programme to Boost Use of Fertilizers	... 66
4482	अन्य जन्तुओं की गणना	Wilf Life Census	67
4483	दिल्ली के राजकीय स्कुल में निर्देशन सलाहकारों के वेतनमान	Pay Scales of Guidance Counsellors in Goverement Schools, Delhi	... 68
4484	आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा मंजूर किये गये ऋण के अन्तर्गत आने वाली आवास योजनाएं	Housing Schemes covered by the Loan sanctioned by Housing and Urban Development Corporation	... 69
4485	नसबन्दी आपरेशन पर प्रति व्यक्ति व्यय	Per Capita Expenditure en Vasectomy Operations	69
4486	शिक्षकों और छात्रों में नई सामाजिक नैतिकताएं	Inculcating new Social Moral Values among Teachers and Studeuts	... 70
4487	पटरी पर रहने वालों के लिए रैन बसेरे	Night Homes for Pavement Dwellesrs	... 71
4488	विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में भाग लिया जाना	Student participation in Management of University Affairs	71

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4489	कानपुर, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना	Establishment of an Agricultural Research institutions in Kanpur, U. P.	... 72
4490	उत्तर भारत में चीनी मिलों का अन्धकारपूर्ण भविष्य	Grim Prospects facing North Indian Sugar Mills	... 72
4491	गांवों में शिक्षित लोगों को रोजगार देने के लिये कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Agro Service Centres to Provide Employment to Educated Rural People	... 73
4492	खाद्यान्न, मुर्गियों, मछलियों, दुग्ध और सब्जी का उत्पादन	Production of Foodgrains, Poultry, Fish, Milk and Vegetables	... 73
4493	पौष्टिक भोजन के बारे में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई प्रगति	Progress made by Central Food Technological Research Institute for Nutritious Food	... 74
4494	विभिन्न स्तर के लोगों में नसबन्दी की सफलता	Success of Vasectomy among different Strata of People	... 74
4495	कृषि उत्पादन पर यंत्रीकृत खेती का प्रभाव	Effect of mechanised farming on Agricultural production	... 75
4496	लूप का प्रयोग बन्द किया जाना	Stoppage of use of loop	... 75
4497	जनसख्या में वृद्धि को रोकने के के लिए सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Medical Facilities io Government Servants to check explosition of population	... 76
4498	दिल्ली पोलीटैक्निक में निर्देशकों (डिमोन्सट्रेटर) इन्जीनियरिंग प्रशिक्षकों के वेतनमान	Pay Scales of Demonstrators, Engineering Instructors and Workshop Instructors in Delhi Polytechnice	... 76
3499	धारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, नई दिल्ली फैवलटी हाउस। नालन्ना होस्टल	Facutly House Nalanda Hostel of IIT Delhi	... 77
4500	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में अधिकारियों के वेतन निर्धारण में अनियमितताए	Irregularities in fixation of Salaries of Officers in LIT, Delhi	... 77
4501	दिल्ली स्थित इण्डियन ईस्टीटयूट आफ टैक्नोलाजी के कम्प्यूटर केन्द्र का कार्य	Work of Computer Centre of LIT Delhi	... 78
4502	अन्धे व्यक्तियों का पूनर्वास	Rehabilitation of Blind Persons	... 78
4503	उर्धरक का राज्यवार खपत, माँग और सप्लाई	Consumption demand and supply of Fertilizer, Sate-wice	... 78
4504	ग्रामीण खड़क विकास कार्यों कर राज्यवार पव्यिय और खर्च	Stae-wise outlay and Expenditure on Rural Road Development Works	... 79
4505	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास	Development oi National Capital Region	... 79
4506	दक्षिण पूर्वी बंगाल क्षेत्र के लिये विकास योजना	Development Plan for South East Resource Region	... 80
4507	चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तम्भ को देखने के लिये कर का लगाया जाना	Levy of Tax on Sight Seeing of Vijay Sathamh at Chittorgarh	... 80
4508	मैडिकल कालेजों में परीक्षा पास कर निकलने वाले डाक्टरों की संख्या	Number of Doctors comng out of Medical Colleges	... 81

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4509	दिल्ली में रैन बसेरे	Night Sheltrs in Delhi ...	81
4510	रामेश्वर द्वीप में भगवान राम का मन्दिर	Lord Rama's Temple at Rameshwaram I land ...	82
4511	कृषि कार्यों के लिये गुजरात राज्य में ऋण देने की प्रक्रिया	Procedure for Grant of Loan in Gujarat for Agricultural Purposes ...	82
4512	गुजरात राज्य में चीनी के कारखाने और उन में उत्पादित चीनी	Sugar Factories in Gujarat State and Sugar produced by them ...	82
4513	गुजरात के समुद्र तट पर मछलियां पकड़ने की सुविधाएं	Facilities for Sishing Operation at Gujarat Coast ...	84
4514	परिवार के पिछड़ेपन के निर्धारण की आर्थिक स्थिति की कसौटी मानना	Economic Condition as Criterian for Determining Familiy's Backwardness ...	84
4515	बाल भवन सौसाइटी, नई दिल्ली द्वारा हिप्पियों की नियुक्त	Appointment of Hippies by Bal Bhavan Society, New Delhi	85
4516	भारतीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली के कार्यकरण पर सरकारी नियंत्रण	Government Control over working of Bal Bhavan Society of India, New Delhi	85
4517	बाल भवन सोसाईटी, नई दिल्ली को सहायका अनुदान	Grant in aid to Bal Bhavan Society in New Delhi	86
4518	भारतीय बाल सोसाइटी, नई दिल्ली के रजिस्टर में दर्ज बच्चो की संख्या	Children on Roll of Bal Bhavan Society of India, New Delhi	87
1519	पूर्णिया, बिहार में ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुतगामी कार्यक्रम	Crash Programme for Rural Employment in Purnia, Bihar ...	87
4520	पूर्णिया में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम बनाया जाना	Opening of Warehouse for Food Corporation of India in Purnia	88
4521	चीनी का उत्पादन और उनका निर्यात पर प्रभाव	Sugar Production and its effect on Export	88
4522	लदाख इस्टिटयूट आफ हायर स्टडीज	Ladakh Institute of Higher Studies ...	88
4523	दिल्ली विश्वविद्यालय का भावी ढांचा	Future set up of Delhi University ...	89
4524	राजस्थान नहर क्षेत्र में लम्बे रेशे वाली कपास का उगाया जाना	Growth of Long Staple Cotton in Rajasthan Canal Area ...	90
4525	निम्न आय वर्गों के लिये केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त आवास योजनाओं की प्रगति	Progress of Centrally Aided Housing Schemes for Low Income Groups ...	91
3526	भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और गेहूँ उत्पादों का निर्यात	Export of Wheat and Wheat Products by Food Corporation of India	92
4527	मध्य प्रदेश राज्य की आवास योजना के लिये 2 करोड़ रुपयों की मांग	Rs. 2 crores for Housing Scheme of the State of Madhya Pradesh	92
4528	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के केन्द्रीय विद्यालय कोटा में दाखिल लड़के	Sons of Central Government Employees and others admitted in Central School Kota	93
4529	अनाज की खरीद के लिये एजेंसी	Agency for Procurement of Foodgrains	93

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4530	चिकित्सा सलाहकारों के साथ व्यक्तिगत मेंट की बजाय साहित्य के माध्यम से परिवार नियोजन	Family Planning Through Supply of Literature Instead of Personal Meetings with Medical Advisers	... 93
4531	भारत में पुस्तक उद्योग एवं व्यापार का सर्वेक्षण	Survey of Book Industry and Trade in India	... 94
4532	परिवार तथा बाल कल्याण परियोजना	Family and Child Welfare Project	... 94
4533	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वेच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जाना	Central Social Welfare Board Grant to Voluntary Organisations in Rural Areas	... 94
4534	मेडों के लिये चारागाहों का विकास	Development of Pastures for Sheep	59
4535	भारत में आने वाले अमरीकी विद्यार्थियों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guide Lines for American Scholars in India	... 96
4536	चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दूध के उत्पादन का लक्ष्य और उस पर व्यय	Target of Milk production during Fourth Plan and Expenditure thereon	... 96
4537	नौवहन के लिये विकास छूठ को पुनः आरम्भ करने के लिये जहाज मालिकों की मांग	Demand by Ship owners for Reintroduction Development Rebate/ for Shipping	... 96
4538	एक टाइप नीचे के सरकारी आवास के आवंटन के लिये पात्रता	Eligibility for Allotment of Government Accommodation below one Type	... 97
4539	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास का बदलना	Change of Government Accommodation for Central Government Employees	... 97
4540	पटना नगर में पेयजल की अत्यधिक कमी	Acture shortage of Drinking water in Patna Town	... 97
4241	संसद् सदस्यों की विभिन्न टेलीफोन सलाहकार समितियों में मनोनीत करने के लिये माप दंड	Criteria Adopted for Nominating Members of Parliament on Various Telephone Advisory Committee	... 98
4542	चुराई गई मूर्तियों का मूल्य	Value of Stolen Idols	... 98
4545	उड़ीसा के ग्रामों मे पेय जल	Drinking water in Orissa Villages	... 99
4546	ग्राम्य जल सम्भरण कार्यक्रम के लिये सयुक्त राष्ट्र अन्तराष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता	UNICEF Assistance for Rural Water Supply Programme	... 99
4547	चुराई गई मुर्तियों का बरामद किया जाना	Stolen Idols recovered	100
4548	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय	Veterinary Science Colleges	100
4549	मिलों को गन्ने की सप्लाई के बारे में जो नल प्रतिबंधों का हटाया जाना	Removal of Zonal Restrictions Regarding Supply of Sugarcane to Mills	... 100
4550	पी एल० 480 के अधीन प्राप्त अनुदानों से प्रकाशित पुस्तकें	Books Brought out with Grants under PL 480	... 101
4551	आन्ध्र प्रदेश में सूखा	Drought in Andhra Pradesh	101
4552	रेनीगुन्टा, आन्ध्र प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में 1000 टन की क्षमता वाले चीनी के कारखानों की स्थापना	Establishment of 1000 Ton Sugar Factory in Cooperative Sector at Renigunta, Andhra Pradesh	... 102

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4553	वर्ष 1972-73 में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना	Establisment of Agro Service Centrer during-1972	102
4554	चितूर आन्ध्र प्रदेश में दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्रोसेसिंग प्लंटि) के लिये राज्य द्वारा सहायता का अनुरौंध	Request from Andhra Pradesh for Assistance to Milk Processing Plant at Chittoor, Andhra Pradesh ...	102
4555	कार्गिल में ग्रामीणों का अकाल की परिस्थितियों के कारण मुफत राशन	Free Ration to Villagers in Kargil due to Famine Conditions	103
4556	नेशनल बिल्डिंग आर्गनाईजेशन द्वारा यंत्रीकृत ईंटें और सेल्यूलेर कंकरीट बनाने के संयंत्रों की स्थापना	Seting up of mechanist drick and celuler concrete plants by N.B.O.	103
4557	कम मूल्य के मकानों के निर्माण के तरीकों का अध्ययन करने विषयक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें	Recommendations of the Expert Committee set up for Studying Low Cost Housing Construction	104
4558	अस्पताल और चिकत्सा संस्थान चलाने के लिये ईसाई तथा अन्य मिशनों द्वारा माँगी गई सहायता	Sought by Christians and other Missions for Running Hospitals and Medical Institutions	105
4559	1972-73 के लिये त्रिपुरा की खाद्यान्न	Foodgrains for Tripura for 1972-73	105
4560	दुग्ध और दुग्ध उत्पादनों का उत्पादन और उनका आयात	Production and Import of Milk and Milk Products	105
4561	दूध की उपलब्धता सम्बन्धी कार्यक्रम में प्रगति	Progress in Availability of Milk	106
4562	रोजगार प्रधान शिक्षा	Employment Oriented Education	107
4563	पेय जल की समस्या हल करने के लिये आदिम जाति कल्याण विभाग को आवटित दिया गया धन	Amount Allotted to Tribal Welfare Department for solving Drinking Water Problem	108
4564	आदिवासी सहकारी विकास निगम, मध्य प्रदेश में लगी पूंजी	Investment in Adivasi Cooperative Development Corporation, Madhya Pradesh ...	108
4565	ओलिम्पिक में प्रतिस्पर्द्धा के लिये फुटबाल और हाकीके स्तर में सुधार	Investment in Standard of Football and Hockey for competing in Olympics	109
4566	उत्तर प्रदेश में अध्यापकों को मंहगाई भत्ता देने के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Dearness Allowand to teachers in Uttar Pradesh	109
4567	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को वैज्ञानिक तथा तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग के साथ विलय	Merger of Central Hindi Directorate into Commission for Scientific and Technical Terminology	110
4568	राष्ट्रीय राजपथ एवं उनके विकास सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के उपाय	Measures to tackle the problems of National Highways and their Development ...	111
4569	कारीनरी हृरय रोग	Coronay Heart Disease	112
4570	राष्ट्रीय आवास तथा नगरीय विकास निधि के विकास पर गोष्ठी	Seminar on Evolution of National Housing and Urban Development Policy	112
4571	नगर तथा ग्राम योजना संगठन में नगर अनुसन्धान प्रमाग द्वारा अध्ययन	Studies by the Urban Research Division in the Town and Country Planning Organisation ...	112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अतार० प्र० संख्या S. Q. Nos.		

4572 कृषि उत्पादन के असमान विकास को रोकने के प्रयास	Steps to reduce uneven growth of Agricultural Production	113
4573 दालों का उत्पादन करने हेतु अल्प अवधि योजना में प्रगति	Progress of Short duration plan for Production of Pulses	113
4574 प्रशिक्षण संस्थाओं में दाखिलों की सख्या में कमी करना	Prduction in intake in Training Institutions	114
4575 चौथी योजनावधि में छात्र वृत्तियों का कार्यक्रम	Scholarship programmes in the Fourth Plan	114
4506 नसबन्दी और लूप कार्यक्रम	Sterlisation and IUCD Programme ...	114
4577 पूर्वी क्षेत्र में सड़क परिवहन का विकास	Development of Road Transport in Eastern Region ...	116
4578 सुपर बाजार, दिल्ली में बिना बिके पड़े हुए कन्वाय टी० के० 69 ट्रांजिस्टर	Unsold stocks of Convoy TK-69 Tranistor in Super Bazar Delhi	116
4579 विदेशों में अध्ययन के लिये राष्ट्रीय छात्र वृत्ति योजना	Scheme for National Scholarships for studies Abroad	117
4580 देवरिया, उत्तर प्रदेश में एक कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना	Setting up on Agricultural University in Deoria, Uttar Pradesh	117
4681 दिल्ली परिवहन निगम द्वारा मनचाही यात्रा करें अवकाश टिकटों के किराये में वृद्धि	Increase in price of Travel as you Please Holiday Tickets by DTU ...	117
4582 बिहार में पान के पत्तों की खेती	Betel leave Cultivation in Bihar	118
4583 बीजों के रक्षण के लिये औषधियों की व्यवस्था करना	Provision of Medicines for Treatment of Seeds	118
4584 विकलांगों के लिये कल्याण कार्य	Welfare work for the Handicapped ...	118
4585 बम्बई आवास बोर्ड की पद्धति पर दिल्ली में आवास बोर्ड की स्थापना	Setting up of Housing Board in Delhi on the Pattern of Bombay Housing Board ...	119
4586 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Working in Central Board of Secondary Education, Delhi	120
4587 दिल्ली के कालेजों में वरिष्ठ। कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के पदों का बनाया जाना	Creation of Posts of Senior Junior - Technical Assistants in Colleges in Delhi	121
4588 दिल्ली के पुराने किले में स्थित मंदिर का गिराया जाना	Demolshing of Temple in Purana Qila Delhi	121
4589 संरक्षित समारकों में स्थित मंदिर। मस्जिद में प्रार्थना किया जाना	Performance of Prayer in Temple Musjid located in protected Monuments	121
4590 राज्यों साहित्य अकादमियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें	Books published by Sahitya Akademy in States	122
4591 विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना	Production of Text Books of University Level	122
4592 एलोपैथिक चिकित्सकों के पंजीकरण के बारे में विधेयक	Biil Re: Registration of Allopathic Medical Practioners	123
4593 सरकारी क्षेत्र में यूनानी, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक पद्धति के लिये औषध तथा औषधियों बनाने वाले एकक	Manufacturing Units for Drugs and Medicines for Unani, Ayurvedic and Homoeopathic System in Public Sector	124

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4594	राज्यों द्वारा घोषित पिछड़ी जातियां	Castes Declared Backward by States ...	124
4595	वर्ष 1972-73 के दौरान द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के लिये धन का आवंटन	Allocation of Funds under Crash Programme for Orissa during 1972-73 ...	124
4596	विश्व संस्कृत सम्मेलन	World Sanskrit Conference	124
4597	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिये विश्वबिद्यालय अनुदान आयोग की कर्मचारी पदोन्नति योजना	Personnel Promotion Scheme of UGC for Central Universities	125
4598	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थियों के लिये उड़ीसा में बने भवन का उपयोग	Utilisation of Building Constructed for scheduled cates and scheduled Tribes Students in Orissa	125
4599	त्रिपुरी भाषा का विकास	Development of Tripuri Language	126
4600	पारादीप पत्तन में संयंत्र और उपकरणों को कम उपयोग में लाना	Underutilisation of Ptant and Equipment at Paradip Port	196
4601	पारादीप पत्तन न्यास में प्राइवेट पार्टियों के विरुद्ध बकाया धनराशि	Amount outstanding against private Parties In Paradip Port Trust	126
4602	पारादीप पत्तन न्यास में बकाया अग्रिम राशि का लेखाबद्ध किया जाना	Accounting of Outstanding Advance in Paradip Port Trust	127
4603	पारादीप पत्तन पर बेकार पड़े संयंत्रों तथा उपकरणों का उपयोग	Utilisation of Plants and Equipment lying Idle at Paradip port	128
4604	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् के प्रलेख पोषण केन्द्र की पत्रिकाएं	Perodicals of Documentation Centre of ICSSR	128
4605	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के कर्मचारी	Staff of ICSSR	129
4606	दोहरीघाट रावेलगंज और अयोध्या के मध्य घाघारी नदी सेवा	Ghaghara River Service between Dhorighat Revel Ganj and Ayodhya ...	130
4607	पटना और गाजीपुर के मध्य गंगा सेवा पर व्यय	Expenditure on Ganga service between Patna and Ghazipur	130
4610	पी० एल० 480 के अन्तर्गत प्रकाशकों को प्राप्त हुई अनुदान की राशि	Grants received by Publishers under PL	480
4611	त्रिपुरा में आदिवासियों के कल्याण हेतु केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग	Utilisation of Central Granls for Welfare of Tribals in Tripura	131
4512	पब्लिक स्कूलों के छात्रों को उच्चतर (माध्यमिक शिक्षा के दिल्ली बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों में दाखिल करना	Admission of boys from Public Schools in Schools under Delhi Board of Higher Secondary Education ...	131
4613	छोटे और सीमान्त किसानों के लिये उर्वरकों की सहायता प्राप्त मूल्यों पर उपलब्ध करने की योजना	Scheme to Subsidise fertilizer prices for Small and Marginal Farmers ...	132
4614	गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में एक चीनी मिल की स्थापना	Setting up of a sugar mill in Ghazipur, Uttar Pradesh ...	132
4615	अनुसूचित जातियों । जनजातियों के छात्रों के लिये मैट्रिक पश्चात् छात्र वृत्तियां	Post Matric Scholarship for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students	133
4616	न्यू मोतीनगर, दिल्ली में क्वार्टरों के अलाटियों से लिया जाने वाला जल शुल्क	Water charges from allottees of quarters in New Moti Nagar, Delhi	133

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4617	नमकीन और क्षारयुक्त भूमि का क्षेत्रफल और इसे खेती योग्य बनाने के नए तरीके का विकास	Area under saline and Alialine land and development of a new process for their reclamation	134
4618	संसद सदस्यों के सर्वेंट क्वार्टरों में पानी के पृथक नलों की व्यनस्था	Provision of separate water taps in Servant quarters of M. Ps	135
4619	परिवार नियोजन विरोधी सम्मेलन	Anti Family Planning Conference	336
4620	तिलहनों की आवश्यकता तथा उत्पादन	Oilseeds requirement and production	136
4621	चीनी सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति	Long Range Sugar Policy	137
4522	आन्ध्र तट के मछुओं के गांवो में सड़क निर्माण सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन	Project Report on coustruction of road in fishing villages of Andhra-Coast	138
4623	विशाखापतनम में मत्स्य पत्तन पर व्यय के लिये मंजूरी	Sanction for expenditure on Fisheries Harbour at Vishakhapatnam ...	138
4624	विदेशों में पूंजी निवेश	Capital Investment in Foreign Countries	139
4625	12 टाउन दिल्ली हावड़ा ऐक्सप्रैस में चुनार तक एक बोगी का लगाया जाना	Atraching of a Bogie in 12 Down Delhi Hawrah Express upto Chunar	139
4626	ग्रामीण विद्युत सहकारिता समितियों द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की योजना	Scheme to produce Electricity through Rural Electricity Cooperative	140
4627	एल्युमिनियम उपयोगों को सप्लाई की जाने वाली बिजली की दर	Rate of Power spplied to Aluminium Industries	140
4628	मध्य रेलवे में चोरी डकैती और लड़कियां अपहरण की घटनाएँ	Incidents of theft, dacoity and kidnapping of Girls on Central Railway	141
4629	मध्य प्रदेश द्वारा सुझाई गइ ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएँ	Rural Electrification schemes recommended by Madhya Pradesh	142
4630	मध्यप्रदेश में कपड़ा मिलों का बंद होना	Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh ...	142
4631	नर्मदा जल विवाद	Narmada Water Dispute ...	143
3632	भुसावल और इटारसी (मध्य रेलवे) बीच उपर्युक्त का निर्माण	Construction of an over bridge between Bhusaval and Itarsi (Central Railway)	143
4633	केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल में पन बिजली परियोजनाओं का निर्माण	Construction of Hydro Electric Projects in Kerala by Central Government	143
4634	दूरगामी रेलगाड़ियों की गति का बढ़ाया जाना	Speeding up of long distance trains	144
4635	धोती साड़ी तथा तौलिए बनाने के लिए हथ करघा उद्योग को एकाधिकार	Monopoly of manufacturing Dhoties, Saries and Towels to Handlooms ...	144
4636	येरागुन्तला, कड़प्पा और कोट्टूर स्टेशनो (दक्षिण लेलवे) के लिए माल डिब्बे	Railway wagons for Yerraguntia Guddapa and Kodur Stations (Southern Railway)	145
4637	नई येलवे लाइनो के लिए आँध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव	Proposals by Andhra Pradesn Government for new Railway Lines	145
4638	गुंतकल डिवीजन (दक्षिण रेलवे) के ब्लाक सिगनल मैंटेनर्स, सिगनल एण्ड इन्टरलाकिंग मैनटेनर्य और इलेट्रिक फिटर्स (टेली ग्राफ) के वेतन मान	Pay Scales of Block signal Main. tainers Signal and Interlocking Maintainers and Electric Fitters Telegraph In Guntakal Division (Southern Railway)	146

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4639	दक्षिण रेलवे में पूछताछ एवं आरक्षण क्लर्कों कामर्शियल इंस्पैक्ट्रों के रूप में पदोन्नति	Enquiry cum-reservation Clerks Promoted as Commercial Inspectors on Southern Railway	147
4640	दक्षिण रेलवे में वाणिज्यक निरीक्षको के पदों पर पदोन्नति	Promotinn as Commercial Inspectors on Southern Railway	147
4641	अरकोणम साल्ट कोटराउ (मद्रास) मद्रास मंडल (दक्षिण रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों की कमी	Shortage of Commercial Clerks at Arkonam, Salt Cotarau (Madras) Madras Division (Southern Railway)	148
4642	श्री गंगा नगर जिले के गांवो को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Villages in Sriganganagar District	148
4643	कार्गिल में जल विद्युत परियोजना के लिए प्रस्ताव	Proposal for Hydro Electric projects in Kargil	149
4644	लद्दाख में सिंचाई सुविधाओ के लिए कार्यक्रम	Programme for Developing Irrigation Facilities in Ladakh	149
4645	कानपुर सेन्ट्रल गुड्ज शेड में सामान उतारने चढ़ाने के ठेके के बारे में मध्यस्थ निर्णय	Arbitration in respect of Goods Handling Contract held at Kanpur Central Goods Shed	149
4646	उत्तर रेलवे के बीकानेर, जोधपुर, फीरोजपुर और दिल्ली मंडली के स्टेशनो पर माल ; पार्सल चढ़ाने व उतारने के ठेके के बारे में मध्यस्थता करने के लिए आवेदन करने वाली पार्टियां	Parties who applied for Arbitration pertaining to goods/parcels handling Contracts on Bikaner, Jodhpur Ferozepur and Delhi Divisions	150
4647	आध्र प्रदेश में रुई के मूल्य में कमी	Fall in price of Cotton in Andhra Pradesh	151
4648	दूर संचार विभाग (दक्षिण रेलवे) में कनिस्ठो की भारग्राहीकार्यों के लिए नियुक्ति	Posting of Juniors for relieving duties in Telecommunication Department (Southern Railway)	151
4649	इतवारी के गुडस तथा पार्सल हैडलिंग ठेकेदार द्वारा मजदूरों को सेवामुक्त किया जाना	Termination of Service of Labourers by Goods and Parcel Handling Contractors of Itwari	152
4650	अनुसूचिवीय कर्मचारियो की अधिवार्षिकी की तिथि	Date of Superanuation of Ministerial Staff	152
4651	दिल्ली में क्लेम इंस्पैक्टरो तथा क्लेम ट्रैसरो की क्वार्टरों का (दिल्ली क्लेम आफिस उत्तर रेलवे) आवंदन	Allotment of Quarters to Claims Inspectors and Claims Tracers at Delhi (Delhi Claims Office, Northern Railway)	153
4652	कलकत्ता में चलचित्र निर्यात केन्द्र	Film Export Centre at Calcutta	154
4653	भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड द्वारा भूमि का नीलाम	Auction of Land by Bhakra Management Board	154
4654	धनबाद और दुहरी आनसोन (पूर्व रेलवे) के बीच स्टेशनों में तीसरी श्रेणी के टिकटो की बिक्री	Sale of Third Class Tickets at Stations between Dhanbad and Dehri on Sone (Eastern Railway)	155
4655	भारतीय दल की अफ्रीका के देशो की यात्रा	Indian Team's Visit to African Countries	155
4656	काँच का निर्यात	Export of Glass	155
4658	भारतीय उपक्रमियों द्वारा मलेशिया में कारखानों की स्थापना	Setting up of Factories in Malaysia by Indian Enterpreneurs	156
4659	बीड़ी का निर्यात	Export of Bidi	157
4660	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore ...	157

विषय अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4651 सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में संविधान का संशोधन	Payment of Compensation for Land Acquired by Government Amendment of Constitution	158
4662 भारत पाकिस्तानयुद्ध का भारत के निर्यात पर प्रभाव	Impact of Indo Pak War on India's Exports	158
4663 भारतीय पेकेजिंग संस्थान के कार्य के परिणाय स्वरूप निर्यात में वृद्धि	Increase in exports as a result of the work of Indian Institution Packaging	158
4664 बंगला देश को वाणिज्यक आधार पर भारतीय फिल्में भेजना	Indian Films for Bangla Desh on Commercial Basis	160
4665 विद्यार्थियों को यात्रा के लिए रियायती टिकटें	Journey concession to students	160
4666 गंगावेसिन के लिए आयोग	Commission for Ganga Basin	161
4667 बंगलौर नगर के स्टेशन के लिये नवनिर्मित भवन में चित्रकारी हेतु ठेका	Contract for Painting work on the newly Constructed Station Building of Bangalore City ...	162
4668 बर्नपुर (दक्षिण पूर्व रेलवे) में रेलवे की भूमि पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised Occupation of Railway Land at Burpur (South Eastern Railway) ...	162
4969 रेलवे गार्डों द्वारा ले जाये जा रहे नगदी के बक्सों को जंजीर और ताले से सुरक्षित करने के बारे में रेलवे बोर्ड के निदेश	Directions by Railway Board Secure by Chain and Padlock Cash Safes carried by Guards	162
4670 कल्याण और बड़ौदा के मार्शलिंग यार्डों में वैगनों को रोका जाना	Detention of Wagons at Kalyan and Baroda Marshalling Yards	163
4672 आसाम मेल गाड़ी को बरास्ता भागलपुर साहबगंज रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) से चलना	Running of Assam Mail Train via Bhagalpur and Sahibganj Railway Stations (Eastern Railway)	163
4673 अम्बापाली और विक्रमशील (पूर्वी रेलवे में हाल्ट स्टेशन बनाना	Halt Stations at Ambapali and Vikram Shila (Eastern Railway)	164
4674 ओलावा कोट मंडल की सुरक्षा शाखा के कार्यालय की ओलवा कोट स्थानान्तरण करना	Shifting of Office of Security Branch of Olavakkot Division to Olavakkot ...	164
4675 शोरानूर से कोचीन तक रेल लाइन को दोहरा करना तथा त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक नई बड़ी रेल लाइन बिछाना	Doubling of Railway Line from Shoranur to Cochin and New Broad Gauge Line from Trivandrum to Kanya Kumari	164
4676 क्षेत्रीय अधिकारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति और इनका कार्यालय केरल राज्य में बनाना	Appointment of field officers and Staff and Location of Offices in Kerala ...	165
4677 कार्यकारी इंजीयिर के कार्यालय का एर्नाकुलम से एल्लववकोट में स्थानातंरण	Shifting of Executive Engineer's Office from Ernakulam to Olavakkot	165
4678 पश्चिम रेलवे में जंजीर खीच कर गाड़ी रोकने की घटकाएं	Incidents of Chain pulling on Western Railway	165
4679 पुने मिराज पैसैंजर गाड़ी का पटरी से उतर जाना (दक्षिण-मध्य रेलवे)	Derailment of Pune Miraj Passenger Train (South Central Railway)	166
4680 बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकार और कृत्य	Power nnd Functions of Flood Control Commission ...	167
4681 उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग	North Bengal Flood Control Commission	168

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4682	पानी जमा हो जाने की समस्या को हल करने की योजनायें	Schemes to overcome Water logging Problem	169
4683	कोटा रेलवे स्टेशन (पश्चिमी रेलवे) पर पूछताछ तथा आरक्षण कार्यालय में अलग अलग क्लर्कों का नियुक्ति	Posting of Separate Clerks for Enquiry and Reservation Kota Railway Station (Western Railway)	169
4684	कोटा रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर तीसरे दर्ज़ के टिक्टों की बिक्री के लिये बुकिंग खिड़कियों का खोला जाना	Opening of Booking Windows for Sale of Third Class Tickets at Kota Station (Western Railway)	169
4685	दिल्ली बम्बई राजधानी एक्शप्रेस का कोटा में स्टोपेज	Halt of Delhi Bombay Rajdhani Express at Kota	170
4686	रायसी स्टेशन से रुड़की तहसील और सहारनपुर के लिये सीधी जाने वाली रेल गाड़ी का चलाया जाना (उत्तर रेलवे)	Introduction of a Direct Train from Raisi Station to Roorkee Tehsil and Saharanpur (Northern Railway)	170
4687	सिगनल और दूर संचार विभाग में मेन्टेनर सहायक निरीक्षकों को निरीक्षकों के लिये छुट्टी रिजर्व विश्राम दाता कर्मचारी	Leave Reserve/Rest Given Staff for Maintainers, Assistant Inspectors of Signal and Telecommunication Department	
4688	बिजली प्रजनना के रुसी तरीके को अपनाना	Adoption of Soviet Technique to Generate Power	171
4689	राज्यों में बिजली की भिन्न भिन्न दरें	Different Tariff Rates of Eelectricity in States	172
4690	व्यापार निगम द्वारा विक्रय मूल्य निश्चिय करना	Fixation of Sale Price by STC	172
4691	राज्य के उच्च न्यायालय में अस्थायी रुप से नियुक्त किये गये न्यायाधिशों को स्थायी करना	Confirmation of Judges Appointed Temporarily to High Courts of States	173
4692	न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधीशों के विरुद्ध जांच	Judges dealt with under judges (Inquiry) Act, 1968	173
4693	पश्चिम रेलवे में नमक की ढलाई के लिये खुले माल डिब्बों का उपयोग	Open Wagons used for movement of Salt (Western Railway)	173
4694	रुस का काजू और नारियल जटा वस्तुएं खरीदने का प्रस्ताव	Soviet Union's offer to Purchase Cashew Nuts and Coir Goods	174
4695	नमक की मदई यातायात के रुप में रविवार को लदान	Loading of Salt as Item 'E' Traffice on Sunday	174
4696	आयात व्यापार नियंत्रण नीति के प्रति असंतोष	Discontent over Import Trade Control Policy	175
4697	माल के पठानकोट से दिल्ली पहुंचने में लगाने वाला समय	Time Taken for Goods to reach Delhi from Pathankot	175
4698	किसानों को रिहन्द बांध से बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Farmers from Rihand Dam	175
4699	गोमोह-देहरी-आनसोन सवारी गाड़ी को पटना और गया तक बढाने का प्रस्ताव	Proposal for Extension of Gomoh-Dheri-on-Sone Train upto Patna and Gaya	176
4700	रुई के व्यापार के राष्ट्रीयकरण के कारण रुई की कमी	Shortage of Cotton due to National isation of Cotton Trade	176

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4701	ग्वालियर झांसी सेक्शन (मध्य रेलवे) में गाड़ियों में चोरी की घटनाएं	Cases of Thefts in Trains in Gwalior Jhansi Section (Central Railway)	177
4702	चमड़े से बनी बस्तुओं केनिर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Leather Goods	177
4703	भारत पाक युद्ध के दौरान 359 पुरी-हावड़ा और 360 हावडा-पुरी यात्री गाड़ियों का बन्द रहना	Suspension of 359 Puri-Howrah and 360 Howrah Puri Passenger Trains during Indo-Pak War	178
4704	पैरियर घाटी परियोजना के लिये नये अनुमान	New Estimates for Periyar Valley Project	178
4705	क्वालालम्पुर में रबड़ उत्पादक देशों की बैठक	Meeting of Rubber Producing Countries at Kualalumpur	178
4706	भारतीय वस्त्रों की विदेशी में बिक्री वृद्धि	Iucrease in Sale of Indian Garments Abroad	179
4707	पूर्व रेलवे में धनबाद में ट्रालीमैनों घरेलू काम करवाना	Trollymen utilized for Domestic Works of Dhanbad (Eastern Railway)	180
4708	डिवीजन सुपरिन्टेंडट धनबाद (पूर्व रेलवे) द्वारा कार्यालय क्लर्कों की नियुक्ति	Appointment of Office Clerks by Divisional Superintendent, Dhanbad (Eastern Railway)	180
4709	धनवाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में कोयले की बुकिंग के लिये माल डिब्बा की सप्लाई	Supply of Wagons for Cole Booking Dhanbad Division (Eastern Railway)	181
4710	हजारीबाग रोड (पूर्व रेलवे) में रेलवे सतर्कता दल द्वारा बिना पूर्व सूचना किये की गई जांच पड़ताल	Surprise Checks made by Railway Vigilence Team at Hazaribagh Road (Estern Railway) ...	181
4711	घाटला कालोनी, रतलाम (पश्चिम रेलवे)में स्कूल एवं डिस्पैंसरी खोलना	Provision of School and Dispensary in Ghatla Colony, Ratlam (Western Railway) ...	182
4712	श्रीलंका के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Ceylon ...	182
4713	रतलाम डिवीजन (पश्चिमी रेलवे) के रेल कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण देना	Grant of House Building Loans to Railway Employees in Ratlam Division (Western Railway) ...	182
4714	रतलाम (पश्चिम रेलवे) में इलैक्ट्रकल चार्ज मैन के रुप में नियुक्ति	Posting as Electrical Chargeman, Ratlam (Western Railway) ...	183
4716	कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को विद्युत की पूर्ण सप्लाई	Full Supply Power to Caldutta Electric Supply Corporation	183
4717	मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये नियत राशि	Amount Allocated to Madhya Pradesh for Rural Electrification	183
4718	भारत-जर्मन जनवादी गणराज्य व्यापार करार से भारत को होने वाले लाभ	Benefit's to India under Indo-GDR Traffic Agreement	184
4719	दिल्ली और अफगानिस्तान में मेवों का थोक मूल्य	Whole Sale price of Dry Fruite in Afghanistan and in Delhi	185
4720	विदेशों में संयुक्त उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ के अपवंचन से सम्बन्धित उच्च शक्ति प्राप्त समिति	High Power Committee Regarding Leakage of Profits earned by joint Ventures Abroad	185
4721	तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco	186
4722	रेलवे गोदामों से चोरियों के कारण गिरफतार किये गये कर्मचारी	Employees arrested for Thefts from Railway Godowns ...	186

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4723	भारतीय संविधान के संशोधन हिन्दी रुपान्तर की जाँच करने के लिये नियुक्त समिति	Committee appointed to Examine Revised Hindi Version of Constitution of India	187
4724	नागदा खाचरोड मार्ग(पश्चिम रेलवे) के रेलवे गेट संख्या 102 सी पर स्थायी गेट मेन की नियुक्ति	Provision of a Permanent Gateman at Railway Gate on Nagda. Khachrau Line (Western Railway)	187
4725	कृष्णा जल विवाद	Krishna Water Dispute	188
4726	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange earned through STC	188
4727	पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात बन्द होने का राज्य व्यापार निगम के लाभ पर प्रभाव	Effect of Cessation of PL 480 Imports on STC profits	188
4728	बड़ौदा डिवीजन में वैगनों की कमी	Wagon shortage in Baroda Division ...	189
4729	रतलाम डिवीजन(पश्चिम रेलवे) पर मोटर ट्राली ड्राइवर के लिये हेल्पर तथा छुट्टी रिजर्व की नियुक्ति	Posing of Helper and Leave Reserve for Motor Trolley Drivers Ratlam Division (Western Railway) ...	189
4730	उत्तर रेलवे के गुलधर स्टेशन पर सीजन टिकटों का उपलब्ध न होना	Non availability of seasonal tickets at Guldher Station (Northern Railway) ...	190
4731	चौथी योजना के दौरान तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधाएं देना	More amenities to III Class passenger during Fourth Plan	190
4732	लार्ड कृष्ण टैक्साटाइल मिल्स, सहारनपुर के कार्यकरण की जांच	Investigation in to the working of Lord Krishna Textiie Mill,s Saharanpur ...	191
4733	न्यू विक्टोरिया मिल्स कानपुर को आर्थिक सहायता देना ।	Grant of financial assistance to New Victoria Mills, Kanpur	191
4734	दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर टिकटों की चोर बाजारी और सीटों के आरक्षण में रिश्वत खोरी	Sale of Tickets in Blaek market and bribery in reservation of seats at Delhi and New Delhi Stations ...	192
4735	वह पार्टी जिसको इलाहाबाद में माल चढ़ाने उतारने का ठेका दिया गया है	Party to whom goods handling contract at Allahabad has been awarded ...	192
4736	पान का निर्यात	Export of Betel Leaves ...	193
4737	सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग	Full utilisation of Irrigation Potential ...	193
4738	विद्युत विकास योजना	Power Development Plan ...	194
4739	रेलवे को भोजन व्यवस्था सेवा में हानि	Loss to Railways on catering Service ...	195
4740	लघु एककों के लिये आयात तथा निर्यात सुविधाएं	Import and Export facilities for Small Scale Units	195
4741	अफगानिस्तान से व्यापार करने के लिये वागाह स्थलमार्ग को पुन: खोलना	Reopening of Wagah Land Route for Trade with Afghanistan	196
4742	राजस्थान में बाढ़ नियंत्रण के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Rajasthan for Flood Control ...	196
4743	सिंचाई की कम दरें	Low Irrigation Rates	197
4744	राजस्थान में विद्युत जनन की धीमी गति	Slow pace of generation of Electricity in Rajasthan	197
4745	पश्चिम रेलवे के फालना, रानी और पाली रेलवे स्टेशनों पर निचले ऊपरी पुलों का निर्माण	Construction of under-over bridges at Falna, Rani and Pali Railway Stations (Western Railway)	197

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4746	आंध्र प्रदेश के लिये केरल विद्युत प्राप्त करने के सम्बन्ध में केन्द्र का हस्तक्षेप	Central Intervention for Securing Power from Kerala for Andhra Pradesh	198
4747	श्री सेलम परियोजना का सरकारी नियन्त्रण में लिया जाना	Take over of Sri Sailam Project ...	198
4748	काटपाडि और त्रिरुपति (दक्षिण रेलवे) के बीच बड़ी लाइन	Broad gauge track between Kaepadi and Tirupati (Southern Railway)	199
4749	चित्तूर जिले में मैनुफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना	Setting up of Manufacturing Unit in Chittor District	199
4750	खंडवा स्टेशन (मध्य रेलवे) पर वाणिज्यक लिपिकों की संख्या में वृद्धि	Increase of Commercial Clerks Khandwa Station (Central Railway) ...	199
4751	भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे पाकिस्तानी राष्ट्रीक	Pakistan Nationals working on Indian Railways	199
4752	कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति	Promotin of Junior Scale Officer to Senior Scale	200
4753	राजभाषा (विधायी) आयोग के सदस्य	Members of Official Language (Legislative) Commission	201
4754	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की केला साइडिंग में संतरों की नीलामी	Auctioning of Oranges at Kela Siding of New Delhi Railway Station	202
4755	नई दिल्ली से अंगूरों की टोकरियों का हैदराबाद वापिस भेजा जान।	Baskets of Graps Returned to Hyderabad from New Delhi	202
4756	कनाडा में राज्य व्यापार निगम की सहायक संस्थाओं को बन्द करना	Winding up of STC Subsidiary in Canada	203
4757	पश्चिम की ओर रहने वाली नदियों की प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता	Utilised and Unutilised Irrigation Potential of Westward Flowing Rivers	203
4758	रेलवे के सिगनल और टेलीकम्पयुनिकेशन विभाग के आर्टिजन कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर	Channel of promotion for Artisan Staff in Signal and Telecommunication Department ...	204
4759	रेलवे में आधुनिक सिगनल और टेली कम्यूनिकेशन प्रणाली आरम्भ किये जाने के कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Staff due to Intruduction of Modern System of Signals and Telecommunication	204
4760	रेलवे के सिगनल और टेली कम्यूनिकेशन (संकेत और संचार) विभाग में अवकाश रिजर्व खलासियों, मेन्टेनरों और निरीक्षक की नियुक्ति	Posting of Leave Reserve Khalasi Maintainer, Inspector in S & T Department	205
4762	गार्डों (संगजल कर्मचारी) की आयकर की वापस अदायगी	Refund of Income Tax to Guards (Running Staff)	205
4763	हैदराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे) के तेल मिल मालिकों की ओर से अधिक माल डिब्बों के लिये अभ्यावेदन	Representation by Oil Millers of Hyderabad for More Wagons (South Central Railway)	206
4764	उच्चस्तरीय समिति का काण्डला अवाग्रव्यापार जौन का दौरा	Visit of High Power Committe to Kandla Free Trade Zone	206

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4765	न्यू भारत ग्लास उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड कीरतपुर (बिजनौर) द्वारा कोयले के लिये माल डिब्बों के सम्बन्ध में ज्ञापन	Memorandum by New Bharat Glass Udyog Sahakari Samiti Ltd. Kiratpur (Bijnor) regarding Wagons for Coal	207
4766	हरदुआगंज स्टेशन, इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) पर राजस्व में होने वाली हानि	Leakage of Revenue at Harduaganj Station, Allahabad Division (Northern Railway)	208
4767	दस्तकारी के लिये निर्यात लक्ष्य	Export Target for Handicrafts	208
4768	त्रिपुरा के लिये सीमेन्ट और कोयले के वैगन	Wagons of Cement and Coal for Tripura	209
4769	बारबिल, किरीबुरु और कोहरा घाटी के बीच रेलवे लाइन	Rail Link between Barbil, Kiriburu and Koira Valley	209
4770	टेलीग्राफ ट्रैफिक इन्सपैक्टरों के रूप में पदोन्नति के लिये हैड सिगनलरों की मिली जुली वरिष्ठता सूची	Combined seniority List of Head Signallers for Promotion as Telegraph Traffic Inspectors	210
4771	दक्षिण रेलवे में तीसरी श्रेणी के पदों पर चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Class IV Staff to Class III post on Southern Railway	211
4772	पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना	Derailment of Trains in North Eastern Region	211
4773	रूपसा तालबन्द रेलवे लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना	Conversion of Rupsa Talband Line into Broad Gauge Line	212
4774	लेह में स्तकना परियोजना	Stakana Project in Leh	212
4775	आंध्र प्रदेश में अनकपल्ली के लाल मिर्च और गुड़ के व्यापारियों को सप्लाई किये गये माल डिब्बे	Wagons supplied to Chillies and Jaggery Traders of Anakapalli Andhra Pradesh	212
4776	पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण रेल डिब्बों का उपयोग	Use of Inspection carriages by Chief Auditor, North Eastern Railway	213
4777	चाय के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Natoinalisation of Tea Export Trade ...	214
4778	हरियाणा में रुई का समर्थन मूल्य	Support Price for Cotton in Haryana ...	214
4779	रेल मंत्रालय द्वारा संचालित प्रेक्षणिक संस्थाओं में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के लिये अर्हताएं	Qualifications for Appointment as Principal in Railway run Educational Institutions	214
4280	आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी	Shortage of Power in Andhra Pradesh	215
4781	करनाली परियोजना में बिजली खरीदने के बारे में भारत नेपाल वार्ता	Indo Nepal talks regarding buying of Power from Karnali Project	215
4782	आँध्र प्रदेश में बिजली की भारी कमी	Acute power shortage in Andhra Pradesh	215
4783	दक्षिण रेलवे में कोयले की सप्लाई	Supply of coal to Southern Railway ...	216
4784	रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents	217
4785	मियालदह डिवीजन में एक दिवसीय बन्द	One day bandh in sealdah Division ...	217
4786	अफगानिस्तान के साथ के साथ किये जा रहे व्यापार का मूल्य-एवं उसकी मात्रा	Value and Volume of Trade with Afghanistan	218

विषय अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4787 भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा निर्यात और आयात बारे में सुझाव	Suggestions made by FICCI Re : Exports and Imports ...	219
4788 मध्य प्रदेश के खन्डवा स्टेशन पर प्याज के लिए माल डिब्बों का सप्लाई न किया जाना	Non Supply of wagons for Onions at Khandwa Station in Madhya Pradesh	219
4789 एशियाई देशों की व्यापार मछलियों पर चीन का अधिकार	Losing Trade Market to China in Asian Countries	220
4790 भारत और चिली के बीच व्यापार	Trade Pact between India and Chile	220
4791 प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत योजना के अन्तर्गत भारयीय निर्यात व्यापार	Indian Exports under GSP	221
4792 रेलवे बोर्ड के विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय में लेख याचिका	Writ Petition against Railway Board in Madras High Court	223
4793 आल इण्डिया लोकों रनिंग स्टाफ द्वारा अजमेर में पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को प्रस्तुत किया गया ज्ञापन	Memorandum presented to General Manager, Western Railway at Ajmer by all India loce Running Staff ...	223
4794 बक्सर से कोहलवर तक बांध का निर्माण	Construction of Dam from Buxar to Koilwar	224
4795 डाक्टरों की अनुपस्थिति में कम्पाउन्डरों द्वारा मरीजों को नुस्खा देने के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक	Extra Remuneration to Pharmacists for giving prescription to patients in the asbence of Doctors ...	224
4796 केरल में विधान सभा के नये चुनाव करने का प्रस्ताव	Proposal for holding fresh Assembly Elections in Kerala	224
4797 देश में विजली की कमी	Shortage of Power in the country	225
4798 भारत रुस व्यापार करार	Indo Soviet Trade Agreement	225
4799 केरल के काजू कारखानों में जबरन छुट्टी	Lay off in Cashew Factories in Kerela ...	226
4800 केरल तथा तामिलनाडु में पन बिजली, तापीय बिजली तथा परमाणु शक्ति योजनाए	Hydro Tharmal and Nuclear Scheme in Kerala and Tamil Nadu	226
4801 केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएँ	Rural Electrification Schemes in Kerela ...	228
4802 केरल को बिजली की सप्लाई	Power Supply to Kerala	228
अल्प सूचना प्रश्न		
3. कोयले के लिए रेल डिब्बों की कमी के कारण बिहार में बिजली के उत्पादन तथा सप्लाई को खतरा	**Short Notice Question** Threat to power production and Supply in Bihar due to shortage of wagons for coal. ...	229
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table	229
उपदान संदाय विधेयक प्रवर समिति का प्रतिवेदन	Payment of Gratuity Bill Report of Select Committee	230

विषय अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under Rull 377	230
वेतन आयोग का प्रतिवेदन	Report of Pay Commission	
अनुदानों की मागें, 1972-73	Demands for Grants. 1972-73	... 231-264
रक्षा मन्त्रालय	Ministry of Defence	... 266-268
श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	Shri Jagdish Chandra Dixit	231
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	231
श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी	Shri Swami Brahmanandji	233
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	233
डा० कैलाश	Dr. Kailas	235
श्री एस० एम० बनरजी	Shri S.M. Banerjee	235
श्री पी० एन० मेहता	Shri P.M. Mehta	237
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	237
श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय	Ministry of Labour and Rehabilitation...	243
श्री मौहम्मद इस्माइल	Shri Mohammed Ismail	244
श्री रामअवतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	244
श्री राजा कुलर्णी	Shri Raja Kulkarni	256
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	258
श्री एम० राजंगम	Shri M. Rajangam	259
श्री मती सावित्री श्याम	Shri mati Savitri Shyam	260
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	261
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B.K. Daschowdhury	262
श्री इन्द्रजीत जे० मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	263
श्री बाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	267
सदस्य का निलम्बन	Suspension of Member	... 264-266
(श्री हुकम चन्द कछवाय)	Shri Hukam Chand Kachwai	... 268

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 2 मई, 1972/12 वैशाख, 1894 (शक)
Tuesday, May 2, 1972 / Vaishakha 12, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair*]

निधन-सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को 1 मई, 1972 को 57 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में श्री कमल नयन बजाज की दुःखद और असामयिक मृत्यु का समाचार देना है ।

श्री बजाज 1957-70 वर्षों के दौरान दूसरी, तीसरी एवं चौथी लोक-सभा के सदस्य थे और उन्होंने वर्धा चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । वह एक यशस्वी पिता, सेठ जमना लाय बजाज, के महान पुत्र थे । उनका बाल्यकाल गाँधी जी और अन्य स्वाधीनता से नगनियों के मार्ग दर्शन और प्रेरणा के अन्तर्गत व्यतीत हुआ । हमसे जो इस सदन में उनके साथ बैठे हैं वह जानते हैं कि वे कितने सौम्य, भद्र तथा मिलनसार व्यक्ति थे । एक सुयोग्य संसदविह होने के नाते वह सभा की कार्यवाही, विशेषतया शैक्षिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक समस्याओं से संबंधित कार्यवाही में सक्रिय भाग लिया करते थे । उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण कैद की सजा भुगती थी और विभिन्न तरीकों से स्वाधीनता आन्दोलन में योगदान दिया था । उनका जन्म एक प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार में हुआ था और वह एक परोपकारी व्यक्ति थे तथा अनेक सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे ।

हमें अपने इस मित्र की मृत्यु पर गहरा दुःख हुआ है । मुझे विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने में सभा मेरे साथ है ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत

हूं। श्री कमल नयन बजाज की अचानक मृत्यु के समाचार से हम सब को गहरा आघात पहुँचा है।

महात्मा गांधी के माध्यम से 1920 के प्रारम्भ में मेरा परिवार उनके पिता सेठ जमना लाल बजाज के निकट सम्पर्क में आया। मैं उस समय से ही कमल नयन बजाज को और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को जानती हूँ। कुछ समय के लिए हम बम्बई में एक ही स्कूल में पढ़े भी थे।

श्री कमल नयन बजाज ने अपने विद्यार्थी काल में भी राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया। राजनीति में उन्हें गहन रुचि थी। स्वतन्त्रता के पश्चात, अपने पिता के कदमों पर चलते हुए उन्होंने कांग्रेस दल के अनेक पदों पर कार्य किया। उसके साथ ही अपनी चतुरता और कुशाग्र बुद्धि के कारण उन्होंने व्यापार के क्षेत्र मे भी उन्नति की। वह अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध थे और भारत भर में तथा विदेशों में उनके अनेक मित्र थे।

एक जाना पहचाना व्यक्ति हमारे सार्वजनिक क्षेत्र से उठ गया है। उनकी कमी को महसूस किया जायेगा। क्या आप शोक सन्तप्त परिवार के सभी सदस्यों तक हमारा गहन दुःख, सहानुभूति और शोक संदेश पहुँचा देंगे ? इस अवसर पर मैं उनकी वृद्धा माता, श्रीमती जानकी देवी, जिनके लिए यह घटना और भी दुःखदायी है, उनके प्रति विशेष भावनाएं व्यक्त करती हूँ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं आपके द्वारा तथा सदन की नेता द्वारा व्यक्त भावनाओं का समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूँ कि स्वर्गीय श्री कमल नयन बजाज के शोक सन्तप्त परिवार तक हमारा दुःख एवं शोक संदेश पहुंचा दें।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : The news of untimely death of Shri Kamal Nayan Bajaj yesterday was a great shock. I had an opportunity to know him from very near, as I was alos a member of the fourth Lok Sabha. We were neighbours also when I was putting up at Ferozeshah Road. He was a thorough gentleman and was known for his simplicity. His untimely death is a great loss to political field. I, on my own behalf and on behalf of my party share the sentiments expressed by you and by the house and request that our condolences may be conveyed to the bereaved family.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Shri Kamal Nayan Bajaj, som of late Shri Jamna Lal Bajaj, was a member of this House for a long time. Though his political belief were different, to which neither I nor my party could subscribe, yet his behaviour was so good that at times we used to forget our differences. I think that his death has caused a loss and I request that my and my party's sympathies and deep sorrow may be conveyed to the bereaved family.

Shri Shymnandan Mishra (Begusarai) : When we herd the news of sad demise of Shri Kamal Nayan Bajaj yesterday, we were much perturbed and felt that a great personality had departed from the field of politics, social service and industry. Shri Bajaj continued fighting the struggles of life for 57 years, the way, he struggled, would always be remembered. His personality depicted simplicity and balanced life. He did not lost humour or balance in critical times also. He led a faithful and resolute life in politics and achieved success in the world of business also in accordance with the tradition of his family.

There may not be any freedom fighter who may not be knowing contribution of his family in freedom struggle. All would agree that the history of his family during freedom movement would always be remembered.

He was a man of high ideals. He has himself written "I have not been able to translate much into life." But such utterance on his part is indicative of his gentleness. Recently he had written a book, entitled "Kakaji—Bapu—Vinoba". He gave me a copy of the same with one sentence on it :

"Dear brother Mishra,

we have learnt to go far but learn to come nearer" It would always affect my life. He always tried to follow in his life the three ideals which were personified by Bapu, Vinoba and Jamna Lalji. He has written "There was donation in Kakaji; business but there is business in our donation, Bapu used to utter the name of 'Ram' lest he may not forget it, but we remember 'Ram' by mistake. Vinobaji is of Sound intellect and unsound body but our intellect is unsound and body sound. He wanted to follow these three ideals in his life and I think we all are grief stricken today on his passing away. When we feel that he has died while staying with his sister, we are fiilled with sympathy for that sister also. Such a death of a brother is a matter of great sorrow for a sister. To-day our hearts are with that sister and the family. We think we were a member of a large community and this feeling of oneness with the family would always remain with us. The feeling expressd by you, the Prime Minister or other hon. Members are the feelings of all of us. I would request you that when our sorrow and condolences are conveyed to the bereaved family, you should also send a letter to the sister of Shri Kamal Nayan Bajaj expressing our condolences.

श्री जी. विश्वनाथन (वान्डीवास) : श्री कमल नयन बजाज की मृत्यु से हमने न केवल एक प्रमुख उद्योगपति एवं परोपकारी व्यक्ति खो दिया है अपितु एक स्वतन्त्रता सेनानी और महात्मा गांधी का निकट सहयोगी भी खो दिया है। अपने दल की ओर से हम आपको अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा शोक सन्देश शोक सन्तप्त परिवार को प्रेषित कर दें।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabnar) : I agree with the sentiments expressed in the House. History of Bajaj with reference to the country is known to all. Shri Bajaj played a constructive role in the freedom struggle of the country with inspiration specially from Mahatma Gandhi, slowly and slowly all the followers of Mahatma Gandhi are learning the scene and it is causing a great sorrow. I wish we may also do something for the country by getting inspirations from Shri Bajaj's feelings for the country. I myself and on behalf of my party pay my homage to the departed soul and express condolence towards bereaved family.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री कमल नयन बजाज को बचपन से जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। अठारह वर्ष की आयु में स्वाधीनता आन्दोलन में उन्हें गिरफ्तार किया गया और हम हरदोई जेल में दोनों इकट्ठे थे। वह अठारह वर्ष के युवक थे और उन्हें एक अलग कोठरी में रखा गया। हम वहां पर लगभग तीन महीनें इकट्ठे रहे और उसके बाद सारी आयुभर हम मित्र रहे।

14 जुलाई, 1942 के दिन, मैं वर्धा में था, जिस दिन 'भारत छोड़ो संकल्प' पास किया गया। उनकी माता श्रीमती जानकी देवी वहां पर थीं और वह भी वहां पर थे। उस दिन बापूजी संकल्प का मसौदा तैयार कर रहे थे। मुझे उस दिन एक बिच्छू ने काट खाया और उनकी माता और वे सारी रात मेरी सेवा करते रहे। वह विनम्र स्वभाव के और मिलनसार व्यक्ति थे। वह एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और मेरे राज्य में उनकी एक बहुत बड़ी मिल थी। वह बहुत बड़े परोपकारी थे। अपनी अमीरी अथवा सम्पत्ति का उन्हें बिल्कुल भी घमन्ड नहीं था। गरीबों की सहायता करने में वह बहुत उदार थे।

जब सुबह के समाचार पत्रों से मुझे उनके निधन का समाचार ज्ञात हुआ, उस समय मुझे बहुत बड़ा आघात पहुंचा। मेरी कामना है कि वह और अधिक समय जीवित रहे होते। वह युवा थे और देश सेवा में रत थे। सदन में व्यक्त भावनाओं के प्रति मैं सहमत हूँ तथा आपसे अनुरोध करता हूं कि उनकी माता तथा बहिन को हमारा शोक सन्देश प्रेषित कर दिया जाये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस सदन में व्यक्त भावों के साथ मैं और मेरा दल सहमत हैं। पिछली लोक-सभा में हमारे सहयोगी होने के अतिरिक्त श्री बजाज कुछ वर्षों से मेरे व्यक्तिगत मित्र भी थे। जितना भी समय हम इकट्ठे रहते, उस समय हम में पर्याप्त हंसी मजाक चलता रहता और विचारों का आदान प्रदान होता। अत: उनके बारे में जो भी कुछ कहा गया है, मैं उसमें शरीक होना चाहता हूं। हम यह जानते हैं कि उन्होंने तथा उनके परिवार ने देश के स्वाधीनता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरा अनुरोध है कि उनके परिवार को मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से श्री बजाज के असामयिक निधन पर हार्दिक दु:ख की भावना प्रेषित कर दी जाये।

श्रीमती एम० गोडफ्रे (नाम निर्देशित-आगंल भारतीय) : महोदय, सभा की नेता तथा अन्य सदस्यों द्वारा सदन में व्यक्त भावनाओं में मैं भी शरीक होना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि श्री बजाज के आकस्मिक निधन पर हमारी हार्दिक सम्वेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुँचा दी जाये।

Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : I had an apportunity to sit with Shri Bajaj for four years during the last Lok Sabha. I had also an occassion once or twice to stay with him for a day or two on certain functions. As, yourself and leader of the House have expressed, simplicity and humour were two special feartures of his personality. Any one coming near to him felt not to leave his nearness. I associate myself with the views expressed by you as well as the leader of the House and pray to the God that while presenting his physical body to the ashes we may select certain qualities held by him and try to become like him.

अध्यक्ष महोदय : अब हम अपना शोक प्रकट करने के लिए कुछ देर के लिए मौन खड़े होंगे।

उसके पश्चात सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे।
The members than stood in silence for a short while.

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप को यह सूचित करना है कि बुधवार तथा गुरुवार को मध्याह्न भोजन का अवकाश नहीं होगा तथा अगले सप्ताह भी मंगलवार तथा बुधवार को मध्याह्न भोजन का अवकाश नहीं होगा।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कोयले के लापता वैगनों की प्रतिशतता

***646. श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1966 से मशीन लिकिंग की नई प्रक्रिया लागू किये जाने के बाद भी रेलवे में बुक किये गये वैगनों की कुल संस्था में, कोयले के लापता वैगनों की प्रतिशता अधिक चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्यत: प्रारम्भिक प्रलेखों को गलत और अपूर्ण रूप से तैयार करने और अशत: छूटकरण और छिद्रण में त्रुटियों के कारण ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मंत्री महोदय ने जो स्थिति बताई है, वास्तविक स्थिति उससे भिन्न है । छः वर्ष पूर्व यह बताया गया था कि कोयला वैगनों के लापता हो जाने और मिलाये न जा पाने की घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है और लोक लेखा समिति के समक्ष यह बताया गया था कि मशीन लिकिंग की नई प्रक्रिया लागू किये जाने के पश्चात स्थिति में काफी सुधार हो गया है । हालाकि यह प्रक्रिया 1966 में लागू की गई थी, परन्तु फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । स्थिति वही है । क्या में जान सकता हूँ कि मशीन लिकिंग प्रक्रिया के लागू करने पर क्या खर्चा हुआ था और कोयले के लापता वैगनों और मिलाये न जा पाने वाले वैगनों की संख्या क्या थी ?

श्री हनुमन्तैया : माननीय सदस्य ने कहा है कि स्थिति वही है । जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले सात वर्षों में स्थिति और भी बिगड़ी है । स्थिति बहुत ही अधिक बिगडी है । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने इस बारे में रुचि लेकर प्रश्न पूछा है । प्रतिशतता 3 प्रतिशत से बढ़ कर 3 प्रतिशत हो गई है । रेलवे प्रशासन के इस पहलू में स्थिति बिगड़ी है । पिछले दो अथवा तीन महीनों से हम इस दिशा में विभिन्न उपाय कर रहे हैं । मैंने प्रक्रिया में सुधार करने और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के विचार से दो 'कार्य अध्ययन दल' नियुक्त किए हैं । वित्त आयुक्त के माध्यम से मैंने एक और अध्ययन का आदेश दिया था और वह रिपोर्ट तैयार है । आज ही हमने बोर्ड में उस पर विचार किया है और एक उप-समिति नियुक्त करने का निश्चय किया हैं । रेलवे के उप-मंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे और रेलवे बोर्ड के सम्बद्ध सदस्य उसके सदस्य होंगे । यह समिति अध्ययन कार्य को शीघ्रता से पूरा करेगी और कार्यन्वयन तथा कमियों को दूर करने के लिए सिफारिशें करेगी ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए जो मशीन लिकिंग प्रक्रिया लागू की गई थी, उस पर क्या व्यय हुआ था ? दूसरे, इन लापता तथा मिलाई न जा सकने वाली कोयला वैगनों में भेजे जा रहे कोयले का मूल्य क्या था ?

श्री के० हनुमन्तैया : कम्प्यूटरों की खरीद पर लगने वाले वास्तविक धन के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है । यह व्यय का प्रश्न नहीं है । यह प्रश्न गलत भेजने अथवा गलत-डिलीवरी और प्रेरणा तथा प्राप्ति का सत्यापन न कर पाने का है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know who was responsible for these missing wagons, which you have even accepted in your answer ? Was any action taken against them ? Whether the loss in this respect has been estimated, be it to the Railway Board or Industrialists ? What has been the claim in this respect ?

श्री के० हनुमन्तैया : इस प्रश्न का संबंध रेलवे द्वारा अपने उपयोग के लिए खरीदे गये कोयले से है । व्यापारियों और अन्य की बात इसमें नहीं आती । जहां तक हानियों का संबंध है,

रेलवे के रिसीविंग स्थलों की संख्या 500 से अधिक है। अनियमितताओं और हानियों का निर्धारण करना बहुत कठिन कार्य है। यह कार्य किया जा रहा है।

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : हमने केवल लापता बच्चे की ही बात सुनी है। यह कैसी बात है कि पूरी तरह भरी हुई वैगनें लापता हो रही हैं ? मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह मिसिंग लिंक का प्रश्न है।

श्री एस० बी० गिरि : माननीय मंत्री ने बताया है कि रेलवे के उप-मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। क्या वे रेलवे की मान्यता प्राप्त यूनियनों के नेताओं का सहयोग लेने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री के० हनुमन्तैया : मजदूर यूनियन नेताओं को इसमें सम्बद्ध करने की बात केवल उनकी गवाहों लेने और उनसे सुझाव लेने के बारे में आती है। यह समिति की सदस्यता का प्रश्न नहीं हैं। श्रमिक नेताओं के सुझावों का स्वागत है। सुझाव देने के लिए उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जायेगा और हम उनकी जानकारी एवं अनुभव का लाभ उठायेंगे।

Power Supply to Bihar at Higher Rates

*650. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the rate at which power is supplied to industries in Bihar is higher than the rate at which power is supplied to industries in Uttar pradesh and West Bengal;

(b) whether Government have taken any action to establish uniform rates of power tariff in all the States of the country; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel) :

(a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir, The rates charged for industries in Bihar are higher as compared to those prevailing in the States of Uttar Pradesh, and West Bengal.

(b) & (c) The State Electricity Boards have powers to frame their own tariff for power supply to various consumers in their respective areas. Power tariffs vary from State to State because of variations in the cost of generation, transmission and distribution. It is the aim of the Government to ensure that there are uniform tariff rates for each category of consumers within each State in the first instance and ultimately, on the establishment of an All India Grid and to narrow the disparities in the rates to the extent feasible in the country as a whole. Uniform power tariffs for each category of consumers have been introduced in the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Kerala, Mysore, Punjab, West Bengal and Madhya Pradesh. The remaining Boards in the States of Maharashtra, Orissa and Rajasthan are also taking steps in this direction. In Uttar Pradesh, the Board introduced uniform tariff throughout the State in July, 1968, except in the three major cities, namely, Allahabad, Kanpur and Lucknow where a lower low tension tariff for domestic category consumers is inforce due to historical reasons. Although Tamil Nadu Board introduced uniform tariffs, it has kept separate high tension tariff for large and heavy industries in hydro and thermal areas.

Shri K. M. Madhukar : I would like to know whether Hon. Minister has gone into the causes of high cost of production in Bihar; whether he has discussed this question with the Bihar Electricity Board or the State Government ? What are the reasons for higher cost of generation in Bihar and what are the steps being taken by the Central Government to reduce the cost of generation ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा. के. एल. राव) : इस संबन्ध में हमने बिहार सरकार के साथ बातचीत नहीं की है। वहां पर बिजली बनाने पर खर्च बहुत अधिक आता है और वहां प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की हानि होती है। अत: हम इन बात पर बल नहीं दे सकते कि दर में कमी की जाये। फिर भी माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे कहूँगा कि वे दर कम करने का प्रयास करें। किन्तु मुझे इसमें संदेह है कि वे दर कम कर सकेंगे, क्योंकि इस समय हानि उठा रहे हैं।

Shri K. M. Madhukar : The Hon. Minister has himself admitted that the cost of production is very high and they are adding to the loss. I would like to know the centrally sponsored scheme, if any, to make good this loss, which is caused due to mismanagement. May I know whether Government propose to give subsidy in order to make up the loss and bring uniformity in different rates of electricity in different States ?

डा. के एल. राव : मैं तो बिहार के इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को अपना घाटा पूरा करने के लिये प्रयास करने को ही कह सकता हूं हम समय-समय पर इस सम्बन्ध में उसे लिखते भी रहते हैं। उसे घाटा कई कारणों से हो रहा है। उनमें से एक यह है कि उसमें बहुत अधिक पूँजी लगी है मुझे आशा है कि अगले कुछ वर्षों में घाटा पूरा कर लिया जायेगा।

Shri K. N. Tiwary : May I know whether he has personally discussed this question with the Bihar Electricity Board to find out the reasons for the loss; if so, the details thereof ? What are the suggestions made by Central Government to check the loss, and the steps which are being taken by Bihar Government or Bihar Electricity Board in this direction ?

डा. के. एल. राव : स्वयं मैंने तो इस प्रश्न पर उनके साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया है। हां, अधिकारियों के स्तर पर इस प्रश्न पर समय-समय पर विचार होता रहता है। वहां पर लाभ अवश्य होना चाहिये। विश्व बैंक को भी हमने ऐसा वचन दे रखा है। बिहार में बिजली की अधिक दर होने के मुख्य दो कारण ये हैं (1) कर्मचारियों का अधिक होना; (2) बिजली-उत्पादन की तुलना में उसकी कम बिक्री होना।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, is it a fact that a large number of small scale industries have closed down due to the high rates of electricity in Bihar ? If so, I would like to know whether Government propose to give some special subsidy to them to reopen them ?

डा. के. एल. राव : यह सच है कि बिहार में बिजली की दर बहुत अधिक है। यदि उद्योग बन्द नहीं हो रहे हैं, तो वहां नये उद्योग स्थापति नहीं हो रहे हैं। ऊँची दरों का प्रभाव लघु उद्योगों पर भी पड़ा ही होगा। कोई भी नया उद्योग स्थापित नहीं होगा। अतः बिहार के हित में यही है कि वहां की सरकार लघु उद्योग के लिए निर्धारित 20 पैसे की दर को कम करने का यत्न करे।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether his Ministry is contemplating to introduce a uniform rate all over the country and to construct an All India Power Grid in order to lower the cost of generation in some States ?

डा० के० एल० राव : जी, हां । हम इस बारे में प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में बिजली के विशेष लोड के लिए एक ही दर हो । हमें इस दिशा में सफलता मिली है । हां, एक अथवा दो राज्य ऐसे अवश्य हैं जहां ऐसा नहीं हो पाया है । जहां तक सभी राज्यों में समान दर होने का सम्बन्ध है, इसके लिए एक और पंचवर्षीय योजना की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । ऐसा करने से पूर्व, हमें पहले अखिल भारतीय स्तर पर एक ग्रिड बनाना पड़ेगा । इसमें कुछ समय लगेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य मंत्री महोदय ने बताया है कि विभिन्न राज्यों में बिजली के उत्पादन पर आने वाला खर्च अलग-अलग है, इसलिए वहां बिजली की दरें भी पृथक-पृथक हैं । किन्तु क्या यह भी सच है कि एक राज्य में ही बिजली की दरें विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग हैं ?

डा० के० एल० राव : यह इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत-जनन केन्द्र कोयला क्षेत्र से कितनी दूर है । कोयले का मूल्य प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग होता है । किन्तु अब हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि एक राज्य में विद्यमान विभिन्न दरों का औसत निकालकर एक समान दर निश्चत कर दी जाये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : भारत में बिजली की औसत दर और बिहार में प्रचलित दर में क्या अन्तर है ? क्या बिहार में बिजली की दर अधिक होने का कारण यह है कि वहां पर लघु स्तर के विद्युत प्रजनन केन्द्र हैं । यदि हां, तो क्या ऐसे बड़ें एकक स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

डा० एल० के० राव : केवल बिहार में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देश के एककों के आकार में वृद्धि की जानी चाहिये । ऐसा होने पर ही सम्पूर्ण देश के लिए बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जा सकती है । हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि पांचवी योजना के दौरान 100 मैंगावाट से कम क्षमता का कोई भी एकक स्थापित न किया जाये और हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि अधिकतर 00 मैंगावाट के एककों की ही स्थापना की जाये । बिहार में विभिन्न श्रेणियों की औसत दर विशेषतया भिन्न है, बिहार में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए बिजली की दर 20 पैसे है जब कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ौसी राज्यों में यह दर लगभग 18 पैसे है । अतः इनमें लगभग 2 पैसे का फर्क है ।

Shri R. C. Vikal : May I know the difference in rates prevailing in Bengal, Bihar and Uttar Pradesh ? Why the Government is making up the loss which is being suffered by herl on account of supply of power to Birlas from Rihand Dam on lower rates then its production cost ? I would also like to know why Birlas are being supplied power at the rate of 2 paise per unint which is an abnormal lower rate ?

डा० के० एल० राव : सदस्य महोदय उत्तर प्रदेश का उल्लेख कर रहे हैं । बिहार में तो बिडला बन्धुओं को 2 पैसे की दर से बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है ।

Shri Ishwar Chowdhry : I have visited my constituency Gaya recently. The higher rate of electricity which is being charged in Bihar as compared to other States has its direct effect on small farmers and industries. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what immediate steps are being taken to provide power at cheaper rates to Blhar so that proper irriggation can take place, cottage and small industries can run and margina farmers can be benefited ?

डा० के० एल० राव : प्रत्येक राज्य में बिजली बोर्ड की आय के अनुसार ही दरें निर्धारित की जाती हैं। बिहार में दरों को कम करने के यही उपाय हैं कि बिजली का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये, उसके उत्पादन में भी वृद्धि की जाये और इसके साथ ही इस विभाग में कार्य करने वाले स्टाफ में किसी प्रकार की वृद्धि भी न की जाये। फिर भी मैं राज्य बिजली बोर्ड और बिहार सरकार को सदस्य महोदय की इच्छा से अवगत करवा दूंगा।

सूती कपड़ा मिलों के लिए निर्यात सहायता

***651. श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा मिलों की निर्यात सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

श्री सी० जनार्दनन : बावजूद इस तथ्य के कि भारत सरकार द्वारा इस उद्योग को बहुत सी सुविधायें उपलब्ध करवाई गई हैं, हमारे निर्यात में कमी हो रही है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि विदेश में हमारे व्यापार को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और देश में भीं इस उद्योग का संकट बढ़ता ही जा रहा है, क्या सरकार कम से कम निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने तथा इस समूचे उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न तो निर्यात सहायता से सम्बद्ध था। इसके साथ राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सी० जनार्दनन : सहायता के बारे में तो उन्होंने 'न' कर दी है अतः वह बात तो निराधार हो गई है। अब इसीलिए मैंने यह पूछा है कि क्या सरकार द्वारा यह सैद्धांतिक कार्यवाही की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु नीति सम्बन्धी प्रश्न, पूरक प्रश्नों के रूप में नहीं पूछे जा सकते।

श्री सी० जनार्दनन : निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या सरकार इसका राष्ट्रीयकरण करेगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अभी तक इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने का हमारा कोई विचार नहीं है। हमारे निर्यात की स्थिति इतनी दयनीय नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य ने चित्रित करने का प्रयत्न किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विदेश निर्यात में हमें कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और हमें जो सुविधायें उपलब्ध थीं, उन्हें खतरा उत्पन्न हो गया है। परन्तु इनसे जूझने के लिए हम उचित कार्यवाही कर रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीयकरण या विदेश निर्यात व्यापार को अपने

हाथ में लेने का प्रश्न है, उसके लिए कपड़ा उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री सी० जनार्दनन : मन्त्री महोदय ने बताया है कि कोई गम्भीर खतरा नहीं है । परन्तु अभी भी देश में कई ऐसी कपड़ा मिलें हैं जो बन्द पड़ी हैं । क्या निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार केरल राज्य की अलागपता कपड़ा मिल सहित देश की इन संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ में ले लेगी ?

श्री एच० एन० मिश्र : इस उद्योग की कुछ अपनी कठिनाईयां है । हम पहले ही 40 संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ में ले चुके हैं और उनमें से 23 मिलें काफी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं । यदि केरल के कारखाने पर कोई संकट है, तो हम उसकी जांच और अध्ययन करेंगे और यदि राज्य सरकार ने सहयोग दिया, तो हम इसे अपने हाथ में ले लेंगे ।

श्री रामसहाय पांडे : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सरकार यह निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आरम्भ करने की किसी योजना पर भी विचार कर रही है ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने दे ही दिया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जो कपड़ा मिलें मोटे और मध्यम दर्जे के कपड़े का उत्पादन करती हैं, उन्हें चीन तथा एशिया के अन्य देशों की स्पर्धा के कारण अपने माल का निर्यात करने में कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश और विशेषतया कानपुर की मोटे और मध्यम दर्जे के कपड़े का उत्पादन करने वाली मिलों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जायेगा (व्यवधान) या क्या इन मिलों द्वारा निर्मित माल का निर्यात करने का दायित्व सरकार अपने ऊपर लेगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह आश्चर्य की बात है कि यह प्रश्न श्री बनर्जी पूछ रहे हैं । मोटा और मध्यम दर्जे का कपड़ा तो देश के गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए बनाया जाता है । उसका निर्यात करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है । अभी भी इस कपड़े की सप्लाई कम है । जैसा कि मैंने कहा है, यह मोटा और मध्यम दर्जे का कपड़ा तो उस श्रमिक वर्ग के लिये होता है जिसका श्री बनर्जी यहां प्रतिनिधित्व करते हैं ।..... (व्यवधान)

श्री समर गुह : दक्षिण पूर्व एशिया हमारे कपड़े की अच्छी खासी मण्डी है । परन्तु हाल ही में चीन ने इस मण्डी पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है । यदि यह ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके क्या कारण हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है..... ...?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न यह था कि क्या सूती कपड़ा मिलों की निर्यात सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और इसके उत्तर में मंत्री महोदय ने "नहीं" कह दिया है । परन्तु अभी भी यह सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री समर गुह : निर्यात संबर्द्धन में असफल रहने के कारण सहायता का प्रश्न उठता है। क्या सरकार को पता है कि पश्चिम पाकिस्तान से बंगला देश को भारी मात्रा में कपड़ा भेजा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अब इसकी अनुमति नहीं देता। अगला प्रश्न।

Railway Accidents in Western Railway

*652: **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of Railway accidents on the Western Railway during the last six months ;

(b) the number of the accidents occurred due to the carelessness on the part of Railway Emyloyees ;

(c) the estimated loss suffered by the Railways ; and

(d) the number of employees against whom Departmental enquiry is being instituted in this regard ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान अर्थात् 1-10-71 से 31-4-72 तक की अवधि में 43 गाड़ी दुर्घटनाएँ हुई।

(ख) 25.

(ग) लगभग 2,45,279 रुपये।

(घ) 45.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the main reason for the accidents which are occurring. Who were found to be at fault for these accidents ? Have the employees due to their ill health by working for 12 to 16 hours a day, were found guilty for these accidents ?

श्री के० हनुमन्तैया : इसका कारण रेलवे स्टाफ, रेलवे स्टाफ को छोड़कर अन्य व्यक्ति तथा रेलवे उपकरणों की असफलता है। यह कहना सच नहीं है कि ये दुर्घटनाऐं इस लिये होती हैं कि रेलवे कर्मचारी अधिक काम करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : In this behalf, the control room is answerable to a great extent, I had an opportunity to visit the control room. They are supposed to keep on sitting at one place for six hours. The activities of the entire Division depend on their constant six hour duty. They can hardly move out even for a moment from there. These accidents are caused only by the over work, they do. 70 per cent of employees are in bad health due to heavy burden of work. Keeping in view this, is the Minister prepared to lighten their work load ? The Minister in his reply has not indicated the action taken against defaulters.

श्री के० हनुमन्तैया : यह प्रश्न उन बातों से सम्बन्धित नहीं है, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। लेकिन सदन इस बात को जानता है कि हर दुर्घटना की जांच एक स्वतन्त्र उपयोग-अर्थात

रेलवे सुरक्षा आयोग करता है मेरे माननीय मित्र को, जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बातें किसी जांच के समय आयोग के सामने बतानी चाहिये थीं। इस सदन में या मेरे सामने इन बातों को कहना क्या कोई लाभ नहीं है जबकि दुर्घटनाओं की जांच के लिये एक स्वतन्त्र आयोग है।

गंडक बेसिन और लोअर दामोदर क्षेत्र में बाढ़ की समस्याओं का अध्ययन

*653 **श्री. बी. के. दास चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक बेसिन और लोअर दामोदर क्षेत्र की बाढ़ की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु नियुक्त की गई समिति ने अपना कार्य कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) **और (ख)** निम्न दामोदर बेसिन में बाढ़ों और जल-निकास की सतुलता की समस्या के अध्ययन करने और आर्वतक क्षति को कम करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए जो तकनीकी समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आशा है कि यह भारत सरकार को शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

नदी-नियंत्रण के किफायती और स्थायी उपाय निकालने के लिए जो गंडक तकनीकी समिति गठित की गई थी वह गंडक बेसिन की बाढ़ समस्याओं का अध्ययन अभी तक कर रही है।

श्री बी. के. दास चौधरी : बाढ़ द्वारा गंडक बेसिन से हुई हानि को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने निम्न दामोदर क्षेत्र के गंडक बेसिन के लिये बाढ़ नियंत्रण बोर्ड सहित बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना करने का निर्णय किया है ?

दूसरी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि अध्ययन दल के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, इस अध्ययन दल के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा. के. एल. राव) : गंगा बेसिन के बाढ़ नियंत्रण आयोग तथा बाढ़ नियत्रण बोर्ड की स्थापना की जा रही है।

हमें अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं यह नहीं बता सकता कि प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं।

श्री बी. के. दास चौधरी : आपने कहा कि इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

डा. के. एल. राव : इसे अन्तिम रूप समिति दे रही है। मैंने उन्हें इसे अन्तिम रूप देने के लिये कहा है। अतः किसी भी समय प्रतिवेदन आने की आशा है।

श्री बी. के. दास चौधरी : इस विशेष क्षेत्र में बाढ़ का नियंत्रण करने के लिये जब तक अध्ययन दल की रिपोर्ट न आये, उस समय तक विशेष क्षेत्र में बाढ़ का नियंत्रण करने के लिये क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

डा. के. एल. राव : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य निम्न दामोदर अथवा गंडक की चर्चा कर रहे हैं। परियोजना स्वीकार कर ली गयी है और सरकार दामोदर के पहले चरण को पूरा करने के लिये पांच करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर रही है, दूसरे चरण का काम बाद में शुरु किया जायेगा जिसके लिय अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। समिति के प्रतिवेदन के बाद इसे तकनीकी परामर्शदात्री समिति के सामने रखा जायेगा। यह काम तीन या चार वर्षों में स्वीकृत होगा तथा पूरा होगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने अभी उत्तर दिया है कि निम्न दामोदर योजना का पहला भाग पूरा हो गया है और दूसरा भाग प्रतिवेदन पर निर्भर करता है। क्या यह सच नहीं है कि मंत्री महोदय स्वयं भी इस क्षेत्र में गये हैं और वे इस बात से स्वयं भी सहमत थे कि इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिये और केवल अकेली निम्न दामोदर परियोजना के लिये 14 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जायें ?

डा. के. एल. राव : मैंने वही बात कही है कुछ भी पुरा नहीं हुआ है। परियोजना के पहले चरण की स्वीकृति हो चुकी है और दूसरी की स्वीकृति होने वाली है लेकिन प्रथम स्वीकृत कार्य को पूरा किया जाना है जिसके लिये सरकार 5 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान कर रही है। हम यथासम्भव प्रयत्न कर रहें है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य . परियोजना को पूरा करने के लिये 14 करोड़ रुपये जरूरी है। आपने स्वयं ही स्वीकार किया है।

डा. के. एल. राव : यह परियोजना की लागत है। इसमें 2 वर्ष से अधिक का समय लगेगा।

Shri Shankar Dayal Singh : There is always flood from the waters of Damodar. Presently there is reservoir in Bihar. May I know whether this flood can be checked by providing water to Bihar from Tilayya and Konar ?

डा. के. एल. राव : माननीय सदस्य, गंडक के बारे में बोल रहे हैं या तिलैया के बारे में, पूरी तरह से नहीं समझ सका।

श्री शंकर दयाल सिंह : तिलैया।

डा. के. एल. राव : तिलैया दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में है। माननीय सदस्य ने दामोदर के बाढ़ नियंत्रण के लिये सहायता देने के बारे में कहा है। तिलैया के जल स्तर से बिहार के क्षेत्रों को सहायता मिलेगी और दामोदर घाटी के बाढ़ नियंत्रण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। गंडक गंगा के उत्तर में हैं और तिलैया इसके दक्षिण में है। गंडक के बारे में काफी बर्षों से परेशानी रही है। पिछले वर्ष छितौनी बाँध में दरार आयी और रेल मंत्री महोदय ने इसे बन्द करने का आदेश दिया लेकिन वे अधिक राशि की व्यवस्था नहीं करते। यही परेशानी है और उत्तर प्रदेश सरकार के तत्काल बचाव कार्य करने पड़ते हैं।

श्री समर गुह : निम्न दामोदर परियोजना कब तक पूरी होगी ? कौन कौन से क्षेत्र बाढ़ से मुक्त होंगे ? इस लोकप्रिय परियोजना से किन किन क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाऐं मिलेंगी ?

डा. के. एल. राव : इस प्रकार की कोई सिंचाई नहीं होगी । दोनों ओर बांध बनाने का विचार है ताकि पानी की निकासी शीघ्रता से हो सके । इस प्रकार की कोई सिंचाई नहीं होगी । मुझे आशा है कि परियोजना का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा होगा ।

श्री समर गुह : कौन कौन से क्षेत्र बाढ़ से मुक्त होंगे ?

डा. के. एल. राव : हावड़ा के जिले तथा दामोदर नदी के सीमावर्ती अन्य जिले बाढ़ से मुक्त होंगे ।

पटसन का मूल्य निर्धारित करना

***654. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पादन लागत को दृष्टि में रख कर पटसन का मूल्य निर्धारित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्वा हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल. एन. मिश्र : (क) तथा (ख) पटसन की न्यूनतम समर्थन कीमत प्रत्येक मौसम में कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित की जा रही है, जो सिफारिश करते समय उत्पादन लागत को ध्यान में रखता है ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : पटसन के अलाभप्रद मूल्य और उसके मूल्य निर्धारित न किये जाने के परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में पटसन की गांठों को चीन से होकर नेपाल ले जाया जाता है इससे पटसन उत्पादकों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । इससे देश को भी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की हानि होती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार मूल्यों को स्थिर रखने के उद्देश्य से अपनी एजेंसी के माध्यम से पटसन की खरीद करने का है जिससे गरीब किसानों को पटसन का निर्धारित मूल्य मिल सके ।

श्री एल. एन. मिश्र : सरकार ने पहले ही पटसन की खरीद आरम्भ कर दी है । सरकार अन्य मंडियों में अनेक प्रदेशों में पटसन खरीद रही है ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : पूर्णिया जिले तथा भारत के अनेक पूर्वी भागों में सोनापत (गोल्डन फाइबर), ढाका, चडी और कोरसन जैसे विभिन्न प्रकार के पटसन का उत्पादन होता है । क्या प्रत्येक किस्म के पटसन के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित किये गये हैं अथवा किये जायेंगे या सब किस्म के लिए एक मानक मूल्य निर्धारित किया जायेगा ।

श्री एल. एन. मिश्र : अभी तक हमने केवल आसाम बौटम के लिए ही मूल्य निर्धारित किये हैं । हम अन्य किस्म के पटसन के मूल्य भी निर्धारित करेंगे ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या यह सच है कि बंगला देश से पटसन के आयात के कारण बंगला देश के निकटवर्ती क्षेत्रों में पटसन के मूल्य असंतुलित हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार का इसको कैसे दूर करने का विचार है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमने बंगला देश से पटसन का आयात नहीं किया है। मैं इसकी तस्करी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमारे देश में इसका मूल्य 40 से 45 रुपये के बीच है। बिचौलियों को दूर करने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। इस मामले में यही एक भाग इसका दल है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलवाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हड़ताल की धमकी के कारण पश्चिम बंगाल में समस्त पटसन उद्योग इस महीने की 8 मई से बन्द हो रहा है। मुझे समाचार पत्रों से विदित हुआ है कि माननीय मन्त्री ने इस बारे में हस्तक्षेप किया है। पटसन उद्योग को श्रमिक सकट से बचाने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

श्री एल० एन० मिश्र : आज सायं 3.30 बजे हमारी पश्चिम बंगाल के मंत्री, श्रमिक नेताओं और भारतीय पटसन मिल संघ के अधिकारियों से वार्ता हो रही है। मैं श्री बनर्जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी हड़ताल न होने देने में हमारी सहायता करें। पटसन उद्योग के लिए यह बहुत संकट की घड़ी है। मैं श्रमिक नेताओं से हड़ताल न करने का अनुरोध करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्हें मालिकों से भी श्रमिकों को कुछ धनराशि, देने का अनुरोध करना चाहिये।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं ऐसा भी अवश्य करूंगा।

श्री एस० एन० मिश्र : यदि पटसन निगम को इसी मूल्य पर पटसन खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, तो क्या उसे इस खरीद के कारण हुई हानि का मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : मूल्य उत्पादकों के लिये लाभप्रद होना चाहिये। उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिये। यदि इस मामले में हानि होती है, तो सरकार को उसे सहन करना पड़ेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : When the farmer goes in the market to sell jute, he gets high prices. As the branches of the Jute Corporation are not in every market, it is not possible for it to purchase the products of the farmers. The businessmen purchase the goods in huge quantity and sell them at high prices afterwards. The branches of the Corporation should be established in all the markets so that the farmers can obtain proper prices for their produce. I want to know whether the hon. Minister will look out the matter ?

Mr. Speaker : It is a suggestion for action. The Minister may kindly note his suggestion.

Shri Bibhuti Mishra : The Government decide the price of Assam Bottom in Calcutta. I want to know whether the Government intend to decide the price in the open market so that, the growers may get the proper price ? I want to know why the Government does not fix the minimum and remunerative prices at the places where there are Jute Centres in the primary market ?

Shri L.N. Mishra : The hon. Minister is right when he says that the prices are fixed in Calcutta. Directions have been issued to the Jute Corporation that the prices of every kind of jute should be decided in the primary and secondary market. The price list should be distributed to the farmers so that they may be able to get the proper prices.

दिल्ली के लिये "मास रैपिड ट्रान्जिट सिस्टम"

श्री पी० गंगादेव
***656 श्री प्रसन्न भाई मेहता** } : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिये "मास रैपिड ट्रान्जिट सिस्टम" के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों के सर्वेक्षण पर कुल कितना धन व्यय होगा ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में सर्वेक्षण के लिए कुल कितने धन का उपलब्ध किया गया है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 90 लाख रुपये के लगभग।

(ख) 34.90 लाख रुपये।

श्री पी० गंगादेव : दिल्ली के शहरों में भीड़ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने दिल्ली, फरीदाबाद और गाजियाबाद के बीच रेलवे लाइन पर बिजली लगाने के बारे में सर्वेक्षण किया है अथवा यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री के० हनुमन्तैया : यह प्रश्न भिन्न है। माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न में 'मास रेपिड ट्रान्जिट सिस्टम' के बारे में पूछा था। मैं माननीय सदस्य को सूचित करता हूँ कि दिल्ली के निकटवर्ती स्थानों को सड़कों आदि से जोड़ने की योजना है।

श्री पी० गंगादेव : क्या दिल्ली के लिए भूमिगत रेल चलाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो ऐसा कहां तक सम्भव है ?

श्री के० हनुमन्तैया : हां, इस बारे में एक योजना है और उस पर कार्य चल रहा है। अब हम इस योजना के तकनीकी—आर्थिक पहलू पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सूचना प्रश्न संख्या 3—माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरक के मूल्य में वृद्धि पर बजट प्रस्तावों का प्रभाव

***621 श्री सी० जनार्दनन :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट प्रस्तावों की घोषणा के बाद खुले बाजार में उर्वरकों की सप्लाई अपर्याप्त हो गई है;

(ख) क्या उर्वरक केवल कालेबाजार के भावों पर ही उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे)

(क) यह विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं है कि पिछले बजट में 5 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने से उर्वरक की पूर्ति अपर्याप्त हो गई है।

(ख) यह कहना सच नहीं है कि उर्वरक आमतौर पर केवल काले बाजार के भावों पर उपलब्ध हैं।

(ग) तथापि बेईमान व्यापारियों द्वारा पश्चिम बंगाल में सांविधिक दरों से अधिक मूल्यों पर उवंरक की बिक्री करने की कुछ शिकायत प्राप्त हुई हैं।

(घ) राज्य सरकार ने अत्यावश्यक पण्य अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये उर्वरक नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत उल्लंघनकर्त्ताओं को अकड़ने और उन पर मुकदमें चलाने के लिए पर्याप्त अधिकार दे दिये हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 राज्य सरकारों ने 1970 और 1971 की पहली 3 तिमाहियों में 66 व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की थी। राज्य सरकारों से पुनः अनुरोध किया गया है कि वे सतर्कता बर्तें और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

अतिरिक्त देशीय उत्पादन और आयात द्वारा कृषकों की पूर्ति बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

हल्दिया पत्तन और पोत-निर्माण परियोजना का निर्माण-कार्य पूरा करना और उनसे रोजगार के अवसर

***622. श्री समर गुह :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया पत्तन और वहां की पोत निर्माण परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) इस निर्माण-कार्य में कितने व्यक्ति लगे हुये हैं और पत्तन तथा पोत-निर्माण परियोजना में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध होने की आशा है; और

(ग) अब तक कितने स्थानीय लोक भर्ती किये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) अभी तक हल्दिया में जहाज निर्माण यार्ड की स्थापनार्थ कोई स्वीकृति परियोजना नहीं है। अतएव परियोजना की पूरे होने की तारीख और इस सम्बन्ध में रोजगार अवसर जो उपलब्ध होंगे का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक हल्दिया पत्तन परियोजना का सम्बन्ध है तेल घाट अगस्त, 1968 में चालू किया गया और गोदी प्रणाली के 1973 के अन्त तक सम्पन्न और चालू होने की संभावना है।

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की सख्या 1500 है। चूंकि परियोजना से सम्बन्धित कार्य की विभिन्न मदों को पूरा करने के लिए कलकत्ता पत्तन

आयुक्तों द्वारा कई ठेकेदार नियुक्त किये गये हैं, अतएव परियोजना के निष्पादनार्थ उनके द्वारा काम पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई भी सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक रोजगार अवसरों के सृजन होने की सम्भावना है। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने बताया है कि सीधे रोजगार की सम्भावना (अर्थात वे कर्मचारी जिनकी सीधी भर्ती कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा हल्दिया, गोदी और तेल घाट के लिए की जानी है और जिनमें वे लोग भी शामिल है जिनका सम्बन्ध पत्तन परिचालन से है) लगभग 7000 है।

कुल 1258 बेदखल किये गये और प्रभावित परिवारों में से लगभग 2900 स्थानीय व्यक्तियों के लिए अभी तक कलकत्ता पत्तन आयुक्तों और हल्दिया पत्तन परियोजना तथा हल्दिया तेल शोधक परियोजना से सम्बन्धित उनके ठेकेदारों द्वारा रोजगार की व्यवस्था की गई है।

भारत में बच्चों को हृदय रोग

***623. श्री प्रसन्नभाई मेहता
श्री पी० गंगादेव** } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अधिकतर बच्चों को हृदय रोग हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग की रोक-थाम के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) (क) जी हां।

(ख) जहां बाल रोग चिकित्सा, हृदय रोग और निरोधक एवं रोगहर उपचार कार्य व्यापक रूप से किये जा रहे हैं, वहां बाल रोग चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये गये हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ऐसे और अधिक केन्द्र खोलने पर विचार किया जायेगा।

उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उपाय

***624. श्री मोहन स्वरूप :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों को अधिकतम मात्रा में उपलब्ध कराने के उपाय कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। राज्यों की 1972-73 की मांग अधिकतर पूरी पूरी होने की आशा है। पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय ने इस मन्त्रालय को अश्वासन दिया है कि 1972-73 के रबी और खरीफ के मौसमों के दौरान उपयोग के लिए 9.4 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 2 लाख मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ देशीय उत्पादन से उपलब्ध हो जायेगा। वित्त मन्त्रालय ने 5.56 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन, 2.04 लाख मीटरी टन $पी_2 ओ_5$, 1.50 लाख मीटरी टन के 2 ओ के आयात के लिये

विदेशी मुद्रा नियत की है। इस के लिए आपूर्ति मन्त्रालय और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को आयात कार्यक्रम बनाने के लिए कहा गया है ताकि उर्वरक समय पर पहुँच जायें। आशा है कि 1-4-72 को उपलब्ध भंडारों को दृष्टिगत रखते हुए इन उपायों के कार्यान्वयन से राज्यों की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी और पवर्ष वर्ष के लिए, उर्वरकों की उपलब्धि 1971-72 की तुलना में अधिक होगी।

Foreign Assistance for Family Planning

*625. **Shri K.M. Madhukar :** Will **the Minister of Health and Family Planning** be pleased to state the total amount received by the Government of India from various countries for the purpose of Family Planning during the last three years ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning Shri Uma Shankar Dikshit : A statement containing the required information is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Details of assistance received during the last three years, are given below :—

Assistance, as under, has been received from the United States Agency for International Development :—

1. Rs. 84 million for experimental and innovative schemes on Family Planning.
2. Rs. 37.6 million out of a grant of Rs. 60 million for purchase of vehicles.
3. $ 20 million (Rs. 15 crores) for acceleration of the programme.
4. In addition, agreement has been made with the United States Agency for International Development for a loan of $ 2.7 million (Rs. 2,02,50,000) for the purchase of imported components of vehicles. Out of this, letters of commitment have been issued for an amount $ 921,211 and a further request for $ 11,47,802 has been sent to USAID.
5. A sum of Rs. 15 million has been received by the Department of Economic Affairs in advance from the USAID in pursuance of an Agreement executed between the USAID and the Government of India for Experimental Projects involving the conduct of a series of mass sterilization camps in the country.
6. Another Agreement for an amount of Rs. 1.2 million for the procurement of 50 m.c.g. oral pills was also signed recently. The full amount has been received by the Department of Economic Affairs in advance.
7. Besides the above, technical assistance from USAID as per agreements reached in earlier years continued to be received during 1969-70, 1970-71 and 1971-72.
8. The other country from which assistance for Family Planning Programme was received is *Sweden* (Swedish International Development Authority, Stockholm). According to the Agreement which was signed on 1st July, 1968, and was valid up to 30th June, 1970, the following supplies have already been received in full :—

   164.9 million pieces of condoms '(Nirodh)

   250 tons of offset paper

   500 tons of glazed newsprint

   1 packing machine

Contingent fund of one lakh Swedish crowns. Assistance is also being received from U.N. (UNDP & UNFPA) and its specialised agencies e.g. World Health Organisation and UNICEF by way of Consultancy services, fellowships and equipment.

9. In the year 1971-72, an Agreement has been signed with Norwegian Agency for International Development (*NORAD*) Norway. Under the Agreement the Government of India has received as aasistance a sum of Rs. 88,27,352.48 to be utilised in the All India Post Partum Programme.

1. Oral Contraception Demonstration.
2. Commercial Distribution Programme
3. Strengthening of Family Planning Training Research Centres.
4. Improvement of Motion Picture Support for Family Planning Programme.
5. Strengthening of Maternal and Child Health base for family planning through the supply of Dais Training Kits.
6. Extended radio support for family planning through tape recorders.
7. Bio-Medical Research.
8. Strengthening of MCH base for family planning through Anaemia Prophylaxis.
9. Demographic Training and Research Centre, Bombay (now International Institute for Population Studies.)
10. Development of Integrated mailing system.
11. Selected Areas and Intensive Districts Programmes.
12. Post Partum Programme.
13. Procurement of vehicles for the Family Planning Programme and for the development of Central Health Transport Organisation/State Health Transport Organisations.

अन्तर्राज्यीय सड़क परिवन पर प्रतिबन्ध

***626. श्री बक्शी नायक**
श्री पम्पन गौडा } : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन से लोगों और माल के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है, और

(ग) क्या सस्कार इन प्रतिबन्धों को समाप्त करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) संविधान के अनुसार मोटर परिवहन की कार्यकारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मोटर गाड़ी

अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अन्तर्राज्य परिवहन आयोग की एजेंसी द्वारा अन्तर्राज्य परिवहन के नियमन से ही केन्द्रीय सरकार संबधित है। मोटर गाड़ियों और उनमें ले जाए गए सामान और यात्रियों पर लगने वाला कराधान केवल राज्य क्षेत्र से संबंधित है।

करों की विविधता, करों की दरों और वसूली के ढंग में एकरुपता का अभाव, परिवहन गाड़ियों के परिचालनार्थ परमिटों पर प्रति-हस्ताक्षरों की आवश्यकता, चुंगी और अन्य पड़ताल चौकियों की मौजूदा अन्तर्राज्य परियात के निर्बाध प्रवाह में कुछ मुख्य रुकावटें हैं।

मोटर गाड़ियों पर लगने वाले विभिन्न करों के लगाने और वसूली करने संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण, इन करों की वसूली के लिए नियुक्त एजेंसियों की विविधता से बचने तथा सामान्य रूप से मौजूदा कर ढाँचे के युक्तिकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा एक कर्मी दल की स्थापना की गई है। इकहरे स्थान पर कर के भुगतान के आधार पर और बिना प्रति-हस्ताक्षरों के परमिटों से संबधित क्षेत्रों में माल-गाड़ियों के निर्बाध आने जाने के लिए अन्तर्राज्य परिवहन आयोग ने कई क्षेत्रीय परमिट परियोजनाओं को चालू किया है। आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर और तमिल नाडु पर लागू दक्षिणी क्षेत्र परमिट परियोजना 1 जनवरी, 1967 से चालू है। पश्चिमी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र परियोजना पूरी होने वाली हैं। संबंधित राज्य सरकारों के साथ चुंगी को समाप्त करने के प्रश्न पर बातचीत चल रही है।

सड़क परिवहन कराधान जाँच समिति ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार विभागों द्वारा स्थापित बिक्री कर और अन्य पड़ताल चौकियाँ समाप्त कर दी जाएँ और समिति ने संबंधित विभिन्न विभागों की आवश्यतओं को पूरा करने के लिए एक ही संगठन ढांचे के अन्तर्गत एक पड़ताल चौकी और दो राज्यों के सामान्य सीमान्तों पर विभिन्न पड़ताल चौकियों के मिलाने की ज़रुरत पर भी जोर दिया। इन सिफारिशों के कार्यान्वियन के प्रश्न पर संबंधित राज्यों के साथ वार्तालाप चल रहा है।

बड़े नगरों में वयस्क शिक्षा योजना

*627. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य के बड़े नगरों में वयस्क शिक्षा योजना आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेष बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख)

1. प्रौढ़ शिक्षा सहित, स्कूली शिक्षा के बाहर एक व्यापक कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है जिसमें प्रत्येक राज्य के बड़े बड़े शहरों सहित, सभी जिले शामिल होंगे।

2. माडल स्कूलों की प्रस्तावित योजना से सम्बद्ध योजना नेहरू युवक केन्द्रों की योजना है जो देश के सभी जिलों में आरम्भ की जानी है। ऐसी परिकल्पना है कि इन योजनाओं के साथ प्रौढ़ जनता, विशेष रूप से आयु वर्ग के लिए प्रौढ़ साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, अविच्छिन्न शिक्षा, उच्च शिक्षा विभिन्न व्यावसायिक वर्गों के लिए कार्यात्मक साक्षरता, ग्रामीण तथा गश्ती पुस्तकालयों सहित बाह्य स्कूली शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को भी आरम्भ किया जाएगा। माडल स्कूलों में बाह्य स्कूली शिक्षा विभाग भी होंगे जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार उचित कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे। इस योजना के और ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

3. चौथी योजना के दौरान कुछ जिलों में निरक्षरता उन्मूलन का प्रस्ताव भी सरकार के विचारधीन है।

उत्तर प्रदेश में एक कृषि-अनुसंधान की स्थापना

***628. श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के कृषि-प्रधान क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में एक कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों को लाभ पहुँचा कर वहाँ की आवश्यकताएँ पूरी करने वाले इस संस्थान का दर्जा और आकार पन्त कृषि विश्वविद्यालय के समान होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)

(क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार या वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय से वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय में एक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना के विषय में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय और राज्य सरकार दोनों को नवीनतम स्थिति बताने के लिए कहा गया है। उनके उत्तर प्राप्त होने पर सभा को अपेक्षित जानकारी दे दी जाएगी।

खाद्यान्नों के उत्पादन, मुर्गीपालन तथा मछली, दूध और सब्जियों के उत्पादन के लक्ष्य

***629. श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 और 1971-72 में खाद्यानों के उत्पादन, मुर्गी पालन, तथा मछली, दुग्ध उत्पादों और सब्जियों के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और प्रत्येक मामले में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मद	एकक	उत्पादन लक्ष्य 1970-71	1971-72	वास्तविक/प्रत्याशित 1970-71	उत्पादन 1971-72
1. खाद्यय पदार्थ	दस लाख मीटरी टन	106	112	107.81	उ. न.
2. कुक्कुट (अंडे)	दस लाख	इन वर्षों के लिये लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं ; 1973-74 के लिये 80,0000 अंडों का लक्ष्य है।		5638	6040 (प्रत्याशित)
3. मछली	लाख टन	लक्ष्य निर्धारित नहीं था।	21.01	19.02	20.78 (प्रत्याशित)
4. दुग्ध उत्पाद					
शिशु दुग्ध खाद्य	हजार टन	वर्ष 1973-74 में 45,000		15.7 *	16.8 ×
संघनित दूध	"	मीटरी टन शिशु दुग्ध खाद्यों		6.2 *	8.4 ×
दुग्ध पाउडर	"	के लिये, 15,000 मीटरी		7.4 *	11.9 ×
माल्ट युक्त दुग्ध खाद्य	"	टन संघनित दूध के लिये तथा 40,000 मीटरी टन दुग्ध पाउडर के लिये उत्पादन लक्ष्य, निर्धारित किये गये हैं।		11.3 *	12.0 ×
5. साग सब्जियां	दस लाख वर्षों में	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।		4.64 ** (आलुओं के लिये)	उ. न.

उ. न. -अभी उपलब्ध नहीं
** -केवल आलुओं के लिये अनुमान उपलब्ध
* -1970 से संबन्धित
× -1971 से संबन्धित

भूगत जल संसाधनों का अध्ययन

*630. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न प्रदेशों में बड़ी संख्या में पम्पिग सेट लगाये जाने के परिणामस्वरूप हुई जल की निकासी के प्रश्न का सामना करने के लिये भूगत जल संसाधनों का अध्ययन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अध्ययन अथवा इस विषय में पिरोटं की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह)

(क) इस विषय में निम्नलिखित कदम उठाये गये है :—

(1) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा क्रमवद्ध जलीय भूवैज्ञानिक सम्बन्धी जांच आरम्भ कर दी गई है ;

(2) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा छिद्रण सुराखों का इलेकट्रिक लागिंग से समन्वेषी छिद्रण और पम्प परीक्षण करना ;

(3) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा भूमिगत जल संसाधनों के पूर्ण रूप मे मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख सीमित जलीय एककों के अधीन विशेष परियोजनाएँ आरम्भ करना ;

(4) राज्य भूमिगत जल संगठनों द्वारा जलीय और जलीय-भूवैज्ञानिक सम्बन्धी आकड़ों का संग्रह, संकलन और विश्लेषण करना ;

(5) भूमिगत संसाधनों के जलीय मूल्यांकन के लिए प्रेक्षण कुंए जलीय-मौसम विज्ञान सम्बन्धी केन्द्रों और विसर्जन-मापक केन्द्रों के वास्तविक कार्य का विस्तार करना ;

(6) क्रियान्वयन के लिए बनाई गई योजनाओं/परियोजनाओं के सम्बन्ध में भूमिगत जल संसाधनों का अनुरूप मूल्यांकन करना ; और

(7) उपरोक्त कार्यों को बताने के लिए केन्द्र और राज्यों में पर्याप्त सगठनों की स्थापना करना।

(ख) भू-स्तरोय जल संसाधनों की जांच में सन्निहित व्यक्तिगत मदों के अन्तर्गत अध्ययनों की रिपोर्टें वृहद संख्या में उपलब्ध है । यद्यपि, उपलब्ध रिपोर्टें अनेक है, तकनीकी प्रकार की है और सीमित क्षेत्र में है, उनको सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली पौलिटैक्निक में कार्य कर रहे कर्मचारी

***631. डा. कर्णी सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पोलिटैक्निक में, वर्कशाप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी कर्यचारी पेशेवर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनको उन सभी सुविधाओं से किन आधारों पर वचित किया जाता है जो अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी वे सभी सुविधाएं प्रदान कराने का है तथा उन्हें अन्य कर्मचारियों के समकक्ष लाने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो. एस. नुरुल हसन) : (क) जी नहीं। स्टाफ की अन्य श्रेणियां भी हैं जो कि गैर-व्यावसायिक हैं।

(ख) पोलिटैक्निकों की मशीनों आदि की मरम्मत, रखरखाव, अनुरक्षण तथा व्यवस्था के लिए ग्रीष्म-अवकाश के दौरान उनकी उपस्थिति अनिवार्य है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सामान्य नियमों के अनुसार समस्त गैर-व्यावसायिक स्टाफ अर्जित अवकाश का हकदार है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा लिए गये अस्थायी ऋण

***632. श्री कार्तिक उराँव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, नई दिल्ली (इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी) के अधिकारियों द्वारा अस्थायी ऋण लिये जा रहे हैं जो की लाखों रुपयों के है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ ऋणों का लगातार कई वर्षों तक लेखा जोखा नहीं रखा गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार के एडवान्सों के बारे में कोई कसौटी है अथवा इनकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां, ; कार्य संगठन के लिए सामग्री, विभागों के लिए उपस्कर तथा उपभोज्य वस्तुएँ खरीदने के लिए अधिकारियों को प्रतिमास अग्रिम के रूप में औसतन लगभग एक लाख रुपये की राशि नकद दी जाती है।

(ख) 31 मार्च, 1972 को लगभग 20,268 रुप्रये की राशि बकाया है जो 31-3-71 तक अग्रिम के रूप में दी गयी थीं।

(ग) विभिन्न सामग्री तथा उपस्कर खरीदने के लिए विभागों की मांगों का महत्व ही संस्थान द्वारा अपनाया जाने वाला मानदंड है। किसी सीमा कर निर्धारण सम्भव नहीं है।

नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वाथ्य सेवा के औषधालयों से औषधियों की चोरी

***633. श्री राम सहाय पांडे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों से औषधियों की बड़े पैमाने पर चोरी होती रहती है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार चोरी से सरकार को प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है ; और

(ग) इस चोरी की रोकथाम के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शकर दीक्षित)

अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(क) नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में बड़ी मात्रा में औषधियों की चोरी नहीं हुइ है। दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन चल रहे 68 औषधालयों मे विगत तीन वर्षों के दौरान औषधियों की चोरी के निम्नलिखित केवल 6 मामले ध्यान में आए हैं :

1969	—	5
1970	—	1
1971	—	शून्य

(ख) 1970 के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से औषधियों की कथित चोरी की अनुमानित कामत लगभग 5,500 रु० है।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधियों की चोरी की रोकथाम के लिए निम्निलिखित कदम उठाए गये हैं :

(1) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करन के लिए दो वर्ष पूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन एक आन्तरिक लेखा-परीक्षा एकक स्थापित किया गया था। इस लेखा परीक्षा एकक का निरीक्षण दल केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों में भेषजज्ञों/स्टोर कीपरों के चार्ज में औषधियों/उपकरणों की आकस्मिक जांच करता है।

(2) औषधालयों के स्टोरों में रखी गई ओषधियों के गुण का मूल्यांकन करने तथा औषधालयों में घटिया किस्म की औषधियों को बदली करके औषधियों के बाहर ले जाये जाने/उन की चोरी की रोकने के लिए औषध नियन्त्रण संगठन के साथ सम्पर्क रखा गया है।

(3) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से ओषधियों के बाहर ले जाने/चोरी का सूराग देने वाली शिकायतें जब कभी प्राप्त होती हैं उन्हें विशेष पुलिस स्थापना के अधीन कार्य कर रहे विशेष सेल की छान-बीन के लिए भेज दिया जाता है।

(4) सम्बन्धित औषधालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की देख-रेख के अधीन काम करने वाले स्टोर कीपरों और भेषजज्ञों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने/कार्यभार छोड़ने के कार्य को अनिवार्य कर दिया गया है।

विश्व नौवहन टनभार में भारत का भाग

***634. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1950, 1960 तथा 1970 में विश्व के कुल नौवहन टनभार में भारत का कितना भाग था ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : विश्व के कुल नौवहन टनभार में भारत का भाग 1950, 1960 तथा 1970 में निम्नलिखित था :—

	जी० आर० टी० लाखों में		
	1950	1960	1970
भारतीय टनभार	4.20	8.59	24.01
विश्व टनभार	845.80	1297.70	2274.90
विश्व के कुल टनभार से भारत के भाग की प्रतिशता	0.49%	0.66%	1.06%

गन्ना विकास सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

***635. श्री के० बालडंडायुतम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में गन्ने के विकास की समस्याओं के बारे में पसरीचा समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(क) और (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1887/72]**

Fall In The Price Of Cotton In M.P.

***636. Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether the price of cotton is going down and the markets in Madhya Pradesh have been closed down ;

(b) if so, whether the nationalised banks have stopped giving loans by mortagaging cotton stock; and

(c) whether farmers are facing financial crisis as a result thereof and if so, the scheme formulated by Government to remove the crisis ?

The Minister Of State In The Ministry Of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir. Prices of cotton had no doubt fallen in the past few months, but now there are signs of reversal in price trends and stability is being brought in the market on the implementation of a number of measures.

(b) & (c) : No, Sir. In fact, the Reserve Bank of India has recently made certain relaxations in regard to credit control on bank advances against cotton.

म्यूनिख में ओलम्पिक खेलों में भारतीय प्रेस के प्रतिनिधि

***637. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस का कोई प्रतिनिधि म्यूनिख में आगामी ओलम्पिक खेलों में सरकारी तौर पर आमंत्रित व्यक्ति के रूप में उपस्थित रहेगा;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में मन्त्रालय और/अथवा इण्डियन ओलम्पिक कमेटी के माध्यम से कितने निमंत्रणपत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) इस देश में विशिष्ट समाचारपत्रों और/अथवा खेल कूद सम्बन्धी पत्रिकाओं को ये निमंत्रण पत्र देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई हैं; और

(घ) किन समाचारपत्रों को म्यूनिख के खेलों के लिये ऐसे निमंत्रण पत्रों का लाभ दिया जायेगा और उनका चयन किस आधार पर होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) भारतीय ओलिम्पिक संस्था, द्वारा अगस्त, 1972 में भेजी गई सूचना के अनुसार, संस्था को 20 ओलिम्पिक म्यूनिख की संगठन समिति द्वारा भारतीय समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के लिए चार प्रत्यायन आबटित किये गये थे । प्रत्यायन फार्मों को नवम्बर, 1971 तक, संगठन समिति को वापिस भेजना था । भारतीय समाचारपत्रों और पत्रिकाओं से अनुरोध प्राप्त होने पर, भारतीय ओलिम्पिक संस्था ने पहले-आया-पहले-पाया के आधार पर, निम्नलिखित चार समाचार पत्रों को 4 प्रत्ययान आबंटित किए थे :—

1. दी टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली
2. दी दकन हेरल्ड, बंगलौर
3. दी अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता
4. दी मदरलैंड, नई दिल्ली

बाद में, भारतीय ओलिम्पिक संस्था को प्रत्यायन के लिये अधिक अनुरोध प्राप्त हुए। फलस्वरूप, भारतीय ओलिम्पिक सस्था ने संगठन समिति से कम से कम दो और प्रत्यायन प्राप्त करने के लिये विशेष प्रयत्न किये, किन्तु उसे केवल एक और प्रत्यायन प्राप्त हुआ । इस प्रत्यायन को भारतीय ओलिम्पिक संस्था द्वारा यूनाइटिड न्यूज आफ इण्डिया को आबटित कर दिया गया है।

बाद में, मदरलैंड को आबंटित प्रत्यायन लौटा दिया गया । भारतीय औलिम्पिक संस्था ने संगठन समिति से अब सिफारिस की है कि इस प्रत्यायन को प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को आबंटित किया जा सकता है । संगठन समिति का निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

अन्तर्राष्ट्रीय औलिम्पिक समिति द्वारा निहित अधिकारों के अधीन, भारतीय पत्रिकाओं/-समाचार पत्रों को प्रत्यायन के लिए सिफारिस करने की जिम्मेदारी, भारतीय औलिम्पिक संस्था की है । भारतीय औलिम्पिक संस्था, इन प्रत्यायनों के सम्बन्ध में निर्णय, संस्था द्वारा अनुमोदित एक पद्धति के अधीन करती है।

भारतीय बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली का कार्यकरण

***638. श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली के कार्यकरण के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं; और

(ख) क्या बाल भवन द्वारा बनाये गए सेवा सम्बन्धी नियमों को सरकार ने अनुमोदित नहीं किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है, तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के वेतन ढांचे के सम्बन्ध में गजेन्द्र गडकर समिति

***639. श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के वेतन-ढांचे के सम्बन्ध में गजेन्द्रगडकर समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी; और

(ख) प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) यह प्रश्न अभी तक विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अभिशासन की समिति के विचाराधीन है तथा इस स्थिति में यह बताना कठिन है कि समिति किस तारीख तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ख) जटिल समस्याएं होने के कारण तथा कुछ हद तक डा० गजेन्द्र गडकर के त्यागपत्र दे देने के कारण समिति के कार्य में देरी हो गई है।

Development And Improvement Of Technical Education

***640. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether there has not been any appreciable development and improvement in the quality of technical education according to the plan; and

(b) if so, the reasons therefor and the measures now contemplated by Government to remove this short-coming ?

The Minister Of Education, Social Welfare and Minister of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b) : In the Fourth Five Year Plan, provision has been made in the Central and States' Sectors for implementation of various quality improvement programmes. While the programmes in the Central Sector are making satisfactory progress according to plan, in the States' Sector several schemes of consolidation of existing institutions and their improvement have yet to make adequate progress. According to reports, the main reason is that due priority to these schemes is not being given by State Governments. The matter was recently discussed by the All India Council of Technical Education. In accordance with the recommendations of the All India Council of Technical Education, the matter is being taken up with the State Governments and Planning Commission.

निर्यात सम्बन्धी दायित्व पूरा न करने वाली फर्मों के विरुद्ध की ई कार्यवाही

***641. श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में फर्मों द्वारा अपने निर्यात सम्बन्धी दायित्व पूरे न किये जाने के कारण कितनी फर्मों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की गई;

(ख) इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये गठित अन्तमन्त्रालय दल की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ग) दोषी फर्मों आदि को किस प्रकार का दण्ड दिया गया ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान उन 9 फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी जिन्हें पूँजीगत माल लाइसेंस जारी किये गये थे और जिनके मामलों में निर्यात दायित्व की शर्त लगाई गई थी ।

(ख) चार ।

(ग) बैंक गारंटी जब्त करने, निश्चित अवधियों के लिये लाइसेंस/रिलीज़ आदेश प्राप्त करने से वंचित करने का दण्ड दिया गया । यह प्रश्न कि क्या उन पर अभियोग भी चलाया जाये इस समय विचाराधीन है ।

फिल्मों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

***642. श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में फिल्मों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) भारतीय फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र : (क) वित्तीय वर्ष 1970-71 में निर्यात की गई फिल्मों से विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित कुल धनराशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी, पंचांग वर्ष के आधार पर उपलब्ध जानकारी से ज्ञात होता है कि वर्ष 1970 में 4.39 करोड़ रुपये तथा जनवरी-जून, 1971 में 2.31 करोड़ रुपये की निवल विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ।

(ख) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 (अक्तूबर 1971 तक) के दौरान जिन देशों को भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया उनके नाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1888/72]**

त्रिपुरा में गुमटी परियोजना की प्रगति

***643. श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) त्रिपुरा की गुमटी परियोजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) पहुंच सड़क, कवामारा और नूतन बाजार पर पुल, भवनों और कालोनी का निर्माण पूरा हो चुका है। बाँध, विद्युत नाली, फोरबे, पेनस्टाक, विद्युत घर और स्विचयार्ड निर्माणाधीन हैं। अधिकतर विद्युत उपस्कर प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) परियोजना के सितम्बर 1974 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों की भीड़-भाड़ के निपटने के लिये विशेष रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव

***644. श्री निहार लास्कर** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख "ट्रंक" मार्गों पर विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिये योजना बनाई है जिससे ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों की भीड़ से निपटा जा सके;

(ख) ये विशेष रेलगाड़ियां किन मार्गों पर चलाई जायेंगी; और

(ग) ग्रीष्म ऋतु की भीड़-भाड़ का सामना करने के लिए क्या अन्य उपाय किये जा रहे हैं?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) प्राप्त होने वाले यातायात, इंजनों की कर्षण क्षमता और साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न मार्गों पर, वर्तमान गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ायी जा रही है।

विवरण

1. नयी दिल्ली—मद्रास
2. बम्बई सेन्ट्रल—पठानकोट
3. बम्बई सेन्ट्रल—नयी दिल्ली
4. बम्बई वी० टी०—कोचिन
5. बम्बई वी० टी०—वाराणसी
6. बम्बई वी० टी०—मद्रास
7. बम्बई वी० टी०—लखनऊ
8. बम्बई वी० टी०—बैंगलूरू
9. बम्बई वी० टी०—वास्को
10. बम्बई वी० टी०—पूना
11. हवड़ा—मद्रास
12. हवड़ा—बम्बई वी० टी०

13. बम्बई वी० टी०—सिकन्दराबाद
14. लखनऊ—हवड़ा
15. दिल्ली—लखनऊ
16. अहमदाबाद—आबू रोड
17. बीरमगाम—राजकोट

सिंचाई विकास योजना

***645. श्री पी० ऐ० स्वामिनाथन :** क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961-1981 को सिंचाई योजना का कोई भाग 1972-73 की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दस वर्षीय सिंचाई योजना की संक्षेप में रूप रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० ऐल० राव) : (क) से (ग) : मई, 1971 में, 1971 से 1981 तक की दशाब्दी के दौरान सिंचाई के विकास के लिए जो भविष्यलक्षी योजना तैयार की गई थी उसमें यह प्रस्तावित था कि बृहत् एवं मध्यम परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र में 28 मिलियन एकड़ से भी ऊपर अतिरिक्त क्षेत्र को लाया जाए जिससे लघु सिंचाई क्षेत्रों में 17 मिलियन एकड़ की वृद्धि हो जाने से और सुधरे बीजों, उर्वरकों आदि के प्रयोग से हमारे खाद्य उत्पादन में 160 मिलियन मेट्रिक टन तक की वृद्धि हो जाएगी । योजना में इस समय हाथ में ली गई सिंचाई परियोजनाओं के लिए चतुर्थ योजना के दौरान उपयुक्त संसाधनों की व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया गया था और बाकी के सात वर्षों में 2250 करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित था ।

उपलब्ध संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए दशाब्दी योजना के उद्देश्यों को वार्षिक योजनाओं में यथासंभव सम्मिलित किया जा रहा है । 1972-73 के लिए वार्षिक योजना में लगभग 2.25 मिलियन एकड़ की अतिरिक्त शक्यता का लक्ष्य है जो 1971-72 में प्राप्त की गई शक्यता से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है । दशाब्दी के लिए भविष्यलक्षी योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पांचवी योजना (1974-75 से 1979-80) के लिए विस्तृत प्रस्तावों को भी तैयार किया जा रहा है ।

कुल निर्यात में केरल का योगदान

***647. श्री वयालर रवि :** क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में हुई निर्यात आय में केरल का योगदान धनराशि के रूप में तथा प्रतिशतता के अनुसार कितना है; और

(ख) वर्ष 1971-72 में निर्यात प्रधान उद्योगों के विकास के लिये केरल में कुल कितना धन व्यय किया गया तथा 1972-73 में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि तथा किस प्रकार के उद्योगों पर व्यय करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) निर्यात अभिमुख उद्योगों के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

कुटीर उद्योग एम्पोरियम, कलकत्ता

***649. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित कुटीर उद्योग एम्पोरियम घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसे कितना घाटा हो रहा है और घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त एम्पोरियम को वर्तमान स्थान से किसी नए स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार है जिस पर बहुत अधिक खर्चा होगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख)

वर्ष	हानि
1968-69	1,03,619 रु०
1969-70	2,70,129 रु०
1970-71	2,01,309 रु० (अस्थायी)

शाखा एम्पोरियम स्थापना की प्रारम्भिक अवस्था में है । इस प्रकार के किसी भी नये उद्यम को स्वयं को स्थापित करने में तथा लाभ कमाने के लिये पर्याप्त ग्राहक बनाने में समय लगता है ।

(ग) एम्पोरियम को चौरंगी; कलकत्ता के उसके वर्तमान स्थान से कहीं और ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है क्योंकि वहां पर पार्किंग की सुविधायें बिल्कुल नहीं हैं और स्थान भीड़-भाड़ वाला है।

महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों को सरकारी अधिकार में लेना

***655. श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1972 के 'इकौनामिक टाइम्स' में, बम्बई और महाराष्ट्र के अन्य भागों में स्थित अनेक कपड़ा मिलों को सरकारी नियन्त्रण में लेने के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों का मूल्य क्या है; और

(ग) इस कार्यवाही से कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा, और इन कर्मचारियों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) संभवतः, माननीय सदस्य इन मिलों की कम्पनियों का निबल मूल्य जानना चाहते हैं । जिस अन्तिम लेखा वर्ष के लिए लेखे प्राप्य हैं, उस के अन्त में इन मिलों की कम्पनियों के निबल मूल्य नीचे दिये जाते हैं :—

मिल का नाम	निबल मूल्य (लाख रुपये में)	निम्नलिखित तारीखों पर
1. मोडल मिल्स लि०, नागपुर।	(—) 29.94	30-6-1970
2. आर० एस० आर० जी० मेहता मिल्स लि०, अकोला।	(+) 57.88	28-2-1972
3 छगनलाल टैक्सटाइल मिल्स, चालिसगांव	(—) 5.26	28-2-1970
4. अहमदाबाद जूपीटर बम्बई और अहमदाबाद।	(+) 65.72	31-3-1970
5. दिग्विज्य स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, बम्बई।	(—) 212.77	31-12-1970
6. इंडिया यूनाइटेड मिल्स लि०, बम्बई।	(—) 788.54	31-12-1970
7. औरंगाबाद मिल्स लि०, औरंगाबाद।	(+) 2.00	31-12-1970
8. औस्यानशाही मिल्स लि०, नान्देड।	(—) 29.88	30-9-1969

(ग) संभवतः, माननीय सदस्य उन कर्मचारियों की संख्या जानना चाहते हैं जिन्हें इन मिलों में नौकरी मिली है। इन मिलों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या 28,429 है।

Re-Opening Of Former S. S. Light Railway

*657. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether a delegation of Members of Lok Sabha had met him in regard to the re-opening of S. S. Light Railway line between Saharanpur and Shahdara; and

(b) if so, the outcome of the meeting ?

The Minister Of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) & (b) Yes, Sir. It was explained to the delegates that the Railway Ministry would not be able to reopen and run the Light Railway and that the U.P. Government may take steps to run it. The Light Railway could keep its separate identity and character. The State Government would also be able to co-ordinate road and rail transport. It would accordingly be possible under this arrangement to minimise loss on its working. The Ministry of Railways would, however, be willing to help the State Government in procuring rolling stock and other equipments. Services of suitable men to help the State Government run the Railway could also be placed at their disposal, on agreed terms.

'अंकटाड–III' में विकसित देशों से रियायतों की सम्भावना

*658. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में सेन्टियागो में होने वाले 'अंकटाड' के तीसरे सम्मेलन में विकसित देशों से कुछ रियायतें मिलने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) आशा है कि तीसरे सम्मेलन का जो अधिवेशन आजकल 13 अप्रैल, 1972 से सेन्टियागों में हो रहा है, वह 19 मई, 1972 को पूरा हो जायेगा । इस समय, सम्मेलन के समक्ष जो विभिन्न सारभूत मामले हैं, उन पर बातचीत करने के लिये, मुख्य समिति तथा सम्मेलन द्वारा स्थापित किये गये सत्र सम्बन्धी निकायों ने अपना कार्य शुरु ही किया है । अतः तीसरे सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली रियायतों के सम्बन्ध में अभी से अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

उच्च न्यायालयों के 'अवर' न्यायाधीशों के रूप में महिला अधिवक्ताओं की नियुक्ति

***659. श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों के रूप में महिला अधिवक्ताओं को नियुक्त करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उनकी नियुक्ति पर पहले कोई रोक थी ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) संविधान के अधीन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये विचारण किये जाने के लिये कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत का नागरिक हो तथा भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा उच्च न्यायालय में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो । अतः उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में महिला अधिवक्ताओं को नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है । यदि किसी महिला अधिवक्ता के बारे में सिफारिश की जाए तो निःसन्देह उस पर विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब यह योग्यता और उपयुक्तता का मापदण्ड पूरा करती हो । सांविधानिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए इस मामले में कोई विनिश्चय करने का प्रश्न ही नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

पोरबंदर तापीय बिजली घर का बिड़ला बन्धुओं को बेचा जाना

***660. श्री वेकारिया** : 'क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पोरबन्दर तापीय बिजली घर को बिड़ला बन्धुओं को बेचने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार ने लघु उद्योगों तथा श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग) पोरबन्दर में स्थित 15 मैगावाट का ताप विद्युत केन्द्र, जो भूतपूर्व सौराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और अब गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन है, सौराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड, पोरबन्दर और उस क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं को 1959 से ही विद्युत वाष्प (प्रोसेस स्टीम) और समुद्री जल की

सप्लाई कर रहा है। छोटे आकार का यह वाष्प विद्युत केन्द्र उस अवधि में शुरू में ही जंब क्षेत्र में भार के पोषित और निर्मित किये जाने की आवश्यकता थी, विद्युत जनन और सौराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड को प्रक्रिया वाष्प की सप्लाई के लिए उपयुक्त प्रमापित हुआ था। बहरहाल, बड़े तापीय और अपु विद्युत केन्द्रों द्वारा सेवित गुजरात में एक राज्य व्यापी ग्रिड हो जाने से यह अब मंहगा प्रमापित हो रहा है। इसलिए गुजरात विद्युत बोर्ड ने, सरकार की राय से, पोरबन्दर स्थित ताप विद्युत केन्द्र को जून, 1973 में सौराष्ट्र केमिकल्स के हाथ बेच देने का निश्चय किया है।

इस विद्युत केन्द्र से तत्काल सेवित क्षेत्रों के छोटे और मध्यम उद्योग और अन्य उपभोक्ता उसी दर और निर्भरता से गुजरात ग्रिड से विद्युत पाते रहेंगे। इस केन्द्र से संलग्न बोर्ड के कर्मचारियों को बोर्ड के अन्य प्रतिष्ठापनों में रख लिया जाएगा और वे बोर्ड की सेवा में उन्हीं उपलब्धियों, लाभों और उन्नति की सम्भावनाओं को पाते रहेंगे जो वे अब तक पाते रहे हैं। इस प्रकार छोटे उद्योगों और इस विद्युत केन्द्र में लगे मजदूरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Loan Sanctioned To Housing Boards In Madhya Pradesh

4424. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) The total amount of loans advanced to Housing Boards in Madhya Pradesh State by the Housing and Urban Development Corporation since its inception; and

(b) The number of houses to be constructed by these Housing Boards ?

The Minister Of State In The Ministry Of Works And Housing (Shri I.K. Gujral) : (a) & (b) : There is only one Housing Board in Madhya Pradesh State and no loan has been advanced so far by the Housing and Urban Development Corporation Limited to that Housing Board. The only agency in that State to which loan has been sanctioned by that Corporation is the Bhopal Improvement Trust to which Rs. 39 lakhs have been sanctioned as loan for development of 652 plots for sale.

वर्ष 1972-73 के लिए जूट उत्पादन के लक्ष्य

4425. कुमारी कमला कुमारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने वर्ष 1972-73 के लिये कच्चे जूट के उत्पादन के क्या लक्ष्य सुझाये हैं; और

(ख) राज्य-वार कितनी 'गांठों' के लक्ष्य सुझाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) योजना आयोग ने देश भर में कच्चे पटसन के उत्पादन के लिये वर्ष 1972-73 के लिए 64 लाख गांठों का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(क) राज्य सरकारों ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये हैं :—

	(लाख गांठें) (प्रत्येक गांठ 180 किलो ग्राम की)
पश्चिम बंगाल	38.00
असम	12.12
बिहार	10.10
उड़ीसा	4.25
उत्तर प्रदेश	2.16
त्रिपुरा	0.75
मेघालय	0.54
कुल	67.82

मध्य प्रदेश में रीवा तथा सतना जिलों के ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुदान

4427. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में आरम्भ किये गये ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत रीवा और सतना जिलों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) 1971-72 में इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ग्राम निर्माण कार्यक्रम, जिसे अब सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम नाम दिया गया है, रीवा और सतना जिलों में कार्यन्वित नहीं किया गया है । तथापि, ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने रीवा जिले को 10.62 लाख रुपए और सतना जिले को 9.44 लाख रुपए आवंटित किए थे ।

(ख) व्यक्तियों की संख्या और उनके रोजगार की अवधि विभिन्न परियोजनाओं में अलग-अलग होती है । अतः यह अधिक उपयुक्त है कि काम में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या की अपेक्षा पैदा किए गए रोजगार के श्रमदिनों की संख्या को लिया जाए : प्राप्त सूचना के अनुसार फरवरी, 1972 के अन्त तक रीवा जिले में 4840 और सतना जिले में 1180 श्रमदिनों का रोजगार पैदा हुआ है ।

राजस्थान में गेंहू के बीज की नई किस्म का उत्पन्न किया जाना

4428. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के एक युवा किसान ने गेंहू की एक नई किस्म उत्पन्न की है जो प्रति एकड़ 100 मन से अधिक की उपज देती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इस नई किस्म का प्रयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) से (ग) : श्री-गंगानगर (राजस्थान) के एक कृषक श्री गुरुदर्शन सिंह ने गुरुदर्शन टडी-4 (बौनी किस्म) और गुरुदर्शन ए आइ जी-2 (मध्यम ऊंचाई) नामक दो किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को परीक्षण के लिए भेजी थीं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में इन दोनों किस्मों पर 1970-71 में परीक्षण किया गया था; परन्तु ये दोनों आशानुकूल नहीं पाई गई इसलिए उन्हें किस्मों के नियमित परीक्षण में शामिल नहीं किया गया। गुरुदर्शन टी डी-4 की उपज 40.00 क्विंटल प्रति हैक्टार पाई गई जो कि कल्याण सोना की तुलना में जिसकी हैक्टार उपज 48.00 प्रति क्विंटल थी क्रमश: 14.4 प्रतिशत और 27.1 प्रतिशत कम थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधायें

4429. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी, धनराशि दी गई; और

(ख) यह योजना जिलावार कितने गांवों में लागू की गई है और कितने गांवों में लागू नहीं की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जल पूर्ति कार्यक्रमों को राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत रखा गया है। किसी विशेष ग्राम अथवा क्षेत्र के लिए ग्राम जलपूर्ति योजनाओं को तैयार करने, उनको चरणों में विभक्त करने, उनके लिए धन का नियतन करने और उनको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सहायता किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्ष का उल्लेख किये बिना सामूहिक ऋणों और सामूहिक अनुदानों के रूप में क्रमश: 70% और 30% की अनुपात से दी जाती है। फिर भी ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं की समुचित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक योजना सम्बन्धी परिचर्चा के समय योजनागत परिव्यय निर्धारित किये जाते हैं परन्तु यह भी योजनावार न कर ग्रामीण जलपूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिए किए जाते हैं।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना की प्रतिक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निरन्तर सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता

4430. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निरन्तर सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष सहायता के लिए कतिपय जिलों का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनके नाम क्या है और उनको पिछड़े जिले घोषित करने का क्या मापदण्ड है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्राय: सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए 54 जिलों को राज्य-वार सूचि संलग्न है । **[ग्रथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1889/72]**

इन जिलों का चयन वर्षा की मात्रा, गत समय में सूखे के प्रभाव तथा सिंचित क्षेत्रों की प्रतिशतता आदि की स्थिति को ध्यान में रखते हुये किया गया है ।

मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन पर व्यय

4431. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में परिवार नियोजन पर कितना धन व्यय किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में कितने क्लीनिक बनाये गये और चौथी पंचवर्षीय योजना में इस शीर्षक के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की जायेगी और कितने क्लिनिक खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. डी. पी. चट्टोपाध्याय) :

(क) 1969-72 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर सरकार ने अनुमानत: 12 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च किए हैं ।

(ख) 1969-72 की अवधि में स्थापित किए गए क्लीनिकों की संख्या इस प्रकार है :—

1.	नगर परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र	10
2	ग्राम परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र	13
3.	ग्राम उप-केन्द्र	407

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान और 16 नगर परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र 256 अतिरिक्त ग्राम उप-केन्द्र स्थापित किए जाएंगे । खर्च की जाने वाली राशि इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में वास्तव में कितने केन्द्र खोलती है ।

4432. कुमारी कमला कुमारी : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रक्षित क्षेत्रों और नेशनल पार्कों सहित देश में अन्य जीवों के सभी रक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल कुल भारतीय भूमि के क्षेत्रफल का केवल 0.5 प्रतिशत है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने वन्य जीवों के परिरक्षण के लिए इस क्षेत्रफल में भारतीय भूमि के कुल क्षेत्रफल के चार प्रतिशत तक की वृद्धि की सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की कार्यकारी समिति के एक संकल्प के आधार पर राज्य सरकारों को, "स्थानीय किस्मों के स्थायीकरण के लिए पर्याप्त प्राकृतिकवास की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय पार्कों और आश्रम-स्थलों का अपेक्षित सीमा तक विस्तार करने" की सलाह दी गई है।

Grants By Central Social Welfare Board to Institutions In Madhya Pradesh

4433. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The names of Social Welfare institutions in Madhya Pradesh which have received grants from the Central Social Welfare Board during the last year; and

(b) the basis on which these grants were made and the manner in which they were utilised ?

The Deputy Minister In the Ministry Of Education And Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b) The Central Social Welfare Board gives grants for implementation of some of its programmes direct to the voluntary institutions and for other programmes, its grants are routed through the State Social Welfare Advisory Boards.

These grants are disbursed in accordance with the principles and procedure prescribed in the grant-in-aid programmes. Grants are made for specific programmes and are utilized accordingly. The information asked for covers hundreds of institutions.

Financial Assistance On Triple Benefit Scheme For Teachers Of Madhya Pradesh

4434. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Education And Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the triple benefit scheme has been introduced for teachers of Madhya Pradesh ;

(b) if not, whether the reasons for non-introduction of the said scheme is non-availability of financial assistance from the Central Government ;

(c) the total amount sought by the State Government for implementing the said scheme ; and

(d) if the scheme has since been implemented, the main feature thereof ?

The Deputy Minister In The Ministry Of Education And Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (d) The Triple Benefit Scheme has been implemented partially in non-Govt. aided schools in Madhya Pradesh i.e. the facility of General Provident Fund only is given to them.

(b) & (c) The Ministry of Education and Social Welfare has not received any request from the State Government for financial assistance for introducing the said scheme.

Construction Of Stadium In Burhanpur (Madhya Pradesh)

4435. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Education And Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether the Government of Madhya Pradesh had sought any assistance for the Stadium being constructed in the campus of Subhash High School in Burhanpur city (Madhya Pradesh);

(b) if so, whether any assistance had been given for the purpose and if so, the amount thereof; and

(c) whether the work on the stadium has been completed; and if not, the time by which it is likely to be completed and the reasons for its non-completion?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture: Prof. S. Nurul Hasan (a) The Governmet of Madhya Pardesh had sought financial assistance for the stadium being constructed by the Burhanpur Stadium Society, Burhanpur.

(b) Out of Rs. 25,000/-agreed upon by the Government of India, the first Instalment of Rs. 15,000/- has been paid in 1968.

(c) The work has not yet been completed. Madhay Pradesh Government have been reminded for early completion of the project. They have not indicated when the project is likely to be completed.

केरल के तटीय क्षेत्रों के मछुओं की सामाजिक स्थिति

*4436. **श्री वयालार रवि** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है केरल के घने बसे तटीय क्षेत्रों के मछुओं की सामाजिक स्थिति दयनीय है : और

(ख) यदि हां, तो उनके सामाजिक उत्थान के लिए क्या कार्यवाही की गई है और 1972-73 में इस प्रयोजनार्थ सरकार का विचार क्या योजनाएँ आरम्भ करने का है और उन पर अनुमानत: कितना व्यय आयेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी : (क) तथा (ख) केरल राज्य में मछुओं को राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन शैक्षिक सुविधाएँ मिलती हैं। राज्य सरकार का मछली विभाग मछुओं के पात्र बच्चों को ऊँची शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां देता है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों और सेवाओं में इस समुदाय के उम्मीदवारों के लिए कुछ आरक्षण भी किया गया है।

मछुओं के लिए राज्य सरकार की एक आवास योजना भी है, जिसके अधीन मकानों का निर्माण किया जाता है और उन्हें उन मछुओं को मुफ्त दे दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 1200 रुपए से अधिक नहीं होती है।

मछुओं के लिए 1972–73 के सम्बन्ध में की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

केरल में मत्स्य पत्तन के विकास पर व्यय

4437. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में कोचीन पत्तन में मत्स्य नौकाओं से सामान उतारने तथा उनके ठहरने की सुविधाओं को उत्पन्न करने पर कुल व्यय सहित केरल में मत्स्य पत्तन के विकास पर कुल कितनी धन राशि व्यय हुई है ; और

(ख) केरल में विभिन्न मत्स्य पत्तनों का कार्य इस समय किस व्यवस्था में है और 1972-73 में शुरू किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है और उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्य-हरण नौकाओं से सामान उतारने तथा उनके ठहरने की सुविधा सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 के दौरान केरल सरकार को 19.44 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये गये। इस योजना के अन्तर्गत विझिन्जम (18.02 लाख रुपये) तथा मोपला खाड़ी (1.42 लाख) में स्वीकृत किये गये मत्स्य-हरण बन्दरगाह अपना कार्य कर रहे हैं।

प्रमुख बन्दरगाहों पर मत्स्य-हरण नौकाओं से सामान उतारने तथा उनके ठहरने की सुविधा सम्बन्धी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 के दौरान कोचीन के मत्स्य-हरण बन्दरगाह के सम्बन्ध में प्रारम्भिक लागत के लिये कोचीन पत्तन न्यास को 25.00 लाख रुपये की राशि अनुदान-सहायता के रूप में दी गई ।

(ख) केन्द्रीय योजना के अतर्गत जून 1971 में कोचीन के मत्स्य-हरण बन्दरगाह को 272.40 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस परियोजना का संचालन कोचीन पत्तन न्यास द्वारा किया जा रहा है। पत्तन न्यास प्राधिकारियों ने केरल सरकार से भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा करने और निविदा आदि को अंतिम रूप देने के पश्चात् वर्ष 1972-73 के दौरान निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यह परियोजना वर्ष 1973-74 तक जारी रहेगी। पत्तन न्यास ने वर्ष 1972-73 की अपनी मांग 94.00 लाख रुपये बताई है।

विझिन्जम तथा मोपाला खाड़ी का निर्माण कार्य वर्ष 1972-73 के दौरान जारी रहेगा। कन्नानोर मत्स्य-हरण बन्दरगाह में मोपला खाड़ी पर अतिरिक्त कार्य शुरू करने के लिये एक प्रस्ताव की जांचपरिवहन तथा जहाजरानी मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करने पर की जा रही है। इसकी लागत लगभग 20.85 लाख रुपये होगी।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सर्वेक्षण परियोजना ने नीरुकरा मत्स्य-हरण बन्दरगाह के निर्माण की सिफारिश की है, जिसके लिये परियोजना द्वारा आवश्यक योजनायें तथा प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

राज्यों में स्वास्थ्य केन्द्रों को छोटे अस्पतालों में बदलना

4438. श्री वयालार रवि : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है और 1972-73 में इस संख्या में कितनी वृद्धि की जाएगी और इन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को इनमें से कुछ केन्द्रों को कुछ शैयाओं वाले छोटे अस्पतालों में बदलने का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर केरल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 143 सामुदायिक विकास खंडों में 162 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई भी खंड नहीं है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न हो। इसलिए, 1972-73 में कोई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) केरल सरकार सिद्धान्ततः इस प्रस्ताव पर सहमत है। हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ 12 पलंग सम्बद्ध हैं। राज्य सरकार पलंगों की संख्या बढ़ाना चाहती है परन्तु उन्होंने बताया है कि राज्य के संसाधनों से धन आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता और तदानुसार इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सहायता के हेतु अनुरोध किया गया है।

इस योजना के लिए चौथे आयोजन में कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वे राज्य क्षेत्र के अधीन "अस्पताल और औषधालय" के परिव्यय खर्च पूरा करें।

सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के लिये नियम

4439. श्री विश्वनाथन झुनझुनवाला : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टर देने सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान नियमों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या नियमों में संशोधन के फलस्वरूप अलाटमैंट के लिये प्रतीक्षा की अवधि को कम किया जा सकता है और यदि हां, तो कितना और प्रत्येक वर्ग के लिये कर्मचारियों को कितनी अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) वर्तमान नियमों का संशोधन समय समय पर किया जा रहा है।

(ख) 15 मई, 1963 से सरकारी निवास स्थान (दल्ली में सामान्य फूल) आवंटन नियम, 1963 में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किये गये हैं।

(i) सभी टाइपों के लिये प्राथमिकता की तारीख आरम्भ में वह तारीख थी, जिससे एक कर्मचारी टाइप विशेष या उससे ऊँचे टाइप के अनुरूप केन्द्रीय सरकार के अधीन निरन्तर परिलब्धियां प्राप्त कर रहा था। राज्य सरकारों के अधीन की गई सेवा की अवधि पर विचार करने के लिये इस उपबन्ध को उदार बनाया गया। टाइप । के पात्र कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी उससे अगली निचली टाइप के वास के आवंटन के पात्र थे। इस उपबन्ध का संशोधन किया गया और टाइप iv तथा उससे नीचे के पात्र कर्मचारियों को प्राथमिकता की तारीख के उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा उनकी सारी सेवा को गिनने की अनुमति दी गई और उनके मामले में अगली निचली टाइप की रियायत वापिस ले ली गई।

(ii) ड्यूटी के स्टेशन पर अपने मकान रखने वाले कर्मचारी सामान्य पूल से वास के आवंटन के पात्र नहीं थे। इस उपबन्ध का मई, 1966 में संशोधन किया गया और ऐसे कर्मचारियों को सरकार वास के आवंटन के लिये पात्र घोषित किया गया।

(iii) सीमान्त समायोजन के साथ मंहगाई वेतन को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की पात्रता में संशोधन किया गया।

(iv) आवंटन के आवेदन पत्रों के बारे में नियम का संशोधन किया गया ताकि दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी केवल तभी आवेदन कर सकें, जब सामान्य पूल वास के आवंटन के लिये वार्षिक आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाएं।

(v) 1966 में अधिकारियों के चार वर्गों के लिये पृथक-पृथक पूल समाप्त कर दिये गए, परन्तु महिला अधिकारियों और सांवधिक पदों के अधिकारियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को देखते हुए दो पूल पुनः बनाए गए।

(iv) चिकित्सा आधार पर बिना बारी के आवटनों के बारे में व्यवस्था को नियमों से निकाल दिया गया है।

(ग) सामान्य पूल में समग्र दृष्टि से वास की कमी के कारण संशोधनों से विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की प्रतीक्षा की अवधि में कोई बहुत अधिक कमी नहीं हुई है। अपने कर्मचारियों की रिहायशी वास की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार के पास निर्माण का एक निरन्तर कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम निधियों भवन-सामग्री भूमि की उपलब्धता तथा तकनीकी क्षमता पर निर्भर है। वास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

दुग्ध चूर्ण का आयात

4440. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका से कितने दुग्ध चूर्ण का आयात किया जा रहा है और क्या दुग्ध चूर्ण की सप्लाई प्रभावित होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कमी को अन्य स्रोतों से पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1971-72 में केन्द्रीय पूल के लिये विदेशों से 19,522 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण की वाणिज्यक आधार पर खरीद की गई उसमें से संपुक्त राज्य अमरीका से 2100 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण खरीदा गया था। अमरीकी सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और वह मई-जून, 1972 में पहुंच जायेगी।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

दिल्ली में पंजीकृत धार्मिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन

4441. श्री विश्वनाथन झुनझुनवाला : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में पंजीकृत धार्मिक संस्थाओं को भूमि देने का निर्णय किया है ; यदि हां, तो दो वर्षों में अब तक कितने प्लाट अलाट किये गये हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार अलाट किया गया कोई प्लाट वास्तव में शिक्षा संस्था के लिये रखा गया था ; और यदि हां, तो उस संस्था को यह प्लाट न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रकार भूमि के आवंटन के लिये कितने आवेदन पत्र इस समय दिल्ली विकास प्राधिकार के विचारधीन हैं और इन धार्मिक संस्थाओं को कब तक भूमि अलाट कर दी जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रोजगार के अवसर और 1972-73 के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

4442. श्री वयालार रवि : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार रोजगार के कितने अवसर उत्पन्न किये गये ;

(ख) 1971-72 में राज्यों की इस क्षेत्र में सफलता को देखते हुए क्या सरकार का विचार 1972-73 में इन राज्यों की ओर अधिक वित्तीय सहायता देने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)

(क) चूँकि इस योजना से लाभान्वित श्रमिकों को विभिन्न कार्यों में भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए काम में लगाया जाता है, अतः यह अधिक उपयुक्त है कि काम में लगाए गए व्यक्तियों की निरी संख्या की अपेक्षा पैदा किए गए रोजगार के श्रमदिनों की संख्या को लिया जाए। विभिन्न राज्यों

से प्राप्त सूचना के अनुसार रोजगार के श्रमदिन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1890/72]**

(ख) वर्ष 1972–73 में मणिपुर, त्रिपुरा, अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन तथा दीव, दादर तथा नगर हवेली, लकादीव, मिनिकॉय तथा अमिनदीवी द्वीप-समूह और पांडिचेरी, जिनके आवंटनों में उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार कटौती की गई है को छोड़कर विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को उसी पैमाने पर वित्तीय सहायता दी जा रही है जिस पर वर्ष 1971-72 में दी गई थी।

(ग) वर्ष 1972-73 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त परिचालित किए गए हैं। मार्गदर्शक सिद्धान्तों में दी गई कुछेक मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. निम्न किस्म की परियोजनाएँ भारत सरकार को भेजे बिना राज्य सरकारों द्वारा स्वयं मंजूर की जा सकती हैं ;

(1) सड़क निर्माण ;

(2) भूमि उद्धार और विकास ;

(3) जल निकास, बाढ़ बचाव तथा जल-लग्नता निवारण ;

(4) जल संरक्षण तथा भूमिगत जल पुनः चार्ज करना ;

(5) लघु-सिंचाई ;

(6) भूमि संरक्षण ;

(7) वन रोपण ;

(8) प्राथमिक स्कूल के भवनों के लिए कक्षाओं हेतु अतिरिक्त कमरों का निर्माण ; और

(9) वर्तमान परिसम्पत्तियों की विशेष मरम्मत-रोजाना की आम अनुरक्षण मरम्मतों से भिन्न—जिससे कि इन्हें स्थायी एवं अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

अन्य परियोजनाएं भारत सरकार को उनकी पूर्व मंजूरी के लिए भेजी होंगी।

2. किसी भी परियोजना को अधूरा नहीं छोड़ा जाना है। कोई भी परियोजना, जिसे वर्ष 1971-72 में पूरा किया जाना था, परन्तु नहीं किया गया है, उसे वर्ष 1972-73 में पूरा किया जाना चाहिए।

3. परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए क्षेत्र कर्मचारियों की लागत वर्ष 1971-72 के लिए निर्धारित परियोजनाओं की कुल लागत के 3 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

4. यदि पर्याप्त औचित्य हो तो भारत सरकार एक जिले से दूसरे जिले को धनराशि के विपथन की अनुमति दे सकती है।

गैर सरकारी क्षेत्र में जहाज निर्माण कार्य

4443. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को जहाज़ निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Compulsory Primary Education in India

4444. Shri Panna Lal Barupal : Will the Minister of **Education and School Welfare** be pleased to state the time by which Government propose to make primary education and certificate in lieu thereof compulsory ?

The Deputy Minister In the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : All States except Nagaland and Himachal Pradesh have Compulsory Primary Education Acts. As for Union Territories, Delhi, A & N Islands and Chandigarh have the necessary legislation. Even in States which have got Compulsory Primary Education Acts and provide free education, enrolment has not become universal except in the case of a few States. The underlying social economic and other causes will have to be removed and additional financial resources found before compulsory education can be enforced. The matter is under continuous review in consultation with State Governments. Proposals are under examination to provide universal education for the age group 6-11 years by 1975-76 and for the age group 11-14 by 1980-81.

Scholarships To Students From Ladakh

4445. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether the Central Government propose to increase the number of scholarships for students in Ladakh so that poor but enthusiastic Ladakhi students may be able to get higher education in other parts of the State and in the country ; and

(b) if so, the measures proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minster in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Sri D. P. Yadav) : (a) The Department of Culture is considering formulation of a scheme for the award of a limited number of scholarships to Ladakhi Students for post-Matriculation studies in all parts of the country.

(b) Does not arise at present.

विश्वविद्यालय में अंशकालिक इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम

4446. श्री एस० डी० सोमसुन्द्रम : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** 20 मार्च, 1972 और 17 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न सख्या क्रमश: 649 और 2922 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या है जहां अंशकालिक इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम चार वर्ष का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : निम्नलिखित संस्थान इंजीनियरी में डिप्लोमाधारियों के लिये चार वर्ष की अवधि के अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहे है :—

1. एल० डी० इंजीनियरी कालेज, अहमदाबाद (गुजरात विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) ।
2. शासकीय इंजीनियरी कालेज, जबलपुर (जबलपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) ।
3. एस० जी० सी० प्रोद्योगिक तथा विज्ञान संस्थान, इन्दौर (इन्दौर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) ।
4. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।

सरकारी आवास पर कब्जा किये भूतपूर्व संसद सदस्य

4447. श्री शशि भूषण : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व संसद सदस्यों ने अभी तक अवैध रूप से सरकारी आवास पर कब्जा किया हुआ है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त अनधिकृत कब्जे के लिये उनसे किस दर पर किराया लिया जाता है, अर्थात् मार्किट दर पर अथवा पेनल किराया अथवा सामान्य किराया लिया जाता है और यदि सामान्य किराया लिया जाता है तो इसका क्या औचित्य है ;

(ग) क्या इन भूतपूर्व संसद सदस्यों की ओर किराये की कुछ राशि बकाया है और यदि हां, तो प्रत्येक भूतपूर्व संसद सदस्य की और कितनी राशि बकाया है ; और

(घ) क्या उक्त अनधिकृत कब्जे को खाली कराने में असफल रहने के लिये कुछ अधिकारी जिम्मेदार है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : **(क) तथा** (ग) एक विवरणात्मक ब्यौरा संलग्न हैं । (अनुलग्नक "क") **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1891/72]**

(क) किराया भूतपूर्व संसद सदस्यों से बाजार दर पर तथा भूतपूर्व मंत्रियों से दण्डात्मक दर पर वसूल किया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

डी० आई० जैड० क्षेत्र नई दिल्ली सैक्टर "डी" में खुले नाले

4448. श्री शशि भूषण : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जैड० क्षेत्र, गोल मार्किट, नई दिल्ली के सैक्टर "डी" में वर्षा के पानी के लिये खुले नाले बनाए गए हैं ;

(ख) क्या उक्त नाले क्वार्टरों के सामने बनाए गए हैं न कि उनके पीछे की ओर तथा इस कारण वह अति भद्दे लगते हैं ;

(ग) जिस सड़क के दोनों ओर इस प्रकार के नाले बनाए गए हैं उनकी चौड़ाई क्या है और क्या सड़क का शेष भाग वाहनों एवं व्यक्तियों के गुजरने के लिये पर्याप्त है ; और

(घ) क्या इन नालों को ढकने का विचार है ; यदि हां, तो कब ?

(क) तथा (ख) सिवाये 10 क्वार्टरों के मामले में, जिनके आगे ऐसी नालियां हैं, बरसाती पानी के निकास के लिये क्वार्टरों के साथ बरसाती पानी की छोटी खुली नालियां बनाई गई है। ब्लाकों के ले-आउट के कारण इसे टाला नहीं जा सका।

(ग) पक्की सड़क की चौड़ाई 12′ है और नाली के किनारे से दूसरे किनारे तक नाली की कुल चौड़ाई 16′ से 18′ के बीच है, जो कि आन्तरिक यातायात के लिये पर्याप्त समझी जाती है।

(घ) जी नहीं।

राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारी

4449. श्री शशि भूषण : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम के नई दिल्ली के कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं और उसमें पदों के कौन-कौन-से वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या विभिन्न वर्गों के कुछ कर्मचारियों को "फालतू" घोषित कर दिया गया है और यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कितने लोगों को "फालतू" घोषित किया गया है और अन्य जातियों के कितने लोगों को "फालतू" घोषित किया गया है ; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पद इन्हीं जातियों के लोगों द्वारा कभरे गए हैं और यदि नहीं, तों इन जातियों के लोगों को "फालतू" घोषित किये जाने के क्या कारण है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की जानी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली में कर्मचारियों की कुल संख्या 368 है।

श्रेणीवार जानकारी संलग्न अनुबन्ध 1 में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1892/72]**

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या 48 है।

श्रेणीवार जानकारी संलग्न अनुबन्ध 2 में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1892/72]**

(ग) जी हां।

वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने निगम के मुख्यालय में कर्मचारियों की संख्या का पुनरीक्षण किया और 39 व्यक्तियों को फालतू घोषित किया इनमें से चार कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के हैं।

(घ) जी नहीं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के चार कर्मचारी फालतू घोषित किये गये थे, क्योंकि अपनी श्रेणी में वरीयता के आधार पर वे ही चार अन्तिम व्यक्ति थे।

निगम के निदेशक मंडल द्वारा यह निश्चय किया गया है कि फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों की छटनी न की जाये। इन सभी को क्षेत्रीय कार्यालयों, मुख्यालयों की आवश्यकताओं में लगाया जा रहा है।

जनकपुरी कालोनी, नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के और बूथों का खोला जाना

4450. श्री शशि भूषण : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी कालोनी, नई दिल्ली में दुग्ध योजना द्वारा कितने दुग्ध केन्द्र (बूथ) खोले गये हैं ;

(ख) क्या उनको पता है कि वहां पर अब जितने केन्द्र खोले गये हैं वे कालोनी के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत थोड़े हैं ; और

(ग) यहां पर और अधिक दुग्ध केन्द्र खोलने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है और वे कब तक बन जायेंगे और वे कहां कहां पर बनाये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) एक (दो डिपो)। एक डिपो सुबह और दूसरा सायं को कार्य करता है।

(ख) और (ग) जी हां। जनकपुरी एक बढ़ती हुई कालोनी है और सरकार यह जानती है कि क्षेत्र में और दुग्ध डिपों खोलने की आवश्यकता है तदनुसार क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है और दिल्ली दुग्ध योजना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से निम्नलिखित स्थानों पर तीन अतिरिक्त दुग्ध बूथ तैयार करने का अनुरोध किया है :—

1. जनकपुरी की मकान संख्या ए2 ए1 243 से 252 के सामने 64 नम्बर बिजली के खम्भे के निकट फुटपाथ पर।

   इससे ए, ए1, ए1 बी, और ए 2ए ब्लाकों की मांग पूरी होगी।

2. जनकपुरी के ब्लाक बी 3ए प्राइमरी स्कूल (टैन्ट में) के निकट खुले स्थान के एक कोने में।

   इससे बी, बी 1 और बी 3ए ब्लाकों की मांग पूरी होगी।

3. जनकपुरी के वर्तमान कार्यालय बी1 ब्लाक के निकट म्यूनिसिपल पार्क के बाहर 254 नम्बर बिजली के खम्भे के सामने फुटपाथ पर।

इससे बी 1 और बी 2 बी ब्लाकों की मांग पूरी होगी।

यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह कार्य शुरू नहीं किया तो दिल्ली दुग्ध योजना अपने आगामी विस्तार कार्यक्रम में जिसके अन्तर्गत 150 अतिरिक्त दुग्ध बूथ खड़े करने की व्यवस्था है। इसे शुरू किया जाएगा। इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि ये बूथ कब तैयार किए जायेंगे।

जनकपुरी, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकार के फ्लैट

4451. श्री शशि भूषण : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा कितने फ्लैट बनाये गये तथा अलाट किये गये हैं ;

(ख) क्या सड़कों, स्ट्रीट लाइटों, वर्षा के पानी को निकालने के लिये नालों, नालियों और पेय जल की व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ग) वहाँ पर यह सभी सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी जिससे कालोनी के निवासियों को और अधिक असुविधा से बचाया जा सके ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :

(क)

निर्मित	आवंटित
2961	2757

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनाएँ

4452. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रीवा, सिधी, सतना और शहडोल जिलों में, छोटी सिंचाई योजनाएं के अन्तर्गत कितनी योजनाएं स्वीकार की गई हैं ; और

(ख) किन योजनाओं का विकास कार्य चल रहा है और वे कब तक पूरी हो जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) रावाँ, सिद्धी, सतना और शाहडोल जिलों में स्वीकृत लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या क्रमशः पाँच, एक, दो और तीन है। इसके अतिरिक्त, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सिद्धी जिले के लिये अठारह योजनाऐं स्वीकार की गई हैं। इन जिलों में संस्थानिक साधनों से भी कुओं, पंपसेटों आदि निजी लघु सिंचाई कार्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) सभी योजनाएँ, जिनकी संख्या ऊपर दी गई है, चालू है और चौथी योजना में पूरी होने की सम्भावना है ।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों के अध्यापकों को स्थायी करना

4453. श्री अम्बेश : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ने 22 जुलाई, 1965 को कार्यालय आदेश जारी करके अपने कर्मचारियों को स्थायी घोषित कर दिया जबकि दिल्ली प्रशासन के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में अध्ययन कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों के अध्यापकों को (प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक और स्नातकोत्तर अध्यापक) स्थायी घोषित नहीं किया जा रहा है यद्यपि वे 1961 से अध्यापन कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या गृह कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 1961 के आदेशों के उपबन्धों के अन्तर्गत बार-बार जारी किये गये आदेशों के बावजूद भी अनुसूचित जातियों के इन अध्यापकों की सुविधाएं प्रदान नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों तथा स्नातकोतर अध्यापकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा दिनांक 22-7-1965 की कोई कार्यालय आदेश संख्या 515 जारी नहीं किया गया था। अनुसूचित जातियों के अध्यापकों सहित सभी अध्यापकों को वरियता तथा स्थायी पदों की उपलब्धता के आधार पर स्थायी घोषित किया जा रहा है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों के अध्यापकों को सभी लाभ दिए जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1970-71 और 1971-72 में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिये स्वीकृत किया गया धन

4454. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में (29 फरवरी, 1972 तक) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिये राज्यवार कितना धन स्वीकृत किया गया, दिया गया और वास्तव में खर्च किया गया ;

(ख) क्या ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक जिले में 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनाना है ; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य में वस्तुत: इस कार्यक्रम के विशेषकर अतिरिक्त रोजगार के अवसर बनाने में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जानकारी विवरण 1 (संलग्न) में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1893/72]

(ख) जी नहीं ।

(ग) राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम की कार्यान्विति से हुई वास्तविक प्रगति और उपार्जित रोजगार के विस्तृत और पूर्ण विवरण नहीं भेजे हैं तथापि राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई उपलब्ध जानकारी के आधार पर सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (पहले जिसे ग्राम निर्माण कार्यक्रम कहा जाता था) के कार्यान्वयन से विभिन्न राज्यों में उपार्जित रोजगार विवरण-II (संलग्न) में दिये गए हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1893/72]

Supply of Consumer Goods Through Fair Price Shops

4455 Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the consumer goods which are being made available by Government through fair price shops in order to check rise in the prices and also to stabilise them ; and

(b) the names of the cities where such arrangements have been made ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) : The main items usually distributed through fair price shops are wheat products, rice and sugar. However, sometimes other items like vanaspati, kerosene oil etc. are also distributed through fair price shops.

(b) : Fair price shops or ration shops are located in most of the principal cities and towns of the country.

Silver Coins Found at Bhondi Pipria Village of Madhya Pradesh

4456. Shri Phool Chand Verma : Will the Minster of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that some silver coins have been found in Bhondi Pipria village of Narsinghpur District of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the era to which the coins belong with other details in this regard ?

The Minsister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan (a) Yes, Sir. However, according to the information received from the Collector, Narsinghpur, the name of the village is Gondi Ziriya.

(b) The coins, of silver, are 107 in number. They include those of the Mughal kings Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, Shah Alam I, and Jahandar Shah, respectively.

These were discovered on 18th and 19th March, 1972, in the course of earthwork excavation by the Department of Soil Conservation in a private field. The coins are now in the custody of the District Treasury at Narsinghpur and action for their disposal has been initiated by the District Magistrate under the Treasure Trove Act.

जीवन बीमा निगम की नई आवास योजना

4457. श्री राजदेव सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने सरकार की स्वीकृति के लिये एक नई आवास योजना भेजी है जिसके अन्तर्गत राज्य आवास बोर्ड बस्तियों के निर्माण में जीवन बीमा निगम के एजेन्ट के रूप में काम करेंगे और जिन लोगों ने जीवन बीमा कराया हुआ है उन्हें "अपने मकान बनाइये" योजना के अन्तर्गत मकान बना कर देंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार तथा राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) जी, हाँ । भारत जीवन बीमा निगम ने पालिसी होल्डरों के लिये मकानो के निर्माण हेतु राज्य आयास बोर्डों में पूँजी लगाने के लिए एक योजना सरकार के विचार्थ भेजी थी । यह योजना स्वयं जीवन बीमा निगम द्वारा पहिले से प्रचलित की गई "अपना घर बनाओं" योजना की रूप रेखा के लगभग समान सी है । योजना में अन्य बातों के साथ साथ इस बात की व्यवस्था है कि राज्य आवास बोर्डों को जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि के तौर पर योजना परिचालित करनी चाहिए । निगम की योजना को राज्य आवास बोर्डों को उनकी राय के लिए भेज दिया गया है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

आर्थिक संकटग्रस्त जिला सहकारी बैंकों का पता लगाना

4458. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने विभिन्न राज्यों में आर्थिक संकटग्रस्त जिला सहकारी बैंकों का पता लगा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके राज्यवार नाम क्या हैं ; और

(ग) इन बैंकों को पुनः अपने पांव पर खड़ा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा "कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों" के रूप हैं पता लगाए गए 54 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की राज्यवार सूची विवरण में दी गई है ।

(ग) चुने हुए कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों की पुनः स्थापना के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना संबधित राज्य सरकारों के परामर्श से चालू वर्ष से कार्यान्वित की जा रही है । इसका उद्देश्य 30 जून, 1971 को तीन वर्षों से ऊपर की संचित हानियों तथा अतिदेयों के 50 प्रतिशत की सीमा तक की सचित हानियों और अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋणों को बट्टे खाते में डालना है ।

विवरण

1. आन्ध्र प्रदेश

1. श्रीकाकुलम
2. कड़प्पा
3. महबूब नगर
4. मेडक
5. नेल्लूर

2. असम

6. कच्छार
7. डिबरूगड़
8. गोलपारा
9. कामरूप
10. नौगांग
11. सिबसागर
12. तेज़पुर

3. बिहार

13. भागलपुर
14. बिहार-बढ़-फतवा
15. मोतीहारी
16. नवदाह

4. गुजरात

17. कच्छ

5. हरियाणा

18. गुड़गाँव
19. हिसार

6. हिमाचल प्रदेश

20. जोगीन्दर

7. जम्मू तथा काशमीर

21. अनन्तनाग
22. बारामुल्ला
23. जम्मू

8. महाराष्ट्र

24. पूना

9. मध्य प्रदेश

25. भोपाल
26. झबुआ
27. पन्ना
28. सरगुजा
29. विंध्या
30. सतना

10. मंसूर

31. बैल्लारी
32. बंगलौर
33. चित्रदुर्गा
34. गुलबर्गा
35. कोलार
36. तुमकुर

11. राजस्थान

37. अजमेर
38. बन्सवाड़ा
39. भीलवाड़ा
40. गंगानगर
41. झुनझुन
42. जोधपुर
43. पाली

12. उत्तर प्रदेश

44. हरदोई
45. कानपुर
46. मैनपुरी

13. पश्चिम बंगाल

47. बर्दवान
48. कूच-बिहार
49. दार्जिलिंग
50. जलपाइगुडी
51. क्लना-कतवा
52. मिदनापुर-खेलर
54. नदिया
54. पुरुलिया

कृषि उत्पादों के विपणन और निरीक्षण सुविधाओं में सुधार करने के लिये संयुक्त राष्ट्रविकास कार्यक्रम की पंचवर्षीय परियोजना

4459. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों विशेषकर नष्ट होने वाली वस्तुओं की विपणन और निरक्षण सुविधाओं में सुधार करने के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता देगा ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद् ने "केन्द्रीय अगमार्क अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर" नामक परियोजना के लिये स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ख) इस परियोजना के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का अंशदान 10.01 लाख अमीरीका डालर तथा भारत सरकार का अंशदान 28.11 लाख रुपये होगा।

(ग) कृषि उत्पादों, विशेषकर जल्दी खराब हो जाने वाले उत्पादों के विपणन तथा निरीक्षण की सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिये नागपुर में एक संस्थान स्थापित किया जा रहा है। यह सस्थान पैकिंग, संचालन, परिवहन, शीतागार संग्रहण आदि की पद्धतियों में सुधार करने के लिये अनुसंधान करेगा। इन उत्पादों की उपयोगिता को प्रदर्शित करने हेतु इन उत्पादों के विपणन मे सम्बन्धित सहकारी तथा अन्य संस्थाओं के सम्मुख इन अनुसंधानों के परिणामों का प्रदर्शन किया जायेगा। यह संस्थान सहकारी संस्थाओं तथा कृषि एवं पशु-पालन उत्पादों में लगी हुई अन्य एजेन्सियों द्वारा प्रतिनियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को विपणन की उन्नत पद्धतियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देगा। इस प्रकार यह परियोजना जल्दी खराब होने वाले उत्पादों, विशेषकर फल तथा सब्जियों के विपणन कार्यों के आधुनिकीकरण के लिये व्यवस्था करेगा।

भारतीय प्रोद्योगिक संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक द्वारा की गई अनियमिततायें

4460. श्री कार्तिक उरांव : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक द्वारा की गई अनेक अनियमिततायें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन निर्धारण तथा सेवावृद्धि के मामले में भारतीय प्रोद्योगिक संस्थान, दिल्ली में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं। शिकायतों की जांच प्रोद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये

अधिनियमों के सन्दर्भ में की जाती हैं। जांच करने पर उनमें से कुछ शिकायतें अनुसूचित पाई गई हैं तथा बाकि शिकायतों की जांच जारी है।

मछुआ नाव का निर्माण और आयात

4461. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जहाज का निर्माण करने वाले निर्माताओं को यह आश्वासन दिया है कि रूस से आयात होने वाली प्रत्येक दो मछुआ नावों पर उन्हें एक मछुआ नाव का क्रयादेश किया जायगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : **(क)** तथा **(ख)** जहाज निर्माण उद्योग के परामर्श के आधार पर सरकार प्रत्येक दो जलयानों पर एक देशीय जलयान के अनुपात में देशीय जहाज विनिर्माताओं को आर्डर देने के लिए एक फार्मूले पर विचार कर रही है। चूंकि रूस से प्रत्याशित आयातों के सम्बन्ध मे अभी ऐसा कोई फार्मूला नही अपनाया गया है, अतः यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि देशीय क्षमता का पूर्णतः उपयोग किया जाए और आयात से केवल अतिरिक्त आवश्यकताओं को ही पूरा किया जाए।

सैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रस्ताव

4462. श्री रामवतार शास्त्री : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ का बढ़ता हुआ प्रभाव तथा साम्प्रदायिक प्रचार को रोकन के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार उसकी क्रियान्विति किस प्रकार करना चाहती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) शिक्षित जनता म से सकीर्ण अथवा साम्प्रदायिक विचारों को समाप्त करने, उनमें राष्ट्रीय तथा भाईचारे की भावना तथा शैक्षणिक संस्थाओं में से सभी सांप्रदायिक संगठनों के कार्यकलापों को हतोत्साहित करने के लिये सरकार कई कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों में से निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण है :—

(क) (1) राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए भाषा, इतिहास नागरिक शास्त्र और समाज अध्ययन जैसे विषयों में देश के सभी स्कूलों को कक्षा 1 से 11 तक में अध्ययन के लिए निर्धारित अथवा सिफारिश की गई सभी पुस्तकों की राज्य सरकारों के सहयोग से समीक्षात्मक जांच करना।

(2) स्कूल स्तर पर अच्छी किस्म की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए केन्द्रीय स्तर पर कार्यवाही की जा रही है, जिससे यह बात सुनिश्चित की जा सके कि ऐसे पठन से किसी साम्प्रदायिक अथवा कट्टरपंथी दृष्टिकोण के मुकाबले में भारत की मिली जुली संस्कृति को समझने में सहायता मिलेगी।

(3) स्कूलों के बच्चों के बीच साम्प्रदायिक मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिये स्कूल के अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु एक अध्यापक पुस्तिका तैयार की गई है तथा उसे सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

(ख) लगभग 120 विश्वविद्यालयों और कालेजों में राष्ट्रीय एकता समितियाँ स्थापित की गई है। इन समितियों के उद्देश्यों में से एक समाज के सभी वर्गों में मित्रता की भावना को उन्नत करना है।

(ग) (1) इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को भावनाओं और प्रवृत्तियों के बीच आपसी सद्भावना पैदा करने के लिये प्रत्येक भाषा की अधिकाँश सुप्रसिद्ध और प्रतिनिधि पुस्तकों का अन्य क्षेत्रीय भाषाओं मे अनुवाद भी कर रहा है।

(2) सरकार की आम नीति यह रही है कि सांप्रदायिक गतिविधियों में लगे किसी भी संगठन को जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी शामिल है, सरकारी सहायक अनुदान न दिया जाए।

(3) सैक्षिक अहातओं में साम्प्रदायिक प्रकार की गतिविधियों की जांच करने के एक समिति स्थापित करने को प्रस्थापना सरकार के विचारधीन है।

अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और जन सम्पर्क साधनों के विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई जनसंख्या सम्बन्धी नीति

4463. श्री एम० एस० शिवस्वामी
श्री पी० गंगादेव } : क्या **स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जन संख्या के सम्बन्ध में उस नई नीति के बारे में विचार किया है जिसके सन्बन्ध में विश्वविद्यालयों एव अन्य संस्थाओं के अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और जन सम्पर्क साधनों के विशेषज्ञों ने हाल ही में दिल्ली में भारत की जनसंख्या नीति पर विचार करने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

(स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) 25 और 26 मार्च को दिल्ली में हुई समाजशास्त्रियों की गोष्ठी में कोई विशिष्ट जनसंख्या नीति नहीं सुझाई गई थी। उसमें कतिपय विचार व्यक्त किए गए थे, जिनपर उचित ध्यान दिया जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए ग्राम्य विद्युतीकरण निगम योजना

4464. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी क्षेत्रों के लिये ग्राम्य विद्युतीकरण निगम की योजनाएं मंजूर करने हेतु क्या कसौटी अपनाई गई है;

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्वीकृत हेतु इस प्रकार की कितनी योजनायें भेजी हैं; और

(ग) ऐसी कितनी योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वमी) (क) से (ग): इस विभाग का इस विषय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने जो ग्राम्य विद्युतीकरण निगम की योजनाओं से सम्बन्धित है, बताया है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिये जिनमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल हैं, कोई योजना नहीं है।

गुजरात में छुआछूत और बंधक श्रम

4465. श्री बेकारिया
श्री डी०पी०जदेजा } : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य के ऐसे कौन से जिले अथवा क्षेत्र हैं जिनमें अभी भी छुआछूत तथा बंधक-श्रम प्रथाएं व्यवहार में है; और

(ख) राज्य से छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी: (क) वर्ष 1971 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन दर्ज किए गए मामलों की संख्या 169 थी। उनमें से 151 मामलों का पुलिस द्वारा चलान किया गया। जिन जिलों अथवा क्षेत्रों में ये मामले हुए उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने बताया है कि राज्य में बंधक श्रम प्रचलित नहीं है।

(ख) अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1894/72]**

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के दण्ड उपबन्धों को अधिक सख्त बनाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

राज्यों में चावल का वसूली मूल्य

4466. श्री पम्पन गौंडा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चावल का वसूली मूल्य क्या है ; और

(ख) क्या कृषि मूल्य आयोग ने यह सिफारिश की है कि चावल के वसूली मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) आयोग ने यह सिफारिश की थी कि 1970-71 के लिए निर्धारित धान और चावल का मूल्य 1971-72 मौसम के दौरान भी सभी राज्यों में चलता रहना चाहिए लेकिन जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा और तमिल नाडु राज्यों में धान की मानक किस्म के मूल्य में एक रुपया प्रति क्विंटल की मामूली वृद्धि की जानी चाहिए और इसके परिणामस्वरुप धान तथा चावल की अन्य किस्मों के मूल्यों में फेरबदल किया जाना चाहिए ।

विवरण

1971-72 मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में चावल की मानक किस्म के अधिप्राप्ति मूल्य बताने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	मानक किस्म	(रुपये प्रति क्विंटल) 1971-72 के लिए अधिप्राप्ति मूल्य	
1	आन्ध्रप्रदेश	अक्लकलू	80.32	
2	असम	विन्टर साली	—	
3	बिहार	मोटा	95.25	
4	गुजरात	साठी	85.34	
5	हरियाणा	बेगमी	85.50	
6	केरल	पालघाट मट्टा	85.88	
7	मध्या प्रदेश	गुरमटिया	83.00	
8	महाराष्ट्र	मोटा	81.00	
9	मैसूर	मोटा (कच्चा)	74.30	
10	उड़ीसा	मध्यम	95.20	
11	पंजाब	बेगमी	85.50	
12	राजस्थान	सुधरसौल	—	
13	तामिल नाडु	कट्टईसाम्बा	88.31	(सेला)
14	उत्तरप्रदेश	ग्रेड-3	89.00	
15	पश्चिम बंगाल	साधारण	91.20	

Manual Work and Production Activities in Educational Institutions

4467 : Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to make arrangements for introducing manual work and production activities in the educational institutions keeping in view their economic difficulties and grave unemployment problem in the country ; and

(b) if so, whether it is also proposed to improve the Basic Education sponsored by Mahatma Gandhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) Yes, Sir. Programmes of work experience which develop both manual and intellectual skills have been introduced at the primary and secondary levels of the school stage and also in the four Regional Colleges of Education leading to B.Ed. degree so that the trainees are qualified to handle work experience programmes in schools. Vocational programmes for nonstudent youth have also been started in Regional Colleges of Education with a view to making nonstudent youth fit for self-employment.

Government of India have assisted State Governments for appointing full time teachers of work experience in 1,000 middle schools during 1971-72. It is also proposed to attach production units to the model schools and Nehru Yuvak Kendras proposed to be established in the near future.

(b) The programme of work experience which takes into consideration the needs of modern society, is closely related to basic education as sponsored by Mahatma Gandhi.

दामोदर घाटी क्षेत्र में भूमि संरक्षण के विकास के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम

***4468. श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी में भूमि संरक्षण से सम्बन्धित विकास कार्य का क्रमबद्ध कार्यक्रम कब बनाया गया था।

(ख) इस क्रमबद्ध कार्यक्रम की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब पूरा होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दामोदर घाटी के ऊपरी क्षेत्र में भूमि संरक्षण का वर्तमान दस वर्षीय क्रमबद्ध कार्यक्रम वर्ष 1969-70 में प्रारम्भ किया गया था।

(ख) समन्वित भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1970-71 में 1,43,924 हैक्टार क्षेत्र में लागू किया गया था जिनमें कृषि उच्च भूमि तथा गलीदार भूमि और निरावृत्त वनों में वन रोपण तथा मृदा संरक्षण का कार्य भी सम्मिलित था।

(ग) चालू क्रमबद्ध कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

दामोदर घाटी क्षेत्र में वनारोपण के विकास के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम

***4469. श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी क्षेत्र में वनारोपण से सम्बन्धित विकास कार्य का क्रमबद्ध कार्यक्रम कब बनाया गया था :

(ख) इस क्रमबद्ध कार्यक्रम की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब पूरा होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) भूमि संरक्षण के समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च दामोदर घाटी क्षेत्र में वनारोपण से सम्बन्धित मौजूदा दस वर्षीय क्रमबद्ध कार्यक्रम को वर्ष 1969-70 में शुरू किया गया था।

(ख) वनारोपण, उच्च भूमि के भूमि संरक्षण उपाय और नालीदार तथा उन्मूलित वन क्षेत्रों में भूमि संरक्षण इन्जीनियरिंग आदि विभिन्न भूमि संरक्षण उपायों से वर्ष 1970-71 तक 1,43,924 हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया। इसमें से 47,747 हैक्टार क्षेत्र में वनारोपण और 11,591 हैक्टार उन्मूलित वन क्षेत्र में भूमि सरक्षण इन्जीनियरिंग उपाय किए गए हैं।

(ग) चालू कार्यक्रम का कार्य पांचवीं योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

दामोदर घाटी क्षेत्र में मत्स्य पालन के विकास के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम

***4470. श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी क्षेत्र में मत्स्य पालन से सम्बन्ति विकास कार्य के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम कब बनाया गया था;

(ख) इस क्रमबद्ध कार्यक्रम की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब पूरा होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दामोरर घाटी निगम के जलाशयों में मीन उद्योग विकास की और विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1950 से ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 1966 में उनके केन्द्रीय मीन उद्योग निगम के अधीन आने के पश्चात पांच वर्ष की अवधि की एक प्रयोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। परन्तु, विस्तृत तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता को अनुभव किया गया था और इन्हें केन्द्रीय अन्त में शस्थ मीन उद्योग अनुसंधान संस्थान को सौंप दिया गया। इन अध्ययनों के आधार पर 1968 में जलाशयों के भण्डारण का एक कार्यक्रम तैयार किया गया था।

(ख) और (ग)—वर्ष 1969 में केन्द्रीय मीन उद्योग निगम के भविष्य का प्रश्न पुनर्विलोकन के लिये उठा और इस सम्बन्ध में जलाशयों के विषय में विकास सम्बन्धी कार्यवाही न करने का निश्चय किया गया। अब जलाशयों को दामोदर घाटी निगम को वापस सौंपने का फैसला किया गया है।

दामोदर घाटी क्षेत्र में कृषि के विकास के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम

***4471. श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी क्षेत्र में कृषि से सम्बन्धित विकास कार्य का क्रमबद्ध कार्यक्रम कब बनाया गया था;

(ख) इस क्रमबद्ध की क्रियांन्विति में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब पूरा होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दामोदर घाटी क्षेत्र में मृदा संरक्षण के सयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 में कृषि उच्चतर-भूमि पर मृदा संरक्षण का वर्तमान दस वर्षीय क्रमबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया गया था।

(ख) वर्ष 1970-71 तक विभिन्न मृदा संरक्षण उपायों द्वारा 1,43,924 हैक्टार क्षेत्र में कार्य किया गया। इसमें 61352 हैक्टार क्षेत्र से अधिक कृषि उच्चतर भूमि सम्बन्धी मृदा संरक्षण उपाय सम्मिलित हैं।

(ग) चालू कायक्रम के कार्य को पांचवी योजना के अन्त तक अर्थात् 1978-79 तक पूरा करने का सुझाव है।

दामोदर घाटी में जन स्वास्थ्य के विकास के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम

***4472. श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी में जन स्वास्थ्य से सम्बन्धित विकास कार्य का क्रमबद्ध कार्यक्रम कब बनाया गया था;

(ख) इस क्रमबद्ध कार्यक्रम की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब पूरा होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ऐ० के० किस्कु) : (क) तिलय्यैया, कोनार और हजारी बाग म शिविर आयोजित करके जन स्वास्थ्य म सम्बन्धित प्रथम क्रमबद्ध-कार्यक्रम को क्रमश: 1950, 1951 और 1952 में प्रारम्भ किया गया था। बाद में भी इसी प्रकार के शिविर मैथोन, पनचेट और दुर्गापुर में आयोजित किये गये। मलेरिया नियन्त्रण के लिये भी एक क्रमबद्ध कार्यक्रम तिलय्यैया स्थित जलाशय, कोनार, मैथोन और पनचेट में क्रमश: 1950, 1951, 1952 और 1954 में प्रारम्भ किया गया था।

(ख) यह बतलाया गया है कि ये शिविर क्षेत्र अब इन्फ्लुएन्जा को छोड़ कर अन्य संचारी रोगों से मुक्त हो गये हैं। 1970-71 म मैथोन मे डिपथेरिया की केवल एक घटना होने की खबर मिली है।

(ग) जन स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न निरोधी उपाय भी सम्मिलित ह।

तम्बाकू के मूल्य मे वृद्धि और तम्बाकू व्यापार से बिचौलियों को हटाना

***4473. श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकदम शीघ्रता से बिक्री को रोकने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू के बाजार में व्यापार आरम्भ करने के बाद में तम्बाकू के मूल्य में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस मूल्य वृद्धि का मुख्यत: व्यापारियों को होता है क्योंकि राज्य व्यापार निगम सीधे किसानों से नहीं खरीदता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या तम्बाकू के बाजार से बिचौलियों को हटाने का कोई प्रस्ताव हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू के बाजार में व्यापार आरम्भ करने के बाद तम्बाकू के मूल्य में 50 रुपये से 100 रुपये प्रति क्विन्टल तक वृद्धि हुई है ।

(ख) तथा (ग) मूल्यों के बढ़ने के कारण इस जिन्स के उत्पादकों को भी लाभ पहुँचा है ।

Development Of Tribal Areas in Madhya Pradesh

4474. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to increase the amount allocated in the Fourth Five Year Plan for the development of tribal areas in that State ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minster in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy : (a) The Sate Government had asked for the additional funds to the tune of Rs.381.14 lakhs for the scheme of Tribal Development Blocks during the Fourth Five Year Plan.

(b) In view of the financial constraints the proposal could not be agreed to by the Government of India.

Plans For Zila Parishads Village Panchayats And Panchayat Samitis

4475. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Village Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads are consulted before framing a plan ;

(b) whether Zila Parishads prepare the draft plans in respect of their respective Districts and forward the same and whether Zila Parishads concerned are consulted before modifying their draft plans and if not, the reasons therefor ; and

(c) whether Zila Parishads and Panchayat Samitis have become inactive because of the fact that their plans are not accepted and the plans from above are thrust upon them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) : The Government of India have repeatedly urged upon the State Government/Union Territory Administrations that Panchayati Raj institutions should take charge of local planning at the respective levels. Implementation of this policy varies from State to State according to development of local Panchayati Raj institutions. Reasons for which Panchayati Raj institutions have been less effective in some parts of the country are, however, varied and cannot be attributed solely to the methods of plan formulation adopted in various States.

दिल्ली प्रशासन द्वारा मद्यनिषेध नीति में सुझाये गये परिवर्तन

***4476. श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा मद्यनिषेध नीति में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में विशेष केन्द्रीय विद्यालय के लिये भवन का निर्माण

***4478. श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थिति एक विशेष केन्द्रीय विद्यालय इस समय तम्बुओं में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यालय के लिये भवन का निर्माण करने हेतु कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये किसी स्थान का चयन कर लिया गया है और निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) : नई दिल्ली में स्थित विशेष केन्द्रीय विद्यालय आंशिक रूप से तम्बुओं में है तथा आंशिक रूप से बेला रोड, दिल्ली, में स्थित लदाख बौद्ध बिहार द्वारा अस्थायी रूप से दिये गये आवास में हैं।

(ख), और (ग) : स्कूल भवन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है। एक उपयुक्त भूखण्ड के विषय में निर्माण तथा आवास मन्त्रालय से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। अभी तक भवन के लिये किसी स्थान का चयन नहीं किया गया है। भूखण्ड उपलब्ध होते ही तुरन्त निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

Recommendations Of The Study Group For Fixing Ceiling On Urban Property

4479. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) The recommendations of the Study Group appointed by Central Government to fix a ceiling on Urban property ;

(b) whether the Study Group has made a suggestion to enact a uniform law for the whole country for this purpose ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral : (a) to (c) : The Study Group on the imposition of a ceiling on urban property submitted their Report on the 15th April, 1972 to Government. The Report contains their recommendations to the Government. Government do not consider it desirable to give publicity to the recommendations at this stage before they have considered the recommendations.

उर्वरकों के प्रयोग में कमी के बारे में जांच करने के लिये समिति का गठन

***4480. श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के प्रयोग में कमी के कारणों की जांच पड़ताल करने के लिये कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत कर देगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं। ऐसी कोई समिति सरकार द्वारा नियुक्त नहीं की गई है। वास्तव में उर्वरकों के प्रयोग में कोई कमी नहीं आई है केवल उर्वरकों की खपत की वृद्धि दर वर्ष 1966-67 में 40 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1970-71 में 14 प्रतिशत हो गई है। फिर भी, वर्ष 1965-66 से 1970-71 तक की अवधि के दौरान उर्वरकों की खपत में 24 प्रतिशत की मिश्रित वृद्धि हुई है। फिर भी, राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव के अनुसार पांचवी योजना की मांग का पता लगाने के लिये एक समिति नियुक्त की जा रही है।

उर्वरकों के प्रयोग में तेजी लाने के लिये संबर्द्धक कार्यक्रम

4481. श्री राजदेव सिंह :
श्री नवल किशोर शर्मा : } क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक संवर्द्धन आयुक्त के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग में तेजी से गिरावट आ गई है;

(ख) क्या उर्वरकों के प्रयोग में गिरावट उर्वरकों की अधिक लागत और कृषि उत्पादनों की अलाभकर कीमतों के कारण आई है; और

(ग) यदि हां, तो आगामी वर्षों में उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाने के लिये जाने वाले संबर्द्धक कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1967-68 में उर्वरकों की खपत की वृद्धि दर गत वर्ष की अपेक्षा 40 प्रतिशत, 1968 69 में 14 प्रतिशत, 1969-70 में 13 प्रतिशत तथा 1970-71 में 14 प्रतिशत अधिक थी।

(ख) जी, नहीं। उर्वरकों की खपत की वृद्धि की दर में कमी लाने के निम्नलिखित कारण हैं —

(1) वर्ष 1968 तथा वर्ष 1969 के मध्य में गेहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों के फलस्वरूप गेहूँ के उत्पादन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली गई और उसके उपरान्त शीघ्र ही उर्वरकों के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई। चना के क्षेत्र में प्राप्त सफलता गेहूँ के क्षेत्र में प्राप्त सफलता से कहीं कम उल्लेखनीय थी और इसके फलस्वरूप उर्वरकों के प्रयोग पर गड़ने वाला प्रभाव भी गेहूँ के प्रभाव की अपेक्षा कम नाटकीय था।

(2) कुछ राज्यों की वितरण प्रणालियों में कमियां तथा दुर्बल सहकारी ढांचा।

(3) समय पर समुचित ऋण की उपलब्धि में अभाव।

(4) विस्तार प्रयत्नों में कमियां।

(ग) अगामी वर्षों में उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रस्तावित दस-सूत्री संबंधन कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) 70 चुनीन्दा जिलों में अनाज तथा कपास, तिलहन, पटसन और गन्ने आदि जैसी विशिष्ट नकली फसलों के प्रदर्शन कार्यक्रमों के सहयोग से पैकेज उपागमों का व्यापक प्रदर्शन कार्यक्रम।

(2) सहकारी विक्रेताओं, विस्तार अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों सहित ग्राम सेवकों तथा खुदरा व्यापारियों को उर्वरकों के समुचित उपयोग तथा प्रबन्ध में प्रशिक्षण देना, जिससे वे कृषकों की उर्वरकों के कुशल उपयोग में सहायता कर सकें।

(3) चुनींदा जिलों में कृषक महिलाओं सहित कृषकों को उर्वरकों के उचित उपयोग तथा प्रबन्ध में प्रशिक्षण देना।

(4) वैयक्तिक सम्पर्क, वर्ग विचार विमर्श तथा फिल्म, रेडियो और टेलिविजन जैसे जन प्रचार के साधनों द्वारा उर्वरक उपयोग सम्बन्धी जानकारी का प्रसार।

(5) चुनींदा जिलों में उर्वरक उत्सवों का आयोजन।

(6) जिलों में वर्तमान मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना तथा चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था और केन्द्र तथा राज्यों में गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना।

(7) उर्वरकों के उपयोग के लिये कृषकों में सहकारी ऋण सुविधाओं की वृद्धि।

(8) कृषकों को जहां तक सम्भव हो उर्वरकों के रूप में ऋण देना।

(9) प्रत्येक ब्लाक में अधिक वितरण केन्द्रों की स्थापना और उपयुक्त स्थलों पर उनकी स्थापना।

(10) उर्वरक विक्रय को क्षेत्र आधार पर वाणिज्यिक बैंक ऋण कार्यक्रम से सम्बद्ध करना।

वन्य जन्तुओं की गणना

4482. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्य जन्तुओं की गणना का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या वन्य जीवों की संख्या बढ़ रही है अथवा घट रही है; और

(ग) गणना के क्या निष्कर्ष निकले है और देश में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं। देश में सब पशुओं की गणना नहीं की गई है। तथापि गिर आश्रयस्थलों में शेर की ; कच्छ की खाड़ी में जंगली गधों, असम में काजीरंगा और ओरंग आश्रमस्थलों में पशुओं और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बाघों की गणना की गई है। 15 जून, 1972 तक पूरा किया जाने वाला एक सार्वदेशिक बाघ गणना कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और अगले साल अप्रैल-जून में यह फिर किया जायेगा।

(ख) वन्य प्राणि संरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने 1969 के अन्त में बताया है कि चुनींदा वन्य प्राणि संरक्षण स्थलों को छोड़ कर वन्य प्राणि आबादी में कमी हुई है।

(ग) (i) वर्ष 1968 में गिर, आश्रमस्थल में 177 शेर बताये गये।

(ii) वर्ष 1969 में कच्छ की खाड़ी में 362 जंगली गधे थे।

(iii) काजीरंगा में हाल की गणना से पता चला है कि वर्ष 1966 के आंकड़ों की तुलना में 149.7 प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

(iv) 1970-71 में उत्तर प्रदेश में 452 बाघ थे और महाराष्ट्र में वर्ष 1971 में 214 बाघ थे।

देश में वन्य प्राणि संरक्षण के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

(i) और आश्रमस्थलों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना;

(ii) घातक पशुओं को गोली मारने का प्रतिबन्ध ;

(iii) नायाब और घातक पशु-पक्षियों और उन की सन्तति के निर्यात पर प्रतिबन्ध ;

(iv) कुछ पशु-पक्षियों और उनके पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबन्ध ;

(v) वन्य प्राणि के क्रमबद्ध संरक्षण के लिए वन विभागों के अधीन प्रभाग बनाना।

(vi) वन्य प्राणि संरक्षण और प्रबन्ध में देहारादून में राज्यों के कार्मिकों को सेवा अवधि में प्रशिक्षण।

दिल्ली के राजकीय स्कूलों में निर्देशन सलाहकारों के वेतनमान

4483. श्री वाईईश्वर रेड्डी :
श्री डी० के० पंडा : } क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के राजकीय स्कूलों में निर्देशन सेवा 1959 में आरम्भ की गई थी;

(ख) क्या सब निर्देशन सलाहकारों की नियुक्तियाँ उन वेतनमानों में की गई यीं जो उस समय स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिये लागू थे, यदि हां, तो अब तक कितने निर्देशन सलाहकार नियुक्त किए गए है ;

(ग) क्या उनके वेतनमान मई, 1970 और दिसम्बर, 1971 के अन्य व्यक्तियों के वेतन-मानों के साथ पुनरीक्षित नहीं किये गये और उन्हें पिछली तिथि से ही 250–470 रुपये के निम्न वेतनमान में ही रखा गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार उन की इस मांग पर विचार कर रही है कि उनके वेतनमान पुनरीक्षित किए जाने चाहिए।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : अब तक 32 शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। इन पदों का वेतनमान 250-470 रु० है जोकि 1-7-1959 को उत्तर स्नातक अध्यापकों के लिए स्वीकृत वेतन मानों के समान है। जब कि उत्तर स्नातक अध्यापकों के वेतन मान बाद में 1967, 1970 और 1971 में संशोधित किए गए है, किन्तु शैक्षिक और व्यावसायिक निदेशित सलाहकारों के वेतनमान अब तक संशोधित नहीं किए गए है। शैक्षिक और व्यवसायिक निदेशन सलाहकारों के वेतनमान के साथ अन्य उपेक्षित वर्गों के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन का प्रश्न सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा मन्जूर किये गये ऋण के अन्तर्गत आने वाली आवास योजनाएं

4484. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री पी० गंगादेव :
क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे तथा मध्यम वर्ग आय के मकानों के निर्माण के लिए आवास तथा नगरीय विकास द्वारा मन्जूर किए गए ऋण के अन्तर्गत आने वाली आवास योजनाओं की संख्या क्या है; और

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 20 (बीस)।

(क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1895/72]**

Per-Capita Expenditure On Vasectomy Operations

4485. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the per capita expenditure incurred on vasectomy operations and whether the per capita expenditure incurred on vasectomy operations is the same in every State or there is some variation ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : Normally the expenditure per case incurred on vasectomy operation is Rs. 30 except in the case of State of Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu where the expendi-

ture per case is Rs. 46, Rs. 40 and Rs. 40 plus cost of drugs and dressings respectively. In the case of vasectomy camps organised during 1971-72 on an experimental basis, in addition to the above mentioned amounts, additional assistance varying from Rs. 20 to Rs. 84 per case of vasectomy has been sanctioned by the Central Government. In addition, funds have been raised by local contribution and also provided by the State Government for meeting expenditure on the camps.

Inculcating New Social Moral Values Among Teachers And Students

4486. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been invited to the statement made by Shri Achhyuta Patwardhan that All the 92 Universities in India should inculcate new social moral values among their teachers and students in the first instance while delivering his Convocation Address at Banaras Hindu University; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) While delivering the 54th Convocation Address at the Banaras Hindu University, Shri Achhyuta Patwardhan inter-alia made the following points :—

(i) It is an important task to create and establish in the 92 Universities of the country that social temper and new values which are necessary for the building up of a socialist society. Both the Administration and the University should direct this programme of social education together.

(ii) The changes which are necessary to bring about in the minds of the people for the establishment of a socialist society, those trends and tendencies should first be translated into the lives of university teachers and students.

(iii) The University education has an aspect—the awareness of social responsibility. A year and a half before getting a university degree the programme for rural literacy or the training of the people should form an integral part of the students' education.

(iv) The work for eradication of adult illiteracy is being ignored. The youth should participate in the rural literacy campaign in thousands. If this programme succeeds, the other development activities will surely be accelerated; particularly the agricultural production, the family planning etc.

(b) Since September, 1969, the Government of India are implementing the National Services Scheme on a voluntary basis. The Scheme aims at arousing the social consciousness among university students and at affording them an opportunity to work with the community on social service projects. As a result of an evaluation of the functioning of the Scheme the following proposals are under consideration :—

(a) The syllabii of university courses should be re-oriented so that the students develop a lively contact with the life of the people and become aware of their problems.

(b) Every University should adopt a block or a district in its neighbourhood for an integrated programme of national service to be rendered as part of the normal developmental programme of the locality.

(c) A pilot project of national service Volunteer Corps for 20,000 fresh graduates should be established. They will get stipends for a period of one year and after

an intensive training for three months, will be employed on social service schemes like adult education continuing education, literacy, extension, rural hygiene and sanitation, etc. After gaining experience in the working of this project, the question of embanking on a universal programme whereby every student should, after his first degree course, render a specified period of national service before he gets his degree and enters life or further studies will be considered.

पटरी पर रहने वालों के लिये रैन बसेरे

4487. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटरी पर रहने वाले व्यक्तियों के लिये रैन बसेरों की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना कितने नगरों में की गई है ;

(ग) उनके निर्माण पर वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(घ) इन केन्द्रों से कितनी आय हुई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गूजराल (क) से (घ): गन्दी बस्ती उन्मूलन एवं सुधार योजना में अन्य बातों के साथ साथ आश्रय-रहित व्यक्तियों के लिये किराये की अदायगी पर भी सेवा प्रभारों समेत 25 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति रात्रि से अधिक न हो, सोने का स्थान उपलब्ध करने हेतु रैन बसेरों के निर्माण की व्यवस्था है। योजना चौथी पंच-वर्षीय योजना के क्षेत्र में है तथा रैन बसेरों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। ऐसे रैन बसेरों की संख्या, उन पर 1970-71 के दौरान खर्ची गई राशि तथा ऐसे रैन बसेरों को किराये पर देने से अर्जित की गई राशि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में भाग लिया जाना

4488. श्री जगन्नाथ मिश्र
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व शामिल करने सम्बन्धी सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) गजेन्द्रगडकर समिति द्वारा की गई सिफारिशें जिस में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिए जाने के सम्बन्धित सिफारिशें भी शामिल हैं, सिद्धान्तरुप से केन्द्रीय सरकार

द्वारा मान ली गई है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों अधिनियमो में संशोधन करने की जरुरत पड़ेगी और इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए वैधानिक प्रस्तावों के निर्धारण में सिफारिशों को ध्यान में रखा जा रहा है। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

कानपुर, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना

4489. श्री राजदेव सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य उत्तर प्रदेश को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कानपुर में तीसरे कृषि अनुसन्धान संस्थान की स्थापना की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तरी भारत में चीनी मिलों का अन्धकारपूर्ण भविष्य

4490. श्री राजदेव सिंह
श्री राम कंवर } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्धा उत्तर भारत में सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में स्थित चीनी मिलों का भविष्य अन्धकारपूर्ण है क्योंकि उन्हें गन्ने के अधिक मूल्यों के आर्थिक परिणामों, चीनी कम निकलने, गन्ने की सीमित सप्लाई और उत्पादन में कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में चीनी की आन्तरिक खपत और निर्यात की आवश्यक्ता को पूरा करने की दृष्टि से चीनी मिलों को सुचारु रूप मे चलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धि, गन्ने में चीनी का कम अंश और बहुत मामलों में पुराने तथा अलाभकारी संयंत्र होने के कारण सामान्यत: उत्तरी भारत के अधिकांश चीनी कारखानों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी दक्षिण भारत विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर आदि कारखानों की है। विशेषकर उत्तरी भारत में गन्ने की खरीद में गुड़ और खंडसारी उत्पादनों से कड़ा मुकाबला होने से भी गन्ने के अधिक मूल्य देने पड़ते हैं।

(ख) उत्तरी भारत के कारखानों का कार्यचालन-सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं:—

(i) अधिकांश राज्यों में चीनी कारखानों के क्षेत्र के इर्द-गिर्द गन्ने के लिए सधन विकास योजनाए चालू की गई है।

(ii) पुरानीं व अलाभकारी यूनिटों के आधुनिकीकरण और पुनर्वास की व्यवस्था करने की पहल स्वयं चीनी कारखानों पर निर्भर करती है। विस्तार करने के लिए

जो भी आवेदन-पत्र उनसे प्राप्त होते हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है ।

(iii) अखिल भारतीय दृष्टिकोण से इस मामले पर विचार करने के लिए सितम्बर, 1970 में स्थापित चीनी उद्योग जांच आयोग से यह अनुरोध किया गया है कि वह अगले 10 से 15 वर्ष से अधिक अवधि के लिए चीनी उद्योग के विकास की रुप-रेखा के सम्बन्ध में सुझाव दे ।

गांवों में शिक्षित लोगों की रोजगार देने के लिये कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना

4491. श्री रण बहादुर सिंह
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में शिक्षित युवकों को रोजगार देने के लिए अब तक कितने कृषि सेवा केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) उनकी कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) किस एजेंसी के माध्यम से ऐसे केन्द्र स्थापित किये जाते हैं; और

(घ) उक्त योजना से कितने शिक्षित ग्रामीण युवकों को लाभ पहुँचा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों में 20 अप्रैल, 1972 तक 132 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

(ख)	उत्तर प्रदेश	75
	बिहार	37
	हरियाणा	18
	मध्य प्रदेश	2
	कुल योग :	132

(ग) कृषि सेवा केन्द्र राज्य कृषि-उद्योग निगमों/राज्य सरकारों के माध्यम से स्थापित किये गये हैं ।

(घ) अब तक 120 तकनी की दक्ष व्यक्ति, 200 कुशल व्यक्ति और 200 लिपिकों को नौकरी पर लगा दिया गया है ।

खाद्यान्न, मुर्गियों, मछलियों, दुग्ध और शाक-सब्जी का उत्पादन

4492. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान खाद्यान्न, मुर्गियों, मछलियों, दुग्ध उत्पादों और शाक-सब्जी के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : खाद्यान्नों, मुर्गियों, मछलियों दुग्ध उत्पादों तथा आलू के उत्पादन के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी प्रदर्शित करने वाले विवरण (1 से 5) संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1896/72]**

पौष्टिक भोजन के बारे में केन्द्रीय खाद्य प्रोद्यौगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई प्रगति

4493. श्री रण बहादुर सिंह
श्री पम्पन गौंडा } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में केन्द्रीय खाद्य प्रोद्यौगिकी अनुसन्धान संस्थान ने निर्धन व्यक्तियों के लिए पौष्टिक भोजन के बारे में क्या प्रगति की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : केन्द्रीय खाद्य प्रोद्यौगिकी अनुसन्धान संस्थान द्वारा कम आय के लोगों के लिए तैयार किए गए तथा सरकार द्वारा प्रोत्साहित किए गए पौष्टिक खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित पदार्थ शामिल हैं:—

(i) **बाल आहार** : यह कम मूल्य का वनस्पति प्रोटीन, अनाजों, दुग्ध-चूर्ण दाल के आटे विटामिन और खनिजों का सम्मिश्रण है और इसे बच्चों के पोषाहार कार्यक्रम के लिए भारी मात्रा में तैयार किया जा रहा है ।

(ii) **बाल अमूल**: यह अनाज, सोया-आटा, दुग्ध-चूर्ण और विटामिनों तथा खनिज तत्वों से तैयार किया गया अत्यधिक प्रोटीन युक्त पहले से तैयार पौष्टिक शिशु आहार है जिसे कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ वाणिज्यिक आधार पर बेचेगा ।

(iii) **पौष्टिक आटा**: रोलर फलोर मिलों द्वारा उत्पादित गेहूं के आटे को खाने योग्य मूंगफली के आटे जैसे प्रोटीन युक्त तत्वों से और विटामिनों का तथा खनिज तत्वों से पौष्टिक किया जाता है । पौष्टिक आटे के उत्पादन का एक नया कार्यक्रम बम्बई तथा कलकत्ता में शुरु किया जा रहा है ।

(iv) **मिलटोन (प्रोटीन आइसोलेट टोन्ड दूध)** : यह अत्यधिक प्रोटीन युक्त पेय हैं जिसे वनस्पति प्रोटीन का प्रयोग कर और उसे सामान्य दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है और विटामिनों से समृद्ध किया जाता है ।

विभिन्न स्तर के लोगों में नसबन्दी की सफलता

4494. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च, उच्च मध्य, मध्य और निम्न आय वर्ग के लोगों में की गई नसबन्दी की सफलता के बारे में अलग-अलग आंकड़े एकत्र किये गये हैं ;

(ख) क्या परिवार नियोजन के सम्बन्ध में आंकड़े जातिवार एकत्र किये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त आंकड़ों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

(स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री): **प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय** (क) उच्च मध्य, मध्य और निम्न आय वर्गों के नसबन्दी किए गये लोगों में सफल मामलों का प्रतिशत पता करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर कोई भी नियमित अध्ययन नहीं किया गया है । तथापि, नसबन्दी किए गये मामलों में नहीं कुछेक अध्ययन किये गये है जिनसे आय के

आधार पर उनके विभाजन का पता चलता है। उपलब्ध सूचना का एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक-1)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1897/72]**

(ख) और (ग) राज्य अखिल भारतीय आधार पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने सम्बन्धी समुदायवार आँकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, कुछ तदर्थ अध्ययन किए गए हैं और ऐसे अध्ययनों के परिणाम संकलित किए गये हैं। ये परिणाम अनुलग्नक 2 (क, ख और ग) में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1897/72]**

कृषि उत्पादन पर यंत्रीकृत खेती का प्रभाव

4495. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि यंत्रीकृत खेती के कारण है ;

(ख) इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने से यंत्रीकृत खेती का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यंत्रीकृत खेती प्रारम्भ होने से देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु अभी तक यह अनुमान नहीं लगाया गया है कि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। फिर भी, सम्बन्धित राज्यों के कृषि क्षेत्रों में रोजगार तथा उत्पादकता पर फार्म यंत्रीकरण के प्रभाव का अनुमान लगाने के उद्देश्य से पंजाब कृषि विश्व-विद्यालय, लुधियाना तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन की अन्तिम रिपोर्ट वर्ष 1974 के दौरान किसी समय उपलब्ध हो सकती है।

लूप का प्रयोग बन्द किया जाना

4496. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लूप का प्रयोग पूरी तरह से त्याग दिया गया है और बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) इस उपकरण के बनाने में सरकार द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) उत्तर प्रदेश सरकार का लघु उद्योग विभाग बना रहा है। इसके उत्पादन के लिए भारत सरकार ने कोई पूंजी नहीं लगाई है।

जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिपे सरकार कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं पर प्रतिबन्ध

4497. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजक मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली चिक्तिसा सुविधाओं के बारे में कानून बनाने अथवा उन पर रोक लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली पोलीटेक्निक में निदर्शकों (डिमोन्सट्रेटर) इंजीनियरिंग प्राशिक्षकों और वर्कशाप प्रशिकक्षों के वेतनमान

4498. डा० कर्णी सिंह : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीक इंजीनियरों की अखिल भारतीय परिषद् ने दिल्ली पोलिटेक्निक में निर्देशकों, शिक्षा प्रशिक्षकों और वर्कशाप प्रशिक्षकों के लिये समान वेतनमानों की सिफारिश की है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में और जामिया मिलया रुरल इंजीनियरिंग इंस्टीटयूट, ओखला, नई दिल्ली में इन दो श्रेणियों के पोलीटेक्निक शिक्षकों के वेतनमान समान है ;

(ग) क्या दिल्ली पोलीटेक्निक में इन शिक्षकों के वेतनमान भिन्न भिन्न है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त विषमता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) विवरण सलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या। एल० टी० 1898/72]**

(घ) विवरण में दी गई स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, दिल्ली पोलिटेक्निकों के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय प्रोद्यौगिक संस्था, नई दिल्ली का फैक्लटी हाउस/नालन्दा होस्टल

4499. श्री कार्तिक उरांव : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्था नई दिल्ली के फैक्लटी हाउस नालन्दा होस्टल का बहुत ही कम उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) तथा (ख) फैक्लटी हाउस के दो भाग हैं: (1) नालन्दा होस्टल, तथा (2) नालन्दा अतिथिशाला। नालन्दा होस्टल को अनुसंधान अध्येताओं को परिवारों सहित आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये बनाया गया है। संस्थान से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार, होस्टल के सभी 54 कमरों के सैट पूरे रूके पड़े हैं। नालन्दा अतिथिशाला में अतिथियों (संस्थान के अतिथि), विद्यार्थियों के अभिभावक, संकाय अतिथि तथा ग्रीष्म स्कूलों, शरद कर्मशालाओं, सैमिनारों, सम्मेलनों आदि मे हिस्सा लेने वालों के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक मास रुके कमरों की औसत 55 प्रतिशत है।

भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, दिल्ली में अधिकारियों के वेतन निर्धारण में अनियमितताएँ

4500. श्री कार्तिक उरांव : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान दिल्ली के अनेक प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन अनियमितरूप से बढ़ाया गया है अथवा वेतन निर्धारण के मामले में बड़ी अनियमितताएँ की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी में आने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) स्टाफ के विभिन्न सदस्यों को परिलब्धियां प्रोद्यौगिकी संस्थान अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अनुसार संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है। हाल ही में प्रशासनिक स्टाफ के कुछ सदस्यों के वेतन निर्धारण तथा विशेष वेतन की मंजूरी में अनियमितता की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी के कम्प्यूटर केन्द्र का कार्य

4501. श्री कार्तिक उरांव : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इंस्टीयूट आफ टेक्नोलोजी, दिल्ली के कम्प्यूटर केन्द्र का कार्य भारत सरकार द्वारा तैयार की गई मानक प्रक्रिया के बिना ही स्वीकार किया गया है।

(ख) यदि हां, तो मानक प्रक्रिया का पालन न करने के क्या कारण है ; और

(ग) मानक प्रक्रिया न अपनाने से कितने संसाधन लगे और कितना अतिरिक्त खर्च हुआ ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ग) संस्थान के कम्प्यूटर केन्द्र या सिविल कार्य मानक प्रक्रिया के अनुसार किया गया था। केन्द्र को वातानुकूलित करने के लिये शुरू में टेंडर आम टेंडर के आधार पर आमंत्रित किए गए थे परन्तु पार्टी द्वारा टेंडर की शर्तें पूरी न किये जाने के परिणाम स्वरूप यह कार्य एक प्रसिद्ध फर्म को सीमित टेंडर के आधार देना पड़ा था। यह सामान्य क्रियाविधि के अनुकूल है क्योंकि यह एक विशिष्ट सूक्ष्म कार्य है। संस्थान ने इस का खंडन किया है कि इस कार्य के आवंटन करने में उन्हें कोई नुकसान हुआ है।

अन्धे व्यक्तियों का पुनर्वास

4502. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्धे व्यक्तियों की राज्यवार अनुमानतया संख्या कितनी है ;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के लिये तैयार की गई विभिन्न योजनाओं से उनमें से कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ ; और

(ग) गत तीन वर्षों में अन्धे व्यक्तियों के पुनर्वास पर प्रत्येक राज्य को समाज कल्याण विभाग ने किस प्रकार की सहायता दी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क) नेत्रहीन व्यक्तियों की आबादी अथवा उसके राज्यवार बटवारे के बारे में विश्वासनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता यह अनुमान लगाया गया है कि इस देश में लगभग 50 लाख नेत्रहीन व्यक्ति हैं।

(ख) समाज कल्याण विभाग ने प्रत्येक राज्य के नेत्रहीन व्यक्तियों के कल्याण के लिये कोई योजनाएँ नही बनाई हैं।

(ग) चतुर्थ योजना में नेत्रहीन व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्यक्रमों को राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के अलबत्ता कुछ केन्द्रीय कार्यक्रम है, जिनके लाभ सभी राज्यों के नेत्रहीन छात्रों को मिल सकते हैं।

उर्वरक की राज्यवार खपत, मांग और सप्लाई

4503. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक राज्य में प्रति हैक्टार कृषि भूमि में उर्वरक की औसत खपत क्या हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों में उर्वरकों की वर्षवार और राज्यवार मांग कितनी और कितनी सप्लाई होती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों की अवधि में प्रत्येक राज्य में बोये गये कुल क्षेत्र में उर्वरकों की वर्षवार प्रति हैक्टार औसत खपत तथा प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों की अवधि में पौध पोषक तत्वों के रूप में उर्वरकों की वर्षवार माँग तथा आपूर्ति को प्रदर्शित करने वाले दो विवरण संलग्न हैं । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1899/72]**

प्रत्येक वर्ष के लिये दिखाई गई मागें राज्यों की निबल आवश्यकतायें हैं, जिन्हें कि उनके साथ परामर्श के उपरान्त ही अन्तिम रूप दिया गया है । इनकी आपूर्ति देशीय विनिर्माताओं तथा केन्द्रीय उर्वरक पूल से ही की जानी थीं ।

ग्रामीण सड़क विकास कार्यों पर राज्यवार परिव्यय और खर्च

4504. श्री ज्योतिर्मय बसु
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक वर्ष वार ग्रामीण सड़क विकास कार्यों पर प्रत्येक राज्य को कितना केन्द्रीय नियतन किया गया ; और

(ख) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक वर्षवार प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी वास्तविक केन्द्रीय सहायता उपयोग में लाई गई ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) राज्यों के केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदान के रूप में दी जाती है और ग्रामीण सड़कों के विकास के लिये कोई पृथक नियतन नहीं है । परन्तु, चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों से कहा गया है कि वह ग्रामीण सड़कों के विकास के लिये राज्य योजनाओं में सड़कों के परिव्यय का कम से कम 25 प्रतिशत से अलग रखें । यह अनुमान किया जाता है कि योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् 1969-70 से 1971-72 तक राज्य सरकारों ने ग्रामीण सड़कों के कुल व्यय का लगभग 40 प्रतिशत व्यय किया है जो लगभग 120 करोड़ रुपये निकलता है इसके अतिरिक्त स्थानीय साधन भी जुटाये जाते हैं ।

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादि जैसे कुछ केन्द्रीय वित्त पोषित कार्यक्रमों के अन्तर्गत धन की भी व्यवस्था की जा रही है । इन कार्यक्रमों में विभिन्न विभागीय कार्यकलाप जिनमें और बातों के साथ साथ ग्रामीण सड़क भी शामिल है, की व्यवस्था है । उपलब्ध सूचना से यह प्रकट होता है कि दोनों कार्यक्रमों अर्थात् सूखावाले क्षेत्र कार्यक्रम और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 31-3-1972 तक कुल 11.46 करोड़ रुपये व्यय हुये ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

4505. श्री आर० पी० उलगनम्बी :
श्री टी० एस० लक्ष्मणन : : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये नगर तथा ग्राम योजना संगठन ने जो अध्ययन पूरे किये हैं उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड" का गठन कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बोर्ड की रचना का ब्यौरा क्या है और उसे क्या कार्य सौंपे गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) अध्ययन पर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्बन्धित हैं ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण-पूर्वी संशोधन क्षेत्र के लिये विकास योजना

4506. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश शामिल हैं, के लिये विकास योजना तैयार करने हेतु स्थापित किये गये संयुक्त आयोजन बोर्ड द्वारा कितने अध्ययन किये गये हैं और उनकी संक्षिप्त रुपरेखा क्या है;

(ख) यदि हां, तो पूरे हुए अध्ययनों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो इनके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल : (क) 20. अध्ययन, क्षेत्रों की रुप रेखा, कृषि, वन तथा खनिज-साधनों स्त्रोतों के विकास, खेती की पद्धति, लोहा तथा इस्पात उद्योग तथा इसके निर्यात की संभावना, औद्योगिक विकास की संभावना, यातायात तथा संचार; कोयला तथा कच्ची धातु के ले जाने की पद्धति, जनजातीय कल्याण सहित सामाजिक सेवाओं तथा कल्याण; जनजातीय लोगों के लिये शिक्षा का कार्यक्रम; ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था; क्षेत्रीय भूमि उपयोग; क्षेत्रीय विकास में निर्दिष्ट विकास का महत्व; जल तथा विद्युत के साधनों के विकास आदि से संबंधित है ।

(ख) तथा (ग) : पूर्ण किये गये अध्ययन संबंधित राज्य सरकारों को भेजे गये हैं ताकि वे अपने जिलों के विकास प्लानों की तैयारी में उस का उपयोग कर सकें ।

चितौड़गढ़ स्थित विजय स्तम्भ को देखने के लिये कर का लगाया जाना

4507. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **शिक्षा और समाज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तम्भ को देखने के लिये भारत सरकार ने कर लगा दिया है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

(ग) कर लगाने के परिणाम स्वरुप कितनी मासिक आय होती है; और

(घ) चित्तौड़गढ़ के किले और विजय स्तम्भ को देखने के लिये आने वाले, पर्यटकों और दर्शकों पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तम्भ पर 15 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिये प्रति व्यक्ति 50 पैसे प्रवेश-शुल्क लगाया गया है । तथापि, सप्ताह में एक बार प्रवेश निशुल्क है ?

(ख) प्रवेश-शुल्क न केवल विजय स्तम्भ (विक्ट्री टावर) पर लगाया गया है अपितु 25 अन्य केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों पर भी लगाया गया है जो कि पर्यटकों के लिये बड़े आकर्षक हैं और जहां पर शुल्क लागू करना उचित समझा गया है । शुल्क लगाने का उद्देश्य प्रवेश पर नियंत्रण रखना है तथा, प्रसंगवश, राजस्व में वृद्धि करना भी है जो कि स्मारकों के अनुरक्षण में प्रयुक्त किया जा सकता है ।

(ग) और (घ) प्रवेश-शुल्क लगाने से अर्जित मासिक आय का एक विवरण संलग्न है, जिससे यह पता चलेगा कि इसके कारण विजय स्तम्भ और अनुमानत: चित्तौड़गढ़ किले में दर्शकों की संख्या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी 1900/72]**

Number Of Doctors Coming Out Of Medical Colleges

4508. Shri R. V. Bade, Shri G. Y. Krishnan: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) The number of doctors who have come out of the Medical Colleges after completing their medical education during 1969-70 and 1970-71; and

(b) the number out of them provided with employment and the number of those who are still unemployed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) and (b) Information is being collected and the same will be placed on the Table of the House in due course.

Night Shelters In Delhi

4509. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) The number of night shelters in Delhi at present ;

(b) the number of persons who can be accommodated in these shelters at a time ; and

(c) the scheme in regard to making improvement therein ?

The Minister of State in The Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) :

(a) There are 11 permanent and 10 seasonal (for winter only) shelters in the Municipal Corporation area ;

(b) 3240 in permanent shelters and 1985 in seasonal shelters ; and

(c) There is no such scheme.

Lord Rama's Temple At Rameshwaram Island

4510. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state whether Government have under consideration any scheme to give grant for preserving Lord Rama's Temple at Rameshwaram ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): As the Temple is not a Centrally-protected monument, the Government of India dose not directly come in the picture. However, on receipt of a request from the Government of Tamil Nadu, the Government of India forwarded it to UNESCO which provided in 1970 the services of an expert. He visited the Temple and submitted a report which has already been fowarded to the State Government for necessary action. UNESCO has also agreed to supply equipment worth 10,000 for the renovation and preservation of the Temple.

The State Government has also been advised to contact the Archaeological Survey of India for the technical advice and guidance in the planning and implementation of the programme of repairs suggested in the UNESCO expert's report.

कृषि कार्यों के लिए गुजरात राज्य में ऋण देने की प्रक्रिया ।

4511. श्री बेकारिया: क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कृषि प्रयोजन के लिये ऋण देने में प्रक्रिया और शर्तों से सम्बन्धित क्या सुविधांएं दी जा रही हैं; और

(ख) कृषि पर इन सुविधाओं का क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) गुजरात सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों से कृषि ऋण पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क आदि की एक निश्चित सीमा में छूट दी हुई है। राज्य सरकार द्वारा दी गई रियायतों का ब्यौरा राज्य अधिनियम विषयक विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के पृष्ठ 86-87 में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिये उधार देना (तन्नवार समिति) शीर्षक में दिया गया है। यह रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित एक समूल्य प्रकाशन है। चुनींदा क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त कृषकों को दिए गए ऋण की विशेष गारंटी भी की गई है।

(ख) इन सुविधाओं से कृषि के लिये और अधिक ऋण प्रदान करने में सहायता मिली है।

गुजरात राज्य में चीनी के कारखाने और उनमें उत्पादित चीनी

4512. श्री बेकारिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में चीनी के कितने कारखाने हैं और गत तीन वर्षों में उनमें से प्रत्येक कारखाने में चीनी का कितना उत्पादक हुआ;

(ख) उनमें से कितने कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में तथा कितने कारखाने सहकारी क्षेत्र में है ; और

(ग) क्या गुजरात में गन्ने के कुल उत्पादक को देखते हुए, वहां चीनी के और कारखाने खोलने की गुंजाइश है ?

कृषि मन्त्रालय में मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) इस समय गुजरात राज्य में सात चीनी कारखाने है और वे सभी सहकारी क्षेत्र में है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1968-69, 1969-70 और 1970-71 मौसमों के दौरान इन प्रत्येक चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी की मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) गुजरात राज्य में गन्ने की सम्भावना को ध्यान में रखकर छः और सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए आशय पत्र लाइसेंस दिए जा चुके हैं और अगले कुछ वर्षों में उनका उत्पादन शुरु होने की सम्भावना है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1968-69, 1969-70 और 1970-71 मौसमों के दौरान गुजरात राज्य के चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी की मात्रा बताने वाला विवरण।

क्रम सं०	कारखाने का नाम	उत्पादित चीनी की मात्रा (मी० टन)		
		1968-69	1969-70	1970-71
1.	श्री खेदत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, सरदार बाग, वारडोली, जिला सूरत।	21,656	25,119,	21,467
2.	दि सहकारी खांड उद्योग मंडल लि०, गंदेवी विलीमोरा, जिला बलसर।	7,373	10,336	7,927
3.	श्री बिलेश्वर खांड उद्योग खेदत सहकारी मंडली लि०, कोडिनार, जिला अमरेली।	28,890	24,198	25,425
4.	श्री उना तालुक सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, उना (सौराठ) जिला जूनागढ़।	14,509	18,426	12,242
5.	श्री माधी विभाग, खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, पो० आ० माधी, जिला सूरत।	4,210	20,591	15,853
6.	श्री चलथान विभाग, खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, चलथान, जिला सूरत।	—	—	849
7.	चरोतर सहकारी खांड उद्योग लि०, पीतलाद, जिला कैरा।	—	—	194

चलथान, जिला सूरत और पीतलाद, जिला कैरा में स्थित चीनी कारखानों ने 1970-71 मौसम में उत्पादन शुरु किया था।

गुजरात के समुद्र तट पर मछलियाँ पकड़ने की सुविधाएं

4513. श्री वेकारिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के समुद्रतटीय क्षेत्रों में मछलियां पकड़ने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या राज्य में मत्स्य पत्तनों को सुधारने और इनका निर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) गुजरात के तटीय क्षेत्रों में कुछ सीमा तक नवबन्दर, जफराबाद, अम्बरगांव, पोरबन्दर, उभरसादी, कोलक, उगरोल, हीराकोट और जखाऊ में मीनहरण बन्दरगाह सुविधायें मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, वेरावल में 26 लाख रुपये की लागत से एक काफी बड़े आकार के बन्दरगाह की व्यवस्था की गई है। कांडला में छोटे आकार के बन्दरगाह की सुविधायें उपलब्ध हैं। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में उतराव और लंगर डालने की सुविधाओं के सृजन हेतु भारत सरकार ने कुल 59 लाख रुपये का मन्जूरी प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त मीन हरण बन्दरगाह योजना का निवेषपूर्ण सर्वेक्षण, बंगलोर द्वारा सधन विकास हेतु योजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये इन क्षेत्रों का एक सर्वेक्षण भी किया गया है। इंजीनियरी दृष्टिकोण से अम्बरगांव को एक बन्दरगाह के रुप में विकसित करने के लिये उन्होंने उययोगी पाया है। वर्ष 1972 के अन्त तक विस्तृत छानबीन की जाने की संभावना है।

राज्य सरकार ने वेरावल में कुछ अतिरिक्त कार्य जैसे सूखे गोदी की व्यवस्था करना, बिजली, क्रेन की सुविधायें आदि तथा कुछ मीन हरण केन्द्रों पर नव परिवहन सहायता प्रदान करने के लिये प्रस्ताव भेजे हैं। राज्य सरकार के परामर्श से इनकी छानबीन की जा रही है।

परिवार के पिछड़ेपन के निर्धारण की आर्थिक स्थिति को कसौटी मानना

4514. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जन जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को शिक्षा सुविधाएं देने के लिए परिवार के पिछड़ेपन को कसौटी के रुप में आर्थिक स्थिति निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति के अतिरिक्त भारत सरकार ने पिछड़े वर्गों की कोई सूची नहीं बनाई है। इस मामले का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है और उन्हें यह सलाह दी गई है कि भारत सरकार का मत है कि जाति के स्थान पर आर्थिक जांचों की कसौटी को अपनाना ही श्रेयकर होगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के मामले में शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त मुख्य बात जिस पर ध्यान दिया जाता है वह है परिवार की आर्थिक दशा। समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के बच्चों को विशेष शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के उपायों पर भी केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

बाल भवन सोसइटी नई दिल्ली द्वारा हिप्पियों की नियुक्ति

4515. श्री भारत सिंह चौहान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली के निदेशक ने सरकार की अनुमति के बिना तथा विदेशी पंजीकरण अधिनियम का उल्लंघन करके कुछ हिप्पियों को नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय बाल भवन सोसाइटी नई दिल्ली के कार्यकरण पर सरकारी नियंत्रण

4516. श्री भारत सिंह चौहान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली के कार्यकरण पर कितना सरकारी नियंत्रण है ;

(ख) क्या बाल भवन के निदेशक के पद पर केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जाती हैं ;

(ग) निदेशक के पद क लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं., तथा क्या वर्तमान निदेशक के पास इस पद पर बने रहने के लिये अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं नहीं हैं, और

(घ) यदि हां, तो उसकी नियुक्ति नियमित रुप से की गई है अथवा तदर्थ रुप में ?

शिक्षा तथा सामाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) भारतीय बाल भवन सोसाइटी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है। सोसाइटी के मामलों का प्रबन्ध तथा अयोजन प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सोसाइटी के नियम तथा विनियमों के अनुसार किया जाता है, जो भारत सरकार के अनुमोदन से बनाये गये हैं। इन नियमो तथा विनियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये भारत सरकार की पूर्वानुमति लेना भी जरुरी है।

बाल भवन सोसाइटी का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार के दो प्रतिनिधि, शिक्षा मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय प्रत्येक से एक एक प्रबन्ध बोर्ड पर नियुक्त किये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ): वर्तमान निदेशक की नियुक्ति मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित करने के बाल बाल भवन के अध्यक्ष द्वारा की गई थी। इस पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है:—

अनिवार्य—अच्छे स्तर की एम० एस० सी०, एम० ए० (अधिमानत: प्रथम श्रेणी) डिग्री अथवा समतुल्य उच्च डिग्री अथवा सृर्जनात्मक कला या निष्पादन कला में डिप्लोमा। कम से कम पांच वर्ष तक स्कूल। अथवा बाहरी स्कूल विन्यास में बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव। स्कूल में रहते हुए उम्मीदवार पाठ्येतर क्रियाकलाप जैसे कला, नृत्य, नाटक, संगीत विज्ञान, क्लब, प्रदर्शनियां, क्षेत्र भ्रमण, खेल तथा शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों को आयोजित करने तथा उन्हें संचालित करने का उत्तरदायी रह चुका हो।

वांछनीय: कम से कम 2 वर्ष का प्रशासनिक अथवा पर्यवेक्षीय अनुभव। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक अथवा एक से अधिक क्षेत्र में विदेश में अध्ययन किया हो : शिक्षा कला शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, शिशु विकास, ग्रुप कार्य (सामाजिक कार्य), शैक्षाणिक मनोविज्ञान, विदेश में स्कूलों में कार्य करने का अनुभव, विज्ञान क्लब, लड़कों के क्लब, बच्चों के संग्रहालय, ग्रीष्म शिविर, सामुदायिक केन्द्र, कर्तृत्व तथा लेखों का प्रकाशन, पुस्तिका, प्रस्ताव, शिक्षा पर पुस्तकें, स्कूल से बाहरी शिक्षा, तथा बच्चों से सम्बंधित सभी मामले सृजनात्मक शिक्षा तथा मनोरंजन की समस्याओं से परिचित होना। व्यावसायिक संगठनों की सदस्यता तथा शैक्षाणिक सोसाइटियों से सम्बद्धता अनुसंधान तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सीमिनार तथा सम्मेलनों को आयोजित करने का अनुभव।

वर्तमान निदेशक बी० एस० सी० टी० डी० तथा ड्रामा बोर्ड (लंदन) से सम्बद्ध है तथा बाल भवन के निदेशक के पद को संभालने के लिये सुयोग्य समझे गये हैं।

विज्ञापन के प्रत्युत्तर किये गये चयन के परिणाम स्वरुप वर्तमान निदेशक एक वर्ष की अवधि : के लिये नियुक्त किया गया था। उसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए उन्हे तीन वर्षों तक और कार्य करने का कौन्ट्रेक्ट दिया गया है।

बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली को सहायता अनुदान

4517. श्री भागत सिंह चौहान: क्या **शिक्षा और सामाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने भारतीय बाल भावन सोसाइटी, नई दिल्ली को कितना सहायता अनुदान दिया ; और

(ख) क्या लेखा परीक्षकों ने अपव्यय के बारे में गम्भीर आपत्तियां उठाई है ; यदि हां, तो उनके क्या परिणाम रहे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारत की बाल भवन सोसाइटी को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए सहायक

अनुदान निम्नलिखिति है :—

1969-70	रु० 6,54,000,00
1970-71	रु० 7,22,000,00
1971-72	रु० 7,15,000,00

(ख) सरकारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट केवल 1969-70 तथा 1970-71 के वर्षों की ही प्राप्त हुई है। इन रिपोर्टों में फुजूल खर्च के विषय में कोई गंभीर आपत्ति नहीं है। 1971-72 के वर्ष का सरकारी लेखा परीक्षण अभी होना है।

भारतीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली के रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या

4518. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बाल भवन सौसाइटी, नई दिल्ली के रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक शाम को वास्तव में कितने बच्चे भवन में आते हैं ;

(ख) बच्चों से प्राप्त शुल्क से भवन की वार्षिक आय कितनी है ; और

(ग) क्या बच्चों की संख्या केवल गर्मी की छुट्टियों के दौरान बढ़ती हैं न कि विद्यायालेयों के खुले रहने के दौरान ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली में बच्चों की कुल सख्या 1970 के दौरान 2,969 तथा 1971 के दौरान 4932 थी। दैनिक औसतन उपस्थिति संख्या 800 है।

(ख) बच्चों से लिए गए शुल्कों से बाल-भवन की वार्षिक आय 1970-71 के दौरान रु० 20,311.20 तथा 1971-72 के दौरान 33,042 रु० थी।

(ग) जी हां।

पूर्णिया, बिहार में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुतगामी कार्यक्रम

4519. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के पूर्णिमा जिले में द्रुतगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई कदम उठाया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजनावार उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) और (ख) : ग्राम रोज़गार की त्वरित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में पूर्णियाँ जिले को 26.94 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सरकार ने केवल 36.89 लाख रुपए के लगभग की अनुमानित लागत की सड़कों की योजनाएं ही आरम्भ की हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1972 के अन्त तक कुल 5.98 लाख रु० व्यय हुए हैं और परिणामस्वरूप 1.46 लाख श्रम दिनों का रोजगार पैदा हुआ है।

पूर्णिया में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम बनाया जाना

4520. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बरनीहाट, राउताहाट (सदर, पूर्णिया), बहादुरगंज और बिशनपुर (किशनगंज सब-डिविजन पूर्णिया) में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पूर्णिया जिले के किशन गंज उप मंडल में भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय भाण्डागार निगम को उपर्युक्त उपमढल में 5,000 मी० टन भण्डारण क्षमता के गोदाम बनाने के लिए अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु उपमंडल के मुख्यालय में स्थान चुना गया है।

चीनी का उत्पादन और उसका निर्यात पर प्रभाव

4521. श्री राम कंवर बेरवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों, वर्षवार, की तुलना में इस वर्ष चीनी का उत्पादन कितना न्यूनाधिक है ; और

(ख) क्या चीनी के उत्पादन में घटा-बढ़ी का प्रभाव चीनी के निर्यात पर भी पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप हमारी विदेशी मुद्रा की आय पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) मौजूदा वर्ष, 1971-72 के दौरान (पहली अक्तूबर 1971 से 30 सितम्बर, 1972) 15 अप्रैल, 1972 तक 29.32 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हुआ था। वर्ष के दौरान लगभग कुल 31 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हो सकता है जबकि 1970-71 में 37.40 लाख मी० टन और 1969-70 में 42.62 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

(ख) जी हां। आशा है कि वर्ष, 1972 में केवल लगभग 1 लाख मी० टन चीनी निर्यात की जाएगी जिससे लगभग 12 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कमाई होगी। वर्ष 1971 के दौरान लगभग 3.32 लाख मी० टन चीनी निर्यात की गई थी जिससे लगभग 31 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कमाई हुई थी।

लदाख इंस्टिट्यूट आफ हायर स्टडीज

4522. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लदाख इस्टिट्यूट आफ हायर स्टडीज की मुलरूप से स्थापना सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों के स्नातक-स्तर तक की उच्च शिक्षा देने के लिए की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय स्कूलों के अनुरुप इसे उच्चतर माध्यमिक स्कूल में परिवर्तित करने का निर्णय किया गया है ; और

(ग) उसके उन कर्मचारियों की सेवाओं और उपलब्धियों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है जो स्नातक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने की आशा से इस संस्थान में आये थे ;

(घ) इस संस्थान में 'उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र से आये विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश, कुल्लू और स्पिती घाटी, सिक्किम तथा भूटान सहित, पूर्व में नेफा से लेकर पश्चिम में लद्दाख तक फैले हुए क्षेत्र से चुने हुए उन उम्मीदवारों और ऐसे अन्य विद्यार्थियों को, जो संस्थान में दाखिल किये जा सकें, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के शास्त्री-स्तर की शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के लिए लद्दाख उच्च अध्ययन संस्थान की मूल रूप से स्थापना की गई थी। संस्थान को दिल्ली प्रशासन से सहायक अनुदान मिल रहा था। भूतपूर्व लद्दाख उच्च अध्ययन संस्थान को दिल्ली प्रशासन द्वारा सहायक अनुदान रोक दिये जाने के कारण तथा फलस्वरूप सोसाइटी (लद्दाख उच्च अध्ययन संस्थान) के शासी निकाय द्वारा संस्थान को बन्द किए जाने के कारण, सरकार ने सोसाइटी के अध्यक्ष के अनुरोध पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन से, जो एक स्वायत्त निकाय है, "विशेष केन्द्रीय विद्यालय" के नाम से विशेष-संस्थान स्थापित करने के लिए अनुरोध करने का निर्णय किया जिसमें संस्थान के विद्यार्थियों का स्थानांतरण कर दिया गया था।

लद्दाख उच्च अध्ययन संस्थान नामक सोसाइटी ने अपने सभी कर्मचारियों को इस आशय का नोटिस दिया था कि नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने संस्थान के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया था और वे अध्यापक जिस ग्रेड के लिए उपयुक्त समझे गये थे उन्हे उन ग्रैडों पर अस्थायी नियुक्तियां प्रदान की गई थीं। भूतपूर्व लद्दाख उच्च अध्ययन संस्थान के कर्मचारी सदस्यों के अनुमत्य वेतनमान तथा भत्ते वहीं है, जो विशेष केन्द्रीय विद्यालय के हैं और ऐसे कर्मचारियों के विद्यमान वेतनों का संरक्षण किया गया है जिन्हें विशेष केन्द्रीय विद्यालय में सम तुल्य पदों पर नियुक्त किया गया है।

भूतपूर्व संस्थान के विद्यमान पाठ्यक्रमों को जारी रखा गया है तथा जो विद्यार्थी शास्त्री की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्हें अध्ययन भंग किए बिना ही अपना अध्ययन जारी रखने की सुविधा प्रदान की गई है। जो विद्यार्थी उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें उसके लिए उपयुक्त शिक्षा दी जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय का भावी ढाँचा

4523. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कालेजों का भावी ढाँचा निश्चित करने के सम्बन्ध में अध्यापकों के साथ परामर्श किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो अध्यापकों की उन एसोसिएशन/निकायों के नाम क्या हैं जिनके साथ यह परामर्श किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में हुई एक बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने एक एसोसिएशन पर आरोप लगाया था कि उस ने अध्यापकों के सामान्य निकाय के हितों की अवहेलना की है और इसके कार्यकरण के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं ; और

(घ) क्या ऐसी स्थिति में सरकार का विचार प्रस्तावित विधेयक पर आम राय जानने के लिये उसे परिचालित करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल सहन) : (क) और (ख) गजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशों के अनुसार जिन्हें सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की प्रशासनिक और संगठनात्मक कठिनाइयों की जाँच के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त एक समिति की सिफारिशों के संदर्भ में शिक्षा तथा कल्याण मंत्रालय का विश्वविद्यालय अधिनियम को संशोधित करने का विचार है। संशोधन विधेयक तैयार करते समय गजेन्द्र गडकर समिति की रिपोर्ट पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा प्रकट किये गये विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) सरकार अथवा विश्वविद्यालय को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) यह संसद के लिए है कि वह इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले।

राजस्थान नहर क्षेत्र में लम्बे रेशे वाली कपास का उगाया जाना

4524. श्री मान सिंह भौरा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर क्षेत्र में लम्बे रेशे वाली कपास उगाने के लिये प्रोत्सहान देने वाली कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां। भारत सरकार राजस्थान नहर के कमान क्षेत्र में लम्बे रेशे की कपास की कृषि को प्रोत्सहान देने के लिये एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) प्रस्ताव के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है :—

(1) कपास उगाने के समस्त मौसम में विशेषकर अप्रैल में अनुमूलतय बुआई के दौरान और सितम्बर-अक्तूबर के दौरान पकाई के समय पर सिंचाई के पानी की पर्याप्त पूर्ति करना ;

(2) रेतली टीलों का उचित समतलन और स्थिगीकरण करना ;

(3) पानी की सुगमता से सहाय दरों पर आदीनों की उपलब्धी कराना ;

(4) फसलों के लिये ऋण का प्रबन्ध करना ;

(5) अभियान स्तर पर बीमारियों और कीटों का नियंत्रण करना ;

(6) कृषकों को वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर कपास उगाने की तकनीकी में प्रशिक्षण देने के लिये वृहद संख्या में प्रदर्शनों का आर्याजन करना ;

(7) पिनाई और विपणन के लिये उचित सुविधाओं की स्थापना करना ;

(8) यातायात और संचार सुविधाओं का पर्याप्त विकास करना ; और

(9) कपास के लिये लाभकारी मूल्य का आश्वासन ।

निम्न आय वर्गों के लिये केन्द्र द्वारा सहायताप्राप्त आवास योजनाओं की प्रगति

4525. श्री भान सिंह भौरा : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त निम्न आय वर्ग हेंतु आवास योजनाओं में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) योजनाओं में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) अपर्याप्त प्रगति का मुख्य कारण यह है कि कृषि, सिंचाई तथा बिजली आदि जैसे अन्य प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों की तुलना में राष्ट्रीय योजना में आवास को निम्न प्राथमिकता दी गई है । फलतः आवास के लिये उपलब्ध साधन भी सीमित है ।

(ग) चौथी योजना के दौरान, राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने तथा विभिन्न योजनाओं के लिये उसके अनुसार निधियां नियत करने में सक्षम हैं । राज्य क्षेत्र की आवास सम्बन्धी योजनाओं की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने में राज्यों की सहायता करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित दो योजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र में ले लिया है :—

(i) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना, जिस में बागान मालिक को मकानों के निर्माण के लिये 50 प्रतिशत ऋण तथा 37½ प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था है; तथा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को आवास-स्थलों की व्यवस्था के लिये योजना, जिसके लिये राज्य सरकारों को शतप्रतिशत सहायता-अनुदान दिया जाता है ।

अप्रैल, 1970 में केन्द्रीय सरकार के एक उपक्रम के रूप में बनाया गया आवास तथा नगर विकास निगम भी राज्य सरकारों आदि को, आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रकार की परियोजनाओं

के निष्पादन के लिये, जिसमें निम्न आय वर्गों के लिये मकानों का निर्माण भी शामिल है, वित्तीय सहायता देता है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ और गेहूँ उत्पादों का निर्यात

4526. श्री भान सिंह भौरा : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का गेहूं तथा गेहूँ उत्पादों का विदेशों को निर्यात करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितना और कितने मूल्य का निर्यात किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : मामले की जांच की जा रही है ।

Rs. 2 Crores For Housing Scheme Of The State Of Madhya Pradesh

4527. Shri Phool Chand Verma : will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether the Government of Madhya Pradesh have asked for Rs. 2 crores from the Centre for housing schemes of the State ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto and the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) The under-mentioned schemes involving a total loan of Rs. 712.36 lakhs have been received from the agencies in the State of Madhya Pradesh mentioned below :--

	Name of agency	Name of scheme	Loan applied (Rs. in lakhs)
1.	City Corporation, Raipur.	Market-cum Housing Scheme at Ramsagarpur.	1.32
2.	Improvement Trust, Raipur.	M. I. G. Housing Project, Tikrapara.	15.00
3.	Improvement Trust, Bhopal.	Housing Accommodation Scheme of Bhopal City.	44.56
4.	Improvement Trust, Gwalior.	Housing Accommodation and Commercial Scheme	41.27
5.	Improvement Trust, Jabalpur.	Commercial cum-Housing Accomodation Scheme	43.00
6.	Improvement Trust, Ujjain.	Shop-cum Office Scheme.	4.50
7.	Improvement Trust, Indore.	Development of land for E. W. S., L.I.G. & M.I.G.	10.00
8.	Madhya Pradesh Housing Board.	Construction of Houses & Development of plots near Medical College, Jabalpur.	132.51
9.	—do—	Construction of M. I. G. & L.I.G. houses at E-6, E-7, Private Sector, Bhopal.	40.20
10.	Teachers Welfare Society, Indore.	Sudama Nagar Housing Colony.	380.00
		Total :	712.36

(b) In regard to the scheme at item No. 3 a loan of Rs. 39 lakhs has been sanctioned by Housing and Urban Development Corporation Limited, Loan Agreement for which was signed on 14. 4. 72. The remaining schemes are under consideration and will be sanctioned as soon as information/clarifications sought for from the applicants are received and the scrutiny finalised.

Sons Of Central Government Employees And Others Admitted In Central School, Kota

4528. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the number of sons of Central Government employess admitted, in the Central School, Kota ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : 93 children of the Central Government employees were admitted to the Central School, Kota during the year 1971-72 and the break-up is as follows :—

(i)	Children of defence employees.	21
(ii)	Children of other Central Government employees including Railway employees.	64
(iii)	Children of transferrable employees of All India Services and autonomous bodies, etc.	8

Agency For Procurement Of Foodgrains

4529. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Government have made arrangements for procurement of foodgrains this year also as was done last year ; and

(b) if so, the agency through which this has been done ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The procurement will be done through the Food Corporation of India, the State Governments and the cooperatives.

चिकित्सा सलाहकारों के साथ व्यक्तिगत भेंट की वजाय साहित्य के माध्यम से परिवार नियोजन

4530. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर दम्पत्ति बड़ा परिवार नहीं चाहते किन्तु इस मामले को अत्यन्त गोपनीय समझते हैं तथा इस बारे में अपने चिकित्सक से परामर्श लेने में संकोच करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन विवाहित स्त्री-पुरुषों को गर्भ-निरोध हेतु अपेक्षित जानकारी तथा तकनीक सप्लाई करेगी जिससे व्यक्तिगत भेंट के बिना ही समस्या का समाधान हो सके ?

स्वास्थ्य और परिवार निवोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) बहुत से अध्ययनों से विदित होता है कि अधिकांश दम्पत्ति बड़े परिवारों के हक में नहीं हैं। इस बात का कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि विवाहित व्यक्ति इस विषय को बहुत गोपनीय समझते हैं और इसके बारे में अपने डाक्टरों से भी बात करने में हिचकिचाते हैं।

(ख) दम्पत्तियों को परिवार नियोजन का कोई न कोई तरीका अपनाने की जानकारी देने, शिक्षा प्रदान करने तथा उन्हें उसके अपनाने के लिए राजी करने के लिए सभी तरीकों और साधनों का जिनमें साहित्य भी सम्मिलित हैं, उपयोग किया जाता है। तथापि व्यक्तिगत सम्पक प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण तरीका है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता।

भारत में पुस्तक उद्योग एवं व्यापार का संर्वेक्षण

4531. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में पुस्तक उद्योग और व्यापरी का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने यह सिफारिश की है कि सर्वेक्षण का यह कार्य राष्ट्रीय व्यावहरिक अर्थ अनुसंधान परिषद् को सौंपा जाए। तदनुसार इस मामले पर राष्ट्रीय अर्थ अनुसंधान परिषद् के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

Family And Child Welfare Project

4532. Shri M. C. Daga : will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Family and Child Welfare Projects are being run by the Department of Social Welfare in rural areas, if so, since when and the activities of those projects ;

(b) the names of the States where these projects are being run now and those where these are not being run at present and the total expenditure being incurred thereon by the Central Government ; and

(c) whether Government have ever examined the utility of these projects and if so, when and the names of the persons, who were entrusted with the job of examination of these projects ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c). A statement giving the information required is placed on the Table of the House. [Placed in the Library See. No. L. T. 1901/72].

Central Social Welfare Board Grant To Voluntary Organisations In Rural Areas

4533. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Education and Social Welfare be** pleased to state :

(a) whether the Central Social Welfare Board gives financial assistance to Voluntary organisations which functions in the rural areas for the welfare of women and children;

(b) if so, the amount given to such organisations during 1969, 1970, and 1971 separately indicating the names of such organisations and whether their performance was verified before giving grants to them; and

(c) the number of voluntary organisations in Rajasthan which are given financial assistance by Government indicating the date since when this assistance is being given to them as also the amount given to each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). The Central Social Welfare Board gives grants to voluntary institutions in accordance with the principles and procedure prescribed for the grants-in-aid programmes and after ensuring that the performance of the grantee institutions is satisfactory. The details asked for cover hundreds of institutions. However the total amounts given by the Central Social Welfare Board to voluntary organisations in Rajasthan during the periods are as under :—

1969–70	Rs. 6,02,907
1970–71	Rs. 4,79,000
1971–72	Rs. 4,84,117

Development Of Pastures For Sheep

4534. Shri M. C. Daga : will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government attaches as much importance to cattle wealth as to agriculture ;

(b) whether the sheep breeders are experiencing a great difficulty due to lack of pastures ; and

(c) if so, whether Government proposes to develop pastures and if so, the steps taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes Sir, both the Central and State Government have been taking increasing interest during the successive Five Year Plans for accelerating the tempo of cattle development activities. The Plan provision on Animal Husbandry and Dairy Development has been enhanced from Plan to Plan as noted below :—

1.	First Five Year Plan	Rs. 16.0 crores
2.	Second Five Year Plan	Rs. 33.4 crores
3.	Third Five Year Plan	Rs. 78.25 crores
4.	Fourth Five Year Plan (including operation flood)	Rs. 233.43 crores (Rs. 97·65 crores under operation flood & D. M. S.)

(b) The need for implementing the existing pastures is generally from the sheep breeders in this conection. However, during majority of the members expressed their concern about poor quality pastures and the need for improving them.

(c) Development of pastures is one of the important activities of the feed and fodder development schemes in the States. With a view to support the pasture development programme in the State as well as feed and fodder development programmes generally, it has been decided to establish 7 Regional Stations for Forag Production and Demonstration in the defferent agro–climatic zone in the country at a total cost of Rs. 40 lakhs.

One of the main items of activity of these Stations is to undertake demonstration of improved management of grazing lands and natural grasslands and demonstrate methods of their proper utilisation in combination with the ecologically adapted improved strains of grasses and legumes. The Government have already established the Indian Grassland and Fodder Research Institute at Jhansi where research work is being conducted to evolve suitable strains of grasses for introduction in the degraded grasslands and also for evolviug methods of their economic utilization.

भारत में आने वाले अमरीकी विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

4535. श्री पीलू मोदी : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1972 के 'हिन्दु' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि शोध एवं अध्ययन के लिए भारत में आने वाले अमरीकी विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां. तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार, अनुसंधान और अध्ययन के हेतु भारत में आने वाले अमरीकी और अन्य विदेशी विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखा निर्धारित करने के प्रश्न की समीक्षा कर रही है।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दूध के उत्पादन का लक्ष्य और उस पर व्यय

4536. श्री एम कतामुतु : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 258.6 लाख टन।

(ख) वर्ष 1971 के अन्त तक दुग्ध उत्पादन की मात्रा लगभग 220 लाख टन थी।

(ग) मार्च, 1972 के अन्त तक 167.25 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। केन्द्र द्वारा यह खर्च उस केन्द्रीय सधन पशु विकास परियोजना की क्रियान्विति के लिए किया गया है जिसका उद्देश्य दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है।

नौवहन के लिए विकास छूट को पुनः आरम्भ करने के लिए जहाज मालिकों की मांग

4537. श्री एम० कतामुतु : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन के लिए विकास छूट सुविधाओं को पुनः आरम्भ किये जाने के बारे में जहाज मालिकों द्वारा की गई मांग पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) नौवहन उद्योग के लिए विकास छूट 31 मई, 1974 तक उपलब्ध है। सम्बन्धित कम्पनियों से

इस तिथि के बाद भी विकास छूट को जारी रखने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

Eligibility for allotment of Government Accommodation below one type

4538. Shri Narendra Singh Bishit: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether the officers eligible for allotment of Type V and above Government residential accommodation are permitted to have accommodation one type below the type to which they are eligible, whereas persons eligible for Type I, II, III, and IV are not permitted to do so ; and

(b) if so, the reasons for such a discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I.K. Gujral) (a) Yes, Sir.

(b) In the case of employees entitled to type V and above, the seniority for purposes of allotment of accommodation from the general pool is taken from the date from which such employees have been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a post under the Central Government or a State Government. In their case, the entire service rendered by them is not taken into consideration for purposes of allotment of accommodation. In the case of employees entitled to type IV and below, their seniority is reckoned from the date from which they have been continuously in service under the Central Government or a State Government and the entire service rendered by them is taken into consideration for purposes of allotment of accommodation from the general pool. In view of these considerations, employees entitled to type V and above are allotted accommodation, on request, in the next below type.

Change of Government Accommodation for Central Government Employees

4539 Shri Narendra Singh Bishit: Will the Minister of **Works and Housing** be please d to state :

(a) Whether only one change of accommodation is permissible in one type irrespective of difficulties experienced by a Government employee ;

(b) Whether some time ago such change was again permissible after a period of six months ; and

(c) if so, whether the said rule is proposed to be made applicable again ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I.K. Gujral) : (a) to (c): According to the provisions contained in the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, if an officer fails to accept the change of residence offered to him, he shall not be considered again for a change of residence of that type. With a view to avoiding hardship involved in such cases, it was decided in April, 1968 that an officer, who refuses a change, may be re-considered for a change after six months. This procedure is still being followed.

Acute Shortage of Drinking Water in Patna Town

4540. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) Whether there is a great anxiety in the minds of the public of Patna Town these days due to an acute shortage of drinking water there ;

(b) Whether Govt. of Bihar have asked for any kind of assistance from the Central Government to overcome the said crisis, if so, the main features thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning. (Prof. D. P. Chattopadhyaya) (a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Criteria Adopted for Nominating Members of Parliament on Various Telephone Advisory Committees.

4541. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state:

(a) Whether the Ministry of Communications, request for the names of Members of Parliament for nomination on various Telephone Advisory Committees constituted in various cities ;

(b) if so, whether any criteria has been prescribed for recommending the names of Members of Parliament ; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur):

(a) Yes Sir,

(b) & (c): Yes. The criteria as indicated below are generally followed in making these nominations :

(i) A Member residing at a particular station (city) or representing a particular constituency is normally nominated on each of these Committees. In case no local Member of Parliament is available, another Member of Parliament representing the nearby constituency or station is given preference for nomination.

(ii) The Members who have already served on these Committees once for a full term of two years are normally not nominated again for the second term. In case no other local Member of Parliament from a particular station/constituency is available, the already serving Member on that Particular Committee is considered for renomination as a special case.

(iii) Members serving on Financial Committees are not ordinarily nominated on these Committees.

(iv) Before finalising nomination, consent of the Members to the assignment is obtained.

चुराई गई मूर्तियों का मूल्य

4542. कुमारी कमला कुमारी : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में संरक्षित स्मारकों से कुल कितने मुल्य की मूर्तियों की, राज्यवार, चोरी हुई ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों से 1969 से 1971 के दौरान में हुई । चोरियों और चुराई गई कलावस्तुओं की संख्या दर्शानेवाला एक विवरण अनुलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1902/72]**

चूंकि संरक्षित स्मारकों/स्थलों और संग्रहालयों की कलावस्तुएं बिक्री के लिए नहीं होती अतः रुपये पैसों में उनका मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है। तथा, कोई अनुमानिक मूल्यांकन करना उपयुक्त नहीं होगा।

उड़ीसा के ग्रामों में पेय जल

4545. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **स्वास्थ्य और नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के संकटग्रस्ट ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में उड़ीसा को कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) पहले तीन वर्षों में सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है ?

(ग) उड़ीसा के उन संकटग्रस्त ग्रामों की कुल संख्या कितनी है जिन में इन तीन वर्षों में, जिलावार, पेयजल की व्यवस्था की गई ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये उड़ीसा सरकार की वर्ष 1972-73 में कुल कितनी धनराशि देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्राम्य जल सम्भरण कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता

4546. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सख्त चट्टानों और पथरीली भूमि में पानी की समस्या हल करने के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता प्राप्त कोई कार्यक्रम चलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के किन क्षेत्रों में यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ग) उड़ीसा में इस सम्बन्ध में अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये उड़ीसा को कितने रिग सप्लाई किये गये है और रिग किन स्थानों पर चल रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : जी हां, इस समय कालाहाण्डी जिले में बोदन और सीनापली खण्डों के सूखा ग्रस्त 40 गांवों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम अन्य क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा।

(ग) और (घ) : एक रिग सप्लाई किया गया है। दूरवर्ती गांवों में ले जाने से पूर्व इसका बोलंगीर में प्रयोग किया जा रहा है।

चुराई गई मूर्तियों का बरामद किया जाना

4547. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष विभिन्न राज्यों में कितनी चुराई गई मूर्तियां बरामद की गई ?

शिक्षा और समाज तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : विभिन्न राज्यों में स्थानों/स्मारकों से, जो कि केन्द्र द्वारा संरक्षित नहीं है, चुरायी गई मूर्तियों के बरामद होने के कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं । जहां तक केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का सम्बन्ध है 1972 वर्ष के दौरान में विभिन्न राज्यों में चुराई गई नौ कलावस्तुएं बरामद हुई थी ।

ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	बरामद हुई वस्तुओं की संख्या
हिमाचल प्रदेश	1
मध्य प्रदेश	1
मैसूर	3
राजस्थान	1
तमिलनाडु	3
कुल	9

Veterinary Science Colleges

4548 Shri. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) The number of Veterinary Science Colleges in the country at present ;

(b) Their annual admission capacity ;

(c) The number of Veterinary Science Graduates whose services are required for such work in private, public or other sectors annually ; and

(d) Whether rural areas are not getting benefit, from veterinary science at present and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof Sher Singh) (a) : At present there are 20 Veterinary Science Colleges in India.

(b) & (c): Information has been called for from the State Governments/Union Territories and the same will be laid on the Table of the House on receipt.

(d) : As against the 4th Plan target of opening 872 new hospitals/dispensaries and upgrading of 331 veterinary dispensaries to full fledged hospitals 660 new hospitals/dispensaries have already been established and 200 dispensaries upgraded, during the first 3 years of the Plan. Thus the total number of veterinary hospitals/dispensaries in the country upto the third year of the Fourth Plan is 6583. These are mostly located in the rural areas. Fifteen Biological Production Centres which manufacture Vaccines and diagnostic agents have also been established for control of animal diseases.

Removal of Zonal Restrictions Regarding Supply of Sugarcane to Mills

4549 Dr. Laxminarain Pandey : Will the minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to remove Zonal restrictions imposed on various mill areas keeping in view difficulties and demands of sugarcane producers ; and

(b) Whether on account of these Zonal restrictions farmers have to supply sugarcane to limited number of sugar mills, which neither purchase sugarcane from sugarcane producers in time nor make payment to them in time ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) Reservation of areas for various sugar mills are made by State Governments with a view to ensuring equitable distribution of cane supplies in the area to the various consumers of sugarcane viz., the sugar mills, the khandsari units, power crushers etc. A separate area is reserved for each sugar mill. The supply and purchase of sugarcane within the reserved areas is governed by an agreement to be entered into between the factory and the sugarcane grower or the sugarcane growers' cooperative society. With the introduction of the system of earmarking a portion of the bank advance for payment of sugarcane price, the position in regard to payment of cane prices has considerably improved.

Books Brought out with Grants Under P.L. 480

4550. Dr. Laxminarain Pandey: Shri Chandra Shekhar Singh : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The number of books brought out so far with grants received under P.L. 480 ;

(b) The subject and the names of publishers of the said books; and

(a) Whether Government have decided not to publish books under this scheme in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) :

(a) 1265, with grants directly paid by USIS to Indian publishers in regard to books approved by Government of India.

(b) The names of the publishers concerned and the subject covered by them are contained in the attached statement. [Placed in the Library. See No. L.T. 1903/72]. Information regarding the individual titles and the publishers in respect of the books published upto July, 1971, may be seen in the publication "1971 Low-Priced Text-books-Catalogue of Indian Editions of American University Textbooks" copies of which are available in the Library of Parliament.

(c) No such proposal is under consideration at present.

आन्ध्र प्रदेश में सूखा

4551. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले तथा अन्य क्षेत्रों में निरन्तर सूखे की स्थिति रहने की जानकारी है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राहत के कार्यों के लिये सहायता माँगी है ; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर स्थिति का स्थल पर ही जायजा लेने और धन की आवश्यकता का अन्दाज़ा लगाने के लिए केन्द्रीय दलों ने सितम्बर, 1971 और जनवरी, 1972 में राज्य का दौरा किया था। केन्द्रीय दलों की सिफारिशों, जिन्हें भारत सरकार ने मान लिया था, के आधार पर 1971-72 के दौरान राज्य सरकार को 15.03 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी।

केन्द्रीय दल ने 14-4-72 को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिल कर स्थिति की और समीक्षा की थी। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप दल द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचारधीन है।

रेनीगुन्टा, आन्ध्र प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में 1000 टन की क्षमता वाले चीनी के कारखानों की स्थापना

4552. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में रेनीगुन्टा में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 1000 टन की क्षमता वाले चीनी के कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस दिये जाने के बारे में आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पुनः की गई माँगों पर विचार कर लिया गया है और लाइसेंस जारी कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें देरी किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) चित्तूर जिले रेनीगुन्टा नामक स्थान पर प्रतिदिन 1250 मी० टन गन्ना पेरने की क्षमता का एक सहकारी चीनी कारखाना स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से 24-2-72 को एक नया आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है और वह सरकार के विचारधीन है।

वर्ष 1972-73 में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना

4553. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 में कितने कृषि सेवा केन्द्र चलाने का विचार है और वे कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : 1972-73 में 1000 कृषि-सेवा केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। वे केन्द्र बैंक संस्थानों की आर्थिक सहायता और राज्य कृषि उद्योग निगमों/राज्य सरकारों के निर्देशन से बेरोज़गार तकनीकी व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों के स्थान का निर्धारण वे स्वयं करेंगे।

चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश में दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट) के लिसे राज्य द्वारा सहायता का अनुरोध

4554. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश में दुग्ध चूर्ण का उत्पादन करने के लिये एक दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट) में विकास हेतु मंजूरी और सहायता मांगी है ? और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

कार्गिल में ग्रामीणों को अकाल की परिस्थितयों के कारण मुफ्त राशन

4555. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय सेना द्वारा मुक्त कराये गये कार्गिल क्षेत्र के गांवों में अकाल की परिस्थिति के कारण, वहाँ के लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रबन्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कार्गिल सैक्टर के ऐसे क्षेत्र में कोई आबादी नहीं है । अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेशनल बिल्डिंग्स आर्गेनाइजेशन द्वारा यंत्रीकृत ईटे और सेल्यूलर-कंक्रीट बनाने के संयंत्रों की स्थापना

4556. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग्स आर्गेनाइजेशन ने यंत्रीकृत ईटे बनाने, 'सेन्डलाइम' ईटे बनाने और सेल्यूलर कंक्रीट बनाने के संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक व्यवस्था अध्ययन पूरे कर लिये हैं और यदि हाँ, तो अब तक पूरे किये गये अध्ययनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या 1-2 करोड़ ईटे बनाने के (सेन्डलाइम) ईंट संयंत्र के सम्बन्ध में प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह परियोजना कब और कहां पर स्थापित की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ईट संयंत्रों रेत-चूना-ईट संयंत्रों तथा सेलुलर कंक्रीट संयंत्रों की स्थापना के लिये तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता का अध्ययन कर रहा है । इन रिपर्टों के आधार पर, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम समिति ने 1967 में दिल्ली में एक मशीनी ईट भट्टा स्थापित किया था । एक सेलुलर कंक्रीट संयंत्र इन्दौर में लगाया गया है जिसमें फिलहाल उत्पादन का परीक्षण किया जा रहा है । बंगलौर में ईट संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता की रिपोर्ट भी पूर्ण की गई तथा मैसूर आवास बोर्ड ने मशीन तथा उपकरण के लिये आयात लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, जो कि देश में उपलब्ध नहीं है, तथा वे आगे कार्रवाई कर रहे हैं ।

(ख) तथा (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर इन्दौर क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में रेत-चूने की ईटों के उत्पादन के लिए एक परियोजना का प्रारम्भिक प्रस्ताव पास किया गया है। यह अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विचाराधीन है।

कम लागत के मकानों के निर्माण के तरीकों का अध्ययन करने विषयक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

4557. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के छः मुख्य शहरों में बड़े पैमान पर कम लागत के मकान बनाने के तरीकों का अध्ययन करने के लिये गठित विशेषज्ञ समिति ने क्वा सिफारिशें की हैं ;

(ख) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या नेशनल बिल्डिंग्ज़ आर्गेनाइजेशन को प्रायोगिक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 16 परियोजनाओं में से शेष 10 को पूरा कर लिया गया हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पूर्ण की गयी प्रायोगिक परियोजनाओं पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने कई सिफारिशें की हैं। महत्वपूर्ण सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्यवाही का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1904/72]**

(ग) प्रयोगात्मक आवास मूल्यांकन समिति की छटी बैठक तक 16 प्रयोगात्मक परियोजनाएं अनुमोदित कीं गई थीं। सातवीं और आठवीं बैठकों में 5 और परियोजनाए अनुमोदित की गई। कुल 21 परियोजनाओं में से, 12 पूर्ण हो चुकी हैं, 6 परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं तथा 3 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य अभी आरम्भ किया जाना है।

(घ) पूर्ण की गई परियोजनाओं का अवलोकन किया जा रहा है। अभी तक पूर्ण की गई 12 परियोजनाओं में से, 2 परियोजनाओं की अंतरिम मूल्यांकन रिपोर्ट पर प्रयोगात्मक आवास मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया गया है तथा उसके पश्चात कतिपय नये तकनीकियों के परीक्षण हेतु इन्हें समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर प्रचलित किया गया है। आरम्भ की गई प्रयोगात्मक परियोजनाओं के बड़े पैमाने पर प्रचार के लिये, तकनीकी पत्रिकाओं में लेखों, गोष्ठियों तथा सम्मेलन द्वारा प्रबन्ध किया गया है। 4 परियोजनाओं की रिपोर्ट की जाँच समिति द्वारा की जा रही है। शेष पूर्ण की गई परियोजनाओं को प्रवर्तित करने वाले अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा गया है।

प्रयोगात्मक परियोजनाओं में अपनाई गई कुछ नई/सुधरी हुई तकनीकियों को उपयोगी पाया गया है तथा उन्हें निर्माण विभागों द्वारा अपनाया जा रहा है। ये पार-धारक पतली दिवारें, पूर्व रचित लेंटल, अर्ध छिद्रत स्थूप और कम ऊंचाई की छतें आदि हैं।

अस्पताल और चिकित्सा संस्थान चलाने के लिये ईसाई तथा अन्य मिशनों द्वारा मांगी गई सहायता

4558. श्री मुशक बाकुला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पताल और अन्य चिकित्सा संस्थान चला रहे विभिन्न ईसाई और अन्य मिशनों को मिलने वाली विदेशी सहायता बन्द होने के कारण कठिनाई हो रही है

(ख) ऐसे कितने संस्थानों ने सहकारी सहायता माँगी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन संस्थानों को सहायता देने का है और यदि हां, तो सहायता देने से पूर्व सरकार ने कोई शर्तें निर्धारित की हैं जैसे कि कर्मचारियों का भारतीयकरण आदि ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क), (ख) और (ग) विदेशी सहायता के कम हो जाने से कुछ ईसाई संस्थान उनके द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों का प्रबन्ध करने में कठिनाई अनुभव करने लग पड़े हैं। एक या दो संस्थानों ने समुचित वित्तीय व्यवस्था के लिए सरकार से अनुरोध किया है ताकि ये संस्थान सम्बद्ध अस्पतालों और कालेजों को निरन्तर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। सरकार ने अभी तक इस मामले पर पूरी तरह से विचार नहीं किया है और ना ही कोई निर्णय किया है। अत: सहायता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की पाबन्दी अथवा प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

1972-73 के लिए त्रिपुरा को खाद्यान्न

4559. श्री दशरथ देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 में वित्तीय वर्ष में त्रिपुरा को कुल कितना खाद्यान्न आवंटिक किया गया है ;

(ख) 1972-73 के लिये त्रिपुरा की खाद्यान्न की कुल आवश्यकता कितनी है ; और

(ग) चालू वर्ष के लिये त्रिपुरा को पहले ही कितना खाद्यान्न भेज दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : त्रिपुरा सरकार ने 1972-73 के लिए चावल अथवा गेहूं के किसी प्रकार के आवंटन के लिए अनुरोध नहीं किया है और इसलिए अभी तक उन्हें कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(ग) जनवरी से मार्च, 1972 की अवधि के दौरान त्रिपुरा को 1971 के आवंटन के प्रति गेहूं की मामूली मात्रा के अलावा, लगभग 3.4 हजार मी० टन चावल भेजा गया था।

दुग्ध और दुग्ध उत्पादनों का उत्पादन और उनके आयात

4560. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का राज्यवार तथा देशवार कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में दुग्ध तथा दुग्ध-उत्पादों का उत्पादनवार कितना आयात हुआ है तथा कितना दुग्ध निःशुल्क सहायता के रुप में मिला है और उसकी मात्रा कितनी है और उसका मूल्य कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दुग्ध-उत्पादन का अनुमान पांच वर्षों में होने वाले पशुधन गणना के आधार पर लगाया जाता है। दूध तथा दुग्ध-उत्पादों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन राज्यवार अनुबंध-1 के विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1905/72]**

यह अनुमान वर्ष 1966 की पशुधन गणना पर आधारित है। अभी अनुवर्ती अवधि की जानकारी उपजब्ध नहीं है।

गत तीन वर्षों, अर्थात् वर्ष 1969, 1970 तथा 1971 के दौरान संगठित क्षेत्र में निर्मित शिशु दुग्ध आहार, संघनित दूध, दुग्ध चूर्ण तथा माल्ट मिश्रित दूध आहार जैसे अन्य दुग्ध उत्पादों की मात्रा अनुबंध-2 के विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी० 1905/72]**

(ख) वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान विभिन्न विदेशी सहायता कार्यक्रमों के अतंर्गत किये गये आयात सहित आयातित दुग्ध उत्पादों की मात्रा उनके मूल्य सहित अनुबंध-3 के विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1905/72]**

दूध की उपलब्धता सम्बन्धी कार्यक्रम में प्रगति

4561. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से अथवा इसके बिना चलाये गये कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : चौथी पंच-वर्षीय योजना का लक्ष्य वर्ष 1968-69 में 212 लाख मीटरी टन के दूध उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 1973-74 के अन्त तक 258.6 लाख मीटरी टन करना है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारें विभिन्न पशु विकास और उसके सहाय्य कार्यक्रमों की ओर अधिकाधिक ध्यान दे रही हैं। दूध उत्पादन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

1. विभिन्न दुग्ध सप्लाई योजनाओं के साथ सहयोजित गहन पशु विकास कार्यक्रम।
2. आदर्श ग्राम योजनायें।
3. नये पशु प्रजनन फार्मों की स्थापना और वर्तमान फार्मों को और सुदृढ़ करके परीक्षित सन्तति सांडों का उत्पादन।
4. संकरण योजना जिस में वीर्य औरा सांड सप्लाई के लिये विदेशी नसल वाले पशु प्रजनन फार्मों जैसे भारत-डेनमार्क, भारत-स्विस, भारत-जर्मन आदि शामिल हैं।
5. दाना और चारा विकास योजना।
6. पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम।

सरकार विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से 95.40 करोड़ रु० की अनुमानित लागत का दूध विपणन और डेरी विकास का एक महान कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसके अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के 4 महानगरों में दूध परिसंस्करण सुविधाओं को बढ़ाने के लिये इनकी इस समय 10 लाख लिटर प्रति दिन की क्षमता को बढ़ाकर पंच वर्षीय परियोजना के अन्त तक 27.5 लाख लिटर प्रति दिन करना है। और इन नगरों के 10 राज्यों में स्थित दुग्ध क्षेत्रों में दूध उत्पादन और अधिप्राप्ति बढ़ाना हैं।

2. वर्ष 1971-72 तक देश के विभिन्न भागों में 52 गहन पशु विकास परियोजनायें आरम्भ की जा चुकी हैं। तदनुसार वर्ष 1971-72 के अन्त तक 529 आदर्श ग्राम खण्ड स्थापित किये जा चुके हैं। अन्य योजनायें कार्यान्वयनाधीन हैं।

रोजगार प्रधान शिक्षा

4562. श्री एम कतामुतु : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए रोजगार प्रधान शिक्षा की योजनाए बनाई है ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य के सभी शिक्षा मंत्रियों से इस मामले पर विचार विमर्श किया है, और

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्यों ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) शिक्षा मंत्रालय ने विशिष्ट रुप से अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए रोजगारोन्मुख शिक्षा की कोई भी योजना तैयार नहीं की है और इस प्रश्न पर राज्य शिक्षा मंत्रियों से चर्चा नहीं की गई है। तथापि, शिक्षा मंत्रालय द्वारा (1964-66 में) नियुक्त शिक्षा आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा की भूमिका का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के लिये एक शक्तिशाली साधन के रुप में होनी चाहिए। आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि शिक्षा का उत्पादकता से सम्पर्क स्थापित करना राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। और यह सम्पर्क "कार्य अनुभव" को सामान्य शिक्षा के अभिन्न अंग के रुप में चालू करने से धीरे धीरे और आगे बढ़ सकता है।

वर्ष 1968 में शिक्षा पर जारी की गई राष्ट्रीय नीति में कार्य अनुभव तथा राष्ट्रीय सेवाओं पर बल दिया गया है।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कार्य-अनुभव के कार्यक्रम को चालू करने के लिए 1,000 स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु सहायता प्रदान की है और इस कार्यक्रम का सारा खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत उपकरण तथा कर्म-शाला का खर्चा भी स्कूलों को दिया जायेगा।

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल स्तर पर मार्ग दर्शन तथा जीविका-उपार्जन संबंधी सार्थक सलाह देने के लिये योजना तैयार की है। इस योजना में पूर्ण-कालिक आधार पर एक मार्ग-दर्शक

सलाहकार की नियुक्ति की परिकल्पना है । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के एक जिले में एक सलाहकार को नियुक्त किया जाना है ।

"उत्पादन अथवा कार्य अनुभव" को शिक्षा के अंग के रूप में चालू करने का प्रश्न विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है । इस संबंध में विश्व-विद्यालयों/कालेजों की सहायतार्थ रूपरेखा तैयार करने के लिये आयोग द्वारा एक समिति नियुक्त की गई है । ब्यौरे समिति की रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात ही तैयार किये जायेंगे ।

(ग) राज्यों ने आम तौर पर इन प्रस्तावों का स्वागत किया है ।

Amount Allotted to Tribal Welfare Department For Solving Drinking Water Problem

4563. Shri Arvind Netam : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether funds were allotted by the Government of India to Tribal Welfare Department of Madhya Pradesh for solving the problem of drinking water in Madhya Pradesh during the last three years ; and

(b) Whether these funds were utilised properly and if so, the name of the districts where this amount was spent indicating the amount spent in each district ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare (Shri K.S. Ramaswamy) (a) Datails of funds allotted by the Government of India and expenditure incurred by the Government of Madhya Pradesh for solving the problem of drinking water for the welfare of Backward Classes in Madhya Pradesh during the last three years are given below :—

(Rs. in lakhs)

Category	1969–70		1970-71		1971-72	
	Outlay	Expen-diture	Outlay	Expen-diture	Outlay	Expenditure (Anticipated)
Scheduled Castes	—	—	0.60	0.61	0.60	0.60
Scheduled Tribes	0.34	0.10	1.00	0.93	1.00	1.00
Total :	0.34	0.10	1.60	1.54	1.60	1.60

(b) District-wise details of expenditure incurred during the last three years are not available. Information is being collected from the state government and will be laid on the table of the Sabha.

Investment In Adivasi Cooperative Development Corporation, Madhya Pradesh

4564. Shri Arvind Netam : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The total investment in the Adivasi Cooperative Development Corporation set up under the Scheduled Tribes Welfare Department of Madhya Pradesh upto 1971 :

(b) The loss suffered by the Corporation upto 1971 ;

(c) The number of cases of embezzlement registered and the number of those disposed of ; and

(d) The present financial position of the Corporation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare (Shri K.S. Ramaswamy)

(a) **to (d)** The requisite information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

ओलिम्पिक में प्रतिस्पर्द्धा के लिए फुटबाल और हाकी के स्तर में सुधार

4565. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत फुटबाल और हाकी के विश्व में खेल के बढ़ते हुए स्तर के समान अपना खेल बना नही सका है ;

(ख) क्या हाल ही में दिल्ली में पश्चिम जर्मन की हाकी टीम के साथ हुए मैच में यह सिद्ध हो गया था कि भारत को हाकी में और अधिक तेजी लानी चाहिए, और

(ग) यदि हां, तो आगामी विश्व ओलिम्पिक में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये हाकी के स्तर में सुधार करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) यह सत्य है कि भारत अभी हाल ही में फुटबाल तथा हाकी से सम्बन्धित कोई भी महत्वपूर्ण अन्तर राष्ट्रीय खेल नहीं जीत सका है । प्रबल वर्ग के लोगों की यह राय है कि भारत को सशक्त हाकी की आवश्यकता है । भारतीय हाकी संघ को मामले की जानकारी है । हाकी खिलाड़ियों को, उनके ओलिम्पिक में जाने से पूर्व उन्हें अभ्यस्त करने के सारे खर्चो की भुगतान करने की सहमति के अतिरिक्त भारत सरकार ने भारतीय हाकी टीम को पूर्व ओलिम्पिक प्रतिस्पर्धा-खेलकूद के प्रयोजनर्थ बहुत सी विदेशी हाकी प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति भी प्रदान की थी । सरकार अखिल भारतीय खेलकूद परिषद से इस मामले पर विचार करने और सरकार को किसी भी आगे की कार्यवाही से सम्बन्धित अपेक्षित सलाह देने के लिए अनुरोध कर रही है ।

उत्तर प्रदेश में अध्यापकों को मंहगाई भत्ता देने के लिए वित्तीय सहायता

4566. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अपने अध्यापकों को केन्द्रीय स्तर पर मंहगाई भत्ता नहीं दिया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को केन्द्रीय स्तर पर मंहगाई भत्ता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी थी, और

(ग) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और क्या कोई धन राशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता केन्द्रीय दरों पर नहीं दिया गया है और न ही शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से वित्तीय सहायता हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की वैज्ञानिक तथा तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग के साथ विलय

4567. क्षी एल० सी० सामन्त : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को वैज्ञानिक तथा तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग के साथ विलय करने के उपरान्त उसमें कार्य की क्या प्रगति हुई है और क्या निदेशालय अपने उद्देश्यों को जिसके लिए यह बना है, पूर्ति कर रहा है,

(ख) क्या मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है कि इन मंत्रालयों में किये जा रहे इसी प्रकार के कार्य में समन्वयता हो, और

(ग) इस संबंध में किये जा रहे इसी प्रकार के कार्य में शीघ्रता लाने के लिय क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में मिलाया नहीं गया है । वर्ष 1965 से पूर्व आयोग के लिये सचिवालय कार्य की व्यवस्था केन्द्रीय हिन्दी की गई थी । तथापि उसी वर्ष आयोग के पारिभाषिक कार्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उस के लिये अलग से स्टाफ की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया था । उस स्थिति का 1970 में फिर पुरीक्षण किया गया और आयोग द्वारा तैयार किये जा रहे अधिकांश पारिभाषिक शब्दों को अन्तिम रूप दिए जाने के फलस्वरूप घटे हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि वर्ष 1965 से पूर्व विद्यमान व्यवस्था को दिनांक 5 अगस्त 1971 से फिर से लागू किया जाये । इस व्यवस्था को लागू हुए अभी चूंकि केवल नौ माह ही व्यतीत हुए हैं । इसलिए किये गये कार्य का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के सभी कार्यकलाप भली भांति निष्पादित कर रहा है जिनके लिये इसकी स्थापना हुई है ।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निष्पादित किये जा रहे हिन्दी के प्रसार तथा विकास से सम्बन्धित कार्य तथा कार्यक्रम का समन्वयन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा सम्पादित किया जाता है ।

(ग) मंत्रालय ने अभी हाल ही में हिन्दी के प्रसार तथा विकास से सम्बन्धित वर्तमान योजनाओं का पुनरीक्षण किया है तथा इस सम्बन्ध में की जाने वाली आपेक्षित कार्यवाइयां विचाराधीन हैं । अभी तक इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

राष्ट्रीय राजपथ एवं उनके विकास सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के उपाय

4568. श्री वी० के० दास चौधरी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजपथों एवं उनके विकास सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये किन्हीं विशेष उपायों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) दोनों केन्द्र और राज्यों के राष्ट्रीय राज मार्गों तथा प्रक्रिया को दोष रहित बनाने और उसके सरल करने जिसमें प्रयोजनाओं के विभिन्न पक्ष अर्थात्, उनकी स्वीकृति, मिष्पादन आदि शामिल हैं, उनसे संबंधित विभागों में संगठनात्मक संवर्धन प्रकृति के किये गए या प्रस्तावित विशेष उपाय हैं । इनमें निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :—

(1) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राज्य मार्ग निर्माण कार्यों के निष्पादनार्थ केवल उद्दिष्ट स्टाफ की भर्ती ।

(2) चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में शामिल राष्ट्रीय राज्य मार्ग योजनाओं के संबंध में जांच और प्रायोजना तैयारी का कार्य करने के लिये उद्दिष्ट स्टाफ की नियुक्ति हेतु एजेन्सी प्रभार के संबंध में अग्रिम द्वारा किसी कार्य की अनुमानित लागत के $1\frac{3}{4}$ प्रतिशत के समान राशि की स्वीकृति ।

पंच वर्षीय योजना में चालू की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने के लिए 1971-72 वर्ष के बाद से एक समान रकम भी उपलब्ध होगी ।

(3) औपचारिक स्वीकृति के अनिर्णित रहते, राष्ट्रीय राज्य मार्गों के निष्पादन मे संबंधित प्रारम्भिक तैयारियों को पहले ही पूरा करने के लिए राज्य लोक निर्माण कार्य विभागों को अग्रिम तकनीकी टिप्पणियों का भेजना ।

(4) 25,000 रुपये की पूर्व उपरि सीमा के स्थान पर 2.5 लाख रुपये की उपरि धन संबंधी सीमा को बढ़ाकर स्वीकृत अनुमानों से अधिक व्यय की अनुमति देने के संबंध में महालेखाकारों की शक्तियों का बढ़ाया जाना ।

(5) राज्यों को सूचित करना कि राष्ट्रीय राज्य मार्गों से संबंधित बढ़ी हुई मांगों की पूर्ति में धन को अड़चन नहीं बनाने दिया जाएगा, बशर्ते कि वास्तविक प्रगति द्वारा ऐसे मार्गों का औचित्य ठहराया जाता है ।

(6) केन्द्र / केन्द्रीय विज्ञापन परियोजनाओं के संबंध में एक आदर्श संगठन के ढाँचे के बारे में राज्यों से सिफारिश करना ।

कारोनरी हृदय रोग

4569. श्री बी०के० दास चौधरी
श्री बी० आर० शुक्ल } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के रुप में कारोनरी हृदय रोग की रोकथाम के प्रश्न पर विचार किया, है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है। तथापि, इस रोग की रोकथाम तथा उसके कारणों के बारे में लोगों में जागरुकता बढ़ता जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय आवास तथा नगरीय विकास निधि के विकास पर गोष्ठी

4570. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास तथा नगरीय विकास नीति के विकास पर नई दिल्ली में अप्रैल, 1972 में कोई गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में किन मुख्य समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ, और उसमें क्या निर्णय किये गये ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) जी, हां ;

(ख) गोष्ठी में, देश की आवासीय तथा नगरीय विकास गतिविधियों को प्रेरित अथवा प्रभावित करने वाले सभी मामलो पर विचार विमर्श किया गया। गोष्ठी की सिफारिशें पहले ही संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है। एक राष्ट्रीय आवास तथा नगरीय विकास नीति बनाने हेतु अब इन पर कार्यवाही की जा रही है।

नगर तथा ग्राम योजना संगठन में नगर अनुसंधान प्रभाग द्वारा अध्ययन

4571. श्री टी० एस० लक्ष्मणन् क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर तथा ग्राम योजना संगठन के नगर अनुसंधान प्रभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संबंधी अध्ययन, जिसके बारे में 1970-71 के दौरान कहा गया था कि यह अध्ययन प्रगति पर है, के अतिरिक्त कोई अन्य अध्ययन भी पूरे किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक पूरे किये गये अध्ययनों के नियम क्या हैं; और

(ग) अब तक पूरे किये जा चुके अनुसंधान अध्ययनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : रिसर्च डिवीजन के लिये अध्ययन के कोई विशिष्ट नियम नहीं। अनुसंधान शहरी तथा क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित है। अनुसंधान के परिणाम राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों के नगर आयोजना विभागों को उपलब्ध किये जाते हैं जो अपनी विकास योजनाओं के बनाने में उनका उपयोग कर सकते हैं।

कृषि उत्पादन के असमान विकास को रोकने के उपाय

4572. श्री अर्जुन सेठी : तथा **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कृषि उत्पादन में असमान विकास को रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है; और

(ख) इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) कृषकों विशेष कर छोटे कृषकों की सहायता के लिये नई योजनाओं के प्रचलन द्वारा अर्थात् निरन्तर सूखे से ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में सूखा विषयक क्षेत्र कार्यक्रम, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बारानी कृषि विषयक मार्गदर्शी परियोजनायें तथा उत्पादन कार्यों के उद्देश्य से ग्रामीण रोजगार का त्वरित कार्यक्रम लागू करने की दिशा में कदम उठाये गये हैं। इसके अतिरिक्त यह योजना आयोग का मामला है। पांचवी पंच वर्षीय योजना तैयार करने के लिये प्राथमिक कार्य अभी प्रारम्भ ही हुआ है और पांचवी योजना को अन्तिम रूप देते समय इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा। इन कार्यक्रमों से इन क्षेत्रों के कृषकों को अपना उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(ख) उपरोक्त कार्यक्रम हाल ही में प्रारम्भ किये गये हैं, अत: इनके परिणामों के सम्बन्ध में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

दालों का उत्पादन करने हेतु अल्प अवधि योजना में प्रगति

4573. श्री अर्जुन सेठी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) योजना के लक्ष्य को पूरा करने हेतु दालों की नकद फसल के लिए किन राज्यों ने अल्प अवधि का कार्यक्रम लागू किया है ;

(ख) इस क्षेत्र में क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) ग्रीष्म कालीन फसल मौसम, 1972 से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, तामिल नाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में दालों की अल्प अवधि किस्मों के प्रचलन के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) : चूंकि यह योजना ग्रीष्मकालीन फसल मौसम, 1972 से क्रियान्वित की जा रही है, अत: फसल काटने के बाद ही इसके परिणाम उपलब्ध होंगे।

प्रशिक्षण संस्थाओं में दाखिलों की संख्या में कमी करना

4374. श्री अर्जुन सेठी : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या प्रशिक्षित अध्यापकों में बेरोजगारी के कारण प्रशिक्षण संस्थाओं में दाखिलों की संख्या को घटा दिया गया है, और

(ख) यदि हां; तो सरकार ने अध्यापकों को योग्यता बढ़ाने तथा आगामी वर्ष में योजना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव (क) : ऐसी रिपोर्ट आयी है कि कई राज्यों में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक प्रशिक्षित अध्यापक काफी संख्या में बेरोजगार हैं, ये रिपोर्टें भी आई हैं कि कुछ राज्यों में कई प्रशिक्षण संस्थाओं में क्षमता को कम किया जा रहा है ।

(ख) यह मामला मूल रूप से संबंधित राज्य सरकारों का है कि वे अपनी आवश्यकताओं तथा साधनों के अनुरूप कदम उठाएं । फिर भी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने तथा प्राथमिक शिक्षा के वृद्धि करने के उद्देश्य से शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने एक योजना का निर्माण किया है जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त प्रशिक्षित अध्यापकों तथा स्कूलों के सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति बच्चों के लिए, निशुल्क पाठ्यपुस्तकों तथा लेखन सामग्री के वितरण, अतिरिक्त बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था तथा मिडिल स्कूलों में कार्य अनुभव को लागू करने के लिए सहायता की व्यवस्था की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत 1971-72 में 30,000 अतिरिक्त अध्यापकों की संस्वीकृति हुई थी । 1972-73 में भी उतने ही अध्यापकों की संस्वीकृति की संभावना है । इससे प्रशिक्षित मैट्रिक अध्यापकों में बेरोजगारी कम होने की आशा है । यूनीसेफ से सहायता प्राप्त विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण के स्तर में सुधार लाने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को विज्ञान प्रयोगशाला उपस्कर से सुसज्जित किया जा रहा है ।

चौथी योजनावधि में छात्रवृत्तियों का कार्य क्रम

4575. श्री अर्जुन सेठी : क्या **शिक्षा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : चौथी योजनावधि में सरकार एवं विश्वविद्यालग अनुदान आयोग दोनों के छात्रवृत्तियां कार्यक्रमां के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : चौथी आयोजना में सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों की योजनओं के अन्तर्गत, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिए कुल 42,36,06,000 रुपये की धन राशि आवंटित की गई है ।

नसबन्दी और 'लूप' कार्यक्रम

4576. श्री अर्जुन सेठी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या पिछले कुछ वर्षों में नसबन्दी और लूप सम्बन्धी कार्यक्रमों में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है और इस बारे में स्थिति स्थिर सी रही है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में समस्या की गंभीरता को देखते हुये सरकार ने इस बारे में क्या विशेष कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) (क) (i) 1969-70 तथा 1970-71 वर्षों के दौरान नसबन्दी कार्यक्रम में आगे खास कोई प्रगति नहीं हुई है, तथापि 1971-72 में की गई विभिन्न कार्यवाहियों के फलस्वरूप निष्पत्ति में वृद्धि हुई है। अप्रैल 1971 से फरवरी 1972 के दौरान निष्पत्ति 20 लाख से कुछ अधिक हुई है जो कि किसी भी वर्ष की सर्वाधिक निष्पत्ति है। यह निष्पत्ति इस अवधि के अनुपातिक लक्ष्य का 105.2 प्रतिशत है।

(ii) गर्भाशयी गर्भरोधक की निष्पत्ति 1968-69 से प्रायः जहां की तहां रही है। तथापि, जो कदम उठाए गए हैं उनसे इस निष्पत्ति में अब सुधार होता नज़र आ रहा है।

(ख) (i) नसबन्दी और बन्ध्यीकरण कैम्पों के लिए तकनीकी निर्देशक सिद्धान्त तैयार कर उन्हें भेज दिए गए हैं। बाहरी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मार्ग प्रदर्शन के लिए एक वृहद् नसबन्दी मैनुअल प्रकाशित किया गया है।

कार्यक्रम को तेज करने के लिए विशेष नसबन्दी कैंपों का आयोजन किया जा रहा है।

(ii) गर्भाशयी गर्भरोधक कार्यक्रम को फिर से जमाने के लिए जो उपाय बरते गए हैं वे इस प्रकार हैं :--

1. गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) सम्बन्धी एक कार्यदल समिति का गठन किया गया है।

2. इस कार्यक्रम को पुनः जमाने के लिए तकनीकी समिति की छठी बैठक में किए गए निर्णयों पर विचार किया गया है तथा तकनीकी समिति की सिफारिश पर कार्यवाही की जा रही है।

3. गिरावट के मुख्य कारणों को राज्यों के ध्यान में लाया गया है और समय समय पर आवश्यक सुझाव जारी किए गए हैं।

4. उत्तम गर्भाशयी गर्भरोधक तैयार करने तथा गर्भाशयी गर्भरोधक से उत्पन्न होने वाली तकलीफों पर काबू पाने के लिए औषधियों के बारे में चिकित्सीय अनुसंधान किया जा रहा है।

5. गर्भाशयी गर्भरोधक कार्य में लगे हुए कार्मिकों के प्रशिक्षण में सुधार किया गया है और इसका मानकीकरण कर दिया गया है।

6. गर्भाशयी गर्भरोधक पहनने वाली महिला को लूप पहनने से पहले उसकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए पूर्ण डाक्टरी जांच करने पर जोर दिया है।

7. लूप पहनाने के बाद के अनुवर्ती सेवाएं प्रदान की जाती हैं तथा उन मामलों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है।

8. बाहर क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मार्ग प्रदर्शन के लिए एक वृहद् नसवन्दी चिकित्सा मैनुअल प्रकाशित किया गया है।

पूर्वी क्षेत्र में सड़क परिवहन का विकास

4577. श्री वी० आर० शुक्ल : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में सड़कों तथा सड़क परिवहन का असमन्वित और असंतुलित विकास ही उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में सब से बड़ी रुकावट है, और

(ख) क्या इस क्षेत्र में निर्बाध सड़क यातायात के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई सड़कों के लिए मुख्यत: उत्तरदायी है परन्तु वह अन्तर्राज्जीय अथवा आर्थिक महत्व की कुछ चुनी हुई राज्य सड़कों के लिए ऋण के रूप में राज्यों को सहायता भी देती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। जहां तक सड़क परिवहन का सम्बन्ध है इस के कार्यकारी प्राधिकार राज्य सरकार के पास हैं। यह सही नहीं है कि पूर्वी क्षेत्र में सड़कों और सड़क परिवहन का अधूरा विकास हुआ है जिन से इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक सम्भव है उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत सड़क पद्धति को सुधारने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ने अन्तर्राज्य मार्गों की लम्बी यात्रा पर माल की गाड़ियों के आवागमन के प्रोत्साहन और विकास के लिए इन क्षेत्रों के अन्दर ईस्टर्न जोन परमिट स्कीम और नार्थ—ईस्टर्न जोन परमिट स्कीम शुरु की है। इन योजनाओं के अनुसार प्रत्येक राज्य की विनिर्दिष्ट संख्या में गाड़ियां, उस क्षेत्र में इकहरे कर की अदायगी के आधार पर तथा परमिटों के बिना प्रतिहस्ताक्षर के, अन्य राज्यों में चला करेंगी। पूर्वी जोन स्कीम के अन्तर्गत आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के राज्य आयेंगे और नार्थ-ईस्टर्न जोन स्कीम में आसाम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय मिज़ोबाग नागालैंड तथा त्रिपुरा के राज्य शामिल होंगे। दोनों योजनाओं के ब्यौरे पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से शीघ्र ही चर्चा की जाने की सम्भावना है।

सुपर बाजार, दिल्ली में बिना बिके पड़े हुए "कन्वाय टी० के०—69 ट्रांजिस्टर"

4578. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार, दिल्ली के पास बहुत से "कन्वाय टी० के०—69 ट्रांजिस्टर" बिना बिके पड़े हुए हैं और उसने इन्हें विभागीय केन्टीन स्टोरों को 70 रुपये प्रति ट्रांजिस्टर के भाव से बेचने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) इन ट्रांजिस्टर सेटों के 55,000 के कुल मूल स्टाक में से सुपर बाजार द्वारा रक्षा मन्त्रालय को उनके कान्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को 70 रुपये प्रति सेट की दर से (करों तथा चमड़े के आवरण को छोड़कर) इन सेटों का विक्रय करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है।

(ख) सुपर बाजार का प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालय के विचाराधीन है ।

विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

4579. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 1972-73 के दौरान 50 छात्रवृत्तियां देने का है और

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जायेगा ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) उम्मीदवारों का चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है : जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते हैं । उम्मीदवारों का साक्षातकार समिति द्वारा किया जाएगा और शैक्षणिक योग्यता, अनुसंधान/व्यावहारिक अनुभव; कुशाग्र बुद्धि तथा सत्यनिष्ठ प्रतिभा पर विचार करने के बाद उनका चयन किया जाएगा।

Setting Up An Agricultural University In Deoria, Uttar Pradesh

4580. Shri Tarkeshwar Pandey: Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Government have under consideration any proposal to set up an Agricultural University in Deoria (Uttar Pradesh) ; and

(b) whether the basis of setting up an Agricultural University there is the land donated by Pratap-pur Sugar Mills, Deoria ?

The Minister of State in the Ministry of Agriclture (Shri Annasaheb P. Shinde)

(a) No, Sir.

(b) There has been no intimation from the Government of Uttar Pradesh about the donation of land by the Pratap-pur Sugar Mills for the establishment of an Agricultural University. In any case, proposals for establishment of such Universities are considered with reference to the national policy and pattern as also the availability of provision in the Fourth Plan and not with reference to offers of land.

Increase In Price Of 'Travel As You Please' Holiday Tickets By D. T. C.

4581. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether Government have increased the price of 'travel as you please' holiday tickets in D. T. C. buses with effect from 8th April; 1972 ; and

(b) If so, the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur)

The Delhi Transport Corporation has, with effect from 8th April, 1972, increased the charges for Excursion Tickets as shown below :—

For adults	...	From Re, 1.00 to Rs. 1.25 per ticket.
For children	...	From 0.75 paise to Re. 1.00 per ticket.

(b) An Excursion Ticket entitles the holder to perform an un-restricted number of journeys by city buses of the Corporation. The operational area of the Corporation has expanded considerably, the services have increased and the cost of operation has risen since the system of issuing Excursion Tickets was introduced. Moreover, these tickets have been made available for all days with effect from 30th September, 1971, whereas before that they were available only on Saturdays, Sundays and other Gazetted Holidays. These factors necessitated upward revision of the charges in respect of Excursion Tickets.

Betel-Leaves Cultivation in Bihar

4582. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether good quality betel-leaves are grown in Bihar ;

(b) Whether Government would formulate a scheme under which betel-leaves could be grown on large-scale ;

(c) if so, the main feature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) : The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha when received.

बीजों के रक्षण के लिए औषधियों की व्यवस्था करना

4583. श्री पम्पन गौडा : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, किसानों को बीजों के रक्षण के लिये, आवश्यक औषधियां प्रदान कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सामान्यतः राष्ट्रीय बीज निगम राज्य फार्म निगम (भारत सरकार के उपक्रम), तराई विकास निगम तथा राज्य सरकार के फार्मों द्वारा सप्लाई किये गये बीजों का विक्रय करने से पहिले उचित कीटनाशी औषधियों, आदि से उपचार किया जाता है। यदि कभी किन्हीं कारणों से बुवाई से काफी पहले बीजों का उपचार करना उचित न हो तो बीज के थैलों में बुवाई से पहले बीजों के उपचार के लिये किसानों को अनुदेशों सहित अलग से अपेक्षित कीटनाशी औषधियां आदि रखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, तमिल नाडु, महाराष्ट्र, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल सरकार किसानों द्वारा उत्पादित बीजों के उपचार के लिये उनको सप्लाई किये गये बीज उपचार रसायनिकों की लागत पर 15 से 75 प्रतिशत तक राज-सहायता प्रदान करती हैं। सब राज्य सरकार प्रति हैक्टार 25 से 100 पैसे तक नाम मात्र की लागत पर बीजों के केन्द्रीकृत उपचार के लिये भी स्थानीय व्यवस्था करते हैं, जो प्रति हैक्टार बीज दर तथा प्रयोग किये गये रासायनिक की किस्म पर निर्भर करता है।

विकलांगों के लिए कल्याण कार्य

4584. श्री पम्पन गौडा : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगो के लिए कल्याण कार्यों को केवल बड़े नगरों तक सीमित रखा गया है;

(ख) ऐसी सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों की संख्या कितनी है जिन्होंने देश के प्रत्येक राज्य में विकलाँगों के लिए संस्थान स्थापित किए हैं तथा उन्हें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों से गत तीन वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या इस सुविधा को सुदूर ग्रामों अर्थात् स्थानीय निकायों तक बढ़ाने का सरकार का विचार है जो विकास व्यक्तियों के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विकलाँग व्यक्तियों की संस्थाओं को दी गई सहायता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता एक विवरण पत्र जिसमें निम्नलिखित सूचना दी गई है, संलग्न है ; **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1906/72]**

(1) विभिन्न राज्यों में विभिन्न वर्गों के विकलांग व्यक्तियों की संस्थाओं की संख्या, जो कि समाज कल्याण विभाग के पास उपलब्ध है;

(2) समाज कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा उनमें से कुछ को दी गई वित्तीय सहायता।

(ग) विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है और इनमें से कुछ कार्यों को स्थानीय संस्थाओं को उन्होंने ही सौंपना है।

बम्बई आवास बोर्ड की पद्धति पर दिल्ली में आवास बोर्ड की स्थापना

4585. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में मकानों की कमी है और आजकल नाम मात्र किराये पर मकान लेना बहुत मुश्किल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई आवास बोर्ड की पद्धति पर दिल्ली में आवास बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) राजधानी में मकानों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां, दिल्ली में मकानों की काफी कमी है तथा किराये भी सामान्यता निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की पहुँच से बाहर है।

(ख) जी, नहीं। सरकार द्वारा स्थापित किए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर मकानों का निर्णय आरम्भ किया है।

(ग) इस मन्त्रालय की सामाजिक आवास योजनाओं के अतिरिक्त जो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिए बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण

भी आरम्भ कर दिया है। प्राधिकरण ने 1971-72 के वर्ष तक 14337 मकानों का निर्माण किया था, तथा इस द्वारा अगले दो वर्षों में अर्थात 1972-74 के दौरान, 18000 और मकानों/-फ्लैटों के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारी

4586. श्री अम्बेश : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन्द्रप्रस्थ एस्टेट दिल्ली में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी अनुसूचित जातिय और अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित है,

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों का निर्धारित कोटा पूरा नहीं हुआ है; और

(घ) यदि, हां तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा सस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने कर्मचारियों का प्रथम, द्वितीय श्रेणी आदि में औपचारिक रूप से वर्गीकरण नहीं किया है, किन्तु भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानक वर्गीकरण के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के पदों की संख्या नीचे दी गई है :—

	प्रथम श्रेणी	4
	द्वितीय श्रेणी	7
	तृतीय श्रेणी	66
	चतुर्थ श्रेणी	23
(ख)	प्रथम श्रेणी	कोई नहीं
	द्वितीय श्रेणी	कोई नहीं
	तृतीय श्रेणी	2
	चतुर्थ श्रेणी	4

बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, तृतीय श्रेणी के पदों को छोड़कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति का कोटा पूरा है। चतुर्थ श्रेणी का कोटा पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि रोजगार कार्यालय ने उपयुक्त उम्मीदवार नहीं भेजे थे।

(घ) बोर्ड के भर्ती नियमों को अन्तिम रूप अभी सितम्बर, 1970 में ही दिया गया था, तथा तभी से बोर्ड अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पदों के लिए रोस्टर रख रहा है। रोजगार कार्यालय को बोर्ड द्वारा अनुरोध किया गया है कि जब भर्ती की जाए तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के नाम भेजें। भर्ती करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कोटे पर लगातार ध्यान रख जाता है।

Creation of Posts of Senior/Junior Technical Assistants in Colleges in Delhi

4587. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether B. Sc. (Hons.) Classes are conducted by Delhi University and the affiliated to it ;

(a) Whether the post of Senior or Junior Technical Assistant exists in Science laboratories of Delhi University and the said post does not exist in Colleges ? and

(c) If so, whether Government propose to create this post in Colleges also ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture Prof. S. Nurul Hasan) : (a) B. Sc. (Hons.) classes in Physics and Chemistry only are being conducted by the Delhi University as well as by some of its constituent colleges.

(b) & (c) : The posts of the Technical Assistants and Senior Technical Assistants exist in the University Departments which provide facilities for Post-Graduate and Research courses in addition to the Hons. courses. These posts do nol at present exist in colleges. The question of providing posts of Technical Assistants in Colleges, which offer B. Sc. (Hons.) courses in Physics and Chemistry, is under consideration of the University.

Demolishing of Temple in Purana Qila, Delhi

4588. Shri Onkar Lal Berwa : Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether the Archaeological Department has declared the Purana Qila located in Delhi as a place of archaeological importance ;

(b) Whether Government propose to demolish the temple in the Purana Qila ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) :

(a) Yes, Sir. In view of its archaeological importance, Purana Qila was declared to be a protected monument as early as 1913.

(b) No, Sir. It may, however, be added that the (Kunti) temple, though located within the fort-walls, is not protected.

(c) Does not arise.

Performance of Prayer in Temple/Masiid Located in Protected Monuments

4589. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether under the rules of the Archaeological Department no prayer programme can be performed in any temple or masjid which has been declared as a place of archaeological importance by the Archaeological Department ; and

(b) whether Government have given permission for performing prayers in the Shershah Masjid located in the Purana Qila, Delhi ?

The Minister of Education, Social Welfare & Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) It is the policy of the Government of India not to allow revival of worship or prayers in Centrally protected monuments, including temples and Masjids, where such practices were not in vogue at the time of their protection.

(b) No, Sir.

Books Published By Sahitya Akademy In States

4590. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Education And Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of books published by each Sahitya Akademi in various States in their respective languages indicating the expenditure incurred on each book published; and

(b) the extent to which Government are satisfied with this work in the light of the achievements made in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministery of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) (a) and (b) The State Sahitya Akademies are neither financed nor controlled either by the Central Government or by the Sahitya Akademi, New Delhi. The information required is however, being collected.

Production of Text Books Of University Level

4591. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the steps taken by the Central Government to speed up the scheme in regard to production of text books of university level ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) :

1. The Government of India launched in 1968-69, a Centraliy Sponsored Scheme for the production of university level books in regional languages with a view to facilitating early adoption of regional languages as the media of instruction at the university stage. Under this Scheme each State Government, participating in the Scheme, can utilise a grant of upto Rupees One Crore for the production of such books in the regional languages before the end of the Fourth Five Year Plan.

2. The Scheme was to be implemented by the State Government by setting up autonomous departmental Boards in each State. Many States took considerable time in setting up their Book Production Boards and other necessary administrative machinery for implementing this Scheme. The progress during the first two years of the Fourth Five Year Plan was slow on this account. Besides, it is the very nature of book production that upto the manuscript stage the progress is essentially latent. Expert Subject Panels have to be set up, titles have to be selected, authors/translators have be identified and in case of translation, copyrights have to be obtained. Results show only when books are published. The initial slow progress of the Scheme is attributable to this factor also.

3. (a) With a view to ensuring progress, Government of India circulated guidelines to the State Governments in which the brown procedure for implementing the Scheme was stated.

(b) With regard to Hindi-speaking States, a Conference of the Representatives of the Hindi-speaking States and a Coordination Committee have been set up which review the progress of the Scheme, avoid duplication, and recommend to the State Governments measures for speeding up implementation of the Scheme.

(c) For undertaking similar reviews in respect of non-Hindi speaking States, Zonal Conferences of Education Ministers of the States and Vice-Chancellor were organised which gave suggestions to the State Governments concerned and the Central Government for speeding up the implementation of the Scheme.

(d) With a view to solving the problem of translation rights, the Government of India have made arrangements with the British Publishers' Association whereby translation rights of books published in the U. K. are made available expeditiously at a reasonable rate. Similar arrangements have also been made with many American publishing firms. A Copyright Unit has been set up in the Central Hindi Directorate to procure translation rights on behalf of the State Boards in respect of foreign titles.

4. The University Level Book Production Programme has now gained momentum. According to information available, 866 books have been published already, 499 manuscripts are under print: and 729 manuscripts are likely to be ready for the press soon. Thus, over 2,000 books at least are likely to be produced under this Scheme before long.

ऐलोपैथिक चिकित्सकों के पंजीकरण के बारे में विधेयक

4592. श्री प्रताप सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐलोपैथिक चिकित्सकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने इन डाक्टरों के पंजीकरण के लिए एक आदर्श विधेयक का प्रारूप तैयार किया था जो कि सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों ने ऐसे विधेयक अपने-अपने विधान मण्डलों में पेश किये थे लेकिन मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को विधेयकों पर विचार करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार इस विषय पर केन्द्रीय विधान पेश करने पर विचार कर रही थी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय)

(क) अप्रशिक्षित ऐलोपैथिक चिकित्सकों की अनुमानित संख्या लगभग 80,000 है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) भूतपूर्व पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास (तमिलनाडु) सरकारों ने बतलाया था कि उनका विचार ऐसे चिकित्सकों के पंजीकरण के लिए समुचित उपबन्ध बनाने का है । वैसे, 1969 में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकारों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव के बारे में सूचित कर दिया गया था । संभवतया इन तीन राज्यों ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पृथक राज्य-कानून निर्माण के प्रश्न पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की हो । भारत सरकार के पास इस आशय की कोई निश्चित सूचना नहीं है कि राज्य विधान मण्डलों में ऐसे विधेयक पेश किए गए हैं अथवा नहीं ।

1968, 1969 और 1971 में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की बैठकों में अप्रशिक्षित चिकित्तकों को सूचीबद्ध करने के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया है । चूंकि राज्य सरकारों में कोई मतैक्य नहीं था इसलिए इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका । इस विषय को उक्त परिषद की इस वर्ष होने वाली अगली बैठक में पुन रखा जायेगा ।

सरकारी क्षेत्र में यूनानी, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक पद्धति के लिए औषधि तथा औषधियां बनाने वाले एकक

4593. श्री बी० आर० शुल्क : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में यूनानी, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक पद्धतियों के लिए, सरकारी क्षेत्र में, औषधि तथा औषधियां बनाने वाले कोई एकक है; और

(ख) यदि नहीं, तो पद्धतियों में प्रत्येक पद्धति से सम्बन्धित सप्लाई की खरीद पर सरकार ने प्रतिवर्ष क्रमश: कितनी धनराशि खर्च की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Castes Declared Backward By States

4594. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names and population of castes declared backward by the various States, State-wise;

(b) the per capita income of these people; and

(c) the action being taken by Government to improve their financial condition ?

The Deputy Minister in The Ministry of Education & Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) (a) to (c) The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the House as soon as the complete information is available.

वर्ष 1972-73 के दौरान द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए धन का आवंटन

4595. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को कम आवंटित किये गये धन को वर्ष 1972-73 में उड़ीसा सरकार को दिया जायेगा; और

(ख) वर्ष 1972-73 में इस कार्यक्रम के लिए उड़ीसा को कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) 183 लाख रुपये ।

विश्व संस्कृत सम्मेलन

4596. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने संरक्षण में हाल ही में दिल्ली में एक विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) इस सम्मेलन ने कौन सी सिफारिशें की है; और

(ग) इस सम्मेलन से भारत को क्या लाभ पहुंचा है ?

शिक्षा और समाज कल्याथ मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन द्वारा अपनाए गए संकल्पों की प्रति संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गा । देखिये संख्या एल० टी० 1907/72]**

(ग) इस सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय अवबोधन तथा सद्भावना के प्रतीक के रूप में संस्कृत की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कर्मचारी पदोन्नति योजना

4597. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हाल ही में लागू की गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कर्मचारी पदोन्नति योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या है,

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस योजना के सम्बन्ध में आवश्यक नियम बनाये है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है,

(ग) क्या यह नियम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रात:कालीन विभागों और साध्य कालीन विभागों में नियुक्त सभी स्नातकोत्तर अध्यापकों पर लागू होंगे, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है, और

(घ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्त अध्यापकों की सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है और कर्मचारी पदोन्दति योजना में इस सूची को शामिल करने से पूर्व सभी अध्यापकों को उनकी राय जानने और आपत्ति उठाने के लिये, परिचालित कर दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय विशिष्ट योग्यता वाले अध्यापकों के लिए 'कर्मचारीगण पदोन्नतियों की व्यवस्था करें । ऐसी पदोन्नतियों की संख्या प्रध्यापकों (रीडरों के पदों में पदोन्नति के लिए) और रीडरों (प्रौफैसरों के पदों में पदोन्नति के लिए) को अलग-अलग श्रेणियों में कुल स्टाफ (आयोजनेतर) के 5 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगी । आयोग ने इस योजना के लिए मार्गदर्शक रूप रेखाए तैयार करने के हेतु एक समिति की नियुक्ति भी है । समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ख) से (घ) : आयोग से मार्गदर्शक रूपरेखाएं प्राप्त होने पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ब्यौरे तैयार किये जाएगे ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए उड़ीसा में बने भवन का उपयोग

4598. श्री गजाधर माझी :
श्री क० प्रधानी : } क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा दिये गये सहाय्य अनुदान से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के आवास के लिए उड़ीसा में निर्मित भवन का अन्य विभागों द्वारा उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री क० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) : जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

त्रिपुरा भाषा का विकास

4599. श्री दशरथ देव : क्या **शिक्षा और समाजकल्लाण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रदेश की त्रिपुरी भाषा के विकास के लिये अब तक कोई धन राशि खर्च की गई,

(ख) यदि हां, तो उस कार्य के लिए अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई, और

(ग) इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण और सस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पारादीप पत्तन में सयंत्र और उपकरणों को कम उपयोग में लाना

4600. श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयंत्र और उपकरण की महत्वपूर्ण यन्त्रों, जैसे और टेंडलिंग प्लांट, सैंड पम्पस ड्रेजर एच० एस० डी० और कोनारका आदि को उनकी निर्धारित क्षमता से कम उपयोग में लाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप पारादीप पत्तन को पर्याप्त हानि उठानी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) : अयस्क धरा उठाई संयंत्र, तट आधारित निकर्षक सैंड पम्प और निकर्षक कोनारका अपनी निर्धारित क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं । उक्त यन्त्रों के मदवार कार्य तथा उनमें कमी आने के कारणों को दिखाने वाला एक ब्यौरेवार विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1908/72]**

पारादीप पत्तन न्यास में प्राइवेट पार्टियों विरुद्ध बकाया धनराशि

4601. श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में प्राइवेट पार्टियों से मकान किरायों की बड़ी राशि, प्लाटों के किरायों तथा प्राइवेट पार्टियों को किराये पर दिये गये फरनीचर के प्रभार थी, पारादीप पत्तन न्यास द्वारा वसूल नही किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) प्राइवेट पार्टियों से पारादीप पत्तन न्यास ने निम्नलिखित राशिया वसूल करनी हैं ;

मकान किराया	—	46,525 रु०
प्लाट किराया	—	1 485 रु०
फरनीचर का किराया	—	19,129 रु०

(ख) बकाया धन राशि की वसूली के लिए पारादीप पत्तन न्यास उचित कानूनी और अन्य कार्यवाही कर रहा है ।

पारादीप पत्तन न्यास में बकाया अग्रिम राशि का लेखावद्ध किया जाना

4602. श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा परीक्षा से ज्ञात हुआ है कि पारादीप पत्तन न्यास के संतुलन पत्र में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भी भारी गड़बड़ है, जो सहिता नियमों का घोर उल्लंघन है ;

(ख) क्या पारादीप पत्तन के बही-खातों में लाखों रुपये की बकाया पड़ी भारी अग्रिम राशि को अभी तक नहीं चढ़ाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो बकाया सभी प्रकार की अग्रिम राशि को लेखावद्ध कराने तथा समय पर बही खाते बन्द कराने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 31-3-1971 को पारादीप पत्तन न्यास की किताबों में निम्नलिखित अग्रिम बकाये थे :

(i)	विविध सार्वजनिक निर्माण अग्रिम	2,26,39,876 रु०
(ii)	विविध पत्तन अग्रिम	1,04,256 रु०
(iii)	पत्तन के विभागों को अस्थाई अग्रिम	3,43 970 रु०

1971-72 की बकाया राशि की स्थिति जून, 1972 के अन्त में 1971-72 वर्ष के लेखे बन्द होने पर ही ज्ञात होगी । इन अग्रिमों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों की पत्तन न्यास जांच कर रहा है ।

(ख) पत्तन न्यास ने यह बताया है कि सभी बकाया अग्रिम पत्तन के बही-खातों में चढ़ा दिये गये हैं ।

(ग) पत्तन न्यास ने यह बताया है कि सभी अग्रिमों का विधिवत् हिसाब रखा गया है और जहां कहीं सम्भव है बकाया अग्रिमों को चुकाने के लिए कड़े कदम उठाये जा रहे हैं । विशिष्ट मदों

के लिए दिये गये कुछ भारी अग्रिम कार्य के समाप्त होने तक बकाया रहेंगे। उदाहरणार्थ पत्तन रेल के निर्माण के लिए साउथ-ईस्टर्न रेलवे को 52 लाख रु० का अग्रिम तथा पत्तन रेलवे के लिए लोको मोटिव के निर्माणार्थ चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को 10 लाख रु० का अग्रिम।

पारादीप पत्तन पर बेकार पड़े सयंत्रों तथा उपकरणों का उपयोंग

4603. श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर ट्रेक्टर और क्रेन जैसे कई संयंत्र और उपकरण बेकार तथा अप्रयुक्त पड़े हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके उपयुक्त उपयोग के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) पारादीप पत्तन में कोई क्रेन या ट्रैक्टर अप्रयुक्त नहीं पड़ा हुआ है। फालतू कन्क्रीट मिश्रक, रोड रोलर ट्रक और कार जो काम के आयोग्य हैं की पहले ही नीलामी कर दी गई है।

भारतीय सामाजिक शिक्षा अनुसधान परिषद के प्रलेख-पोषण केन्द्र की पत्रिकाए

4604. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रलेख पोषण विभाग को उसके घाटे बोल पत्र एवं पत्रिकाओं को विभिन्न पुस्पकालयों/अनुसंधान संस्थानों में वितरण के लिए थोक में खरीद कर अस्थाई वित्तीय सहायता देने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं,

(ख) क्या गत तीन वर्षों में ऐसी कुछ पत्र पत्रिकाओं की वास्तव में थोक में खरीद की गई थी और

(ग) यदि हां, तो उन पत्र पत्रिकाओं के नाम क्या है तथा उनकी कितनी प्रतियाँ खरीदी गई तथा उक्त अवधि में प्रत्येक पर कितनी कितनी धन राशि खर्च की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : (क) जी, हां। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ऐसी अंकमालाओं की प्रतियाँ थोक में खरीद सकती है, जिनमें प्रलेखन, सूची निर्माण अथबा सेवाओं का संसापीकरण की व्यवस्था को और जिन्हें उसके विचारानुसार वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो। इस प्रकार खरीदी गई प्रतियाँ भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा ग्रंथ सूचीय तथा प्रलेखन सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु चुनी हुई संस्थाओं को वितरित की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 से अधिक वर्षों की अवधि के लिए किसी भी अंक माला का समर्थन नहीं किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

पत्रिका का नाम	प्राप्त की गई प्रतियों की संख्या	अदा की गई राशि
1. (क) इन्डैक्स इंडिया 1969	100	10,000
(ख) इन्डैक्स इंडिया 1970	100	10,000
(ग) इन्डैक्स इण्डिया 1971	100	10,000
2. (क) इण्डियन प्रेस इन्डैक्स खण्ड 3	75	10,000
(ख) इण्डियन प्रेस इन्डैक्स खण्ड 4	78	9,945
3. (क) इण्डियन बिहेविमोरल साईस व एबस्ट्रेक्ट खण्ड 1	40	3,000
(ख) इण्डियन बिहेविमोरल साईस एबस्ट्रेक्ट खण्ड 2	47	2.996

भारतीय सामाजिक बिज्ञान अनुसन्धान परिषद् के कर्मचारी

4605. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सामाजिक विज्ञान अमुसंधान परिषद् ने गत तीन वर्षों में अपने विभिन्न अनुभागों अथवा विभागों में अनुसंधान कर्त्ताओं सहित श्रेणीवार कुल कितने अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त किये है,

(ख) उनकी प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की सख्या कितनी है; और

(ग) क्या इसके कार्यालय के कर्मचारियों में इन वर्षों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, और यदि नहीं तो परिषद् के कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्ब में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1909/72]**

(ग) इस नई संस्था की स्थापना की आरम्भिक अवस्था में अधिकतर कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर लेना पड़ा था। इसलिए अमुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का निर्धारित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो सका। खुले रूप से बाहर से नई भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जा रहा है और यह सुनिश्चित करने का प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है कि परिषद् की सेवा में इन समुदायों के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

दोहरीघाट-रावेलगंज और अयोध्या के मध्य घाघरा नदी सेवा

4607. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरीघाट और रावेलगंज के मध्य घाघरा नदी सेवा को कब तक प्रारम्भ करने की सम्भावना है ; और

(ख) दोहरी घाटी और अयोध्या के बीच घाघरा नदी के जल सम्बन्धी सर्वेक्षण और यातायात सर्वेक्षण को करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) भगवती समिति की सिफारिशों के आधार पर, उत्तर प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि वह यातायात और जल सम्बन्धी सर्वेक्षण करने के पश्चात् घाघरा नदी पर खेलगंज और दोहरी घाट के बीच नदी सेवा आरम्भ करने की योजना तैयार करे। राज्य सरकार के कहने पर, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से मिल कर अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय, घाघरा नदी का जल सम्बन्धी सर्वेक्षण कर रहा है। यातायात और जल सम्बन्धी सर्वेक्षण के परिणामों के प्रकाश में घाघरा में एक नदी सेवा चलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ख) दोहरी घाट और अयोध्या के बीच घाघरा नदी के यातायात और जल का सर्वेक्षण कार्य के प्रश्न पर, खेल गंज-दोहरी घाट सेवा को चालू करने के पश्चात् ही विचार किया जायेगा।

पटना और गाजीपुर के मध्य गंगा सेवा पर व्यय

4609. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पटना और गाजीपुर के मध्य गंगा सेवा पर किए जा रहे अतिरिक्त व्यय के भाड़े के द्वारा प्राप्त आय से पूरा किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मार्च 1972 के अन्त तक 0.77 लाख रु० के अतिरिक्त अवर्ती व्यय की अपेक्षा गंगा सेवा से भाड़ा कमायीं 1.10 लाख रु० थी। परन्तु इसमें यह शामिल नहीं है :— (क) घाटों, गोदामों आदि के निर्माण तथा जलयानों की बड़ी मरम्मतों पर किए गए पूंजी व्यय, और (ख) सेवा के शुरू होने से पूर्व स्थापना प्रभार जिन पर व्यय पहले मे ही किया जा रहा है।

पी० एल०–480 के अन्तर्गत प्रकाशकों को प्राप्त हुई अनुदान की राशि

4610 श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय प्रकाशकों को पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनुदान स्वीकार करने की अनुमति है, और

(ख) यदि हाँ, तो उन प्रकाशकों के नाम क्या है और गत तीन वर्षों में उनमें से प्रत्येक प्रकाशक को अनुदान के रुप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) संयुक्त इंडो-अमरीकी स्तरीय पुस्तक कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य तथा संदर्भ पुस्तकों को भारत के उन प्रकाशकों द्वारा पी० एल० 480 की वित्तीय सहायता से पुनः प्रकाशित किया जाता है, जिनके पास उन पुस्तकों को पुनः प्रकाशित करने के अधिकार होते हैं। यह वित्तीय सहायता सं० रा० सू० से० द्वारा भारतीय पुनः प्रकाशित पुस्तकों के मूल्यों को उनके अपने सं० रा० के फुटकर मूल्यों के लगभग पांचवें भाग तक नीचे लाने के लिये प्रदान की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में सीधे सं० रा० सू० के द्वारा भारतीय प्रकाशकों को दी गई अथवा आवटित वित्तीय सहायता दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। **ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1910/72**]

त्रिपुरा में आदिवासियों के कल्याण हेतु केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग

4611. श्री दशरथ देव : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों के कल्याण के लिये त्रिपुरा को दिया गया केन्द्रीय अनुदान उचित ढंग से उपयोग में लाया जा रहा है ; और

(ख) वर्ष 1971-72 में कितनी राशि उपयोग में नहीं लाई गई और क्यों ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पब्लिक स्कूलों के छात्रों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के दिल्ली बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों में दाखिल करना

4612. श्री डी० के० पंडा : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के किसी पब्लिक स्कूल विशेषकर डिफेंस सर्विसेज पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली से आठवीं दर्जा (VIII) पास करने वाले छात्रों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के दिल्ली बोर्ड के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नवीं कक्षा में दाखिल नहीं किया जाता, और

(ख) क्या पब्लिक स्कूलों से उच्चतर माध्यमिक प्रणाली में जाने के लिए स्कूलों से आठवां दर्जा पास करने वाले छात्रों के लिए कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है, यदि हां, तो इसको मुख्य बातें क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा सस्कति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान नियमों के अधीन, जिस छात्र ने किसी बोर्ड अथवा किसी राज्यसंघ क्षेत्र के शिक्षा विभाग के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8 वीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं की है, उसे बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी स्कूल की नवीं कक्षा में

दाखिल नहीं किया जाएगा। भारत के पब्लिक स्कूल आम तौर पर या तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, अथवा भारतीय स्कूल सर्टीफिकेट परिक्षा परिषद से संबंद्ध हैं। बोर्ड अथवा परिषद से जो स्कूल संबद्ध है, वे मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। डिफेंस सर्विसेज पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली, भारतीय स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद से संबद्ध है। अतः इस स्कूल से अथवा अन्य पब्लिक स्कूलों से आठवीं कक्षा पास करने वाले छात्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की नवीं कक्षा में प्रनेश पाने के पात्र हैं। बोर्ड से संबंद्ध स्कूलों को प्रिंसिपलों को नवीं कक्षा के लिए दाखिल के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार हैं।

चूकि भारत के पब्लिक स्कूल या तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अथवा भारतीय स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा परिशद से संबद्ध है, अत : पब्लिक स्कूल प्रणाली से उच्च स्कूल प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

छोटे और सीमान्त किसनों के लिए उर्वनकों को सहायता प्राप्त मूल्यों पर उपलबृध करने की योजना

4613. श्री बी० वी० नायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता देने की दृष्टि से सरकार का विचार उनके लिये उर्वरकों को सहायता-प्रक्त मूल्यों यर उपलब्ध करने का है और यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) तथा (ख) सरकार का लघु तथा सीमान्त कृषकों की योजनाओं के ढ़ाचे के अन्तर्गत उर्वरकों के उपयोग में छोटे तथा सीमान्त कृषिकों की सहायता करने का प्रस्ताव है लघु कृषि विकास एजेन्सियां आदानों की लागत में राज सहायता प्रदान कर सकतीं हैं, जिसमें उर्वरकों के प्रत्येक प्रदर्शन के लिये 20 रुपये तक राज सहायता सम्मिलित है, किन्तु यह राज सहायता प्रत्येक एजेन्सी के मामले में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह व्यवस्था छोटे तथा सीमान्त कृषकों को नये फसल प्रतिमान बीजों की अधिक उत्पादनशील किस्मों तथा उन्नत पैकेज प्रणायियें अपनाने के योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई हैं।

सीमान्त कृषकों की योजना के अन्तर्गत, उन्हें अधिक उत्पादनशील किस्मों की कृषि प्रारम्भ करने की दिशा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एजेनसियां उर्वरकों के लिये 33⅓ प्रतिशत तक राज सहायता देती हें, किन्तु यह सहायता प्रत्येक भागीदार के मामले में दो फसल मौसमों के लिये 100 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कुछ एजेन्सियों में, जहां कि परिवहन लागत काफी है, आदानों के परिवहन के लिये भी राज सहायता देने की व्यवस्था हैं।

Setting up of a Sugar Mill in Ghazipur Uitar Pradesh

4614. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether the Government of Uttar Pradesh have sent any proposal for setting up of a sugar mill in Ghazipur District, Uttar Pradesh ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) the nature of assistance sought from the Central Government ?

The Ministir of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) (a) Yes, Sir.

(b) A 1250 tonnes cane crushing capacity sugar factory is proposed to be set up in the public sector by the U. P. State Sugar Corporation Ltd., at Nandganj, Tehsil Saidapur, in District Ghazipur.

(c) No assistance has been sought from the Central Government for setting up this factory.

अनुसूचित जातियों ! जन जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृतियां

4615. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों से मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृत्तियों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितनी छात्रवृत्तियां मंजूर की गई ;

(ग) इन तीनों वर्षों में कितना धन व्यय किया गया है ;

(घ) इन छात्रों की बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग)

वर्ष	आवेदन पत्रों की कुल संख्या	प्रदान की गई छात्र-वृत्तियों की कुल संख्या	कुल व्यय (रुपये लाखों में)
1968-69	166375	156853	750 43
1969-70	193000	178000	867.50
1970-71	205000	187000	1017.80

ये अनुमानित आंकड़े हैं क्योंकि राज्य सरकारों। केन्द शासित क्षेत्र प्रशासनों से अन्तिम आंकड़े दर्शाने वाली रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) राज्य सरकारों। केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने-अपने वचनबद्ध हिस्से से अधिक किए गए सम्पूर्ण अतिरिक्त व्यय को भारत सरकार वहन करती है ताकि धन की कमी के कारण कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए ।

न्यू मोती नगर, दिल्ली में क्वाटरों के अलाटियों से लिया जाने वाला जल-शुल्क

4616. श्रीमती मुकुल बनर्जी : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** 3 अप्रैल, 1972 के उतारांकित प्रश्न संख्या 1861 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मोती नगर कालोनी दिल्ली के इन क्वाटरों के अलाटियों को पानी के कनेक्शन न दिये जाने पर भी उनसे पानी का शुल्क लिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनसे लिये जा चुके इस शुल्क को लौटाने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) आवंटियों को सार्वजनिक नलों से जल की सप्लाई के प्रभारों की वसूली समान दर पर की जा रही है।

(ख) दिल्ली नगर निगम जल प्रभार वापस करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

नमकीन और क्षारयुक्त भूमि का क्षेत्रफल और इसे खेती योग्य बनाने के नए तरीके का विकास

4617. श्री वी० बी० नायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय भू-लवणता अनुसंधान संस्थान ने नमकीन और क्षारयुक्त भूमि को पुनः खेती योग्य बनाने के किसी नये तरीके का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी भूमि बेकार पड़ी है ; और

(ग) उक्त संस्थान द्वारा विकसित इस नये तरीके मे प्रत्येक राज्य में भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं और ऐसी सम्पूर्ण भूमि को कब तक उपजाऊ बना दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में रांज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। लवणीय। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए 15 मीटरी टन जिप्सम का प्रयोग किया गया है और 10-15 सेंटीमीटर भूमि की ऊपरी तह में उसे भली-भांति मिश्रित किया गया है। जिप्सम के प्रयोग के उपरान्त सुस्थिर कृषि-शस्त्र पद्धतियो को अपना कर और ग्राईआर-8-68 या आईआर-8 जैसी चावल की अधिक उत्पादनशील किस्मे और 'कल्याण सोना' जैसी गेहूं की किस्म का प्रयोग करके बारी-बारी से चावल-गेहूं बोया जाता है। फसल उगाने में नाइट्रोजनपूरक और फास्फेटपूरक उर्वरक की अधिक मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। चावल की फसल के लिए प्रति हैक्टर 45 किलोग्राम जिंक सल्फैड के आधारिक प्रयोग की सिफारिश की गई है। फसलों की पर्याप्त और अधिक निरन्तर सिंचाई के लिए अच्छी कोटि के जल की व्यवस्था की गई है। जहाँ काफी जल उपलब्ध है वहाँ 15 मीटरी टन जिप्स का प्रयोग करने के उपरान्त, 60 किलोग्राम प्रति हैक्टर बीज दर से, विशेषकर जल में बीज भिगोये बिना बोकर ग्रीष्म महीनों में सिंचाई करके ढेंचा फसल उगाई जाती है।60-70 दिन की बढ़ोतरी अवधि के उपरान्त चावल के प्रतिरोपण से पूर्व हरी खाद देने के उद्देश्य से ढेंचा फसल में हल चलाया जाता है। चावल की फसल के पश्चात उसमें और जिप्सम डाले बिना गेहूँ बोई जाती है। अधिक जल वाली भूमि में अच्छी निकास प्रणाली का होना आवश्यक है।

(ख) यद्यपि कोई क्रमबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथापि मोटे अनुमानों से पता चलता है कि लवणता और क्षारीयता से लगभग 70 लाख हैक्टर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसमें से अधिकांश दो-तिहाई क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के

क्षारीय मैदानों में हैं । शेष क्षेत्र अन्य राज्यों में है, जिनमें से कुछ तट के साथ ही डेल्टा की भूमि है । लवणता और क्षारीयता से प्रभावित भूमि का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	क्षेत्र लाख एंकड़ों में
उत्तर प्रदेश	12.95
गुजरात	12.14
पश्चिम बंगाल	8.50
राजस्थान	7.20
पंजाब	6.88
महाराष्ट्र	5.34
हरियाणा	5 26
उड़ीसा	4.04
मैसूर	4.04
मध्य प्रदेश	4.24
आन्ध्र प्रदेश	0.42
दिल्ली	0.16
केरल	0.16
बिहार	0.04
तमिल नाडू	0.04
कुल	69.49 लाख एकड़ (70,00 लाख हैक्टर)

(ग) हरियाणा और पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने भूमि सुधार की मार्गदर्शी परियोजनायें शुरू करने का कार्यक्रम बनाया है । पांचवी योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसंधान परिणामों के आधार पर क्षारीय और लवणीय भूमि के सुधार के लिए चुनींदा मार्गदर्शी परियोजनायें शुरू करने का विचार है । परन्तु, इस अवस्था में यह कठिन है कि देश में लवणीय भूमि का कब तक सुधार किया जाएगा ।

Provision of Separate Water Tapes in Servant Quarters of M. Ps.

4618. Shri Hukam Chand Kachwai ; Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Works and Honsing** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3059 on the 17th April, 1972 and state :

(a) The number of such servant quarters of M.Ps. under the charge of the C. P. W. D Enquiry Offices at North Avenue, South Avenue aud Ferozeshah Road which have been provided with separate water taps inside the quarters and the number of those which have been provided with common water taps; and

(b) the action proposed to be taken by Government to provide all the servant quarters with separate water taps inside the quarters ?

The Minisier of State in the Ministry of Works and Housinr (Shri I. K. Gujral) (a) 34 servants quarters in North Avenue and South Avenue which were constructed in 1968-69 have got attached kitchen, bathroom and W. C. Hence separate taps exist inside the servants' quarters. The remaining 299 servants quarters in North Avenue and South Avenue and all the 107 servants quarters in Ferozeshah Road which were constructed earlier, have common bathrooms and water closets.

(b) There is no proposal under consideration of Government to provide separate water taps inside all the servants quarters.

परिवार नियोजन विरोधी सम्मेलन

4619. श्री वनमाली पटनायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में पहला परिवार नियोजन विरोधी सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या प्रस्ताव पास हुआ ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी हैं ।

(ख) सम्मेलन में पारित किए गए संकल्पों की एक प्रति मांगी गई है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संकल्प प्राप्त नहीं हुए हैं ।

तिलहनों की आवश्यकता तथा उत्पादन

4620. श्री पी० वेंकटा सुब्बया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांग की अपेक्षा तिलहनों का उत्पादन कम रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष, इनकी माँग और उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ? और

(ग) इनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । साधारणतया उत्पादन माँग के अनुसार नहीं रहा है ।

(ख) खपत के व्यापक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि मांग में कुछ हद तक मूल्य-परिवर्तन, आय के स्तर, उपयोग के प्रतिमानों; जनसंख्या में कृषि आदि के कारण परिवर्तन होता रहा है, देश में तिलहन की आवश्यकताओं का सही सही अनुमान लगाना संभव नहीं है । 1968-69 से 1970-71 तक के पिछले तीन

वर्षों में पांच प्रमुख तिलहनों के उत्पादन का अनुमान निम्नलिखित है :

वर्ष	लाख मीटरी टन	
1968-69	6845	(आशिक संशोधित अनुमान)
1969-70	77,34	(,, ,, ,,)
1970-71	91,88	(अन्तिम अनुमान)

वर्ष 1971-72 के लिये इसी प्रकार का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) आवश्यकता की पूर्ती के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :

(1) मूंगफली की सघन खेती करना

(2) तोरिया-सरसों पर 'ऐफिडर्म की रोकथाम के लिये व्यापक वनस्पति रक्षण अभियान का आयोजन करना ।

(3) आरंडी की आर्थिक उत्पादनशी किस्मों का वितार करना

(4) ग्रीष्म कालीन मूंगफली और तिल की दोहरी फसलों के अन्तर्गत सिंजित क्षेत्र में वृद्धि करना ।

(5) सोधावीन तथा सूरजमुखी आदि अपरम्परागत तिलहनों का उपयोग करना ।

(6) उपयुक्त क्षेत्रों में 'रेड आय का पाम' के बागान लगाना ।

(7) इसके अतिरिक्त विनौले, पान की भूसी और वृक्षों से प्राप्त होने वाले अन्य गौण तिलहनों से मिलने वाले तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं । इसके लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं । इसके लिये साबुन निर्माण में वृक्षों से प्राप्त होने वाले तथा चावल की भूसी के तेल के प्रयोग* पर उत्पादन शुल्क में छूट देकर वित्तीय प्रोत्साहन भी दिये जा रहे हैं ।

तथा वनस्पति के निर्माण में विनौले और चावल की भूसी के तेल के प्रयोग ।

चीनी संबन्धी दीर्घकालीन नीति

4621. श्री पी० वैंकटासुबैया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या चीनी उत्पादन की गति अनिश्चित रही है और चीनी सम्बन्धी नीति भी प्रत्येक वर्ष बदलती रही है ;

(ख) क्या देश की मार्ग और निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए चीनी की दीर्घकालीन नीति बनाने की वाँछनोयता पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में और गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० और सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : जलवायु संबधी स्थितियों में परिवर्तन, अन्य फसलों से प्रतिस्पर्द्धा और गन्ने से चीनी बनाने की बजाय गुड़ तथा खंडसारी बनाने गन्ने से गुड़ तथा खंडसारी बनाने की बजाय चीनी बनाने के कारण चीनी के उत्पादन में सामयिक उतार-चढ़ाव की दृष्टि में चीनी के लिए दीर्घकालिक नीति बनाने में ये जटिल समस्यायें अन्तर्निहित हैं। चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की माँग के संदर्भ में चीनी उद्योग के बारे में गहराई से विचार करने के लिए सितम्बर, 1970 में नियुक्त चीनी उद्योग जाँच आयोग से यह कहा गया है कि वह इस समस्या पर भी विचार करे। गन्ने के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव, इससे गुड़, खण्डसारी और चीनी बनाने संबंधी समस्या का अध्ययन करना और इन क्षेत्रों में संतुलित विकास करने के उद्देश्य से स्थायी स्थिति लाने के लिए सुझाव देना भी आयोग का एक विचारार्थ विषय है। आयोग को अगले दस से पन्द्रह वर्ष से अधिक अवधि के लिए चीनी और संबंधित उद्योगों के विकास की रूप-रेखा के सम्बन्ध में भी सुझाव देना है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले पर विचार किया जायगा।

जहां तक गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने आर्थिक नियंत्रण या विनियंत्र की नीति अपनाई है जिसके अधीन चीनी कारखाने सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतक मूल्य से अधिक मूल्य दे सकते हैं।

आन्ध्र तट के मछुओं के गांवों में सड़क निर्माण सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन

4622. श्री के कोडंडा रामी रेड्डी क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के तटवर्ती जिलों में मछुओं के गावों में सड़कों के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये का परियोजना प्रतिवेदन भेजी हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर विश्वखाद्य कार्यक्रम के प्राधिकारियों से विचार विमर्श किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में रा य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। विश्वाखाद्य कार्यक्रम खाद्य अनाजों के रूप में सहायता प्रदान करता है जिसका श्रमिकों को उनकी मजदूरी के भाग के रूप में वितरण कर दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार ने परियोजना के लिये सामग्री, मशीनों इत्यादि की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की है। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि जब तक सामग्री और नकद मजदूरी का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाता तब तक विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ परियोजना की सहायता के लिये प्रश्न उठाये जाने की कोई सम्भावना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

विशाखापत्तनम में मत्स्य पत्तन पर व्यय के लिये मन्जूरी

4623. श्री के० कोंडया रामी रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने विशाखा पत्तनम में मत्स्य पत्तन पर होने वाले व्यय की अनुमति तथा भंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में बिलम्ब के क्या कारण हैं और केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाबि पी० शिन्दे) (क) जी हां।

(ख) मीन-उद्योग निदेशालय, आन्ध्र प्रदेश ने अगस्त, 1971 में हमें परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति भेजी थी। संचालन प्राधिकारी अर्थात् विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने इस रिपोर्ट पर विचार नहीं किया, अतः यह सितम्बर, 1971 में उनकी भेजी गई। पत्तन न्यास की विस्तृत टिप्पणी नवम्बर, 1971 में प्राप्त हुई और इस मंत्रालय द्वारा परिवहन मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करने पर परियोजना की जांच की गई। विशाखापत्तनम पत्तन न्यास परियोजना के प्राक्कलनों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये कुछ अपेक्षित स्पष्टीकरण किया गया। उपरोक्त पत्र में पत्तन न्यास प्राधिकारियों ने विशाखापत्तनम बन्दरगाह के लिये मुद्रित परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गये 2,20 करोड़ रुपये के मूल अनुमान की तुलना में 3,075 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एक संशोधित संक्षिप्त प्राक्कलन भेजा है। पत्तन न्यास द्वारा सम्मितित की गई नई मदों को, विचार के लिए वित्त मंत्रालय भेजने के पहले, नौपरिवहन तथा जहाजरानी मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करने पर स्वीकृत किया जाना है।

मांगे गये पत्तन न्यास से दिनांक 22-4-72 को प्राप्त हुए पत्र में इसका स्पष्टीकरण।

विदेशों में पूंजी निवेश

4624. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) गत दो वर्षों में विदेशों में औद्योगिक उपक्रमों में कितनी भारतीय पूंजी लगाई गई ; और

(ख) 1970-71 और 1971-72 में स्वदेश भेजे गये लाभांशों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970 तथा 1971 के दौरान विदेशों में 33 संयुक्त उद्यमों की स्थापना के संबंध में भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसमें लगभग 3.8 करोड़ रुपये की भारतीय पूंजी का निवेश अन्तर्ग्रस्त है।

(ख) वर्ष-वार जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विदेशों में हमारे सभी संयुक्त उद्यमों द्वारा लाभांशों के रूप में अभी तक विदेशी मुद्रा के रूप में 49.27 लाख रुपये अर्जित किये गये हैं।

12 डाउन दिल्ली-हावड़ा ऐक्सप्रेस में चुनार तक एक बौगी का लगाया जाना।

4625 कुमारी कमला कुमारी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का विचार 12 डाउन दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस के साथ चुनार तक एक बौगी लगाने का तथा बाद में इसे पालामऊ और मिर्जापुर में होकर चलने वाली पैसेन्जर गाड़ी के साथ गरवा रोड। डाल्टनगंज तक जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा।

रेलमंत्री (श्री के हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युत सहकारिता समितियों द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की योजना

4626. कुमारी कमला कुमारी : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार गाँवों में ग्रामीण विद्युत सहकारिता समितियों द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंन्तर्गत विहार के गांवों में भी बिजली दी जा रही; और

(ग) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत बिजली का कनैक्शन लेने बाले छोटे किसानों को कोई सहायता दी जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) से (ग) : भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, ग्राम विद्युतीकरण निगम, जिसकी स्थापना जुलाई, 1969 से की गई है, पांच पाइलट ग्राम विद्युत सहकारी संस्थाओं की स्कीमों को, जिनमें से आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रत्येक में एक है, धन दे रहा है। इन सहकारी संस्थाओं को राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा सप्लाई की गई थोक विद्युत की खरीद करने और उन्हें ग्रामों और पंपसेटों के विद्युतीकरण और घरेलू रोशनी और लघु एवं कृषि उद्योगों के लिए विद्युत की व्यवस्था के लिए परियोजना-क्षेत्रों में विद्युत के प्रेषण और वितरण की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। निगम देश के अन्य क्षेत्रों में और अधिक ग्राम विद्युत सहकारिताओं की स्थापना करने और उन्हें धन देने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में विहार राज्य विद्युत बोर्ड ने पटना जिले में एकंगर सराह में एक पाइलर ग्राम विद्युत सहकारी संस्था की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है। निगम ने एक मूल्याँकन समिति की स्थापना की है जो संगठन के सभी पहलुओं की और पांच पाइलट ग्राम विद्युत सहकारी संस्थाओं के मौजूदा कार्य-पालन की जाँच अन्य बातों के अतिरिक्त, देश में और अधिक ग्राम विद्युत सहकारी सस्थाओं की स्थापना के लिए मार्गदर्शक-रेखाएँ सुझाने के उद्देश्य से कर रहा है। विहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्कीम की जांच निगम द्वारा स्थापित समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी। समिति की सिफारिशों के लगभग 7 महीनों में निगम को प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

अल्युमिनियम उद्योगों को सप्लाई की जाने वाली बिजली की दर

4627. कुमारी कमला कुमारी : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी एल्युमिनियम उद्योगों को किस दर पर बिजली सप्लाई की जाती है ;

(ख) क्या एल्युमिनियम उद्योग की जिस दर पर बिजली सप्लाई की जाती है वह न्यूनतम है और किसानों को जिस दर बिजली सप्लाई की जाती है वह अधिकतम हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) विभिन्न राज्यों में अल्युमिनियम उद्योगों के लिए चार्ज की जाने वाली बिजली दरें नीचे दी जाती हैं :—

राज्य	पैसे/यूनिट में औसत दर
केरल	* 1.24 (66 के० वी०) * 1.23 (110 के० वी०)
मैसूर	1.90 जमा 220 के० वी० पारेषण वृद्धि संबंधी व्यय
उड़ीसा	2.39
तमिल नाडु	3.24 (कर्षण संयंत्र) 1.52 (प्रंगालक संयंत्र)
उत्तर प्रदेश 1.997717 पर	55 मेगावट जल विद्युत् और शेष की पूर्ति अपने ताप विद्युत्-जनन से (135 मेगावाट-औसत लागत लगभग 6 पैसे/यूनिट आती हैं)
डी० वी० सी०	* 5.28

(*संशोधित दरों से संबंध में बातचीत चल रही है)

(ख) और (ग) : राज्य बिजलीं बोर्डों को यह अधिकार है कि वे विद्युत्-जनन की लागत, पारेषण और सप्लाई पर स्थिर रहते हुए विभिन्न वर्गों के उपभोग्ताओं को दी जाने वाली बिजली सप्लाइ की दरें निश्चित करें। कृषकों को विद्युत् की सप्लाई आम तौर पर 400 वोल्ट पर दी जाती है जिसमें उच्च वोल्टता से पारेषण और निम्न वोल्टता पर वितरण का व्यय सम्मिलित होता है जबकि भारी उद्योगों को विद्युत् की सप्लाई उच्च बोल्टता पर ही की जाती है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के मामले में सप्लाउ की वोल्टता न्यूनतम मांग और खपत और थार तत्व और अधिक होते हैं। इन्हीं कारणों से अल्युमिनियम उद्योग जैसे विद्युत् के उपयोग वाले प्रकृष्ट (पावर इंटेन्सिव) उद्योग के लिए टैरिफ कृषि कार्यों की तुलना में कम हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को चाज़ की जाने वाली बिजनी-दरें ही आम तौर पर सबसे अधिक होती हैं, न कि वे दरें जो कृषकों से चार्ज की जाने वाली होती हैं। उन लघु उद्योगों के लिए जिन्हें उतनी वोल्टता पर विद्युत् की सप्लाई की जाती है, जिस पर किसानों को दी जाती है विद्युत् की दरें या तो वही या अधिकांया राज्यों में उनसे अधिक होती हैं।

Incidents of Theft, Dacoity and Kidnapping of Girls on Central Railway.

4628. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of theft, dacoity and kidnapping of girls on the Central Railway during 1970-71;

(b) the number of cases in which culprits were arrested and action was taken against them; and

(c) the remedial steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) :

(a) Theft : 5973 cases
Dacoity : 15 cases
Kidnapping : Nil

(b) 1759 cases were detected in which 1868 culprits were arrested. Out of which 1405 were convicted. Besides, 19 railway employees were punished departmentally.

(c) (i) Almost all night passenger trains are being escorted by Government Railway Police in the affected sections.

(ii) Unobstrusive watch is being kept by the Railway Protection Force/Government Railway Police on the activities of known criminals.

(iii) Important yards and Godowns are guarded by the Railway Protection Force round the clock.

(iv) Liaison is maintained with the State Police for checking crime in passenger trains.

Rural Electrification Schemes Recommended By Madhya Pradesh.

4629. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether some new projects for rural electrification have recently been sent to the Central Government by the Government of Madhya Pradesh;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the decision taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) (a) to (c) : The Rural Electrification Corporation which has been setup in the Central Sector since July 1969, provides additive finances to the State Electricity Boards for implementation of rural electrification schemes. Up to March, 1972, the Corporation has sanctioned 16 schemes in Madhya Pradesh envisaging loan assistance of Rs. 8.54 crores for the electrification of 37051 pumpsets and 759 villages. Out of these, 8 schemes relate to backward areas which have been provided loans on concessional terms. 36 rural electrification schemes of the Madhya Pradesh Electricity Board estimated to cost about Rs. 14 crores for the electrification of 1435 villages and 40208 pumpsets/tubewells are pending consideration of the Rural Electrification Corporation. These are being examined in accordance with the criteria laid down by the Corporation and will be taken up individually for sanction, depending upon the availability of funds for sanction of such schemes of Madhya Pradesh and other State Electricity Boards.

Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh

4630. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of sick textile mills along with their locations closed down in Madhya Pradesh during 1969-70;

(b) the number of the mills taken over by the National Textile Corporation during the said period; and

(c) the number of workers retained on their respective jobs as a result of the action taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) :

(a) New Bhopal Textiles Ltd., Bhopal and Burhanpur Tapti Mills, Burhanpur in Madhya Pradesh closed down for short periods during 1969-70.

(b) No mill in Madhya Pradesh has been taken over by the National Textile Corporation during 1969-70.

(c) Does not arise.

नर्मदा जल विवाद

4631. श्री बेकारिया :
श्री प्रसन्नभाई मेहता : } : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों द्वारा व्यक्त किये गये इन विचारों का पता है कि वे नर्मदा-जल विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के इच्छुक है ; और

(ख) क्या उक्त मामले का समाधान करने के लिए तीनों मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलाने के लिए पहल करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) प्रेस रिपोर्ट देख ली गई है।

(ग) यदि राज्य सहायता चाहेंगे तो केन्द्रीय सरकार को उनकी सहायता करने में प्रसन्नता ही होगी लेकिन पहल राज्यों को ही करनी पड़ेगी ।

Construction of an over-bridge between Bhusaval and Itarsi (Central Railway)

4632. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any Station between Bhusaval and Itarsi where an over-bridge is being constructed; and

(b) if so, the name thereof and the time by which it will be completed ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No. (b) Does not arise.

केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल में बिजली परियोजनाओं का निर्माण

4633. श्री बयालार रवि : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केरल में कुछ पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण को कुछ शर्तों पर अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ।

(ख) यदि हां, तो क्या शर्तें रखी गई है और उन पर केरल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल में किसी नई जल-विद्युत परियोजना के निर्माण को हाथ में लेने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दूरगामी रेलगाड़ियों की गति का बढ़ाया जाना

4634. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व चैयरमैंन ने दूरगामी रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए कोइ योजना बनाई थी ;

(ख) क्या अब इस प्रस्ताव को त्याग देने का निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

धोती, साड़ी तथा तौलिपे बनाने के लिये हथकरघा उद्योग को एकाधिकार

4635. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार के इस निर्णय का पता हैं जिसमें उसने धोती, साड़ी तथा तौलिये बनाने के लिये हथकरघा उद्योग को एकाधिकार देने की बात कही है ताकि हथकरघों के बुनकरों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों को ऐसी ही कार्यवाही करने के लिये परामर्श देने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचारधीन है ;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी कार्यवाही के बारे में कोई और सुझाव दिये हैं जो हथकरघा उद्योग के हित में हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेशी व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जीं नहीं । फिर भी, कुछ किस्मों की धोतियों, साड़ियों तथा तौलियों का उत्पादन पहले ही हथकरघों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

येरागुन्तला, कडुप्पा और कोदूर स्टेशनों (दक्षिण रेलवे) के लिए माल डिब्बे

4636. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) येरागुन्तला रेलवे स्टेशन से मूंगफली का तेल, आयल केक और तेल के बीजों के लिए, कडुप्पा रेलवे स्टेशन से हल्दी और कोदूर रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) से वेराइट्स के परिवहन के लिए वर्ष में औसतन कितने माल डिब्बों की आवश्यकता होती हैं और 1969, 1970 और 1971 में स्टेशन-वार और वर्ष-वार कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराये गये ; और

(ख) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) येरागुन्तला रेलवे स्टेशन से मूंगफली के तेल, खली और तिलहन के लिए, कडुप्पा रेलवे स्टेशन से हल्दी और कडूर रेलवे स्टेशन से वेराइटिस के संकलन के लिए एक वर्ष के दौरान अपेक्षित माल डिब्बों की औसत संख्या और 1969-70 और 1971 में उन जिन्सों से लादे गये माल डिब्बों की संख्या नीचे बतायी गयी है :–

	वर्ष के दौरान अपेक्षित माल डिब्बों की औसत संख्या	लादे गये माल डिब्बों की संख्या		
		1969	1970	1971
येरागुन्तला				
(i) मूंगफली का तेल	250	157	309	274
(ii) खली	360	247	506	328
(iii) तिलहन	190	171	175	227
कडुप्पा				
इमली	170	150	178	176
कडूरु				
वेराइटिस	1300	1326	1113	1446

(ख) 1969, 1970 और 1971 के दौरान लदान लगभग साथ के साथ होता रहा है। इन जिन्सों का लदान सन्तोषजनक स्तर पर हो इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।

नई रेलवे लाइनों के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव

4637. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइने बिछाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सुझाया गया प्राथमिकता क्रम क्या है ; और

(ग) इन प्रस्तावों के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने जिस अग्रता क्रम में नई लाइनों के बिछाने का सुझाव दिया है उनसे सम्बन्धित प्रस्तावों तथा उनकी वर्तमान

स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

लाइन का नाम	वर्तमान स्थिति
(1) नागार्जुन सागर के रास्ते ओंगल से हैदराबाद तक	सिकन्दराबाद (बीबी नगर) नाडिकुडे तक (गुंटूर-मंचरेला खंड के आयान परिवर्तन सहित) एक नयी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही है। इस जांच के पूरा हो जाने के बाद ही इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जायेगा।
(2) वैलडिल्ला से कोठेगुड़म तक (मद्राचेलम रोड़)	1965 में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला कि इस लाइन का औचित्य तभी होगा जब दण्डकारण्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास हो जाये जिसके लक्षण अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं।
(3) मद्राचेलम रोड कोव्यूर	1966 में किये व्यावहारिकता एवम् लागत अध्ययनों से पता चला था कि यह लाइन लाभकर नहीं होगी। फिर भी अध्ययन रिपोर्ट को हाल ही में अद्यतन बना लिया गया है। इस अद्यतीकरण के अनुसार यह रेल सम्पर्क अभी भी अत्यधिक अलाभकर होगा। फिर भी, रेलवे बोर्ड द्वारा इस समय इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है !
(4) निज़ामाबाद-पेडापल्लि	पूर्ववर्ती जांच-पड़ताल से पता चला था कि वित्तीय दृष्टि से इस लाईन का निर्माण करना उचित नहीं होगा। अर्थोपाय की वर्तमान कठिन स्थिति के कारण इस लाइन के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है।

गुंतक्ल डिविजन (दक्षिणी रेलवे) के ब्लाक सिगनल मेन्टेनर्स, सिगनल एण्ड इन्टरलार्किंग सेनटेर्न्स और इलैट्रिक फिटर्स (टेलीग्राफ) के वेतनमान

4638. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी रेलवे में गुंतक्ल डिविजन में सिगनल तथा दूर संचार विभाग में काम कर रहे ब्लाक सिगनल मेनटेनर्स, सिगनल एण्ड इन्टलांकिन मेनटेनर्स और इलेंक्ट्रिक फिटर (दूर संचार) की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) उनके वेतनमान क्या हैं ;

(ग) 6 और 7 नवम्बर, 1970 को डिविजनल सिगनल और दूर संचार इंजीनियरों के साथ संयुक्त वार्ता में सी० एम० टी० ई० द्वारा जिन सिद्धान्तों पर निर्णय किया गया था

उनके अनुसार उनके वेतनमानों को न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) वेतनमानों के कब तक बढ़ाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख)

ब्लाक सिगनल अनुरक्षक (अति कुशल ग्रेड-1)	175-240 रुपये	1
ब्लाक सिगनल अनुरक्षक (अति कुशल ग्रेड-2)	130-212 रुपये	10
ब्लाक सिगनल अनुरक्षक (कुशल)	110-180 रुपये	7
सिगनल और इंटरलाकिंग अनुरक्षक । मान्त्रिक (कुशल)	110-180 रुपये	28
इलैक्ट्रिक फिटर (टेलिग्राफ) (कुशल)	110-180 रुपये	7

(ग) और (घ) जबकि इन पदों के ग्रेड बढ़ाने के प्रस्तावों की जांच-पड़ताल की जा रही थी, नवम्बर, 1971 में बिजली और यांत्रिक सिगनल अनुरक्षकों को उपयुक्त वेतनमान प्रदान करने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देश ज़ारी किये गये थे। इन आदेशों के अनुसार विभिन्न कोटियों का दर्जा बढ़ाने और उपयुक्त वेतनमान प्रदान करने का काम हो रहा है। आशा है, 31-7-1972 तक यह काम पूरा हो जायेगा।

दक्षिण रेलवे में पूछताछ एवं आरक्षण क्लर्कों की कार्मशियल इंस्पैक्ट्रों के रूप में पदोन्नति

4639. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी रेलवे में डिविजन-वार गत एक वर्ष में कितने पूछताछ एवं आरक्षण क्लर्कों को रु० 450-575 के ग्रेढ में कार्मशियल इंसपैक्टरों के रूप में पदोन्नत किया गया ;

(ख) क्या उनके पास कार्मशियल इंसपैक्टरों के पदों के लिए अपेक्षित अर्हता थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी पदोन्नत किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) मुख्यालय में 370-475 रुपये वेतन-मान की पूछताछ और आरक्षण सम्बन्धी दो वरिष्ठतम महिला मुख्य पर्यवेक्षकों को अस्थायी रूप में 6 माह की जांच के आधार पर पदोन्नत किया गया है। उपयुक्तता की जांच कर लेने के बाद उन पदों पर उन्हें बने रहने के विषय में विनिश्चय किया जायेगा।

मंडलों में किसी को भी पदोन्नति नहीं किया गया है।

दक्षिण रेलवे में वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति

4640. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दक्षिण रेलवे में, मंडलवार, गत एक वर्ष में कुल कितने जांच तथा आरक्षण क्लर्कों की रु० 450-575 के ग्रेड वाले वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति हुई हैं ;

(ख) क्या वाणिज्यिक निरीक्षकों की पदों के लिए उनके पास अपेक्षित अर्हतांएं थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको पदोन्नत किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) : मुख्यालय में पूछताछ और आरक्षण के लिए 370-475 रु० के वेतनमान की दो वरिष्ठतम महिलों मुख्य पयवेक्षकों को अस्थायी रुप से पद्रोन्नत किया गया है और छः महीने के लिए परीक्षण की अवधि रखी गयी है। उनकी उपयुक्तता की परीक्षा लेने के बाद ही इन पदों पर उनके बने रहने के बारे में निर्णय किया जायेगा।

मंडलो में किसी व्यक्ति को पदोन्नत नहीं किया गया हैं।

अरकोणम, साल्ट कोंटाराऊ (मद्रास) मद्रास मंडल (दक्षिण रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों की कमी

4641. श्री पन्नालाल बारुपाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे, मद्रास मंडल के अरकोणम्, साल्ट कौटाराऊ (मद्रास), काटपाडि और इण्डियन आयल कम्पनी साईडिग मद्रास स्टेशनों के वाणिज्यिक क्लर्कों की भारी कमी है।

(ख) यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्रत्येक स्टेशनों में कुल कितने वाणिज्यिक क्लर्क हैं ; और

(घ) स्टेशनों पर जनवरी, 1971 से दिसम्बर, 1971 तक महीनेवार कुल कितने वैगन प्राप्त हुए थे तथा भेजे गये थे ; कुल कितने वैन प्राप्त हुए और तैयार किये गये, कुल कितने बीजक जारी किये गये तथा दिये गये और कुल कितने माल डिब्बों से माल उतार कर दूसरे डिब्बों में चढ़ाया गया ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) : इस सम्बन्ध में कृपया श्री चन्द्रिका प्रसाद द्वारा 18-4-1972 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न 3210 का उत्तर देखें।

(घ) एक विवरण संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1911/72]**

Supply of Power to Villages in Sriganganagar District

4642. Shri Pannalal Barupal : Will the Minister of **Irrigation and power** be pleased to state :

(a) The number of villages in Sriganganagar District to be supplied with electric power during 1972-73 ; and

(b) the time by which electric power will be supplied to the Tehsils of Hanumangarh, Suratgarh and Matili in Distt. Sriganganagar to enable the farmers to energise the tubewells installed there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel):

(a) Out of 1538 villages in Sriganganagar District, 209 have been electrified up to 31. 3. 72. Additive finances have been provided by the Rural Electrification Corporation for rural electrification in Sriganganagar District. Loan assistance of about Rs. 5. 25 lakhs has been sanctioned by the Rural Electrification Corporation in August 1971 for the electrification of 34 villages and 574 pumpsets in the District. The work of electrification of 23 additional villages in Sriganganagar District is in progress during the current year 1972-73.

(b) Hanumangarh and Suratgarh Tehsil headquarters have already been electrified. Matili is not a Tehsil headquarter. Two villages namely Matili Khichran and Matili Saran in Hanumangarh Tehsil are not electrified. The Survey of these two villages has begun ; the time by which the electrification of these villages would be taken up can be indicated after the survey has been completed.

Proposal for Hydro-Electric Project in Kargil

4643. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) The time by which the proposed hydro-electric project in Kargil is likely to be undertaken ; and

(b) the expenditure to be incurred thereon and the generation capacity thereof ;

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel :

(a) A preliminary scheme report covering the Suru Hydro Electric Project near Kargil has been prepared. Decision regarding execution of the Project can be taken after certain further investigations which are in hand.

(b) The project is estimated to cost Rs. 7 crores and will have an installed capacity of 9600 kw comprising four units of 2400 kw each.

Programme for Developing Irrigation Facilities in Ladakh

4644. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether Government are chalking out any comprehensive programme for developing irrigation facilities in ladakh on the Japanese pattern ; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the acreage of land likely to be irrigated under the new scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) It is reported that the Jammu and Kashmir Government is trying to develop irrigation facilities in Ladakh by lift pumps through the Cooperative Societies. This is however, still in an experimental stage.

कानपुर सेन्ट्रल गुड्ज शेड में सामान उतारने चढ़ाने के ठेके के बारे में मध्यस्थ निर्णय

4645. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बलवन्तराय मंगल ने कानपुर सेन्ट्रल गुड्स शैड में माल उतारने चढ़ाने के ठेके के बारे में हुए करार के खण्ड 33 के अनुसार मध्यस्थ निर्णय के लिए आवेदन-पत्र दिया था ;

(ख) यदि हां, तो पार्टी द्वारा रेलवे के विरुद्ध किये गये दावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या एकमात्र मध्यस्थ ने इस बीच अपना फैसला दे दिया है और यदि हां; तो इसका सारांश क्या है; और

(घ) क्या मध्यस्थ के फैसले को न्यायालय में चुनौती देने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) 11031.00 रुपये के दावे ।

(ग) विवाचक ने ठेकेदार के पक्ष में 11031.00 रुपये का निर्णय दिया हैं ?

(घ) रेल प्रशासन द्वारा विवाचक-निर्णय की जांच की जा रही है । जांच पूरी हो जाने के बाद ही विनिश्चय किया जायेगा कि उक्त निर्णय को चुनौती दी जाय, अथवा नहीं ।

उत्तर रेलवे के बीकानेर, जोधपुर, फीरोजपुर और दिल्ली मण्डलों के स्टेशनों पर माल/पार्सल चढ़ाने व उतारने के ठेके के बारे में मध्यस्था करने के लिए आवेदन करने वाली पार्टिया

4646. श्री ईश्वर चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर रेलवे के बीकानेर, जोधपुर, फीरोजपुर और दिल्ली मण्डलों के स्टेशनों पर माल/पार्सल चढ़ाने व उतारने के ठेके के बारे में मध्यस्था करने के लिए किन पार्टियों ने आवेदन किया है ;

(ख) किन पार्टियों के अनुरोध स्वीकार किये गये थे ;

(ग) किन पार्टियों ने मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए न्यायालय में आवेदन किया है और सरकार को इन मामलों में बचाव के लिए कितना व्यय करना पड़ा है ; और

(घ) अनावश्यक मुकदमेवाजी से बचने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पार्टियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मेसर्स मेकेनोस, जोधपुर ।
2. मेसर्स गनपत राय सहगल एण्ड कम्पनी, फिरोजपुर ।
3. मेसर्स वजीर चन्द एण्ड कं०, दिल्ली ।
4. मेसर्स हसीन कोआपरेटिव लेवर एण्ड कन्स्ट्रक्शनस् सोसाइटी लि०, दिल्ली ।
5. मेसर्स आर० बी० रोची राम खत्तर एण्ड कं०, दिल्ली ।
6. मेसर्स एस० गोपाल एण्ड कं०, दिल्ली ।

(ख) 1. मेसर्स हथीन कोआपरेटिव लेबर एण्ड कंस्ट्रक्शनस् सोसाइटी लि०, दिल्ली ।

2. मेसर्स आर० वी० रोची राम खत्तर एण्ड कं०, दिल्ली ।

3. मेसर्स एस० गोपाल एण्ड क०, दिल्ली ।

(ग) फिरोजपुर की मेसर्स गनपत राय सहगल एण्ड कं०, से विवाचक की नियुक्ति के लिए दो मौकों पर न्यायालय से प्रार्थना की । एक मामले में 305-75 रुपये खर्च हुए । दूसरे मामले के खर्च के सम्बन्ध में पता नहीं है, क्योंकि रेलवे एडवोकेट ने अभी तक पैसा नहीं मांगा है ।

(घ) बातचीत करके ठेकेदार के साथ विवाद तय करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है और ठेकेदारों द्वारा विवाद के सम्बन्ध में निम्न प्राधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों पर हमेशा सहानुभूतिपूर्वक और निष्पक्ष भाव से विचार किया जाता है । इसके अलावा प्रत्येक रेलवे में विधि शाखा खोली गयी है जिसके प्रधान पूर्ण अर्हता प्राप्त विधि अधिकारी होते है जिनकी सलाह विवाचन के लिए प्राप्त प्रत्येक आवेदन के सम्बन्ध में ली जाती है ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके ।

आन्ध्र प्रदेश में रुई के मूल्य में कमी

4647. श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रुई के मूल्य में अत्यधिक कमी के कारण आन्ध्र प्रदेश के किसानों में व्याप्त चिन्ता और रोष की ओर दिलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय रुई निगम ने सरकार द्वारा निर्धारित उचित क्रय कीमत पर आन्ध्र प्रदेश में रुई खरीदना आरम्भ कर दिया है । खरीद के काम को तेजी से बढ़ाया जा रहा है ।

दूर संचार विभाग (दक्षिण रेलवे) में कनिष्ठों की भारग्राही कार्यों के लिये नियुक्ति

4648. श्री टी०एस० लक्ष्मणन् : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में डी० आई० सी० ओ० एम० । टी० और डी० आई० सी० ओ० एम० । सी० मद्रास के नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य कर रहे दो वरिष्ट दूर संचार पतिपादकों को भारग्राही कार्यो के लिए गुडूर भेजा गया है और तदुपरान्त उन्हे अस्थायी रूप से मद्रास स्थित मुख्यालय में स्थानान्तरित कर दिया गया है जब कि उनसे कहीं अधिक कनिष्ठ डी० आई० सी० ओ एम० । टी० और डी० आई० सी० ओ० एम० । सी०, मद्रास में उपलब्ध हैं ।

(ख) क्या ऐसे भारग्राही कार्यो के लिये कनिष्ठों को नियुक्त करने की वर्तमान नीति का उल्लंघन करके ऐसा किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) :

गुड्डर स्टेशन पर दो उपयुक्त दूर-संचार अनुरक्षकों को अस्थायी रूप से, विशिष्ट महत्वपूर्ण कार्यों के लिए तैनात किया गया था। परन्तु वे भारग्राही कार्यों पर वहीं भेजे गये थे। ऐसा वर्तमान नीति के विरुद्ध नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इतवारी के गुडस तथा पार्सल हैंडलिंग ठेकेदार द्वारा मजदूरों को सेवामुक्त किया जाना

4649. श्री अजीज इमाम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 से 1970 के वर्षों के दौरान इलाहबाद लेबर सप्लाई एजेंसी, हावड़ा द्वारा इतवारी में गुडस तथा पार्शल हैंडलिंग के ठेकेदार को पकड़ लिया गया था;

(ख) क्या ठेकेदार ने करार के खंड 20 के उल्लंघन में अपने अधीन काम कर रहे अनेक कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया था;

(ग) क्या ठेकेदार द्वारा लेबर कोर्ट के निर्णय के अनुसार मजदूरों को मजूरी का भुगतान किया गया है और यदि नहीं, तो क्या प्रशासन ने करार के अनुसार ठेकेदार को दी जाने वाली राशि में से उस राशि को वसूल करने का प्रबन्ध किया है;

(घ) क्या ठेकेदार द्वारा मजदूरों के सेवा मुक्त करने की कार्यवाही किये जाने के परिणामस्वरूप वहां पर हड़तालें हुई जिससे गाड़ियों को लम्बी अवधि तक रुकना पड़ा और भारी विलम्ब-शुल्क देना पड़ा ; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितना विलम्ब-शुल्क वसूल किया गया गया और यदि विलम्ब-शुल्क वसूल नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तेया) : (क) 1-4-63 से 31-8-66 तक इतवारी स्टेशन पर माल सम्हलाई का ठेका मैसर्स इलाहबाद लेबर सप्लाई एजेंसी, हावड़ा के पास था।

(ख) से (घ) करार की वह उपधारा 18 थी न कि 20 जिसके अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा वैध कारणों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से श्रमिकों को सेवा से हटाने का निषेध किया गया है। वेतन वृद्धि की मांग के सिलसिले में श्रमिकों ने इतवारी स्टेशन पर 15-4-66 से 5-4-66 तक काम बन्द कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप माल डिब्बे रुके रहे और विलम्ब-शुल्क लगाया गया। श्रम न्यायालय द्वारा जारी किये गए किसी पंचाट की जानकारी रेल प्रशासन को नहीं है। अत: वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अप्रैल 1966 में 3501.00 रुपये और मई 1966 में 1674.50 रुपये का विलम्ब-शुल्क ठेकेदार से वसूल किया गया।

अनुसचीवीय कर्मचारियों की अधिवार्षिकी तिथि

4650. श्री रामअवतार शास्त्री : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने दक्षिण रेलवे के अनुसचिवीय कर्मचारी श्री ए० पितनुमानी के मामले में 29 अक्तूबर, 1971 को अपने निर्णय में यह कहा था कि अनुसचिवीय कर्मचारियों की अधिवार्षिकी की तिथि बिना किसी शर्त तथा विभेद के 60 वर्ष है;

(ख) क्या इलाहबाद उच्च न्यायालय ने श्री बी० पी० मित्र, हेड क्लर्क, ए० एस० ओ० आफिस, लखनऊ के मामले में अपने निर्णय में कहा था कि 1938 के पूर्वावाद के कर्मचारियों (अनुसचिवीय) का वर्गीकरण भारत के संकिधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है; और :

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं । दक्षिण मध्य रेलवे के श्री ए० पितचुमानी के मामले में 29-10-71 को दिये गये अपने निर्णय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 23-12-67 को नियम 2046 (बी)-आर II के नोचे सन्निविष्ट नोट का कुछ अंश काट दिया है और सम्बद्ध नियम में तदनुसार सशोधन कर दिया गया है । संशोधित नियम के अनुसार, भूतपूर्व-कम्पनी और भूतपूर्व रियासती रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारी, जिन्होंने सभी प्रकार से भारत की सरकारी रेलों के नियमों से अधिशासित होने का विकल्प दिया था और जो नियम 2046 (बी)-आर II में उल्लिखित शर्तों को पूरा पूरा करते हैं, 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखे जाने के पात्र है ।

(ख) जी हां, एक मात्र न्यायाधीस के निर्णय के अनुसार ।

(ग) एक मात्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मंडल बैंच, लखनऊ बैंच के समक्ष एक विशेष अपील दायर कर दी गयी है और मामला अभी न्यायाधीन है ।

दिल्ली में क्लैम इंसपैक्टरों तथा क्लैम ट्रेसरो को क्वार्टरों का (दिल्ली क्लैम आफिस उत्तर रेलवे) आबंटन

4651. श्री लालजी भाई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लैम आफिस दिल्ली, उत्तर रेलवे से सम्बन्धित क्लैम इन्सपैक्टरों तथा क्लैम ट्रेसरों को, "जो कि दिल्ली सैक्शनों के अतिरिक्त सैक्शनों पर कार्य कर रहे है," नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का लाभ देने के लिए दिल्ली में क्वार्टर दिये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के0 हनुमन्तैया)

(क) (i) उत्तर रेलवे के दिल्ली स्थिति दावा कार्यालय से सम्बद्ध किसी भी दावा निरीक्षक का मुख्यालय जो दिल्ली क्षेत्र के खण्डों पर काम न कर रहा हो, दिल्ली में नहीं रखा गया है ।

(ii) दावा अन्वेषक जो खोये हुए माल की विवरणियों को इकट्ठा करते हैं और समस्त रेल-व्यवस्था पर पूछ-ताछ का काम करते हैं, उनका मुख्यालय दिल्ली में निर्धारित है ।

(ख) दावा अन्वेषकों के कार्य की प्रकृति यह है कि उन्हें अपने खण्डों से सम्बन्धित खोये हुए माल की विवरणियों की खोज में और मामलों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल के लिए ऐसे स्टेशनों

पर भी जाना पड़ता है जो उनके कार्यक्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत नहीं आते बल्कि समग्र उत्तर रेल व्यवस्था पर फैले हुए हैं। इसलिए यह रेल प्रशासन के हित में कि इस कोटि के कर्मचारियों का मुख्यालय दिल्ली में ही रखा जाये।

कलकत्ता में चलचित्र निर्यात केन्द्र

4652. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारत के बाहर आधुनिक और उत्तम कोटि के बंगाली चलचित्रों की बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखते हुए पूर्वी भारत के लिये कलकत्ता में चलचित्र निर्यात केन्द्र खोलने आ सरकार का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

भारत सरकार ने भारतीय चलचित्र निर्यात निगम नामक की एक संस्था पहले ही बम्बई में स्थापित कर ली है जिसका मुख्य काम सभी भाषाओं की भारतीय फिल्मों का निर्यात बड़ाना है और यह आवश्यक नहीं समझा जाता कि बंगाली फिल्मों के निर्यात के काम को देखने के लिए क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किया जाए।

भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड द्वारा भूमि का निलाम

4653. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड के अधिकारी उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से नियुक्त भूमि को नीलाम करना चाहते हैं ;

(ख) क्या अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे संबंधित राज्य सरकार के उपयुक्त को ऐसी भूमि सौंप दें जैसा कि पंजाब सरकार के स्थायी आदेश संख्या 28 में कहा गया है तथा स्वीकृति किया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

(ग) क्या नीलामी के विरुद्ध सरकार को कोई अव्यावेद प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में श्री बैजनाथ कुरील उपमंत्री (क) जी, हां।

(ख) पंजाब भूमि प्रशासन पुस्तिका के स्थायी आदेश संख्या 28 के उपबंध भाखड़ा प्रबंध बोर्ड पर लागू नही होते क्योंकि यह एक सर्वाधिक निकाय है, न कि पंजाब/ हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई विभाग।

(ग) जी, हां।

(घ) भाखड़ा प्रबंध बोर्ड को सलाह दे दी गई है, कि यदि मूल स्थायी मुआवजे की उस रकम को लौटा दें जो वे पहले प्राप्त कर चुके हैं या उनकी ओर से राज्य सरकार यह पेशकश

करे कि वह अदा किए गए मुआवजे की रकम को परियोजना को लौटा कर इन जमीनों को ले लेगी, तो बोर्ड इन जमीनों की नीलामी का आग्रह न करें।

Sale of Third Class Tickets at Stations between Dhanbad and Dehri-on-Sone (Eastern Railway)

4654. Shri Ishwar Chaudhry: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the passangers are not given Third Class tickets for Express trains and are compelled to purchase First Class tickets at the Stations falling between Dhanbad and Dehri-on-Sone in Eastern Railway when third class compartments are attached to the trains running on the section;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government would provide the facility of travelling on third class tickets to the passengers in between the said Stations; and

(d) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya): (a) Third Class Mail/Express tickets are issued to passengers subject to distance restrictions applicable to certain Express trains as notified in the Time Table. These distance restrictions do not apply to all Mail and Express trains running on Dhanbad-Dehri-on-Sone Section. No body is compelled to purchase First Class ticket.

(b) The distance restrictions on certain Express trains have been imposed to avoid inconvenience to long distance passengers by overcrowding.

(c) This facility already exists in some of the Express trains and all the passenger trains running on the section.

(d) In view of reply to part (c) above, the question does not arise.

भारतीय दल की अफ्रीका के देशों की यात्रा

4655. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के एक भारतीय सरकारी दल ने हाल ही में अफ्रीका के कई देशों की यात्रा की थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) क्या भारतीय दल ने विकासशील देशों को कहा है कि वे विकसित देशो के द्वारा व्यापार करने के स्थान पर आपस में सीधे संबंध स्थापित करें ?

विदेश व्यापार मंत्रालय के उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि ये देश भारत द्वारा आयोजित किये जा रहे तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मिला 1972 में भाग लें।

(ग) इस बल ने अन्य बातों के साथ साथ, विशेषत : सान्टियागो में तृतीय अंकटाड के इस समय चल रहे खत्र के वीरान विकासशील देशों के बीच व्यापार विस्तार और आर्थिक सहयोग सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श किया।

कांच का निर्यात

4656. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान काँच के निर्यात से प्रति वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : पिछले तीन वर्षों के दौरान कांच के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हुए :—

(मूल्य लाख रुपये में)

1969-70	——	61
1970-71	——	72
1961-72 (अप्रैल-अक्टूबर)	——	42

भारतीय उपक्रमियों द्वारा मलयेशिया में कारखानों की स्थापना

4658. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपक्रमियों ने मलयेशिया के सहयोग से उस देश में कारखाने स्थापित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के कारखाने स्थापित किये गये हैं और उनमें क्या माल निर्मित होता है ;

(ग) उन भारतीय उपक्रमियों के नाम क्या हैं जिन्होंने कारखाने स्थापित किये हैं ; और

(घ) भारत को इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज : (क) से (घ) : भारत सरकार ने मलयेशिया में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये 24 भारतीय उद्यमियों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से चार ने पहले ही उत्पादन शुरु कर दिया है और शेष 20 कार्योन्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जिन चार प्रयोजनाओं ने उत्पादन शुरु कर दिया है उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

भारतीय उद्यमियों के नाम	विनिर्मित किया जाने वाला माल	सम्भाक्ति विदेशी मुद्रा
मै० गोदरेज एण्ड बोयस मैन्यु० (प्रा०) लि०, बम्बई।	स्टील फर्नीचर	लाभाँश तथा शुद्ध बिक्री व्यवसाय के 3 प्रतिशत की दर से रायल्टी।
मै० गुप्ता मशीन टूल्स, कलकत्ता।	सूक्ष्म औजार तथा गैज	लाभांश तथा शुद्ध बिक्री व्यवसाय के 2 प्रतिशत की दर से रायल्टी।

मैं० पैरीज कन्फैक्शनरी लि० मद्रास ।	मिष्टान्न	लाभांश तथा शुद्ध बिक्री व्यवसाय के 2 प्रतिशत की दर से रायल्टी ।
मैं० बिड़ला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।	सूती कपड़ा	लाभाँश तथा प्रबन्ध और तकनीकी सेवा शुल्क ।

बीड़ी का निर्यात

4659. श्री आर० वी० बड़े : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद ने भारतीय बीड़ी को लोकप्रिय बनाने और उसका विदेशों में निर्यात करने के लिये क्या विशेष प्रयास किये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास, जो सरकार द्वारा प्रायोजित संस्था है, बाजार सम्बन्धी जानकारी का प्रचार करने, विदेशों तथा भारत में होने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेने, व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजने, बाजार सर्वेक्षण करने, प्रचारक फोल्डरों का वितरण करने आदि के द्वारा तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों, जिस में बीड़ी भी शामिल है, के निर्यात बढ़ाने के लिये अनेक उपाय करती है। बीड़ी के पंजीकृत निर्यातकों को पेकिंग माल की स्वीकृत किस्मों के लिये, निर्यातों के जहाज पर मूल्य पर 2 प्रतिशत आयात प्रतिपूर्ति दी जाती है ।

लौह अयस्क का निर्यात

4660. श्री राम कंवर : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कुल कितनी मात्रा में लोह अयस्क का निर्यात किया गया था और और उससे कितनी विदेश मुद्रा अर्जित की गई थी ;

(ख) क्या हाल ही में लोह अयस्क के निर्यात में कोई कमी आई है और यदि हां, तो कितनी सीमा तक आई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान क्रमशः 100.45 करोड़ रु० मूल्य के 176.9 लाख मे० टन, 115.24 करोड़ रु० मूल्य के 208.2 लाख मे० टन तथा 113.06 करोड़ रु० मूल्य के 209.4 लाख मे० टन लोह अयस्क का निर्यात किया गया ।

(ख) जी हां, विश्व इस्पात उद्योग में इस समय मन्दी चल रही है, जिसके परिणाम-स्वरूप इस्पात उत्पादक देशों ने लोह अयस्क के आयातों में कमी कर दी । इसके अतिरिक्त अन्तरिक कठिनाइयों का भी प्रभाव पड़ा है। परिणामतः 1971-72 के लिये निश्चित 245.0 लाख मे० टन के मूल लक्ष्य के मुकाबिले में केवल 209.4 लाख मे० टन का निर्यात किया गया ।

(ग) आन्तरिक कठिनाइयों को दूर करने तथा भारत से लोह अयस्क का आयात कम न करने हेतु विदेशी खरीदारों को राज़ी करने के लिए संगठित प्रयास किये जा रहे हैं ।

सरकार द्वारा अर्जित की गई भूमि के लिए प्रतिकर के सदाय के सम्बन्ध में संविधान का संशोधन

4661. श्री राम कंवर : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन भारत के संविधान का ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे सरकार प्रतिकर के रूप में बाजार मूल्य दिये बिना किसी भी भूमि और सम्पत्ति को अर्जित कर सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम भौय रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) ऐसा कोई सामान्य प्रस्ताव तो विचाराधीन नहीं है, फिर भी एक विधेयक पुर:स्थापित किया जा चुका है जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि जब खुदकाश्त के लिए रखी जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा कम कर दी जाए तब सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उस भूमि के लिए बाज़ार मूल्य पर प्रतिकर का संदाय करे जो विधि का संशोधन करने से भूमि की अधिकतक सीमा से अधिक होगा और अर्जित कर ली जाए ।

(ख) इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण 26 अप्रैल, 1972 को इस सदन में पुर:स्थापित किए गए संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 1972 में दिया गया हैं ।

भारत-पाकिस्तान युद्ध का भारत के निर्यात पर प्रभाव

4662. श्री चिन्तामणि पाणिग्री : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध का भारत के निर्यात पर क्या असर पड़ा है ; और

(ख) इसमें सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : दिसम्बर, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आन्तिरिक परिवहन प्रणाली पर अधिक भार पड़ने तथा नौवहन के अवसर कम होने के कारण भारत के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । चूंकि युद्ध एक पखवाड़े में ही समाप्त हो गया, अत: वे कठिनाइयां अल्पावधिक थीं और अब नौवहन सुविधाओं को भी युद्ध पूर्व स्तर पर पुन: चालू कर दिया गया है ।

भारतीय पैकेजिंग संस्थान के कार्य के परिणामस्वरूप निर्यात में वृद्धि

4663. श्री पी० चिन्निबाबू : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पैकेजिंग संस्थान के कार्य से किन-किन निर्यातोन्मुख उद्योगों को लाभ पहुँचा है ; और

(ख) संस्थान के कार्य के परिणामस्वरूप निर्यात-व्यापार में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संवेष्टन के विकास में भारतीय पैकेजिंग संस्थान द्वारा जिन उद्योगों को सहायता दी गई है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) निर्यात बहुत सी बातों पर निर्भर करते हैं जिनमें से अच्छा संवेष्टन भी एक है। इस लिये, सुधरे हुए संवेष्टन के कारण सीधे निर्यातों की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई यह बताना कठिन है।

विवरण

प्रमुख उद्योग तथा वस्तुए जिन्हें भारतीय पैकेजिंग संस्थान द्वारा सहायता प्रदान की गई।

1. हल्के इंजीनियरी उद्योग जिनमें, एल्यूमीनियम, बर्तन, मोटर-गाड़ी के हिस्से पुर्जे, ताम्बे के कन्डक्टर, बिजली का सामान, मोटर साइकिलें तथा उनके हिस्से, रेडियों, टेलिप्रिन्टर आदि में लगे उद्योग भी शामिल हैं।
2. भारी इंजीनियरी उद्योग जिनमें, वस्त्र मशीनों के विनिर्माता, फोर्क लिफ्ट ट्रकें, अर्थमूवर, दूर संचार उपस्कर, ट्रक, बस का ऊपरी ढांचा आदि, शामिल हैं।
3. रासायनिक पदार्थ जिनमें कैल्सियम कार्बाइड भी शामिल है।
4. भेषजीय वस्तुएं जिनमें एन्सथैटिक वस्तुएं भी शामिल हैं।
5. शृंगार सम्बन्धी सामान जिनमें टूथपेस्ट भी शामिल है।
6. अंगराग जिसमें टैल्कम पाउडर भी शामिल है।
7. धागे विशेषतः रेयन टायर कार्ड धागे, नायलन धागे, तथा रेशम धागे।
8. वस्त्र जिसमें मखमल तथा रेशम शामिल है।
9. सिले सिलाये परिधान।
10. संवेष्टन सामग्री यथा, टिनप्लेट, नालीदार फाइबर गत्ता, ठोस रेशे का गत्ता।
11. साधित खाद्य पदार्थ जिसमें मक्की का आटा, कस्टर्ड पाउडर आदि।
12. सिगरेट।
13. साबुन जिसमें प्रक्षालन पाउडर भी शामिल है।
14. शीशे से बनी वस्तुएं तथा, फ्लास्क, रिफिल्स, शीशियां आदि।
15. चमड़े से बना सामान, जैसे जूते।

16. हस्तशिल्प, विशेषतः हाथी दांत से बनी मूर्तियां।

17. फल, अर्थात आम, सपोटा, अमरूद आदि।

18. सब्जियां, अर्थात् भिन्डी, बैंगन तथा कैप्सिकम (जिनमें साधित सब्जियाँ तथा निर्जलीकृत प्याज)

19. फूल अर्थात् गुलाब।

बंगला देश को वाणिज्यिक आधार पर भारतीय फिल्में भेजना

4664. श्री प्रिय रजन दास मुन्शी
डा० रानेन सेन } : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की वाणिज्यिक आधार पर भारतीय फिल्में भेजने का निर्णय किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मों के नाम क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : भारत तथा बंगला देश के बीच हुए व्यापार करार में बंगला देश को 15 लाख रुपये मूल्य की फिल्मों का निर्यात तथा वहां से 15 लाख रु० मूल्य की फिल्मों का आयात करने की व्यवस्था की गई है। दोनों सरकारों के बीच यह तय हो गया है कि सिनेमा फिल्मों का व्यापार भारतीय चलचित्र निर्यात निगम तथा बंगला देश के फिल्म विरास निगम द्वारा किया जायेगा। बंगला देश की निर्यात की जाने वाली विशिष्ट फिल्मों के बारे में निर्णय उपर्युक्त संगठनों के बीच किया जायेगा।

विद्यार्थियों को यात्रा के लिए रियायती टिकटें

4665. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्रालय ने रेलवे में रियायती टिकटें देना समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार विद्यार्थियों और पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को इससे छूट देने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पोलो, गोल्फ, राइफल चलाने और नौका विहार प्रतियोगी दलों का स्वीकार्य रियावतें खत्म कर दी गयी हैं। अंधे व्यक्तियों, क्षय और कैंसर के रोगियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को इस समय केवल तीसरे दर्ज में यात्रा करने की रियायत स्वीकार्य है।

(ख) तीसरे दर्जे की रियायत की ग्रहयता को प्रतिबन्धित करने का उपर्युक्त बिनिश्चव विद्यार्थियों पर भी लागू हैं। इस निर्णय से पहले भी स्वतंत्रया संग्राम के पेंशनधारियों को किसी दर्जे में रियायत नहीं दी जाती थी।

गंगा बेसिन के लिए आयोग

4666. श्री निहार लास्कर
श्री प्रसन्नभाई मेहता } : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्बद्ध विभिन्न राज्यों में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के समन्वय और कार्यान्वयन के विचार से गंगा बेसिन के लिए एक आयोग का गठन किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के निर्देश-पदों और रचना का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) आयोग के अन्तर्गत कौन-कौन से राज्य आएंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : गंगा बेसिन में, जिसके अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्य आते हैं। बाढ़, भूमि-कटाव और जल-निकास की समस्याओं के समाधान के लिए एक संलकित योजना तैयार करने के लिए और इसे एक समन्वित रुप में कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने गगा बाढ निर्माण आयोग गठित किया है।

आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो सदस्य, एक आयोजन के लिए और दूसरे समन्वित के लिए हैं। इसके अतरिक्त, बिहार उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के रोज्यों में बाढ़ नियन्त्रण के प्रथारी मुख्य इंजीनियर आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं।

आयोग के कार्य ये हैं :—

(1) गंगा वेसिन के लिए बाढ़-नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार करना। इस प्रयोजन के लिए क्षेत्र-अन्वेषण और आकड़ा-मत्रण के कार्य गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के निदेशानुसार राज्य सरकारें करेंगी ;

(2) वेसिनवार योजनाओं में सम्मिलित निर्माण कार्यों के कार्यान्वियन के लिए एक चरणबद्ध और समन्वित कार्यक्रम तैयार करना ;

(3) निर्माण कार्यों के उचित स्तर तक कार्यान्वयन और उनके अनुरक्षण का सुनिश्चय करना ;

(4) बोर्ड के विचारार्थ जहाँ कहीं अपेक्षित हो, निर्माण-कार्यों का वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना और लागत का नियतन ;

(5) बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी-प्रणालियों का प्रचालन ;

(6) वाढ़ नियंत्रण उपायों के निष्पादन का मूल्यांकन ; और

(7) सड़क और रेल-पुलों के नीचे के निकास-मार्गों का एक अनुमान तैयार करना और जल-निकास संकुलता को समुचित सीमाओं तक कम करने के लिए व्यवस्था किये जाने वाले अतिरिक्त जल-मार्गों का निर्धारित करना।

बंगलौर नगर में स्टेशन के लिए नवनिर्मित भवन में चित्रकारी हेतु ठेका

4667. श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेंडर समिति, बगलौर नगर में स्टेशन के लिये नवनिर्मित भवन की दीवारों में एनोसेम छिड़कने हेतु ली जाने वाली बहुत ऊंची दरों की ओर ध्यान देने में असफल रही थी ;

(ख) क्या तदुपरान्त चित्रकारी कार्य रोक दिया गया था ;

(ग) क्या ठेकेदार ने मध्यस्थता की माँग की थी ; और

(घ) यदि हाँ, तो ठेकेदार को कितना धन क्षतिपूर्ति के रुप में दिया गया था ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं, लेकिन यह कार्य किसी दू .री एजेंसी द्वारा कराया गया था ।

(ग) जी हां ।

(घ) 56,707 रुपये ।

बर्नपुर (दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे की भूमि पर अधिकृत कब्जा

4668. श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में स्थित बर्नपुर में 2,00,000 वर्ग फीट से अधिक रेलवे भूमि पर दो गैर सरकारी फार्मों ने अनधिकृति रुप मे कब्जा कर लिया था ;

(ख) इन फर्मों ने भूमि पर कब कब्जा किया था ;

(ग) रेलवे प्रशासन को इस अनधिकृत कब्जे का पता सबसे पहले कब लगा था ; और

(घ) इस कब्जे को खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : उक्त दो फर्मो ने 1956 और 1957 में रेलवे की भूमि पर कब्जा कर लिया था जिसका पता उन्हीं वर्षो में लग गया था ।

(घ) इन कब्जा करने वालों को रेलवे की भूमि से बेदखल करने के लिए सार्वजनिक परिसर (अतधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी थी । ये मुकदमे सम्पदा अधिकारी की अदालत में चल रहे हैं ।

रेलवे गार्डों द्वारा ले जाये जा रहे नगदी के बक्सों की जंजीर और ताले से सुरक्षित करने के वारे में रेलवे बोर्ड के निदेश

4669. श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वार फरवरी, 1969 में रेलवे गार्डों द्वारा ब्रेक डिब्बों में ले जाये जाने वाले नगदी के बक्सों को जंजीर और ताले में बाधने के बारे में दिये गए आदेश पूर्वी रेलवे में पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किए गए हैं ;

(ख) क्या इसको कार्यन्वित न किए जाने के परिणामस्वरूप हानि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं आवृति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कल्याण और बडौदा के मार्शलिंग याडों में वैगनों का रोका जाना

4670. श्री अण्णासाहिब गोर्टाखिडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण और बड़ौदा के मार्शलिंग याडों को 5 वर्ष पूर्व बहुत ही अधिक लागत पर नया रूप दिया गया था ;

(ख) क्या मार्शलिंग याडों में तब से वैगनों के रोके जाने का औसत कम हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनूमन्तैया) : (क) जी हां । कल्याण में विन्यास यार्ड के ढांचे में परिवर्तन 1962 में लगभग 53.75 लाख रुपये की लागत से, और बड़ौदा में विन्यास यार्ड के ढांचे में परिवर्तन जनवरी, 1963 में 36.30 लाख रुपये की लागत से पूरा किया गया था ।

(ख) और (ग) जी नहीं । कल्याण में विन्यास यार्ड के ढांचे में परिवर्तन करते समय लक्ष्य माल डिब्बों के अवरोध में कमी करना नहीं था, वल्कि इस यार्ड के ढांचे में परिवर्तन यातायात में प्रत्याशित वृद्धि के कारण आवश्यक समझा गया था ।

जहां तक बड़ौदा का सम्बन्ध है, माल डिब्बों के अवरोध में वृद्धि यात्रियों की संख्या बढ़ने, वहां से गुजरने वाले माल डिब्बों की संख्या बढ़ जाने, यातायात के स्वरूप में परिवर्तन आदि कारणों से हुई ।

Running of Assam Mail Train Via Bhagalpur and Sahibganj Railway Stations (Eastern Railway) :

4672. Shri K. M. Madhukar : will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the necessity of running Assam Mail train via Bhagalpur and Sahibganj Railway Stations; and

(b) if so, the time by which the said train would run via these Junction Stations ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) & (b) : There was a proposal with the opening of Farakka Barrage to divert the Assam Mail via Bhagalpur Farakka, but this had to be given up as the section capacity over Chamagram-Malda Town section of North-east Frontier Railway and Barharwa-Farakka section of Eastern Railway was not found to be adequate.

Halt Stations at Ambapali and Vikram Shila (Eastern Railway) :

4673. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open halt stations at Ambapali between Miryra Cheuki and Pirpainti Stations and at Vikram Shila between Shivanarayanpur and Colgong Stations of the Eastern Railway; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) Engineering work in respect of train halt between Mirza Cheuki and Pirpainti stations has been taken in hand and the work relating to train halt between Shivanarayanpur and Colgong stations has heen included in the Works Programme of 1972-73.

ओलावाकोट मंडल की सुरक्षा शाखा के कार्यालय को ओलावाकोट स्थानन्तरण करना

4674. श्री सी० जनार्दनन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के ओलावाकोट मंडल से सम्बन्धित सुरक्षा शाखा का कार्यालय पोदनुर में है; और

(ख) यदि हां, तो इसे मंडल कार्यालय के साथ ओलावाकोट में स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) 1957 में इस कार्यालय की स्थापना के समय पोत्तनूर में कार्यालय के लिए स्थान, क्वार्टर आदि तत्काल सुलभ थे जबकि ओलवाकोट में उपलब्ध नहीं थे अतः कार्यालय ओलवाकोट की बजाय पोत्तनूर में स्थापित किया गया ।

शोरानूर से कोंचीन तक रेल लाइन की दोहरा करना तथा त्रिवेद्रम से कन्याकुमारी तक नई बड़ी रेल लाइन बिछाना

4675. श्री सी० जनार्दनन : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोरानूर मे कोचीन तक की रेल लाइन को दोहरा करने तथा त्रिवेन्द्रम मे कन्याकुमारी तक बड़ी रेल लाइन बिछाने सम्बन्धी कार्य इसी वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ होगा ? और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हमुमन्तैया) : (क) शोरानूर कोचीन खंड पर (i) मूल्लूरकरा-वडकान्चेरी और (ii) पुदुक्काड-इरिजालक्कुडा के बीच 18 किलोमीटर में आंशिक दोहरी लाइन बिछाने और तिरुवनन्तपुरम् से कन्याकुमारी तक नयी बड़ी लाइन बनाने का काम चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय अधिकारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति और इनका कार्यालय केरल राज्य में बनाना

4676. श्री सी० जनार्दनन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारी शोरानूर कोचीन रेल लाइन को दोहरी करने, एर्नाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक की रेल लाइन को मीटर गेज लाइन से बड़ी लाइन में बदलने तथा त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक बरास्ता नगरकोइल नई बड़ी लाइन बिछाने के प्रस्तावित कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न शाखाओं में नियुक्त किये जाने हैं ; और

(ख) क्या ये सभी कार्यालय केरल राज्य में ही होंगे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) :

(क)	(i)	क्षेत्र अधिकार	25
	(ii)	कर्मचारी	862

(ख) शेरुवन्नूर से कोचीन तक दोहरी लाइन बिछाने और एर्णा कुलम से तिरुवन्नपुरम तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए क्षेत्र कार्यालय केरल में स्थापित किये जायेंगे । नगर कौइल के रास्ते तिरुवनन्तपुरम से कन्याकुमारी तक नयी बढ़ी लाइन बिछाने के लिए क्षेत्र कार्यालय अंशतः केरल में और अंशतः तमिलनाडु में स्थापित किये जायेंगे ।

कार्यकारी इंजीनियर के कार्यालय का एर्नाकुलम से एल्लव वकोट में स्थानान्तरण

4677. श्री सी० जनार्दन : क्या **रेल मंत्री** यह बत्ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोरानूर से एर्नाकुलम तथा एर्नाकुलम से एल्लव वकोट तक की रेल लाइनों को दोहरा करने के कार्य से सम्बद्ध कार्यकारी इन्जीनियर के कार्यालय का एर्नाकुलम से अलवाकोट में स्थानन्तरण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, हां ।

(ख) एर्णाकुलम् और तिरुवनन्तपुरम के बीच मीटर लाइन के आमान परिवर्तन से सम्बन्धित निर्माण कार्य के लिये अलग से कार्यकारी इन्जीनियर का एक कार्यालय एर्णाकुलम् में स्थापित किया जा रहा है । चूंकि दोनों कार्यालयों के लिए एर्णाकूलम् में कार्यालय और आवास के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है, अतः दोहरी लाइन बिछाने के लिये कार्यकारी इन्जीनियर का कार्यालय हटा कर औलवक्कोट कर दिया जायेगा ।

Incidents of Chain-Pulling on Western Railway :

4678. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) The number of cases of chain-pulling on the Western Railway since the 1st January, 1971;

(b) the number of genuine cases and the number of cases which were not genuine; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check the recurrance of such incidents ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b) : There were 9049 cases of alarm chain pulling on the Western Railway during the period from January, 1971 to February, 1972 out of which 1018 cases were genuine (justified) and 8031 cases not genuine (unjustified).

(c) The following steps continue to be taken to check misuse of alarm chain pulling :

(1) Organising lectures at educational institutions by Railway officers, retired or in service to educate the students, who are found to indulge in alarm chain pulling on flimsy grounds, about the evils of misuse of alarm chain apparatus;

(2) Educating the general public through Cinema shows, Slides, Posters and the Press etc. about the evils of misuse of alarm chain apparatus and enlisting their co-operation in detecting and prosecuting the offenders.

(3) Giving incentive to the public to help Railway Administration in detecting and prosecuting the offenders by granting cash awards, which may extend upto Rs. 100/–.

(4) Detecting and prosecuting the offenders under the provisions of the Indian Railways Act; to deter them from repeating the offence through various kinds of checks like :—

(i) Checking through plain clothed TTEs and Railway Protection Force men posted in III Class compartments ;

(ii) conducting (a) surprise checks by antialarm chain pulling squads, consisting of TTEs and Railway Protection Force Personnel; and (b) surprise checks for ambushing of miscreants at places noted for unauthorised chain Pulling :

(5) Maintaining close liaison between Railway Administration and State Government, who are mainly responsible for law & order in the State.

(6) Blanking off of alarm chain apparatus when other steps fail to yield appreciable results.

पुने-मिराज पैसेंजर गाड़ी का पटरी से उतर जाना (दक्षिण मध्य रेलवे)

4679. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अप्रैल, 1972 को पूना तथा मिराज के बीच पुने-मिराज पैसेंजर गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ ;

(ख) दुर्घटना के कारणों की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

बाढ़ नियन्त्रण आयोग के अधिकार और कृत्य

4680. श्री वी० के० दास चौधरी : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गठित सभी बाढ़ नियन्त्रणआयोगों का दर्जा, अधिकार और कृत्य क्या हैं और उनके वित्त स्रोत क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : अब तक देश में तीन बाढ़ नियन्त्रण आयोगों की स्थापना की गई है । ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग

गंगा बेसिन में जिसके अन्तर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश के राज्य आते हैं, बाढ़, भूमि-जटाव और जल निकास की समस्याओं को हल करने के वास्ते एक समेकित स्कीम तैयार करने और इसको समन्वित रूप में कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने इस आयोग को गठित किया है । इस आयोग के कार्य ये हैं :—

(1) गंगा बेसिन के लिए बाढ़-नियन्त्रण की व्यापक योजना तैयार करना । इस प्रयोजन के लिए क्षेत्र-अन्वेषण और आंकड़ा एकत्रण के कार्य गंगा बाढ़ नियत्रण बोर्ड के निदेशानुसार राज्य सरकारें करेंगी;

(2) बेसिनवार योजनाओं सम्मिलित निर्माण-पदार्थों के कार्यान्वित के लिए एक चरण-बद्ध और समन्वित कार्यक्रम तैयार करना;

(3) निर्माण कार्यों के उचित स्तर तक कार्यान्वित और उनके अनुरक्षण का सुनिश्चय करना?

(4) बोर्ड के विचरार्थ जहां कहीं अपेक्षित हो, निर्माण-कार्यों का वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना और लागत का नियतन;

(5) बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी-पणालियों का प्रचलित;

(6) बाढ़-नियंत्रण उपायों के निष्पनमूल्यांकन; और

(7) सड़क और रेल-पुलों के नीचे के निकास-मार्गों का एक अनुमान तैयार करना और जल-निकास संकुलता को समुचित सीमाओं तक कम करने के लिए व्यवस्था किए जाने वाले अतिरिक्त जल-मार्गों को निर्धारित करना ।

यह आयोग गंगा बाढ़ नियन्त्रण द्वारा जारी किए गए निर्देशों और नीतियों के व्यापक ढांचे के अन्तर्गत कार्य करेगा और केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के और राज्य बाढ़-नियन्त्रणों संगठनों के साथ निकट संपर्क रखेगा । आयोग पर होने वाले व्यय को केन्द्र वहन करता है ।

गंगा बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों को सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और उसके लिए धन राशि राज्य योजनाओं में व्यवस्थित होगी ।

2. ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग

इस आयोग को ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़, भूक्षरण और जल-निकास की समस्याओं को हल करने के लिए एक समेकित योजना तैयार करने और इसको कार्यान्वित करने के लिए असम सरकार द्वारा गठित किया गया है। यह आयोग एक पूर्णकालिक संगठन है और ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों और नीतियों ढांचे के अन्तर्गत कार्य करता है। आयोग पर और कार्य करता है। आयोग पर और बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर होने वाले व्यय को असम सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

3. उत्तर बंगाल बाढ़ नियन्त्रण आयोग

उत्तर बंगाल की नदियों में बाढ़ भू-क्षरण की समस्याओं को हल करने के लिए समेकित योजना तैयार करने के वास्ते और इसे समन्वित रूप में कार्यान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी स्थापना की है। यह आयोग उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गए निर्देशों और नीतियों के ढांचे के अन्तर्गत कार्य करता है। इस आयोग पर और इसके क्षेत्र में आने वाले बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर होने वाले व्यय को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया जाता है।

उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग

4681. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल बाढ़ नियन्त्रण आयोग के लिए, उस आयोग द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित वित्त, कार्यालय संगठन परिचालन निरीक्षण कार्यों के लिए वाहन सभी आवश्यक बातों की व्यवस्था कर दी गई है। और

(ख) आयोग ने कितनी और किस प्रकार की परियोजनायें प्रारम्भ की हैं। प्रत्येक परियोजना के लिये कितने धन की आवश्यता है और आज की तारीख तक कितना-कितना धन दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने अक्टूबर, 1971 में उत्तरी बंगाल का नियंत्रण आयोग की स्थापना की थी। राज्य सरकार धीरे-धीरे आवश्यक संगठन तथा अन्य सुविधाएँ जुटा रही है जिससे बाढ़-नियन्त्रण आयोग समुचित कार्य कर सके। आयोग के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले निर्णय-कार्यों को क्रियान्वित के लिए राज्य सरकार आयोग को यथासम्भव धन भी उपलब्ध करा रही है।

1971-72 के दौरान राज्य सरकार ने उत्तरी बंगाल की स्कीमों के लिए 135 लाख रुपये की धन राशि की व्यवस्था की है। आयोग ने विभिन्न निष्पावनाधीन स्कीमों के लिए कितना धन आवटित किया है, उनकी अनुमानित लागत क्या है और 1970।71 के दौरान उन पर कितना व्यय हुआ है—ये सब बातें संलग्न विवरण में दिखलाई गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1912-72] 1972-73 के लिए राज्य सरकार ने उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधीन स्कीमों के लिए 110 लाख रुपये का प्रावधान किया है। राज्य सरकार से आवटित राशि के स्कीम-वार ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

उत्तरी बंगाल की करला व्यपवर्तन स्कीम पश्चिमी बंगाल राज्य की प्राथमिकता परियोजनाओं की सूची में सम्मिलित है और इसके लिए केन्द्र द्वारा चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान विशेष सहायता प्रदना की जाएगी ।

पानी जमा हो जाने की समस्या को हल करने की योजनाएं

4682. श्री मुहम्मद जमीलर्रहमान : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के पूर्णिमा जिले में पानी जमा हो जाने की समस्या को हल करने की योजनाएं बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैधनाथ कुरील) : (क) और (ख) : बिहार सरकार ने कोसी परियोजना के संशोधित प्राक्कलन में पूर्वी कोसी नहर के कमान क्षेत्र में, (जिसमें पूर्णिया जिला भी सम्मिलित है), जल-निकास और जल-जमाव रोधी उपायों के लिये 9.86 करोड़ रुपये का एक प्रावधान सम्मिलित किया है। कोसी परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा विशिष्ट स्कीमों को तैयार करने के लिए विस्तृत अनुसंधान कार्य हाथ में लिए गए है ।

बिहार सरकार ने 5.3 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की महानन्दा तटबन्ध स्कीम के कार्यान्वयन को भी हाथ में लिया है जिससे महानन्दा की बाढ़ों से पूर्णिया जिले में एक लाख हैक्टेयर की सुरक्षा की व्यवस्था होगी ।

Posting of Separate Clerks for Enquiry and Reservation Offices, Kota Railway Station (Western Railway)

4683. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of 1st Class and IIIrd class sleeper berths, reserved at Kota Station during the last year separately, and

(b) the reasons for not posting separate Clerks at Reservation and Enquiry Offices ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) (a) : The number of berths reserved at Kota Station during the year 1971 was as under :—

First Class	15,600
Third Class Sleeper	16,900

(b) : Separate Clerks for (i) reservation of accommodation including enquiries relating to reservations and (ii) general equiries other than those pertaining to reservations, are provided at those stations where the quantum of work regarding reservations and enquiries is heavy and regular. Based on this criterion, Kota station does not qualify for the provision of separate Clerks for reservations and enquiries at present.

Opening of Booking Windows for Sale of Third Class Tickets at Kota Station (Western Railway)

4684. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Third Class tickets sold at Kota Station during the last three years, year-wise; and

(b) the reasons for not keeping the Booking Office open throughout the day?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya): (a) The number of third class tickets sold at Kota station during the last three years is as under :—

Year	No. of tickets sold
1969-70	8,71,758
1970-71	9,56,771
1971-72	10,44,600

(b) Booking office at Kota Junction has six windows, two of which are open for 24 hours except from 5 to 5-30 hours, 9 to 9-30 hours and 17 to 17-30 hours for handing and taking over charge. (This is the normal practice all over the Indian Railways). Opening of one more window for 24 hours is under consideration. Two windows are open only during busy seasons to meet seasonal rush and the remaining window is open daily during the night to deal with the extra rush of passengers travelling by Janata Express which pass Kota during night only. The above arrangement is considered satisfactory.

Halt of Delhi-Bombay Rajdhani Express at Kota

4685. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether New Delhi Bombay Rajdhani Express proposed to be introduced from May, 1972 will halt at Kota; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya): (a) No. (b) 151Dn/152*Up* Bombay Central-Rajdhani Express is being introdueed for inter-city traffic between Delhi *and* Bombay and no traffic halts are being provided at intermediate stations.

Introduction of a Direct Train From Raisi Station to Roorkee Tehsil and Saharanpur (Northern Railway)

4686. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any direct train from Raisi Station to Roorkee Tehsil and Saharanpur to enable the people to attend courts in time; and

(b) if not, whether Government have any proposal under consideration to introduce a direct train for the eonvenience of the people ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No, but convenient connected services are available with a change at Laksar.

(b) No, for the present level of traffic a direct train is economically not justified:

सिगनल और दूर-संचार विभाग में शेन्टेनर, सहायक निरीक्षकों और निरीक्षकों के लिए छुट्टी रिजर्व/विश्राम याता कर्मचारी

4687. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के सिगनल और दूर-संचार विभाग के मेन्टेनर सहायक निरीक्षकों तथा निरीक्षण श्रेणी के कर्मचारियों के लिए छुट्टी रिजर्व और विश्राम दाता कर्मचारियों का उपबन्ध करने के लिए रेलवे बोर्ड ने कोई निर्देश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) और (ख) : बड़े स्टेशनों, यार्डों और व्यस्त खण्डों पर, जहाँ सिगनल और दूर संचार अनुक्षण कर्मचारियों को पारी ड्यूटी में निरन्तर रूप से काम करना पड़ता है, विश्रामदाता कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि 'लौग औन' और शौर्ट ऑफ' कोर टाला जा सके। लाइन पर दिन की पारी वाले सिगनल अनुरक्षण कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिनका ड्यूटी सेक्टर एक दिन के विश्राम सहित छः दिन का बनाया जाता है, रेलों के अनुदेश जारी किये गये है कि जब उनकी ड्युटी के घंटों के अलावा उनसे मरम्मत का काम कराया जाये और खराबी की घटनाएं बहुत अधिक हो, तो इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तब तक व्यवस्था की जाये जब तक स्थिति सामान्य न हो जाये। लेकिन निरीक्षक, जो पर्यवेक्षण कर्मचारी होते है, काम के घण्टे विनियम के अधीन साप्ताहिक विश्राम के अधिकारी नहीं हैं।

सिगनल और दूर संचार विभाग में निरीक्षकों की सभी कोटियों के लिए सहायक निरीक्षक की कोटि में और अनुरक्षकों के लिए अर्द्धकुशल ग्रेड में छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था की गयी है।

बिजली प्रजनन के रूसी तरीके को अपनाना

4688. श्री राजदेव सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सोवियत संघ ने बिजली पैदा करने की मेग्नैटो-हाइड्रो-डाइनेमिक, पद्धति (एम० एच० डी०) निकाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनुमान लगाया गया है कि तापीय बिजली पैदा करने की पद्धति की तुलना में इस पद्धति द्वारा उतने ही ईंधन और पूंजी निवेश के साथ 50 प्रतिशत अधिक बिजली पैदा होगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का देश में इस नई पद्धति को अपनाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) जी, हां। सरकार जानती है कि एम० एच० डी० विद्युत्-जनन के सम्बन्ध में कार्य रूस, अमेरिका, पोलैण्ड, जापान आदि में हो रहा है।

(ख) एक ही ईंधन निविष्ट (इनपुट) वाले सम्मिश्रित एम० एच० डी० संयंत्र और पारंपरिक वाष्प संयंत्र की तुलना में सीधे पारंपरिक वाष्प संयंत्र से 50 प्रतिशत से अधिक विद्युत का उत्पादन होगा। बहरहाल, पारंपरिक संयंत्र की तुलना में ऐसे संयंत्र पर पूंजी निवेश काफी अधिक होगा।

(ग) एम० एच० डी० विद्युत-जनन पर सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में गौर किया जा रहा है। 1971 के प्रारम्भ में अमेरिका की एक फर्म से आये एक प्रस्ताव के सम्बन्ध में, एक विशेषज्ञ समिति ने इस विषय पर विचार किया। इस कार्य में उच्च तापमान धातु-विज्ञान, ईंधन आदि कई एक विविध क्षेत्रों में अत्यधिक मूल्यवान अनुसंधान और विकास की आवश्यकता होगी। बहरहाल, भावी संभावनाओं की दृष्टि में रखकर परमाणु ऊर्जा आयोग सहित देश की विधन्न अनुसंधान और विकास संस्थाओं के सहयोग से आगे और विकास कार्य की योजना बनाई जा रही है।

राज्यों में बिजली की भिन्न-भिन्न दरें

4689. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **सिचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बिजली की भिन्न-भिन्न दरों पर सरकार का कोई नियन्त्रण है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में दरों के भिन्न-भिन्न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में लिये जाने वाले बिजली के शुल्क दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्य विद्युत बोर्ड राज्य सरकारों के परामर्श से टैरिफ निश्चित करते हैं।

(ख) विद्युत जनन, पारेषण और वितरण की लागत में कमी-बेशी के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य के उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के टैरिफ-ढांचे में अन्तर होता है।

(ग) विभिन्न राज्यों में विभिन्न उपभोक्ताओं को चार्ज की जाने वाली औसत विद्युत दरों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1913/72]**

राज्य व्यापार निगम द्वारा विक्रय मूल्य निश्चित करना

4690. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा विभिन्न आयातित वस्तुओं के विक्रय मूल्य निश्चित करने के लिए उनकी उतरने पर लागत के साथ जोड़ी जाने वाली अतिरिक्त लागत और लाभ के वस्तुवार प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) यह प्रतिशतता किस आधार पर निश्चित की जाती है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : आपातित वस्तुओं की कीमते निश्चित करने में राज्य व्यापार निगम द्वारा जो आधार अपनाए जाते है वे विभिन्न किस्मों की मदों के सम्बन्ध में अलग-अलग हैं। राज्य व्यापार निगम द्वारा कीमत निश्चित करने के सूत्रों का एक अन्तः मन्त्रालय समिति द्वारा पुनरीक्षण व अनुमोदन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, जिन वस्तुओं का आयात, निर्यात उत्पादन हेतु किया जाता है, उनके सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम के मार्जिन को कम रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्तिम उत्पाद विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्थ करने योग्य हैं। कतिपय मदों के सम्बन्ध व्यापार निगम को अधिकार है कि वह लाभ मार्जिन को स्वयं खपा ले जो अन्यथा पूर्ति/माँग परिस्थितियों के कारण गैर-सरकारी व्यापारी वर्ग को जाएगा। इस प्रयोजन के लिए आयातकों निम्नलिखित श्रेणियों के सम्बन्ध में तीन चरणीय नीति अपनाई जाती है :—

(1) पंचीयित निर्यातक।

(2) वे वास्तविक प्रयोक्ता एकक जो अपने अपने उत्पादन के 10 प्रतिशत या उससे अधिक का निर्यात करते हैं ।

(3) निर्यात न करने वाले वास्तविक प्रयोक्ता एकक ।

श्रेणी (1) के आयातकों को अत्यधिक अनुकूल व्यवस्था और श्रेणी (2) के आयातकों को सामान्यत: अन्तिम श्रेणी के आयातकों की अपेक्षा अधिक अनुकूल व्यवस्था प्रदान की जाती है ।

राज्य के उच्च न्यायायालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की पुष्टि करना

4691. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में किसी राज्य के उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किये गए न्यायाधीश की पुष्टि करने से इन्कार किया है; और

(ख) यदि हां तो उच्च न्यायालय का नाम क्या है और कितने न्यायाधीशों को किस वर्ष में पुष्ट करने से इन्कार किया गया था ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता ।

न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत न्यायाधीशों के विरुद्ध जांच

4692. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत किसी न्यायाधीश के विरुद्ध जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितने न्यायाधीशों के विरुद्ध ऐसी जांच की गई और वे किस न्यायालय से सम्बद्ध है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे में नमक की ढुलाई के लिए खुले माल डिब्बों का उपयोग

4693. श्री वैकारिया क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि पश्चिम रेलवे में नमक की ढुलाई के लिए खुले माल डिब्बों का उपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पश्चिम रेलवे को त्रिपाल सप्लाई करने का है ताकि मानसून के दौरान नमक खराब न हो ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तेया) : (क) जी, हां। नमक लादने के लिए बन्द माल डिब्बों की कमी पूरी करने के लिए खुले माल डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता रहा है।

(ख) नमक लादने के लिए खुले माल डिब्बों का इस्तेमाल सामान्यतः परेषक के अनुरोध पर किया जाता है और तिरपालों की व्यवस्था स्वयं परेषकों द्वारा की जाती है। परेषक के अनुरोध पर जब-नमक का लदान खुले माल-डिब्बों में किया जाता है तो रेल प्रकासन तिरपाल सप्लाई करने के लिए बाध्य नहीं है।

रूस का काजू और नारियल जटावस्तुएं खरीदने का प्रस्ताव

4694. श्रीमीती भार्गवी तनकप्पन : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस ने भारत के साथ अतिरिक्त मात्रा में काजू तथा नारियल जटा की वस्तुएँ खरीदने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो रूस द्वारा कितने मूल्य का कितना सामान खरीदे जाने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सोवियत संघ ने अतिरिक्त मात्रा में काजू खरीदने का प्रस्ताव किया है परन्तु नारियल जटा की वस्तुओं के सम्बण्ध में इस प्रकार का कोई अनुरोध अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) अतिरिक्त मात्रा में काजू खरीदने के सोवियत संघ के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

नमक की मद 'ई' यातायात के रूप में रविवार को लदान

4695. श्री वेकारिया : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नमक को मद 'ई' यातायात के रूप में रविवार को लदान करने का विचार है।

(ख) क्या सरकार का यह भी विचार है कि यदि उस दिन रेल वैगन उपलब्ध न हों तो अगले दिन उनका नियतन किया जाए; और

(ग) इनका कब तक कार्यान्वयन किया जाएगा ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) प्राथमिकता 'ङ' के अन्तर्गत आने वाले यातायात की जिसमें नमक भी शामिल है, नियमित रूप से निकासी सुनिश्चित करने के लिए प्रायः रविवार अथवा सप्ताह का कोई अन्य दिन बिना कार्यक्रम वाले यातायात के लदान के लिए रखा जाता है। इसमें गैर क्षेत्रीय नमक का लदान भी शामिल है। इस लदान में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती बल्कि यह माग के पंजीकरण की तारीख के बिल्कुल क्रमानुसार दिया जाता है।

(ख) पंजीकरण की सख्त वरीयता के अनुसार मद 'ङ' के यातायात के लिए मालडिब्बों का आवेदन केवल उपर्युक्त दिनों तक ही सीमित है। इन दिनों में ऐसे यातायात के लिए आवटंन में

कोई कमी हो जाने पर उसकी पूर्ति अगले दिनों में नहीं की जा सकती । लेकिन, इन दिनों के लिए किये गए आवेदन के आवरण यदि माल डिब्बों की पूर्ति न हो सके तो यह कमी अगले दिनों में पूरी कर दी जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आयात व्यापार नियंत्रण नीति के प्रति असन्तोष

4496. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के प्रति जनता में असन्तोष है और यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ख) असन्तोष के कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : 1972-73 की आयात नीति का सामान्यत: स्वागत किया गया है ।

माल के पठान कोट से दिल्ली पहुंचने में लगने वाला समय

4697. श्री विक्रय महाजन : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालगाड़ी में बुक किये गए माल के पठानकोट से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है ; और

(ख) इस समय को क्रम करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तेया) : (क) अभी हाल में किये गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली से पटानकोट पहुंचने में एक माल डिब्बा औसतन 4 दिन लेता है ।

(ख) पठानकोट से दिल्ली तक माल डिब्बों को जाने के लिए उन्हें 4 मध्यवर्ती यार्डो से गुजरना पड़ता है क्योंकि दिल्ली तक के लिए सीधी गाड़ियाँ बनाने के लिए पर्याप्त यातायात उपलब्ध नहीं हैं, जो इन यार्डो को छोड़ते हुए जा सकती हों । अत: 4 दिन का औसत पारवहन समय उचित समझा जाता है । परिहार्य ठहरावों के सभी मामलों पर कार्रवाई की जाती है ।

किसानों को रिहन्द बाँध से बिजली की सप्लाई

4698. कुमारी कमला कुमारी : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहन्द बाध मे सामान्यतया बिहार के एवं विशेष रुप से पलामऊ के किसानों को बिजली सप्लाई की जा रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) पलामउ के ऐसे किसानों को क्या मुआवजा दिया गया है जिन की भूमि रिहन्द की बिजली की सप्लाई लाइन से प्रभावित हुई है ;

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ख) : रिहन्द बांध विद्युत् केन्द्र उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह आम तौर पर उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई करता है। बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड बिहार में पालमू जिले के किसानों को बिजली की सप्लाई करता है जो इस प्रयोजन के लिए विद्युत् कभी-कभी रिहन्द से लेता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् ग्रिड बिहार राज्य ग्रिड के साथ बिहार में रिहन्द और सोन नगर के बीच एक पारेषण लाइन के द्वारा, जो पलामू जिले से होकर गुजराती हैं, जुड़ा हुआ हैं। इस लाइन के जरिए उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच विद्युत् का पारस्परिक विनिमय संभव हो जाता है और यह लाइन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन है। इसलिए जो विद्युत लाइने पलामू में किसानों की भूमि से होकर जाती है उनके लिए उन्हें रिहन्द बाँध के अधिकारियों द्वारा मुवावजे की अदाएगी किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

गोमोह-देहरी-आन-सोन सवारी गाढ़ी को पटना और गया तक बढ़ाने का प्रस्ताव

4699. कुमारी कमला कुमारी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वात की जानकारी है कि गोमोह-देहरी-आन-सोन सवारी गाड़ी के दोहरी-आन सोन (बिहार) तक हो जाने के कारण उक्त गाड़ी से यात्रा करने वाले पलामउ के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस गाड़ी को पटना औद गया तक बढ़ने अथवा सियालदह अथवा बम्बई मेल एक्सप्रेस गाड़ी में पटना के लिए, एक डिब्बा जोड़ने का है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : वरवाडीह-पटना के बीच सीधा जाने वाला पहले और तीसरे दर्जे का सवारी डिव्वा पहले से ही 1 जीडी /2 जीडी गोमो-डेहरी-आन सोन सवारी गाड़ी में लगाया जाता है जो पलाभू की जनता की सुविधा के लिए डेहरी-आन-सोन में सियालदह-पठानकोट से मेल लेती है।

रुई के व्यापार के राष्ट्रीयकरण के कारण रुई की कमी

4700. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में होने वाली रुई की कमी का कारण इसके व्यापार का राष्ट्रीयकरण है ; और

(ख) क्या रुई के व्यापार के राष्ट्रीयकरण की नीति लागू करने के बाद से कपास की खेती-अधीन भूमि में कमी हुई हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। वास्तव में स्वदेशी रुई के व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्वालियर-झांसी सैक्शन (मध्य रेलवे) में गाड़ियों में चोरी की घटनाएं

4701. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर-झांसी सैक्शन पर चलने वाली गाड़ियों में चोरी की घटनाएं हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निरोधक उपाय किए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) इस खण्ड की सभी सवारी गाड़ियों का सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा है । अपराधियों पर समुचित निगरानी रखने के उद्देश्य से पर्यवेक्षण अधिकारी भी प्लेटफार्म पर सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों की जांच करते हैं ।

चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि

4702. श्री रणबहादुर सिंह :
श्रीमती सावित्रि श्याम : } क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े से बनी वस्तुओं, जैसे चमड़े के वस्त्रों, जूतों और उपयोग तथा फैशन की अन्य वस्तुओं के निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है ;

(ख) ऐसी वस्तुओं का निर्यात किन देशों को होता है ; और

(ग) 1971-72 में कितने मूल्य की इन वस्तुओं का निर्यात हुआ और गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष औसतन कितना निर्यात हुआ ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ग) चमड़े से बनी वस्तुओं, जैसे चमड़े के वस्त्रों, जूतों और उपयोगिता क्या फैशन की अन्य वस्तुओं के निर्यात गत तीन वर्षों में तथा आज तक इस प्रकार हुये हैं :—

(आंकड़े लाख रु० में)

1968-69	1969-70	1970-71	अप्रैल-फरवरी, 1971-72
811.79	870.98	1060.69	854.87

(ख) जिन मुख्य देशों को इन वस्तुओं का निर्यात किया गया है, वे हैं : (1) सोवियत संघ, (2) अमरीका, (3) आस्ट्रेलिया, (4) ब्रिटेन, (5) जाम्बिया, (6) कनाडा, (7) बहरीन, (8) नेपाल, (9) पश्चिमी जर्मनी, (10) कुवैत, (11) न्यूजीलैंड (12) सूडान, (13) नाईजीरिया (14) फिजी, (15) नीदरलैंड, (16) मलेयेशिया, (17) युगोस्लाविया, (18) स्पेन, (19) त्रिनिदाद, (20) फ्रांस और (21) इटली ।

भारत–पाक युद्ध के दौरान 359 पुरी-हावड़ा और 360 हावड़ा-पुरी यात्री गाड़ियों का वन्त रखना

4703. श्री चिन्तामणि पणिग्रही : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 359 पुरी-हावड़ा और 360 हावड़ा-पुरी यात्री गाड़ियां जो हाल के भारत पाक युद्ध के दौरान बन्द कर दी गई थीं अभी तक पुनः चालू नहीं की गई हैं ; और

(क) क्या सरकार का विचार इन रेल गाड़ियों को पुनः शीघ्र चालू करने के लिए कार्यवाही करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : 359 अप और 360 डाउन हावड़ा-पुरी सवारी गाड़ियां 3-4-1972 से फिर चलने लगी हैं।

पेरियार घाटी परियोजन के लिए नये अनुदान

4704. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **सिंचाई और विद्युत् मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल की पेरियार घाटी परियोजना पर 6.5 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है ;

(ख) व्यय का मूल अनुमान क्या था ;

(ग) क्या अब सरकार का विचार इस परियोजना का सर्वदा नया प्राक्कलन एवं आयोजन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) पेरियार घाटी परियोजना को 1,40,00 एकड़ भूमि की वार्षिक सिंचाई करने के लिए 1957 में 3,48 करोड़ रुपये की लागत पर मंजूर किया गया था। बाद में केरल सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस स्कीम को प्रस्तावित एडमलयार बांध के साथ समेकित परियोजना की अनुमानित लागत 27.37 करोड़ रुपये है और इससे यह करना प्रस्तावित है : नदी के दोनों किनारों पर 2,88,500 एकड़ भूमि को सिंचाई के लाभों में वृद्धि करना ; 37.7 मेगावाट जलविद्युत क्षमता के प्रतिष्ठापन को सम्भव बनाना, कोचीन कांप्लेक्स में उद्योगों को जल की व्यवस्था करना और लवणता एवं विषाक्तता को घटाने के लिए नदी का निक्षालन करना। संशोधित परियोजना रिपोर्ट, जिसमें केन्द्र द्वारा दिए गए विभिन्न सुझाव शामिल हैं, अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

मार्च, 1972 तक परियोजना पर लगभग 636 लाख रुपये व्यय होना प्रत्याशित है।

क्वालालम्पुर में रबड़ उत्पादक देशों की बैठक

4705. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों के संघ की एक बैठक क्वालालम्पुर में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) क्या उस बैठक में हुए निर्णयों से भारतीय रबड़ के हितों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन तथा विपणन में समन्वय लाने के लिए अन्य विषयों के साथ-साथ प्राकृतिक रबड़ के लिए संयुक्त क्षेत्रीय विपणन पद्धति पर भी विचार-विमर्श किया गया था, ताकि उचित तथा लाभकर कीमत लाने के लिए सदस्यों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ सके ।

(ग) भारत पर सीधे तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इस समय रबड़ का निर्यात नहीं किया जाता है और आन्तरिक कीमतों के सम्बन्ध में सितम्बर 1970 में निर्धारित सांविधिक न्यूनतम कीमतों द्वारा गारंटी दे दी गई है ।

भारतीय वस्त्रों की विदेशों में बिक्री में वृद्धि

4706. श्री पी० मायावान : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन, अमरीका, बाल्टिक देशों में और पश्चिमी यूरोप में भारतीय फैशन के वस्त्रों की मांग के अनुरूप बिक्री बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उनका क्या परिणाम रहा, और

(ख) आयात जमा योजना को ब्रिटेन द्वारा समाप्त करने के फलस्वरूप बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है ?

विदेशी व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) : निर्यात सहायता के सामान्य उपायों के अतिरिक्त, विदेशों में प्रदर्शनियों, मेलों तथा फैशन प्रदर्शनों की व्यवस्था की गई और परिधानों के निर्यात संवर्धन के लिए उचित प्रचार किया जाता है । इसके अलावा, प्रमुख विदेशी ग्राहकों को भारत में आमंत्रित किया गया और प्रमुख निर्यातक विदेशों में गये । और इन उपायों के परिणामस्वरूप सिले-सिलाये परिधानों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार बढ़े हैं :—

(निर्यात का मूल्य लाख रु० में)

देश	**1968**	**1969**	**1970**	**1971↓**
ब्रिटेन	19.4	72.2	61.9	86.5
पश्चिमी यूरोप				
यू० आ० स० के देश	3.0	17.3	76.6	103.3
एफटा के देश ब्रिटेन को छोड़कर	12.3	41.2	77.1	146.4
बाल्टिक देश	209.3	237.8	443.8	559.6
सं० रा० अमेरिका	29.2	64.0	117.4	99.2

↓ अनन्तिम

ब्रिटेन को सिले-सिलाये परिधान के निर्यात 1968 में 19.4 लाख रु० से बढ़ कर 1971 में 86.5 लाख रुपये के हो गये । यह वृद्धि अंशतः दिसम्बर 1970 में आयात जमा योजना के समाप्त हो जाने तथा अंशतः सरकार द्वारा अन्य उपाय किये जाने के परिणाम स्वरूप हुई ।

पूर्व रेलवे में धनबाद में 'ट्रालीमेनों' से घरेलू काम करवाना

4707. श्री रामअवतार शास्त्री : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद, पूर्व रेलवे, के रेलपथ निरीक्षकों और सहायक रेलपथ निरीक्षकों को छोड़कर, सी० एम० ए० और निरीक्षकों समेत कितने अधिकारियों को ट्रालियां दी गई हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि अधिकारी 'ट्रालीमैनों" से अधिकांशतः अपने घरेलू काम करवाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गये है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) धनबाद मंडल में रेलपथ निरीक्षकों. सहायक रेलपथ निरीक्षकों और रेलपथ मिस्त्रियों को छोड़कर सी० एस० ए० और निरीक्षकों सहित अधिकारियों के लिए ट्रालियों की संख्या 70 है ।

(ख) जी हां । एक अमान्यताप्राप्त रेल कर्मचारी समन्वय समिति के प्रतिनिधियों द्वारा धनबाद के मंडल अधीक्षक को दिये गए एक ज्ञापन में उल्लिखित आरोपों में से एक आरोप यह था कि खलासियों और ट्रालीमैनों को अधिकारियों और निरीक्षकों के घरेलू काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।

(ग) अधिकारियों के घरेलू कार्यों के लिए ट्रालीमैनों का दुरुपयोग किये जाने के किसी मामले का पता अभी तक नहीं चला है । फिर भी, उपर्युक्त अध्यावेदन की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

डिवीज़न सुपरिन्टेडेन्ट धनबाद (पूर्व रेलवे) द्वारा कार्यालय क्लर्कों की नियुक्ति

4708. श्री रामअवतार शास्त्री: क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट धनबाद ने 1971 में कार्यालय क्लर्कों की नियुक्ति की थी;

(ख) उनकी नियुक्तियां रेलवे सेवा आयोग के माध्यम से क्यों नहीं की गई थीं; और

(ग) क्या सरकार को इस बारे में पक्षपात की शिकायतें मिली हैं; और यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री श्री के० हनुमतैन्या : (क) और (ख) : जी हां, । फरवरी, 1971 में हुई अवैध हड़ताल के दौरान धनबाद मण्डल में स्थानीय रूप से 6 कार्यालय क्लर्कों और एक टाइपिस्ट की नियुक्ति की गई थी । जब रेल सेवा आयोग द्वारा चुने हुए क्लर्क उपलब्ध हो जायेंगे, तो इन्हें सेवा से हटा दिया जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में कोयले की बुकिंग के लिए माल डिब्बों की सप्लाई

4709. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1971 से धनबाद डिवीजन में कोयले की बुकिंग के लिए माल-डिब्बों की सप्लाई के लिए कितने माँग-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) 10 मार्च, 1972 तक मांगकर्त्ताओं को कितने माल-डिब्बे सप्लाई किये गए थे तथा सभी माँगकर्त्ताओं को माल-डिब्बे सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) मालडिब्बों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (के० हनुमन्तैया) : (क) दिसम्बर, 1971 से मार्च, 1972 तक कोयला खानों से 528640 मांग-पत्र प्राप्त हुए ।

(ख) दिसम्बर, 1971 से 10 मार्च, 1972 तक 252137 मालडिब्बे आवंटित किये गये ।

कोयले के लदान के लिए मालडिब्बों की उपलब्धि पायलट और डिपो क्षमता, मार्ग और यानान्तरण परिसीमा, पर्यन्त क्षमता, प्रायोजित मांग, आदि पर निर्भर करती है । अन्य उच्च, प्राथमिकता प्राप्त यातायात की भी माँग पूरी करनी होती है । इसके अलावा, कोयले के माँग-पत्र पुनरावर्ती होते हैं अर्थात् आवंटन के पश्चात् बच जाने वाले मांग-पत्रों की फिर से आवृत्ति हो जाती है । इसलिये, मांग-पत्रों की संख्या से परिवहन की वास्तविक आवश्यकता प्रतिभासित नहीं होती ।

(ग) रेलें, पूर्वी क्षेत्र में मालडिब्बों की उपलब्धता में सुधार लाने की दिशा में सभी सम्भव उपाय कर रही हैं । जनवरी, 1972 से कोयले के लदान की स्थिति में भी सुधार हो रहा है । बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से मार्च, 1972 में प्रतिदिन 6072 मालडिब्बों का लदान हुना जबकि जनवरी में 5764 और फरवरी में 5920 मालडिब्बों का लदान हुआ था ।

हजारीबाग रोड (पूर्व रेलवे) में रेलवे सतर्कता दल द्वारा बिना पूर्व सूचना दिये की गई जाँच-पड़ताल

4710. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या रेलवे सतर्कता दल ने 16 अक्तूबर, 1971 को हजारीबाग रोड में पी० डब्ल्यू० आई ; तथा ए० आई० ओ० डब्ल्यू० के बंगला रेलवे क्वाटरों में और लगभग दो मास पूर्व धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) के पठारडीह में पी० डब्ल्यू० आई०, ए० पी० डब्ल्यू० आई० हैड मिस्त्री के रेलवे क्वार्टरों में बिना पूर्व सूचना दिए जाँच-पड़ताल की थी ;

(ख) क्या उक्त जांच-पड़ताल में उक्त अधिकारियों द्वारा नौ गैंगमैनों का सरकारी रिकार्ड में उनकी झूठी उपस्थिति दिखा कर घरेलू कामकाज के लिए दुरुपयोग हो रहा पाया गया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) माननीय सदस्य के माध्यम से प्राप्त शिकायत के अनुसार रेलवे चौकसी दल ने अगस्त और अक्तूबर, 1971 में हज़ारी बाग रोड के स्थायी रेल पथ निरीक्षक और सहायक निर्माण-कार्य निरीक्षक के क्वार्टरों क्षौर पाथरडीह के स्थायी रेल पथ निरीक्षक के क्वार्टर पर भी आकस्मिक जाँच की।

(ख) और (ग) : इस मामले में जांच की जा रही है।

घाटला कालौनी, रतलाम (पश्चिम रेलवे) में स्कूल एवं डिस्पैन्सरी खोलना

4711. डा० .लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर ने 10 मार्च, 1970 को रतलाम में यह आश्वासन दिया था कि घाटला कालौनी में एक रेलवे डिस्पेन्सरी तथा एक स्कूल खोला जायगा और रतलाम रेलवे स्टेशन पर जाओरा की ओर के वर्तमान पैदल उपरि-पुल को चौड़ा किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो आश्वासन को कब तक कार्यरूप दिये जाने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री० के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Trade Agreement with Ceylon

4712. Dr. Laxminarain Pandey :
Shri Shri Kishan Modi : } Will the **Minister of Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether a joint meeting of the representatives of the Governments of India and Ceylen was held recently in Delhi to discuss matters relating to economic cooperation and trade; and

(b) if so, the outcome of the meeting, with particular reference to the export trade of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b) : Yes, Sir. The discussions **inter alia** covered matters relating to strengthening of economic relations, industrial collaboration, expansion of tourism etc. The discussions also covered matters relating to expansion of mutual trade, particularly in regard to import of specific commodities from Ceylon by India.

रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के रेल कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण देना

4713. डा० लक्ष्मीनारायण पाँडेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या रतलाम डिवीजन के रेल कर्मचारियों द्वारा की गई अनेक जोरदार मांगों के बावजूद, उन्हें गृह निर्माण ऋण नहीं दिये जा रहें हैं; और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का इस बारे में प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार है ?.

रेल-मंत्री (श्री० के० हनुमन्तैया) : (क) नियमों के अधीन स्वीकार्य गृह निर्माण ऋण दिया जाता है ।

(ख) गृह निर्माण ऋण से सम्बन्धित नियम और कार्यविधि निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा तैयारकी जाती है, जो नि:सन्देह किसी ऐसे सरलीकरण पर विचार करेगा जो समय-समय पर आवश्क हो ।

रतलाम (पश्चिम रेलवे) में इलैक्ट्रीकल चार्जमैन रूप में नियुक्ति

4714. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **रेल-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजन कार्यालय, पश्चिम रेलवे, में रतलाम इलैक्ट्रिकल चार्जमैन (टेक्नीकल) के पद पर 250-380 रु० के वेतन मान में केवल डिप्लोमा-धारी ही नियुक्त किये जाने चाहिए ; और

(ख) क्या वरिऽठ गैर डिप्लोमाधारी और निम्नोन्नीत (रैंकर) व्यक्ति इस पद के लिए पात्र नहीं हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : 205-280 रु० के ग्रेड में बिजली-चार्ज मैन चाहे वे डिप्लोमाधारी हों, या डिप्लोमाधारी न हों, वरिष्ठता तथा उपयुक्ता के मिश्रित आधार पर बिजली चार्जमैन (तकनीकी) के पद पर 250-280 रु० के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं ।

कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को विद्युत की पूर्ण सप्लाई

4716 : डा० रानेन सेन क्या **सिचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम को चन्द्रपुर उत्पादन संयंत्र से निर्धारित 95 मेगावाट बिजली नहीं मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) निश्चित पूरी यात्रा में बिजली सप्लाई करने के लिये क्या कदम उठाए नए हैं ?

(सिचाई और विद्युत मंत्रालय में (उपमंत्री श्री बैजनाथ कुरील): (क)से(ग): दामोदर घाटी निगम अपने ताप एवं जल विद्युत् केन्द्रों से, जिनमें चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र शामिल हैं, कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन लि० कलकत्ता को 96 मेगावाट तक थोक विद्युत सप्लाई करता है। अप्रैल के महीने में, जबकि विद्युत सप्लाई की मात्रा 50 से 90 मेगावाट तक थी, कलकत्ता को मिलने वाली सप्लाई में 11 दिन तक कटौती करनी पड़ी । इसका कारण यह था कि कुछ विद्युत्-जनन यूनिटों को थोड़े-थोड़े समय तक बंद करने के कारण प्रणाली में विद्युत की उपलब्धता कम हुई थी । 25 अप्रैल, 1972 से कलकत्ता को दामोदर घाटी निगम से मिलने वाली सप्याई को 95 मेगावाट के अनुसूचित स्तर पर कायम रखा जा रहा है ।

Amount Allocated to Madhya Pradesh for Rural Electrification

4717. Shri Arvind Netam: Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) The amount allocated for Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan for the purpose of rural electrification ; and

(b) the target fixed in regard to the number of power pumps to be installed and the number of villages to be electrified during the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) :

(a) & (b). Since the beginning of the Fourth Plan, expenditure on rural electrification schemes is met from State Plan resources inclusive of Central assistance. The emphasis during the Fourth Plan continues to be on the electrification of pumpsets (including lift irrigation schemes) for increasing agricultural production ; village electrification is a subsidiary part of this programme. A provision of Rs. 20 crores has been made in the Fourth Plan for rural electrification schemes in Madhya Pradesh and the target fixed in this regard is the electrification of 50,000 pumpsets. Additive finances are provided in the Central Sector by the Rural Electrification Corporation for accelerating the progress of rural electrification schemes. Up to March, 1972, the Rural Electrification Corporation has sanctioned 16 schemes in Madhya Pradesh envisaging loan assistance of Rs. 854 lakhs for the electrification of 759 villages and 37051 pumpsets. From the provision made in the State Plan and additional finances provided by the Rural Electrification Corporation and other sources it is expected that about 1 lakh pumpsets/ lift irrigation pumps and 6500 villages would be electrified in Madhya Pradesh during the Fourth Plan period. So far during the Fourth Plan, up to end of February, 1972, 5823 villages and 62323 pumpsets have been electrified.

भारत-जर्मन जनवादी गणराज्य व्यापार करार से भारत को होने वाले लाभ

4718. श्री डी० के० पंडा : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में लागू होने वाले जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ व्यापार करार की मुख्य बातें क्या थीं और इस के अन्तर्गत भारत को क्या लाभ हुए ; और

(ख) उस देश को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया और क्या-क्या वस्तुएं वहां से आयात की गईं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) (क) : भारत सरकार तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के बीच 1.2.69. से 31.12.71 तक के लिए वैध एक व्यापार तथा भुगतान प्रबंध पर 23 जनवरी, 1969 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे । दोनों सरकारों के बीच 1972-75 के चार वर्षों के लिए वैध एक नया व्यापार तथा भुगतान संलेख संपन्न हुआ है । इन दोनों दस्तावेजों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

द्विपक्षीय व्यापार करार करने का उद्देश्य संबंधित देशों के बीच आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों का विस्तार तथा विविधीकरण करना है । 1954 में भारत और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के बीच प्रथम व्यापार प्रबंध पर हस्ताक्षर होने से पूर्व, 1953 में भारत और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के बीच 18.7 लाख रुपये (अवमूल्यन पश्चात्) का जो व्यापार हुआ था वह बढ़कर 1968 में 43.395 करोड़ रुपये का और 1970 में 43.774 करोड़ रुपये का हो गया ।

(ख) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य को भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं : तेल रहित खली, कमायी हुई तथा अर्ध-कमायी हुई खालें और चमड़ियाँ, कॉफी, पटसन निर्मित वस्तुएं, काजू गिरियाँ, काली मिर्च तथा अन्य मसाले, अनिर्मित तम्बाकू, अभ्रक तथा

अभ्रक-उत्पाद सूती वस्त्र और संलिप्ट षैंब्रिक, चाय, लोह अयस्क आदि। जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से भारत को आयात की जानेवाली मुख्य वस्तुएं हैं : इस्पात और इस्पात उत्पाद, मुद्रण मशीनें; पूंजीगत माल, ष्यूरिगट आफ पोटाश, सिनेमाटोग्राफी फिल्में (कच्ची, मशीनी औजार, विपुल मात्रा में औषधियां तथा भेषज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रशायन, फोठो संबंधी सेन्सिटाइब्ज चीजें, एक्स-रे फिल्में आप्टिकल तथा वैज्ञानिक औजार, आदि।

दिल्ली और अफगानिस्तान में मेंवों का थोक मूल्य

4719. श्री जी वाई कृष्णन : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कागजी बादामों, गुलबंदी (मोटे छिलके के) बादामों, किशमिशों का अफगानिस्तान में थोक मूल्य क्या हैं और दिल्ली में इन मेवों का इस समय खुदरा मूल्य क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अफगानिस्तान में बादाम तथा किशमिश के थोक मूल्यों तथा दिल्ली के बाजार में इन मेवों की खुदरा कीमतों के विषय में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन मेवों की काबुल तथा दिल्ली में थोक कीमतें क्रमशः निम्न प्रकार है :—

20 अप्रैल, 1972 की समाप्त सप्ताह के दौरान काबुल के बाजार में प्रति सेर (16 पोंड) की थोक कीमतें

(स्रोत : भारतीय राजदूतावस, काबुल)

बादाम, नरम छिलके वाला (कागजी)	400 अफगानिस
बादाम, सख्त छिलके वाला—	
(1) कलाटी	2000-210 अफगानिस
(2) गुड़बंदी	220-222 अफगानिस
किशसिश (हरी)	140-150 अफगानिस
किशमिश (लाल)	90-92 अफगासि

28 अप्रैल, 1972 को दिल्ली में थोक मूल्य

(स्रोतः इकानामिक टाइम्स, दिनांक 29.4,1972)

बादाम (गुड़बंदी)	रुपये 1275/- प्रति क्विंटल
बादाम (गिरधी)	रुपये 1150/- प्रति क्विंटल
किशमिश नं० 1/1	रुपये 1187-1350 प्रति क्विंटल
किशमिश नं० 1/2	रुपये 1000-1100 प्रति क्विंटल

विदेशों में संयुक्त उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ के अपवंचन संबंधित उच्च शक्ति प्राप्त सीमित

4720. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में ऐसे संयुक्त उपक्रमों से होने वाले लाभ को, जिन में भारतीय उद्योग भी भाग ले रहे हैं, अस्वीकृत हाथों में जाने से रोकने और उसकी पूरी तरह से भारत में भेजे जाने को सुनिश्चित करने हेतु परामर्श प्राप्त करने के लिए क्या सरकार एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू का निर्यात

4721. श्री पम्पन गोडा : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संसार के 50 से भी अधिक देशों को भारतीय तम्बाकू का निर्यात किया जाता है। देशों के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

ब्रिटेन, आस्ट्रिया, बेल्जियम, डेन मार्क, पिनलैंड फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, आयरिश गणराज्य, नीदरलैंडस, नार्वे, स्वीडन, स्विटजरलैंड, चैकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य हंगरी, पोलैंड, सोवियत संघ, युगोस्लाविया, साइप्रस, इजराइल, कुवैत, कतार, ट्रूशिल ओमन, सउदी अरब, दक्षिण यमन जनवादी गणराज्य, यमन अरब गणराज्य, श्रीलंका, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, अल्वीरिया, कैमरुन, कनारी, दूवीप, कांगों ब्राजील, कांगो गणराज्य, इथोपिया, घाना, आयवरी कोस्ट गणराज्य, कीनिया, लिबिया, मेडागास्कर, मालदिव, माल्टगेज, मोरक्की, नाइजीरिया, सेदिगत गणराज्य, सियरा लोन, सोमालिया, सूडान. तंजानिया, संयुक्त अरब गणराज्य, पश्चिम अफ्रीका, स्पेनिश, बारबाड़स, जमायका, आस्ट्रेलिया।

(ख) विगत तीन वर्षों में तम्बाकू के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

1968-69	3316 लाख रुपये।
1969-70	3271 ,, ,,
1970-71	3140 ,, ,,

रेलवे गोदमों से चोरीयों के कारण गिरफ्तार किए गए कर्मचारी

4722. श्री पम्पन गौडा : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों में रेलवे गोदामों से चोरी करते हुए कितने रेल कर्मचारी गिरफ्तार किए गए ; और

(ख) क्या कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली इन चोरियों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई विशेष निगरानी एजेंसी नियुक्त की है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 1969, 1970 और 1971 में रेलवे गोदामों से चोरी करते समय गिरफ्तार किये गये रेल कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 267, 283 और 254 थी।

(ख) सरकार द्वारा कोई विशेष निगरानी एजेसी नियुक्त नहीं की गयी है लेकिन अपराध आसूचना शाखा के रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को सादे लिबास में काम पर लगाने के अलावा अधिकारियों द्वारा भी आकस्मिक जांच की जाती है।

भारतीय संविधान के संशोधित हिन्दी रुपान्तर को जांच करने के लिए नियुक्त समिति

4723. श्री पम्पन गौडा : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय संविधान के संशोधित और अद्ययतन हिन्दी रुपान्तर की जाँच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति के विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : सरकार ने भारत के संविधान के पुनरीक्षित और अद्ययतन हिन्दी रुपान्तर की परीक्षा के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की है। किन्तु, विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति ने इस संबंध में यह परीक्षा करने और रिपोर्ट देने के लिए जनवरी, 1970 में एक उप-समिति नियुक्त की थी कि क्या भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के प्राधिकार से वर्ष 1950 में प्रकाशित भारत के संविधान के हिन्दी रुपान्तर को ही यथावत स्वीकार कर लिया जाए या उसमें कुछ परिबर्तन किए जाने अपेक्षित हैं ; और यदि कुछ परिवर्तन करने की अपेक्षा भी हो, तो कौन-कौन से परिवर्तन होने चाहिए और वे किस प्रकार किए जाने चाहिए। उप-समिति की रिपोर्ट पर हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा 20 अप्रैल 1972 को हुई बैठक में विचार किया गया था और समिति ने उप-समिति की रिपोर्ट को सरकार द्वारा विचार करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय को निर्दिष्ट कर दिया है।

Provision of a Permanent Gateman at Railway Gate on Nagda-Khachraud Line (Western Railway)

4724. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether no permanent gateman has been provided at Railway Gate (Level crossing) No. 102 - C on Nagda-Khachraud line (Western Railway) ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the Collector of Ujjain has also made a demand to the Railway Administration to post a permanent gateman at this gate ; and

(d) if so, the action being taken in this regard ?

The Minister af Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) A gateman has been posted with effect from 23. 2. 1972 at this level crossing.

(b) Does not arise.

(c) Yes.

(d) Does not arise.

कृष्णा जल विवाद

4725. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा जल विवाद का प्रभाव तुंगभद्रा समस्या पर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विवाद का क्या प्रभाव पड़ा है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है । राज्यों के बीच कृष्णा नदी के पानी और उसकी घाटी सम्बन्धी विवाद कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयाधीन है । कुरनूल कडपा नहर और राजोलीबन्दा नहर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुंगभद्रा जलाशय से पानी की निकासी ; कृष्णा को योगदान करने, तुंगभद्रा बाँध का नियन्त्रण तुंगभद्रा बोर्ड को सौंप देने, जलाशय, बाएं तट की मुख्य नहर, मुनीराबाद विद्युत दर, राजोलीबन्दा शीर्ष कार्यों तथा मैसूर राज्य की सीमा में राजोलीबन्दा परियोजना की आय नहर की लम्बाई, जिसको आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाया गया था, से सम्बन्धित कुछ मामले न्यायाधिकरण को सौंपे गए हैं । न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट दिए जाने के पश्चात ही समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से विदेशी मुद्रा की आय

4726. श्री पी० के० देव : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1971-72 में राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा (जिसमें भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा भी शामिल है) की राशि लगभग 92.45 करोड रुपये है ।

पी० एल० 480 के अंतर्गत आयात बंद होने का राज्य व्यापार निगम के लाभ पर प्रभाव

4727. श्री पी० के० देव : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1972 के 'स्टेटसमैन' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जो पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात बन्द होने से राज्य व्यापार निगम के लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) यह बात सरकार ने नोट कर ली है ।

बड़ौदा डिवीजन, में बैगनों की कमी

4728. श्री डी० डी० देसाई : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा डिवीजन में डोलोमाइट, नमक, बिनौलों, तथा अनाज आदि भेजने के लिए 50,000 मांगपत्र लम्बित हैं ;

(ख) पटरी और खरधोड़ा आदि पर नमक भेजने के लिए 40,000 वैगनों की प्रतीक्षा की जा रही है ;

(ग) क्या छोटा उदयपुर में डोलोमाइट की ढुलाई के लिए 5,000 मांगपत्र लम्बित हैं ;

(घ) क्या नीदाद, डमोई और बोडेली में भी इसी प्रकार बहुत से मांग-पत्र लम्बित हैं जहां बिनौले, रुई और अनाज, वैगन न मिलने के कारण, जमा हो गए हैं, और

(ङ) सरकार ने क्या कार्यवाही की या करने का विचार है और कब तक ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) 1 जनवरी से 20 अप्रैल, 1972 तक की अवधि में बड़ौदा मण्डल के स्टेशनों से बड़ी लाइन के लगभग 77,309 और छोटी लाइन के 19,872 माल डिब्बों का लदान किया गया । बकाया मांगपत्रों की अत्यधिक संख्या हो जाने का मुख्य कारण भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन का किया जाना है क्योंकि रेलें अब अधिकतम सीमा का निर्धारण किये बिना मांगपत्र स्वीकार कर रही हैं । बकाया मांगपत्रों को कम करने के लिए लदान का काम तेज करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) पर मोटर ट्राली ड्राइवर के लिए 'हैल्पर' तथा छुट्टी रिजर्व की नियुक्ति

4729. श्री राम रतन शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में मोटर ट्राली ड्राइवरों के लिए हैल्पर तथा छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) जब कभी आवश्यक होता है, निर्माण कार्य निरीक्षक या स्थायी रेल पथ निरीक्षक के दलों के खलासी सहायता के काम में लगाये जाते है। फिर भी, छुट्टी रिजर्व के एक पद के सृजन के लिए जांच की जा रही है।

उत्तर रेलवे के गुलधर स्टेशन पर 'सीजन टिकटों' का उपलब्ध न होना

4730. श्री सतपाल कपूर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर रेलवे की दिल्ली-मेरठ सैक्शन पर गुलधर रेलवे स्टेशन पर पिछले दो महीनों से 'सीजन टिकट' उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे कर्मचारी केवल अपने परिचितों को ही ये 'सीजन टिकट' देते हैं तथा अन्य लोगों को नहीं ; और

(ग) उक्त स्टेशन से गत छः महीनों में महीने वार कितने 'सीजन टिकट' जारी किये गये ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) गुलडहर स्टेशन पर 1.3.1972 से 25.4.1972 के बीच मासिक सीजन टिकटों का कोई स्टाक नहीं था। इसके फलस्वरूप इस तरह के टिकट चाहने वाले यात्रियों को अवश्य कठिनाई हुई होगी।

(ख) ऐसी कोई बात देखने में नहीं आयी।

पिछले छः महीनों में गुलडहर स्टेशन से जारी किये गये मासिक सीजन टिकटों की संख्या इस प्रकार है :

मास और वर्ष	जारी किये गये टिकटों की संख्या
अक्तूबर, 1971	80
नवम्बर, 1971	68
दिसम्बर, 1971	74
जनवरी, 1972	74
फरवरी, 1972	33
मार्च, 1972	3

चौथी योजना के दौरान तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधाएं देना

4731 श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में तीसरे दर्जे के यात्रियों को और सुविधायें दिए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) :

(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) : यात्रियों की महत्वपूर्ण सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने के कार्यक्रम क्षेत्रीय रेलों की रेल उपयोगकर्ता सुविधा समितियों के परामर्श से बनाये जाते हैं । ऐसा करते समय सम्हाले गये यातायात, स्टेशन का महत्व, पहले से ही उपलब्ध सुख-सुविधाओं और साथ ही उपलब्ध सुख-सुविधाओं और साथ ही धन की उपलब्धता का ध्यान रखा जाता है ।

लार्ड कृष्ण टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर के कार्यकरण की जांच

4732. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लार्ड कृष्ण टैक्सटाइल्स मिल्स, सहारनपुर के कार्यकरण की जांच पूरी हो गई है;

(ख) क्या मिल को सरकारी नियन्त्रण में लेने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी रहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर को आर्थिक सहायता देना

4733. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर के कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता के बारे में 16 नवम्बर, 1971 के अन्तराँकित प्रश्न 279 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर द्वारा मांगी तई वित्तीय सहाययता केन्द्र द्वारा इस बीच मंजुर कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या काण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) कम्पनी ने उन मजदूरों को उपदान, मिल बन्द होने का प्रतिकर आदि देने के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता मांगी थी, जिन्हें मिल कम्पनी के प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के बाद मिल में पुन: काम नहीं दिया गया था । श्रम के सुव्यवस्थीकरण की योजना में, जो राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही है, सरकार द्वारा अपने प्रबन्ध में ली गई मिलों के उससे पूर्व के दायित्वों के लिए व्यवस्था नहीं होती । अत: निगम द्वारा मिल-कम्पनी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

Sale of Tickets in Black Market and bribery in reservation of seats, at Delhi and New Delhi Stations.

4734. Shri Ram Bhagat Paswan : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the Railway employees posted at Delhi Main and New Delhi Railway Stations reserve seats for certain passengers in the bogies to be attached to Railway trains after taking bribes from them ;

(b) whether tickets are also sold to passengers on these Stations in black market ; and

(c) whether Government would take concrete steps to improve the situation ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) (a) & (b) There have been complaints alleging commission of malpractices by the Railway staff at Delhi and New Delhi Stations in the matter of reservation of berths/seats by important trains. Complaints have also been received about the activities of private agencies and individuals engaging themselves in securing reserved accommodation for intending passengers on collection of extra money and in the process indulging in malpractices, in some cases, in collusion with the Railway staff.

(c) Under the system of working prescribed for booking and reservation of berths and seats, measures have been provided to prevent commission of malpractices by the concerned staff. In addition, the Reservation Offices are subjected to regular checks which are intensified during peak seasons. Thorough enquiries are made into specific complaints alleging malpractices in the reservation of berths and seats and appropriate action taken against the defaulters. Further, the Government is fully alive to the problem of malpractices indulged in by the Railway staff and others in the matter of reservation and booking and the question of how best to tackle the problem is engaging the attention of the Government.

वह पार्टी जिसको इलाहबाद में माल चढ़ाने उतारने का ठेका दिया गया है

4735. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के क्या नाम हैं जिन्हें वर्ष 1971 के लिए इलाहबाद में माल चढ़ाने व उतारने का ठेका दिया गया था ।

(ख) नये ठेकेदारों को, वर्तमान दरों की तुलना में, दरों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है ।

(ग) दरों में वृद्धि का क्या आधार था; और

(घ) क्या सरकार ने दरों की औचित्यता को आंकने के लिए कोई कसौटी रखी है ।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 15-6-71 से तीन वर्ष के लिये इलाहबाद में माल चढ़ाने-उतारने का ठेका रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कोन्ट्रेक्ट सोसायटी लि० इलाहबाद को दिया गया था -

(ख) वर्तमान दरों की तुलना में इस समिति की दरों में वृद्धि का प्रतिशत 16 था ।

(ग) मजदूरी पर बढ़ती हुई लागत को देखते हुए दरों में यह वृद्धि करना उचिम समझा गया था ।

(घ) जी हाँ । वास्तविक मजदूरों की असली लेवर कोआपरेटिव सोसाइटियों से बातचीत के द्वारा माल सम्हलाई के ठेके देने के सम्बन्ध में, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मजदूरों के लिए निश्चित की गई न्यूनतम वेतन-दर को ध्यान में रखकर अथवा जहाँ कहीं स्थानीय प्राधिकारी न हों, वहाँ बाजार दर,.साप्ताहिक छुट्टी, बोनस आदि जैसी साँविधिक बाध्यताएँ, काम की मात्रा और अन्य सम्बद्ध कारणों को ध्यान में रखकर तीन अधिकारियों को एक समिति दरों पर विचार और सिफारिश करती है ।

Export of Betel-Leaves

4736. Shri Ishwar Chaudhry: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) Whether Government have any scheme for export of betel leaves from Bihar to foreign countries; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George):

(a) No Sir.

(b) Question does not arise.

सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग

4737. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मार्च, 1971 तक अपयुक्त रही 20 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के पूर्व उपयोग के लिए किन योजनाओं की जाँच पड़ताल के पश्चात् पता लगाया गया है; और

(ख) इस समय विद्यमान सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग कब तक होने लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) प्रायः सभी परियोजनाओं में, विशेषतः अन्तिम छोर वाले धागों में, सिंचाई शक्यता के समुपयोजन में हमेशा हीं कुछ विलम्ब हो जाया करता है क्योंकि इन क्षेत्रों को विकसित करने और प्राप्त की जाने को परिकल्पित समस्त शक्यता कीं प्राप्ति में कुछ वर्ष लग जाते हैं । यह अच्छी बात है कि समुपयोजन का मूल्यांकन सदैव पूर्ववर्ती वर्ष में निर्मित शक्यता के संदर्भ में लगाया जाता है । जब वितरण प्रणाली के पूरे हो जाने पर प्रथम मानसून का प्रवाह प्राप्त हो तभी समुपयोजन के लिए शक्यता को उपलब्ध कहा जा सकता है और उस प्रसंग में किसी विशेष वर्ष में निर्मित शक्यता और बाद के वर्ष में समुपयोजन के संदर्भ में ही शक्यता और समुपयोजन के बीच के अन्तर का अनुमान लगाया जाता है । इन मानदण्डों से जांचने पर, बृहद् और मध्यम परियोजनाओं द्वारा निर्मित सिंचाई शकयता के समुपयोजन में पिछले कुछ वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण उन्तति हुई है । फिर भी पहले ही 0.94 मिलियन हेक्टेयर को शेष निमित शक्यताके पूरे उपयोग के लिए हर तरह का प्रयास किया जा रहा है ।

उन परियोजनाओं में जिनमें बहुत अधिक अन्तर रह गया है, मध्य प्रदेश में चम्बल परियोजना भी है, जहाँ पर यह अन्तर 0.16 मिलियन हैक्टेयर है : इसके कारण हैं : (1) सेवार

बढ़ जाने और अन्य बाधाओं के कारण मुख्य नहर की क्षमता में कमी, और (2) जल-मार्गों के निर्माण में विलम्ब । नहरों की क्षमता में वृद्धि करने और नहर प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए उपचारी उपाय किये गये है । जलमार्गों के निर्माण की गति को तेज किया जा रहा है ।

कोसी पूर्वी नहर और कोसी परियोजनाओं की राजपुर नहर में यह अन्तर लगभग 0.2 मिलियन हैक्टेयर है । विकास की धीमी गति के कारण ये बताये गये (1) परियोजना के काल में अच्छी वर्षा होती है; (2) इस क्षेत्र के किसानों को अभी सिंचाई की उपयोगिता के प्रति जागरुक बनाना बाकी है; (3) गाद भर जाने के कारण नहर का बहाव क्षमता पर न हो सका; (4) परियोजना के कमान गत क्षेत्र समतल बनाने की आवश्यकता है; (5) जल-निकासी की समस्या है; और (6) पश्चिम बंगाल सिंचाई अधिनियम, 1876 के अन्तर्गत मौजूदा सट्टा प्रणाली, जिस रूप में वह बिहार पर लागू है—जिसके अनुसार नहर से अपने खेत के लिए जल लेने के इच्छुक किसी व्यक्ति को प्रत्येक फसल में अपना यह आशय व्यक्त करते हुए एक लिखित आवेदन-पत्र देना होगा । बिहार सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि मौजूदा सट्टा प्रणाली की जगह अनिवार्य सिंचाई प्रणाली लागू की जाए । जल-मार्गों के निर्माण में तेजी लाई गई है; लगभग आधा काम पहले ही पूरा किया जा चुका है और शेष को आगामी तीन वर्षों में पूर्ण कर लेने का कार्यक्रम बनाया गया है । प्राप्त अनुभव के प्रकाश में बराज के नियमन की नियमावली बना दी गई है और पिछले दो वर्षो में नहरों के बन्द रहने के साथ में उनकी गाद की सफाई भी कर दी गई है।

राजस्थान नहर परियोजना-चरण एक में, 0.1 मिलियन हैक्टेयर का समुपयोजन रह गया है । यह विशेषत: पोंग बांध से विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती बसाये जाने में विलम्ब के कारण हैं । अन्य परियोजना क्षेत्रों की अपेक्षा यहां के लिए अधिक समय चाहिए क्योंकि राजस्थान नहर द्वारा जिस क्षेत्र की सिंचाई की जाती है वहां की भूमि अभी तक अछूती रही है और वह प्रमुखत: रेतीली किस्म की है ।

ककड़ापार और भाही-प्रथमचरण परियोजनाओं में 0.1 मिलियन हैक्टेयर का समुपयोजन पीछे रह गया है । यह रबी की सिंचाई के लिए संचित जल के उपलब्ध न होने के कारण हैं । उकई जलाशय, जिससे ककड़ापार कमान क्षेत्र को जल भी सप्लाई मिलेगी, पूर्ण हो रहा है । कडाणा बांध के पूर्ण हो जाने पर भाही नहर क्षेत्र में समुपयोजन में वृद्धि होगी ।

कई अन्य परियोजनाओं में सिंचाई-शक्यता का समुपयोजन होना शेष रह गया है और इसका अत्यन्त सीधा-साधा कारण यह बताया जाता है कि किसानों द्वारा खेतों की नालियों के निर्माण में विलम्ब हुआ है लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ वर्षो तक समुपयोग 100 प्रतिशत तक नहीं पहुंच सकेगा और समुपयोजन की वर्तमान 90 प्रतिशत स्थिति ही सन्तोषजनक समझी जा सकती है ।

विद्युत विकास योजना

4738. श्री आर० पी० उगलनम्बी : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत विकास को दस वर्षीय योजना के किसी भाग को 1972-73, की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : दशाब्दी योजना में निर्दिष्ट निम्नलिखित स्कीमों वार्षिक योजना (1972-73) में पांचवी योजना की स्कीमों में शामिल कर लिया गया है ।

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	प्रतिस्थापित द्वारा (मेगावाट)
1. काली नदी जल विद्युत परियोजना., मैसूर	32.10	270
2. सुरालियर जलविद्युत स्कीम, तमिलनाडु	6.17	35
3. नागार्जुनसागर पंथजलाशय जलविद्युत स्कीम, आन्ध्र प्रदेश	9,39	100
4. कोर्वा ताप संयन्त्र विस्तार, मध्य प्रदेश	18.22	120
5. चंद्रपुरा ताप संयंत्र विस्तार, दामोदर घाटी निगम	19.95	120

रेलवे की भोजन व्यवस्था सेवा में हानि

4749. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ 'रेलवेज' ने चलती गाड़ियों में 'थाली' तथा अन्य भोजन व्यवस्था सेवाओं को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में रेलवे को भोजन व्यवस्था में कितनी हानि हुई है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नही । खानपान सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं में से किसी को भी बन्द किए बिना थाली के बदले पैक किया हुआ भोजन देने की प्रणाली केवल 3 । 4 डाउन फ्रन्टिर मेल के भोजन यानों में 16-4-1972 से परीक्षण के तौर पर चालू की गयी है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में रेलों का खान पान व्यवस्था की हानि नहीं हुई है । 57.64 लाख रुपये का लाभ हुआ ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लघू एककों के लिए आयात तथा निर्यात सुविधाएं

4740. श्री नबल किशोर शर्मा : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय लघु तथा सहायक निर्माण संगठन परिषद् ने आयात तथा निर्यात सुविधाओं के लिए सहायता देने हेतु सरकार को लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सुविधाएं मांगी गई हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अफगानिस्तान से व्यापार करने के लिए वागाह स्थल मार्ग को पुनः खोलना

4741. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए वागाह स्थल मार्ग को पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बम्बई होकर जाने वाले जल मार्ग की अपेक्षा यह मार्ग कितना अधिक लाभप्रद होगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए स्थल मार्गों का प्रयोग करने प्रश्न पर सरकार लगातार ध्यान देती रही है । इससे समय की बचत होगी और उतनी जगह माल को एक जहाज से दूसरे जहाज पर चढ़ाना-उतारना नहीं पड़ेगा, इसके अतिरिक्त माल के लाने लेजाने की लागत में भी बचत होने की आशा है ।

Financial Assistace to Rajasthan for Flood Control :

4742. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Union Government had given any funds to Rajasthan during the last four years for flood control and if so, the amount thereof and the works for which it was given; and

(b) whether the said amount was not spent on the works for which it was given and if so, the reason thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) Till the year 1968-69 flood control schemes, which formed part of the State Plans, were financed by special loans from the Centre. These loans were given for execution of approved flood control schemes within the overall ceiling of the State Plans. During 1968-69 a loan of Rs. 80 lakhs was sanctioned to the Government of Rajasthan for approved flood control schemes. An expenditure of about Rs. 86.45 lakhs has been reported by the State Government on the following approved schemes :—

1. Kaman Pahari Drain.
2. Goverdhan Drain.
3. Ghaggar Flood Control Works.
4. Works near Singhavali·

5. City Drain for Bharatpur.

6. Protection for Bharatpur and adjacent areas.

Under the procedure evolved for the Fourth Five Year Plan beginning from 1969-70, Central assistance to the State Governments for their various developmental schemes is provided in the form of block loans and grants and is not tied to any particular project or had of development. Therefore, there is no earmarked Central assistance for flood control schemes. As such no specific assistance for flood control was given during the last three years.

Low Irrigation Rates

4743. Shri M. C. Daga : will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether irrigation rates are so low that the State Governments have to incur losses; and

(b) if so, whether Government are taking any steps at Central level in this regard ?

The Depty Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) : The water rates at present fixed by State Governments are generally not adequate to meet the combined working expenses and interest charges. The State Governments hnve been urged to fix water rates in an equitable way so as to meet the maintenance and operational charges and interest at the rate of at least 2½% and that the increased rates may be collected after providing for a transition period.

Slow Pace of Generation of Electricity in Rajasthan :

4744. Shri M. C. Daga : will the minister of **Irrigation and Power** be pleased to State ;

(a) whether the pace of generation of electricity in Rajasthan is very slow as compared to other States; and if so, the reasons therefor; and

(b) whether the Central Government have given less financial assistance to Rajasthan for generation of electricity as compared to other States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) No, Sir. The pace of growth of electric generating capacity in Rajasthan is higher than the all India average.

(b) Since the commencement of the Fourth Plan, central assistance to any State is being given in the form of block grants and block loan towards overall plan expenditure and not for any sectoral programme. Therefore, the question of Centre having given less loans for power generation in Rajasthan does not arise.

Construction of under/over Bridges at Falna, Rani and Pali Railway Stations (Western Railway)

4745. Shri M. C. Daga : will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether certain Members of Lok Sabha have written to the Centra lGovernment for the construction of under/over bridges at Falna, Rani and Pali Railway Stations in Rajasthan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya): (a) Yes, in regard to Rani and Falna Railway Stations only.

(b) The proposals for construction of Road over/under bridges in replacement of existing busy level crossings are to be sponsored by the State Government/Road Authority together with an undertaking to bear their share of cost. The Government of Rajasthan have not so far sponsored proposals for construction of Road over/under bridges at Rani, Falna and Pali Railway Stations.

आन्ध्र प्रदेश के लिए केरल से विद्युत प्राप्त करने के सम्बन्ध में केन्द्र का हस्तक्षेप

4746. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केरल से विद्युत प्राप्त करने के मामलों में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की मांग की है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने विद्युत-पारेषन की अनुमति नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु से वर्तमान की अपेक्षा और अधिक विद्युत प्रेषण के लिए अनुरोध करती रही है और ऐसी आशा है कि तमिलनाडु सहायता करेगा ।

(ग) दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत के अन्तः विनिमय की समग्र समस्या पर सम्बन्धित यात्रियों को एक बैठक में विचार-विमर्श किया जायेगा और भविष्य के लिए मार्गदर्शक दिशाएं तैयार की जाएंगी ।

श्री सेलम परियोजना का सरकारी नियंत्रण में लिया जाना

3747. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार श्री सेलम विद्युत उत्पादन परियोजना को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से उसे केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में अपने हाथ में लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश में श्री शैलम् जल विद्युत परियोजना को केन्द्रीय परियोजना के रूप में निर्माण के लिए अपने हाथ में ले लेगी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

काटपाडि और तिरुपति (दक्षिण रेलवे) के बीच बड़ी लाइन

4748. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे क्षेत्र में पाकाला होकर काटपाडि और तिरुपति के बीच वर्तमान लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन बिछाने अथवा उसके समानान्तर बड़ी लाइन बिछाने के लिए किये गये अध्ययन के परिणाम तथा मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : काटपाडि से तिरुपति तक बड़ी लाइन की व्यवस्था के लिए कोई अध्ययन कार्य नहीं किया गया ।

चित्तूर जिले में मैनूफ़ैक्चरिंग यूनिट की स्थापना

4749. श्री पी० नरसिम्हा रैड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के दौरान रेलवे की आवश्यकताओं के लिए एक मैनुफ़ैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े चित्तूर जिले में इन यूनिटों में से कुछ को स्थापित करने के प्रश्न की जांच करने के लिए अध्ययन करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) फिलहाल दो परियोजनाएं गठित करने के लिए एक पहियों और धुरों के उत्पादन के लिए और दूसरी कर्षण गियर के उत्पादन के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है । अभी तक कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया गया है क्योंकि परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं । सभी सम्बन्ध पहलुओं-जिनमें प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थानों का प्रश्न भी शामिल है-की ब्यौरेदार जाँच-पड़ताल के बाद ही कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

खण्डवा स्टेशन (मध्य रेलवे) पर वाणिज्यिक लिपकों की संख्या में वृद्धि

4750. श्री पन्नालाल बारुपाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या मध्य रेलवे के भुसावला डिवीजन के डिवीजनल कामर्शियल सुपरिन्टेंडेंट ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर वाणिज्यिक लिदिकों की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में डिवीजनल एकाउन्ट्स आफिसर को एक प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है तथा पद मंजूर कर दिये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : जी नहीं । यह प्रस्ताव अभी मंडल कार्यलय के विचारधीन है ।

भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक

4751. श्री वी० मायावन : श्रीकिशन मौदी : क्या रेल मंत्री भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बारे में 3 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6747 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी राष्ट्रिक सरकारी सेवाओं में किस प्रकार नियुक्त हो जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी उनके नियुक्त होने के बाद मिली ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया (क) से (ग) : प्रश्न सं० 6747 के उत्तर में उल्लिखित छः पाकिस्तानी नागरिकों में से तीन विभाजन से पहले रेलवे सेवा में थे, जब कि अन्य पूर्ववृत्त बताये बिना, बाद में सेवा में आ गये थे, जब केवल दो बच गये हैं। उन्हें बने रहने की अनुमति दे दी गयी है और उन्हें, भारतीय नागरिकता प्रदान करने के बारे में सिविल प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है।

अभी हाल में एक और कर्मचारी का पता चला है जो अपना पूर्ववृत्त छिपाकर सेवा में प्रवेश कर गया था। उसे निलम्बित कर दिया गया है और सम्बन्धित नियमों और विनियमों के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति

4752. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या रेल मंत्री अध्ययन अवकाश पर विदेशों में गए रेलवे अधिकारियों द्वारा प्राइवेट रोजगार प्राप्त करने के सम्बन्ध में 23 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 'स्पेशल क्लास रेलवे एप्रेंटिस' के रूप में भर्ती किए गए तथा 'इंडियन रेलवे पावर एण्ड मैकेनिक्ल इंजीनियरिंग सर्विस' में नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को रेलवे सेवा से त्याग-पत्र देने अथवा छोड़ी से पूर्व कितने वर्षों तक सेवा करनी पड़ती है ;

(ख) अपने खर्च पर विदेशी में उच्च अध्ययन प्राप्त करने के लिए जाने वाले ऐसे अधिकारी को बिना वेतन के अधिकतम कितनी अवधि तक का अवकाश मिलता है अथवा मंजूर किया जा सकता है;

(ग) किसी कनिष्ठ वेतन पाने वाले अधिकारी को वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नत किये जाने से पूर्व कितनी अवधि तक सेवा करनी पड़ती है; और

(घ) क्या बिना वेतन वाले लम्बे अवकाश की अवधि को, सेवा करार की समाप्ति के दिन अथवा इस से पूर्व, सेवा से त्याग पत्र देने (मंजूर करने) सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए अथवा उस के अवकाश से लौटने पर वरिष्ठ वेतन मान मै उस की पदोन्नति के लिए कुल सेवा की अवधि का हिसाब लगाते समय ध्यान में रखा जावा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विशेष श्रणी शिक्षु को चार वर्षों की शिक्षुता सन्तोषप्रद ढंग से पूरा करने के बाद यांत्रिक इंजीनियरिंग और पारिवहन (बिजली) विभाग में कनिष्ठ वेतन मान में श्रेणी 1 का अधिकारी नियुक्त किया जाता है और तीन वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाता है'। उसकी परिवीक्षमान अवधि सन्तोषप्रद ढंग से समाप्त होने के बाद उस विभाग में उसे कनिष्ठ वेतनमान में श्रेणी। के अधिकारी ने रूप में पक्का कर

दिया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई शर्त नहीं रखी गयी हैं कि यांत्रिक इंजीनियरिंग और परिवहन (बिजली) विभाग के ऐसे किसी अधिकारी को त्यागपत्र देने या रेल सेवा छोड़ देने से पहले कितने वर्षों तक सेवा करनी आवश्यक है।

(ख) जब तक कि राष्ट्रपति किसी मामले की आपवादिक परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निश्चय नहीं करते, किसी रेलवे कर्मचारी को लगातार पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए किसी प्रकार की छूट्टी मंजूर नहीं की जा सकती।

(ग) कनिष्ठ वेतनमान के किसी अधिकारी को वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्तति के लिए विचार किये जाने से पहले उसे चार वर्षों तक की सेवा पूरी करनी पड़ती है।

(घ) जहां तक कि वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्तति का संबंध है, प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है। जहां तक त्यागपत्र का संबन्ध है, उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

राजभाषा (विधायी) आयोग के सदस्य

4753. श्री माधुर्य्य हालदार : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा (विधायी) आयोग के सदस्यों के लिए शर्तें, दशाएं तथा अर्हताएं क्या-क्या हैं;

(ख) आयोग के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं, उनकी आयु तथा अर्हताएं क्या हैं;

(ग) क्या आयोग अथवा इसके किसी सदस्य का कार्यकाल बढ़ाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) राजभाषा (विधायी) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को भेजे गए इस विभाग के पत्र सं० ए. 45012/5/71-प्रशा० I (वि० वि०) तारीख 5 अप्रैल, 1972 में दी गई हैं (उपाबंध I) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 1914/72] आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट अर्हताएं यह अनुभव विहित नहीं हैं। आयोग उच्चाधिकार प्राप्त निकाय है, जो विधिविशेषज्ञों और भाषा-विशेषज्ञों से मिलकर बना है। अध्यक्ष पद को धारण करने वाला व्यक्ति सामान्यतया उच्च न्यायालय का सेवा निवृत्त न्यायाधीश होता है। वे व्यक्ति जो आयोग के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं, उच्च विधिक अर्हताएं और अनुभव और हिन्दी या उन प्रादेशिक भाषाओं में जिनका वे आयोग में प्रतिनिधित्व करते हैं, उच्च प्रवीणता रखते हैं।

(ख) आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तथा उनकी जन्म-तिथियों को दर्शनिवाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (उपाबंध II)। [ग्रंथालय में रखा

गया । देखिये संख्या एल० टी० 1914/72] आयोग के अंश-कालिक सदस्य श्री एम० ए० द्विवेदी और श्री वाई० एन० मेहता की जन्म-तिथियां इस समय उपलब्ध नहीं हैं । यह जानकारी प्राप्त की जा रही है और सम्यक् अनुक्रम में सदन के पटल पर रख दी जाएगी । आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव दर्शाने वाले विवरण भी सदन के पटल पर रख दिए गए हैं (उपाबंध III से XIV तक) । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1914/72] ।

(ग) और (घ) : आयोग 1. 4. 1972 से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित कर दिया गया है । चूँकि नये आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियमित नियुक्ति करने में कुछ समय लगेगा, अत: नियमित आधार पर इन पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के छांटे जाने तक पिछले आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की (जिनके नाम उपाबंध 11 में दिए गए हैं) पदावधि, जो 31. 3. 1972 को समाप्त होने को थी, 1 4. 1972 से 31. 5. 1972 तक दो मास के लिए बढ़ा दी गई है ।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की केला 'साईडिंग' में संतरों की नीलामी

4754. श्री लालजी भाई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के केला 'साईडिंग' के प्रांगण में रोजाना बाहर से व्यापारियो द्वारा संतरों से भरे हुए ट्रक लाये जाते हैं तथा वहां नीलाम किये जाते हैं;

(ख) क्या यह कार्य रेलवे की कर्मचारियों की सांठगांठ से किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) नई दिल्ली की केला साइडिंग में मुख्यत: ताजे केलों और संतरों के उन परेषणों की सम्हलाई होती है जो सामान्यत: विशेष गाड़ियों से प्राप्त होते हैं । ताजे फलों के व्यापारी थोक-भाव से अपने माल की नीलामी केला साइडिंग की परिसीमाओं में ही करते हैं । इस नीलामी में संतरों के वे परेषण भी कभी-कभी शामिल कर लिए जाते हैं जो ट्रकों में भरकर दिल्ली आते हैं ।

(ख) और (ग) : रिपोर्ट मिली है कि सम्बन्धित रेल कर्मचारियों को इस कार्य की जानकारी है । सारी समस्या की जाँच की जा रही है ताकि मामले को दुरुस्त किया जा सके ।

नई दिल्ली से अंगूरों की टोकरियों का हैदराबाद वापिस भेजा जाना

4755. श्री लालभाई : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 21 मार्च, 1972 को हैदराबाद से 21 डाउन द्वारा अंगूरों की 30 टोकरियां आयी थीं ?

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें पार्सल बिल सहित प्राप्त किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या पार्सल कर्मचारियों द्वारा इन्हें वापिस हैदराबाद भेज दिया गया था ;

(घ) इस मामले में दावे की कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ड) इसके लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) जी हां, ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, 23-3-1972 को ये टोकरियाँ हैदराबाद के लिए फिर से बुक कर दी गयीं थीं ।

(घ) उत्तर रेल प्रशासन को अभी तक कोई दावा नहीं मिला है ।

(ड़) दोषो कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाही की जा रही है

कनाडा में राज्य व्यापार निगम की सहायक संस्थाओं को बन्द करना

4756. श्री भान सिंह भौरा : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम में कनाडा में अपनी सहायक संस्थाओं को बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) निगम का यह विचार था कि उत्तरी अमरीका में तथा साथ ही कनाडा में निगम के व्यापार हितों की रक्षा करने के लिए न्यूयार्क में एक कार्यालय स्थापित करना किफायती होगा और उसके परिणाम अपेक्षाकृत अच्छे निकलेगें, इसलिए निगम ने उसके स्थान पर न्यू यार्क में कार्यालय स्थापित किया ।

पश्चिम की ओर बहने वाबी नदियों की प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता

4757 श्री बी० वी० नायक : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** 21 मार्च, 1972 के उतरांकित प्रश्न संख्या 956 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) मैसूर राज्य की 200 मील लम्बी तट रेखा के साथ साथ अरब सागर में मिलने वाली प्रत्येक नदी की कितनी-कितनी सिंचाई क्षमता है ;

(ग) सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के लिये योजनाएं न बनाए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की कुल सिंचाई शक्यता का अनुमान मोटे रूप में 58 लाख एकड़ लगाया जाता है । इसमें से लगभग 48 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई केरल की नदियों से और 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई गुजरात में केरल सीमा और तापी नदी तक के बीच की अन्य नदियों से, होती है । अध्ययन क्षेत्रवार किया गया है, न कि पृथक-पृथक राज्यों का ।

(ग) और (घ) मैसूर सरकार द्वारा प्रस्तावित अत्तीबेरी, दुर्गाढिला और वीरपुर टैंक परियोजनाओं की जांच केन्द्रीय जल विद्युत आयोग में की जा रही है । ज्योंहि केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग इनकी तकनीकी स्वीकृति दे देगा और इन नई स्कीमों को हाथ में लेने के लिए राज्य योजना में साधन उपलब्ध हो जाएंगे, त्यों ही राज्य सरकार इन्हें कार्यान्वयन के लिए हाथ में ले लेगी ।

Channel of Promotion for Artisan Staff in Signal and Telecommunication Department

4758. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are any channels of promotion for artisan staff (painters, blacksmiths, linemen aud carpenters in the Railway Signal and Telecommunications Department;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) if not, whether Government propose to provide the channels of promotion for these employees ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) The broad outlines of the channels of promotion are given in para 163 under sub-Section III of Section 'B' of Chapter I of Indian Railway Establishment Manual (Second edition), copies of which are available in the Parliament Library. There may be minor variations in practice on Railways to suit their local conditions.

(c) Does not arise.

Increase in Staff Due to Introduction of Modern System of Signals and Telecommunications

4759. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the work of the employees of Signal and Telecommunication Department of the Railways has increased due to introduction of modern system of signals and telecommunications;

(b) whether the strength of the employees has also been increased correspondingly and whether any yardstick has been prescribed for assessing the volume of work and the requirement of staff therefor; and

(c) if so, an outline thereof and whether this yardstick has been approved by the Railway Board ?

The Minister for Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) & (c) Strength of the employees has been increased wherever necessary. There is no single yardstick fcr assessing staff requirements. The individual Zonal Railways are following their own yardsticks which take into consideration local conditions, type and quantum of equipment. The requirements of staff for new installations are assessed on the basis of job analysis and evaluation of workload.

Posting of Leave Reserve Khalasi, Maintainer, Inspector in S & T Department

4760. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether leave reserves for various categories of posts (Khalasi, Maintainer, Inspector) in the Signal and Telecommunication Department are required to be appointed on same posts;

(b) if so, whether on the Western Railway, leave reserves are appointed in the lowest category of the posts, viz,, Khalasi or BTM; and

(c) the policy of the Railway Administration in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) No.

(c) The leave reserve are normally to be provided in the lowest category in each normal promotion group. However, in certain cases the leave reserve has been allowed to be provided in intermediate grades. Accordingly, leave reserve for Inspectors all grades is provided in the category of Asstt. Inspector, scale Rs. 205-280 (As) and for Maintainer in semi-skilled and for Khalasi in the category of Khalasi only.

गार्डों (संगचल कर्मचारी) को आयकर की वापस अदायगी

4762. श्री इसहाक सम्भली : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 25 मार्च, 1970 के अपने पत्र संख्या 40/28/68 आई० टी० (30 मी०) में दिये गये भारतीय रेलवे के संगचल कर्मचारियों को आयकर की वापस अदायकी के बारे में अपने पिछले आदेशों की अवधि पहली अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक के लिए बढ़ा दी है;

(ख) क्या इन आदेशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पहली अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि में गार्डों (संगचल कर्मचारी) से वसूल किये गये अतिरिक्त आयकर की वापसी के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (वित्त मंत्रालय) ने अपने 25. 3. 70 के पत्र सं० 40/20 ।

(ख) 68-आई० टी० (ए० आई०) में यह विनिश्च किया था कि आयकर की कटौती के प्रयोजन के लिए रनिंग कर्मचारियों द्वारा लिये गये वास्तविक रनिंग भत्ते के 10 प्रतिशत को 'वेतन' माना जायेगा और भत्ते के शेष 20 प्रतिशत को विमुक्त कर दिया जायेगा । यह विनिश्चय

कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 से प्रभावी था। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने 1. 6. 71 के अशासनिक पत्र सं० 40/20/69 द्वारा इस रियायत का विस्तार कर निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए भी कर दिया था। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के इस विनिश्चय का पता अभी हाल ही में चला। इसे सूचनार्थ एवं मार्ग दर्शन के लिए रेलों को परियात्रित कर दिया गया है।

(ग) कर दाताओं को पूर्व व्याप्ति अवधि के लिए अधिक कर की वापसी की मांग सीधे आयकर अधिकारियों से करनी चाहिए।

हैदराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे) के तेल मिल-मालिकों की ओर से अधिक माल-डिब्बों के लिये अभ्यावेदन

4763. श्री एम० राम गोपाक रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के तेल मिल-मालिको ने दक्षिण-मध्य रेलवे के अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया है के उन्हें आंध्र प्रदेश से अपने उत्पाद को बाहर भेजने के लिए पर्याप्त माल-डिब्बे एलाट नहीं किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्वावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेक मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए टंकी माल डिब्बों की सप्लाई बढ़ाने के लिए कार्रवाई की गयी है। 1971-72 में दक्षिण मध्य रेलवे पर बड़ी लाइन के टंकी माल डिब्बों में वनस्पति तेल के लदान में 1969-70 में हुए लदान की अपेक्षा 38. 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यस्त समय में यदा कदा मांगों का भारी जमाव हो जाता है क्योंकि तेल के कारखानेदार अपने उत्पादन को किन्हीं गन्तव्य स्थानों को थोड़े से संकेन्द्रित समय में भेज देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आवश्यकताओं को पूरा करने में सामान्यित: कुछ देर हो जाती है। लेकिन पेट्रोल के उत्पादन से टंकी माल डिब्बों को हटा कर वनस्पति तेल के लिए उपयोग कर के तदर्थ सहायता पहुंचाई जाती है। कुछ अन्तिम स्टेशनों पर परेषितियों द्वारा टंकी माल डिब्बों को अत्यधिक देर से मुक्ति करने के कारण भी लदान स्थानों पर टंकी माल डिब्बों की उपलब्धता पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

उच्चस्तरीय समिति का कण्डला अबाध व्यापार जोन का दौरा

4764. डा० महिपतराय मेहता : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्चस्तरीय समिति ने कुछ महीने पूर्व कण्डला अबाध व्यापार जोन का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशों कीं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ख): कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र समिति एक स्थायी कार्यपालिका समिति है जिसे उस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने संबंधी विभिन्न मामलों और कच्चे माल तथा पूँजीपत माल आदि के हेतु लाइसेंस प्रदान करने के मामलों में विनिश्चय करने के लिए भारत सरकार ने नियुक्त किया है। इसकी एक बैठक 30 जुलाई से। अगस्त, 1971 में कांडला में हुई थी। अपनी सामान्य कार्य-सूची निपटाने के अतिरिक्त समिति ने जोन तथा क्षेत्र के अन्य उद्योगपतियों के साथ भी विचार, विमर्श किया। चूँकि यह समिति की एक सामान्य बैठक थी जिसमें सरकारी अधिकारी ही उपस्थित थे, अतः समिति द्वारा इस बैठक की कोई औपचारिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना अपेषित नहीं था।

न्यू भारत ग्लास उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, कीरतपुर (बिजनौर)

द्वारा कोयले के लिये माल-डिब्बों के सम्बन्ध में ज्ञापन

4765. श्री झारखंडेराय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यू भारत ग्लास उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड कीरतपुर रेलवे की ओर से कोयले के लिए माल (बिजनौर) उत्तर डिब्बे प्राप्त करने में विलम्ब के सम्बन्ध में दिनांक 23 मार्च 1972 का कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस बात को देखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, कि उन्हें समय पर माल-डिब्बे मिलते रहें ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी, 1972 से ईस उपभोक्ता का कार्यक्रम, माँग और उसके लिए आवंटन ईस प्रकार रहा है :—

(माहवार आंकड़े चौपहियों में)

महीना	**कार्यक्रम**	**मांग**	**आवंटन**
ज़नवरी, 72	4	7	3
फरवरी, 72	2	1	–
मार्च, 72	3	3	3
अप्रैल, 72	3	5	2

मांग कम होने के कारण फरवरी में कोई आवंटन नहीं किया जा मका। अन्य महीनों में आवंटन संतोषपूर्ण रहा है।

(ग) पश्चिम बंगाल—बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयले के लदान में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं की मांग पूरी की जा सके। ईन प्रयासों के फलस्वरूप जनवरी, 72 से लदान में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। बंगाल—बिहार कोयला क्षेत्रों से मार्च, 72 में प्रतिदिन 6072 माल-डिब्बों का लदान हुआ था जबकि जनवरी, 72 में 5764 माल डिब्बों और फरवरी, 72 में 5920 माल-डिब्बों का लदान हुआ था।

हरदुआगंज स्टेशन, इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) पर राजस्व में होने वाली हानि

4766. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **रेल मंत्री** उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में हरदुआगंज रेलवे स्टेशन पर रेलवे राजस्व होने वाली हानि के सम्बन्ध में 21 मार्च, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने राजस्व में होने वाली हानि को रोकने के लिए इलाहबाद डिवीजन के अन्य स्टेशनों पर साइडिंग के कार्यकरण की जाँच-पड़ताल की है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच-पड़ताल का क्या परिणाम निकला तथा इस प्रकार से कुल कितनी वित्तीय हानि हुई और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : जुलाई, 1970 में हरदुआगंज की 'बी' पावर हाउस साइडिंग में खड़े किये गये माल डिब्बों के सम्बन्ध में स्थान शुल्क लगाने के सम्बन्ध में की गयी धोखा-धड़ी और उसके फलस्वरुप हुई रेलवे राजस्व की हानि के बारे में जो शिकायतें मिली थीं, उनके आधार पर मामले की विस्तृत जाच की गयी थी। इलाहबाद मंडल की अन्य साइडिंगों के कार्ब के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई है और न ही अन्य साइडिंगों से राजस्व की हानि होने का कोई मामला नोटिस में आया है। फिर भी जाच-प्रणाली में जैसी व्यवस्था है, उसके अनुसार सभी साइडिंगों की वाणिज्कि, बकाया और यातायात लेखा विभाग के निरीक्षकों द्ववारा आवधिक जांच की जाती है।

दस्तकारी के लिये निर्यात लक्ष्य

4767. श्री राजदेव सिंह क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी विपणन सम्लेलन के दौरान उन्होंने 200 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। इस बात का उल्लेख किया गया था कि आगमी चार पांच वर्षों में 200 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं तथा किये जाने का विचार है। उनमें से अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिये जाते हैं :—

(1) हस्तशिल्प वस्तुओं के पंजीकृत निर्यातकों को आयात प्रतिपूर्ति लाईसेंस मंजूर करने की व्यवस्था की गई है।

(2) हस्तशिल्प में निर्यात अभिमुख डिजाइन विकसित करने तथा युवक शिल्पियों को प्रशिक्षण देने के लिए देश के भीतर कई स्थानों पर अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अन्तर्गत डिजाइन केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

(3) शिल्पियों को औजार तथा उपस्कर देने की एक योजना चालू है।

(4) हस्तशिल्प की वस्तुओं के प्रचार तथा संमर्थन के लिए भारत में प्रदर्शनियाँ की जाती हैं।

(5) एम्पोरियम के आध्याय से कच्चे माल के लिए दस्तकारों को ऋण सुविधाएं दी जाती हैं।

(6) विदेशों में व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(7) विदेशों में अध्ययन-सह बिक्री दल भेजे जाते हैं।

(8) विदेशों में चुने हुए बहु-विभागनीय भण्डारों के माध्यम से हस्तशिल्प वस्तुओं के विशेष प्रदर्शनों तथा सवर्धन को व्यवस्था की जाती है।

(9) भारतीय निर्यातकों तथा विदेशी आयातकों से प्राप्त व्यापार सम्बन्धी पूछताछों पर कार्यवाही की जाती है तथा उन्हें आवश्यक जानकारी दी जाती है।

(10) बैंकों द्ववारा शिल्पियों को ऋण सुविधाएं दी गई हैं; और

(11) भारतीय निर्यातकों को निर्यात ऋण प्राप्त कराने में सहायता दी जाती है।

त्रिपुरा के लिये सीमेंट और कोयले के वैगन

4768. श्री दशरथ देव : क्या **रेलमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष त्रिपुरा के सीमेंट और कोयला व्याहारियों ने कितने बैगनों की माँग की थी और उन्हें अलग अलग कितने वैगन सप्लाई किये गये ; और

(ख) किसी व्यापारी को सबसे अधिक बैगन सप्लाई किये गये और उनकी सप्लाई किये गये वैगनों की संख्या कितनी थी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : चूंकि त्रिपुरा ले जाने के लिए सीमेंट और कोयले का लदान त्रिपुरा के बाहर से किया जाता है इसलिए, त्रिपुरा के सीमेंट और कोयले के व्यापारियों द्वारा माल डिब्बों की मांग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। पिछले वर्ष त्रिपुरा में कोयले के कुल 377 माल डिब्बे और सीमेंट के 173 माल डिब्बे आये थे।

(ख) कोयले के 56 माल डिब्बे चुराईबाड़ी के श्री प्रियव्रत चौधरी को प्रेषित किये गये थे जिन्हें कोयले के सबसे अधिक माल डिब्धे मिले थे। सीमेंट के 33 माल डिब्बे प्रराई वाड़ी के श्री पालाश कौल को मिले थे। किसी एक परेषिती को मिले हुए सीमेंट के माल डिब्बों की यह अधिकतम संख्या थी।

बारबिल, किरीबुरु और कोइस घाटी के बीच रेलवे लाईन

4769. श्री डी० के० पडा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारबिल, किरीबुरु और कोइरा घाटी के बीच, विशेषकर मालगथोली उद्योग समूह और खाँडाधर क्षेत्रों: में लोह अयस्कों के विशाल निक्षेपों के विवोहन हेतु उक्त स्थानों को रेलवे लाइन द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(ग) प्रस्ताव के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल-मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) : विसलगढ़ से तालचेरी तक रेल सम्पर्क और उसके साथ ही उसे कोयरा घाटी तक बढ़ाने के खिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये हैं और फिलहाल ये रिपोर्टें रेलवे बोर्ड के विचाराधीन हैं । मलंगटोली ब्लाक में अयस्क आयात के विकास के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है । अध्ययन दल की विशिष्ट सिफारिशें मालूम हो जाने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के संबंध में कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

टेलीग्राफ ट्रैफिक इन्सपैक्टरों के रूप में पदोन्नति के लिये हैड सिगनलरों की मिली-जुली वरिष्टता सूची

4770. श्री टी० एस० लक्ष्मणन् : क्या रेलमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 नवम्बर 1969 को दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे में 150-300 रुपये के वेतनमान में वायरलैस आपरेटरों के कुल कितने पद थे ;

(ख) दक्षिण रेलवे में 205-280 रुपये के वेतन मान में हैड सिगनलरों के कुल कितने पद थे ;

(ग) क्या हैड सिगनेलरों के लिये 205-200 रुपये के वेतनमान में नियुक्ति की तिथि ही सब रेलों में टेलीग्राफ पद पर 250-380 रु० के वेतनमान में ट्रैफिक इंसपैक्टरों के पदों पर पदोन्नति के लिये वरिष्ठता का आधार मानी जाती है ; और

(घ) क्या रेलों पर वायरलैस आपरेटरों के रूप में पदोन्नति के लिये, 100-110 रुपये और 150-240 रुपये के वेतन मान में सिगनेटरों की मिली जुली परिष्ठता पर ही विचार किया जाता है ?

रेलमंत्री (श्री हनुमन्तैया) :

(क) रेलवे	150-300 रुपये के वेतनमान में बेतार प्रचालकों के पदों की संख्या
दक्षिण	74
दक्षिण मध्य	47
उत्तर	125

(ख) 14

(ग) जी हां, दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलों पर । उत्तर रेलवे पर 250-380 रुपये के वेतनमान के सहायक प्रधान तार बाबुओं, जिनकी वरिष्ठता मंडलीय आधार पर होती है, में से सुना जाता है । 250-380 रुपये के वेतनमान के तार यातायात निरीक्षक के पद को प्रवरण के आधार पर 250-380 रुपये वेतन मान के प्रधान तार बाबुओं से भरा जाता है ;

(घ) (i) दक्षिण रेलवे में पदोन्नत व्यक्तियों के लिए निर्धारित वेतार-प्रचालकों के पदों को अखिल भारतीय आधार पर 110-200 रुपये के वेतन मान के तार बाबुओं से भरा जाता है।

(ii) उत्तर और दक्षिण मध्य रेलों पर वेतार-प्रचालकों के पदों को मंडलीय आधार पर नियन्त्रित किया जाता है और 150-240 रुपये तथा 110-200 रुपये मान के तार बाबुओं से विकल्प ले लेने के बाद संयुक्त मंडलीय वरिष्ठता के आधार पर भरा जाता है।

दक्षिण रेलवे में तीसरी श्रेणी के पदों पर चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

4771. श्री टी० एस० लक्ष्मणन् : क्या **रेलमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मुख्य कार्यालय में और उसके प्रत्येक डिवीजन क्लर्कों के कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) दक्षिण रेलवे के मुख्य कार्यालय और इसके प्रत्येक डिवीजन में कुल कितनी संख्या में चौथी श्रेणी के कर्मचारी श्रेणी तीन में पदोन्नति के लिए प्रतिक्षा सूची में हैं ;

(ग) क्या इस बारे में वर्ष 1967 से कोई जांच नहीं की गई है ; और

(घ) श्रेणी तीन के कार्यभारिक रिक्त पदों पर पैनल में स्थित चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नत न करने के या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

4772. श्री बी० वी० नायक : क्या **रेलमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या 9 अप्रैल, 1972 को तीन गाड़ियां जिनमें डाउन सिलीगुड़ी-बसैनी पैसेन्जर थी शामिल थी, पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां तो इसके या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 9-4-1972 को पूर्वोत्तर रेलवे पर एक गाड़ी और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर दो गाड़ियां पटरी से उतर गयी थी।

(ख) से (घ) दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

रुपसा-तालबन्द रेलवे लाइन की बड़ी रेल लाइन में बदलना

4773. श्री डी० के० पंडा : क्या **रेलमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या रूपसा-तालबन्द, छोटी लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने के संबंध में किया गया विस्तृत सर्वेक्षण इस बीच पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) अलाभप्रद ब्रांच लाइन समिति, 196भ द्वारा की गई सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए और कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (ख) से (ग) 1969 की अलाभप्रद शाखालाईन समिति की सिफारिशों के आधार पर रुपसा-तालबंद छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिये यातायात सर्वेक्षण किया जा चुका है और रेलवे बोर्ड इस समय रिपोर्ट की जाँच कर रहा है। इस जाँच के पूरा हो जाने के बाद ही उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

Stakana Project in Leh

4774. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) The time by which the Hydro-electric Project in Stakana (Leh) will be completed : and

(b) the capacity thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) :

(a) The Stakana Hydro Electric Project is targetted to be completed by 1977-78.

(b) Six generating units of 540 kW capacity each.

आंध्र प्रदेश में अनकपल्ली के लाल मिर्च और गुड के व्यापारियों को सप्लाई किए गये माल डिब्बे

4775. श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता हैं कि आंध्र प्रदेश में गुण्टूर से मिर्च और अनकपल्ली से गुड़ तथा टेनली से इमली ले जाने के लिए माल डिब्बों की भारी कमी है ;

(ख) राज्य सरकार ने कितने माल डिब्बों की मांग की तथा रेल विभाग ने कितने माल डिब्बे सप्लाई किए ; और

(ग) कम माल डिब्बे सप्लाई किए जाने के कारण हैं तथा क्या उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई प्रबण्ध किया जा रहा है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) चालू वर्ष के दौरान 15 अप्रैल तक अनकापल्लि से गुढ़ और गुन्टूर से मिर्च का लदान विगत वर्ष की इसी अवधि में हुए लदान से अधिक हुआ।

लेकिन, इनके लिए भारी मौसमी मांग और अनाज, सीमेंट आदि जैसी अन्य अनिवार्य वस्तुओं के परिवहन के लिए बन्द माल डिब्बों की मांग बढ़ जाने के कारण उपर्युक्त यातायात के लिए की गयी सभी मांगे पूर्णतः पूरी न की जा सकीं। इस अवधि में तेनाली से हमली के परिवहन के लिए कोई माँग नहीं थी।

(ख) 1 जनवरी से 15 अप्रैल, 1972 तक की अवधि में अनकापल्लि से गुड़ के 1438 माल डिब्बे लादे गये थे जबकि भिन्न भिन्न पार्टियों की मांग 2535 माल डिब्बों की थी। इसी अवधि में गुण्टूर से मिर्चों के 383 माल डिब्बे लादे गये जबकि मांग 879 माल डिब्बों की थी।

(ग) भारी मौसमी माँग के कारण सभी मांगे पूरी न की जा सकीं। इन तांगो को एक विस्तृत अवधि में पूरा करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण रेल डिब्बों का उपयोए

4776. श्री के० सूर्यनारायण : क्या रेल मंत्री रेलवे के मुख्य लेखा परीक्षकों द्वारा निरीक्षण रेल डिब्बों के उपयोग के बारे में 11 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2438 उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के तत्कालीन मुख्य लेखा परीक्षक, उसके पूर्वाधिकारी तथा उत्तराधिकारियों ने अपने सेवा काल में सरकारी बैठकों में भाग लेने के लिए तथा अण्य कार्यो से कितनी बार नई दिल्ली। दिल्ली तक निरीक्षण रेल डिब्बों से यात्रा की ;

(ख) क्या नई दिल्ली में वे इन्हीं रेल डिब्बों में ठहरे ;

(ग) यान सेवक, तथा रसोइया के अतिरिक्त इस रेल डिब्बों में अन्य क्या सुविधाएं हैं ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक अधिकारी दिल्ली के दौरे पर कितनी बार अपने परिवारों के सीथ आए तथा क्या उनके परिवारों ने उनके रेलवे पासों पर मुफत यात्रा की थी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) उल्लिखित मुख्य लेखा परीक्षकों में से किसी ने अपने कार्यकाल में नयी दिल्ली। दिल्ली के लिए निरीक्षण यान में यात्रा नहीं की।

(ख) केवल तत्कालीन मुख्य लेखा परीक्षक को, 1-2-69 से 9-2-69 तक उनके दौरे की अवधि में, नई दिल्ली स्टेशन पर उनके अस्थायी ठहराव के लिए उत्तर रेलवे का निपीक्षण यान सं० आर० ए-48 आवंटित किया गया था।

(ग) निरीक्षण यान में अवधायक के रुप में एक डिब्बा परिवार के अलावा, भोजन पकाने के बर्तन क्राकरी और बिस्तर दिये जाते हैं।

(घ) दिल्ली के दौरे की अवधि में तत्कालीन मुख्य लेखा परीक्षक के साथ उनका परिवार नहीं गया था। उनके पूर्वाधिकारी और उत्तराधिकारी ने अपने कार्यकाल में दिल्ली की यात्रा नहीं की।

चाय के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीकरण

4777. श्री बनमाली पटनायक : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए चाय के निर्यात-व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी सुझाव सरकार को प्राप्त हुए है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : चाय के निर्यात व्यापार का राष्ट्रायकरण करने के प्रश्न पर विचार करना सरकार ने फिलहाल आवश्यक नहीं समझा है।

हरियाणा में रुई का समर्थन मूल्य

4778. श्री बनमाली पटनायक : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने राज्य में रुई का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए भारतीय रुई निगम से अनुरोध किया है, क्योंकि रुई की 35% गाँठे उत्पादकों के पास बड़ी हुई है।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : हरियाणा सरकार तथा भारतीय रुई निगम के अधिकारियों में रुई के गिरते हुए मूल्यों के परस्पर बातचीत हुई है। उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु भारतीय रुई निगम को इस बीच हिदायत दी गई हैं कि यह सरकार द्वारा निर्धारित उचित क्रय कीमतों पर हरियाणा तथा अन्य स्थानों में पैदा होने वाली रुई खरीदें। भारतीय रुई निगम को भी निर्देश दिया गया है कि वह सभी राज्यों में देशी रुई की अपनी खरीद बढ़ां दे।

Qualifications for Appointment as Principal in Railway run Educational Institutions

4779. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether his Ministry had consulted the Union Public Service Commission before laying down essential qualifications and percentage of reserved posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the rules for the recruitment to the posts of principal, Headmaster and Headmistress ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya): (a) The qualifications laid down in the recruitment rules for the posts of Principals/Headmasters/Headmistresses of Railway Schools/Colleges have been prescribed in consultation with the Union Public Service Commission.

The rules also provide that reservations and other concessions required to be made for Scheduled Castes/Tribes in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard, shall not be affected.

(b) Does not arise.

आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी

4780. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आन्ध्र प्रदेश में उसकी आवश्यकताओं के अनुसार बिजली की वास्तविक कमी कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : अपने ही स्रोतों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता और मैसूर और केरल के सहवर्ती राज्यों से प्राप्त होने वाली 0.5 मिलियन यूनिट विद्युत को हिसाब में लेकर, आंध्र प्रदेश में विद्युत की वास्तविक कमी लगभग 1.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है ।

करमाली परियोजना से बिजली खरीदने के बारे में भारत-नेपाल वार्ता

4781. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण की सहायता से मध्य-पश्चिमी नेपाल में निर्मित की जाने वाली प्रस्तावित करनाली परियोजना मे बिजली खरीदने के प्रश्न पर नेपाल के प्रधान मन्त्री की हाल की भारत-यात्रा के दौरान चर्चा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : जी, हां । बहरहाल, परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन तैयार होने के पश्चात् ही विस्तार से विचार-विमर्श किया जा सकता है ।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली की भारी कमी

4782. श्री पी० वेंकटासुब्बया :
श्री के० सूर्यनारायण : } क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में बिजली की भारी कमी है ;

(ख) क्या पड़ौसी राज्यों में काफी बिजली फालतू है जिससे आन्ध्र प्रदेश की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं ;

(ग) क्या निवेली और कलपक्कम जैसी केन्द्रीय परियोजनाओं में उत्पन्न बिजली का उपयोग केवल तमिलनाडु राज्य द्वारा किया जा रहा है ; और

(घ) इन केन्द्रीय परियोजनाओं तथा पड़ौसी राज्यों से आंध्र प्रदेश को बिजली की पर्याप्त सप्लाई कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

सिचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) इस समय प्रतिदिन विद्युत की कमी लगभग 1.5 मिलियन यूनिट तक की है।

(ख) मैसूर और केरल राज्यों में कुछ फालतू विद्युत उपलब्ध है।

(ग) नेवेली से जनित विद्युत का उपयोग एक मात्र तमिलनाडु कर रहा है। कल्पक्कम अणु विद्युत परियोजना अभी तक चालू नहीं की गई है।

(घ) विद्युत सप्लाई के वर्तमान कठिन स्थिति को पार करने में आंध्र प्रदेश की सहायता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) मैसूर प्रतिदिन लगभग 0.28 मिलियन यूनिट की सप्लाई कर रहा है। पुनः तमिलनाडु द्वारा आंध्र प्रदेश की जो भी विद्युत उपलब्ध की जाती है, उसे मैसूर अपनी पारेषण प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ा देने पर सहमत हो गया है।

(2) केरल आंध्र प्रदेश में उपयोग के लिए तमिलनाडु प्रणाली को लगभग एक मिलियन यूनिट विद्युत देने पर सहमत हो गया है। वहरहाल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को इनमें से प्रतिदिन लगभग 0.1 मिलियन यूनिट विद्युत ही आगे बढ़ा पाया है।

(3) तमिलनाडु से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वह आंध्र प्रदेश को और अधिक विद्युत भेजें, विशेशतः इस कारण कि निवेली से विद्युत जनन में वृद्धि हो गई है।

दक्षिण रेलवे में कोयले की सप्लाई

4783. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे डिवीजन की उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त कोयला नहीं दिया गया ;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे को कोयले की सप्लाई न किये जाने के कारण माल डिब्बों की कमी के फलस्वरूप केरल को चावल ले जाने और तमिलनाडु में नागापट्टिनम और पोंडिचेरी से उर्वरकों के लादान में बाधाएं पड़ी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पर्याप्त कोयला दिया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल दुर्घटनायें

4784, श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **रेलमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों से रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971-72 के दौरान कुल कितनी दुर्घटनायें हुई; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) से (ग) 1970-71 और 1971-72 में भारत की सरकारी रेलों में गाड़ियों की टक्कर, गाड़ी के पटरी से उतरने, समपारों पर गाड़ियों के सड़क-यातायात से टकराने और गाड़ियों में आग लग जाने की कोटियों में क्रमशः 840 और 867 गाड़ी दुर्घटनायें हुई जबकि 1969-70 में इन गाड़ी दुघनाओं की संख्या 963 थी। इस प्रकार 1969-70 के वर्ष की तुलना में पिछले दोनों वर्षों में दुर्घटनाओं के मामले में स्थिति अधिक अच्छी रही । वस्तुतः पिछले दो वर्षों में स्थिति 1969-70 तक के किसी वर्ष की अपेक्षा अधिक अच्छी रही है।

(घ) चूंकि दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी एकमात्र सबसे बड़ा कारण रेलकर्मचारियों की गलती है इसलिए रेलों पर गठित संरक्षा संगठन गाड़ियों के संचलन से संबंधित कर्मचारियों में संरक्षा भावना जागृत करने और कर्मचारियों में निर्धारित संरक्षा नियमों की उचित जानकारी सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। इ के अलावा, यह देखने के लिए कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लघन तो नहीं करते या इस्तलाघव के तरीके तो नहीं अपनाते, उनके काम के स्थानों पर जाँच की जाती है 1 सभी दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की जाती है और उनके लिए जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध निवारक दण्ड दिये जाते हैं। इनके अलावा, यदि किसी जांच से किसी अन्य कमी या हानि का पता लगता है तो उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कार्यवाही की जाती है। जहाँ तक व्यावहारिक है, सुधरी हुई सिगनल तथा अन्तर्पाश व्यवस्था और रेल परिपथन आदि के रूप में तकनीकी सुधार किये गये हैं।

सियालदह डिवीजन में एक द्विवसीय बन्द

4785. श्री के० कोडण्हा रामी रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह डिवीजन में 31 मार्च, 1972 को एक द्विवसीय बन्द रहा ;

(ख) यदि हां, तो बंद के क्या कारण थे ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप रेल विभाग को कितना घाटा हुआ तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अफगानिस्तान के साथ किये जा रहे व्यापार का मूल्य एवं उसकी मात्रा

4786. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत से अफगानिस्तान को कितने मूल्य तथा मात्रा के निर्यात किये एवं कहां से कितने मूल्य तथा मात्रा के आयात किये ;

(ख) गत तीन वर्षों में अफगानिस्तान को निर्यात किये गये और वहाँ से आयात किये गये उत्पादों का वर्षवार और वस्तु-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापार संबन्ध सुधारने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1915/72]**

(ग) समय समय पर परामर्शों के अलावा, भारत और अफगानिस्तान के बीच 20 फरवरी 1972 को नई दिल्ली में जिस व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए थे उसमें दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं :—

(i) दोनों सरकारों ने आपसी लाभ के लिये भारत तथा अफगानिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने, विकसित करने तथा उसे विविध रूपी बनाने के लिये, व्यापार के सकेन्द्रण को दूर करने तथा वर्तमान प्रणाली में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि की है ।

(ii) दोनों सरकारें, एक दूसरे के देश से आयात किए हुए माल का अन्य देशों को जाना रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेंगी ।

(iii) दोनों देशों के बीच आयात तथा निर्यात सीधे खरीद के आधार पर होंगे ।

(iv) व्यापार का आदान प्रदान बैंक माध्यमों से करने को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे पहले इन माध्यमों से अफगानिस्तान से हींग के आयात करने की अनुमति दी जायेगी । दोनों सरकारें अपने अपने केन्द्रीय बैंकों को निदेश देगी कि वे व्यापार के पथ प्रदर्शन के लिए बैंक माध्यमों से भुगतान तथा निर्यात । आयात दस्तावेजों के भेजने की सम्स्त क्रियाविधि घोषित करें । पर्याप्त अनुभव प्राप्त होने के बाद बैंक प्रणाली को बढ़ा कर उनके अन्तर्गत दोनों देशों के बीच व्यापार का व्यापक क्षेत्र शाभिल कर लिया जाएगा ।

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेवा का व्यापार कुछ व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित न हो जाए, किसी भी व्यक्ति से आयातों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर कुछ संरक्षणों के अधीन विचार करने का विनिश्चय किया गया है ।

2. दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध वहुत ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं और विगत दशाब्दि में दोनों देशों के बीच व्यापार विनिमयों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमंडल संघ द्वारा निर्यात और आयात के बारे में सुझाव

4787. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने निर्यात और आयात के आत्म-निर्भरता के लिये एक संकल्प पारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल ने क्या उपाय सुझाये हैं ;

(ग) इन उपायों से भारत की अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० एस० जार्ज) : (क से घ) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर संघ द्वारा आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में कोई औपचारिक संकल्प पारित नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर संघ ने "अधिकाधिक आत्म-निर्भरता की ओर" पर एक पृष्ठ भूमि लेख तथा "विचार विमर्श" का सारांश निकाले हैं।

फेडरेशन ने इन विषयों पर बल दिया है। (1) बाजार और निर्यात के लिए नए उत्पादों का विकास, करना; (2) विदेशी क्रेताओं के साथ पुख्ता वाणिज्यिक संविदाएं करना, (3) प्रभावोत्पादक विक्रय कला, विश्वासोत्पादक विज्ञापन और विक्रय के उपरान्त उचित सेवा; (4) सुरत सुपुर्दगी कार्यक्रम, उत्तम क्वालिटी, आकर्षक पैकिंग आदि, (5) चतुर्थ योजना में निर्यात की विकास दर 10 प्रतिवर्ष करना। सरकार को निर्यातों के विविधीकरण और विस्तार की आवश्यकता का पहले से ही ज्ञान है। जुलाई 1970 में संसद में रखे गये निर्यात नीति संकल्प का क्षेत्र बहुत व्यापक है जिसमें संधि द्वारा उल्लिखित बातें भी शामिल है। निर्यातों की प्रवृतियों के बारे में सावधानीपूर्वक ध्यान रखा जाता है और जब कभी आवश्यक होता है निर्यात संवर्धन के लिए प्रभावी कदम उठाये जाते हैं। निर्यात उत्पादन और विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिए विशेष सुविधायें दी जाती हैं।

Non-Supply of wagons for Onions at Khandwa Station in Madhya Pradesh.

4788. Shri Phool Chand Verma : Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether farmers and traders of Khandwa in Madhya Pradesh are not being supplied the desired number of Railway wagons for the last one month as a result of which hundreds of tons of onions are in a deteriorating condition ;

(b) whether indents for wagons had been placed long ago ; and

(c) if so, the reasons for which wagons are not supplied in time and the time by which this difficulty would be removed ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya): (a) & (b) As on 23-4-72 indents for only 135 Broad Gauge and 12 Metre Gauge wagons were outstanding for onion at Khandwa of which indents for 99 Broad Gauge wagons were more than a month old.

(c) During the period from 1st March to 23rd April, 27½ Broad Gauge and 14 Metre Gauge wagons were loaded with onions from Khandwa. Demand could not be met in time due to increased demands for covered wagons for movement of essential commodities, like cement, foodgrains, etc. Every effort is being made to step up loading of onions from Khandwa.

एशियाई देशों की व्यापार मण्डियों पर चीन का अधिकार

4789. श्री के० कोडण्डा रायी रेड्डी : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशियाई देशों में हमारे दूतों ने हाल ही में चीन द्वारा उन देशों की व्यापार मण्डियों के हमसे छीने जाने के कारण बताये थे ;

(ख) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं ; और

(ग) मण्डियों पर पुनः अधिकार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क से ग) दक्षिण, दक्षिण पुर्व और पूर्व एशिया में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के प्रमुखों के हाल में आयोजित एक सम्मेलन में, इन क्षेत्रों के देशों के साथ भारत के व्यापारिक तथा आर्थिक सहयोग के प्रश्न पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया गया । दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को, नामान्यतः इकाफे के देशो के नाम से जाने जाते हैं, भारत के निर्यातों को मुख्य मदों में अधिकतर खनिजों अयस्क, इन्जीनियरी माल, रसायन और अन्य निर्मित वस्तुएं आती हैं । इन निर्यातों में बराबर वृद्धि होती रही है जो 1966-67 में 242·66 करोड़ रुपये से बढ़कर 1970-71 में 410.80 करोड़ रुपये के हुए । अप्रैल-सितम्बर 1971 की अवधि में ये निर्यात 195·91 करोड़ रुपये के हुए जबकि गत वर्ष की उसी अवधि में 194 44 करोड़ हुपये के हुए थे । चीन से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को मुख्यतः प्राथमिक उत्पादों, वस्त्रों और हल्की इन्जीनियरी वस्तुओं का निर्यात होता है । यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किये जाते हैं कि अनेक सवर्धनात्मक उपायों द्वारा इस क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में भी, भारतीय वस्तुओं की प्रतियोगी स्थिति बनी रहे ।

भारत और चिली के बीच व्यापार करार

4790. श्री के० कोडण्डा रायी रेड्डी : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चिली के बीच हाल में कोई व्यापार करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी हां ।

(ख) व्यापार करार की एक प्रति संलग्न के । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1916/72]

प्राथमिकताओं को सामान्यीकृत योजना के अन्तर्गत भारतीय निर्यात व्यापार

4791. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार एवं टैरिफ सम्बन्धी सामान्य समझौता और राष्ट्रसंघ व्यापार विकास सम्मेलन (अंकटाड) में प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत योजना को प्रस्तुत किये जाने में सरकार ने क्या कार्यवाही की;

(ख) प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत योजना को कितने देशों ने स्वीकार कर लिया है और उनके प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न देशों कों प्राथमिकताओं की सामान्यकृत योजना भारतीय निर्यात-व्यापार में किस प्रकार सहायक होगी;

(घ) भारत के निर्यात-हित वाली वस्तुओं पर विभिन्न वेशों में प्राथमिकताओं को सामान्यीकृत योजना-पूर्व शुल्कों का ब्यौरा क्या है और विकसित देशों के मुकाबले भारत को मिलने वाली प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत के हित सम्बन्धी व्यापार और भुगतान की समस्याओं के बारे में अंकटाड-3 में भारत द्वारा क्या नीति अपनाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अधिमानों की सामान्यीकृत योजना अंकटाड-2 संकल्प संख्या 21 (2) के सम्बन्ध में की गई अनुवर्ती कार्यवाही के परिणाम स्वरूप लागू हुई । भारत ने अंकटाड-2 मे और उसके बाद अनुवर्ती कार्यवाही में, विशेषत: संकल्प के अधीन स्थापित अधिमानों सम्बन्धी विशेष समिति में प्रमुख भाग लिया ।

(ख) जिन देशों ने अधिमानों की सामान्यीकृत योजना को स्वीकार कर लिया है उनके नाम हैं, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय (पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैण्ड, बेल्जियम और लक्समबर्ग की ओर से , आस्ट्रिया, स्विटजरलैण्ड, ब्रिटेन, आयरलैंड, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और जापान । इन देशों ने विकासशील देशों द्वारा निर्यात की जाने वाली कतिपय "नाजुक" किस्म की मदों को छोड़कर सभी औद्योगिक अर्ध-निर्मित व निर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिमानों की सामान्यीकृत योजना के अन्तर्गत अधिमान्य व शुल्क रहित व्यवहार की व्यबस्था प्रदान करने की पेशकश की थी । अमरीका ने वस्त्रों (पटसन तथा कयर उत्पादों, हस्तनिर्मित कालीनों और हथकरघा सूती वस्त्रों को छोड़कर), पैट्रोलियय उत्पादों और जूतों को शामिल नहीं किया है । यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने पटसग तथा कयर से बनी वस्तुओं को छोड़कर भारत के निर्यात हित के किसी भी निर्मित व अर्ध-निर्मित औद्योगिक उत्पाद को नहीं निकाला है, परन्तु विकसित देशों से आयातों (अनुपूरक कोटा) के 5 प्रतिशत के अलावा 1968 में विकासशील देशों से आयातों (आधारभूत कोटा) के 20 प्रतिशत से 50

प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा लागू की है। पटसन तथा कयर से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में अलग से वार्ताएं चल रही हैं। जापान ने रेशम तथा कृत्रिम रेशम वस्त्रों तथा हाइड्रोकार्बन जैसी कुछ मदों को निकाला है जिन पर राजकोषीय शुल्क लगना होता है और वस्त्रों तथा चमड़े से बनी वस्तुओं जैसी नाजुक किस्म की कतिपय मदों के सम्बन्ध में केवल 50 प्रतिशत की कमी करने की पेशकश की है। शुल्क रहित मदों के सम्बन्ध में 1970 में विकसित देशों से आयातों (अनुपूरक कोटा) के 10 प्रतिशत के अलावा 1968 में विकासशील देशों से आयातों (आधारभूत कोटा) के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। नार्डिक देशों ने सभी निर्मित तथा अर्ध-निर्मित उत्पादों के लिये अधिमानों की परिकल्पना की है, परन्तु यह कार्य इन उपबन्धों के अधीन रहते हुए होगा कि जिन मदों को इन देशों में से किसी में भी बाजार विघटन के सम्बन्ध में 'नाजुक' किस्म का समझा जाये उनके मामले में विशेष व्यवहार प्रदान किया जा सकता है, जिसमें आरम्भ से ही अपवाद भी शामिल हैं, उनकी अन्तिम पेशकशों में भारत के निर्यात हित की अनेक मदों जैसे चमड़ा, सूती वस्त्रों, सिले-सिलाए परिधानों, जूतों तथा मशीनरी की कतिपय मदों को निकाल दिया गया है। आस्ट्रिया ने सूती वस्त्रों व उन मदों को छोड़कर जिनके सम्बन्ध में परिवर्ती कराधान व समायोजन प्रभार लागू होते हैं, सभी निर्मित तथा अर्ध-निर्मित मदों के लिये अधिमानों की पेशकश की है। स्विटजरलैंड ने कतिपय मदों को छोड़कर, राजकोषीय शुल्कों की शर्त के अधीन रहते हुए, सभी निर्मित व अर्ध-निर्मित उत्पादों के सम्बन्ध में अधिमान्य व्यवहार प्रदान करने की पेशकश की है। इसी प्राकर आयरलैंड ने भी उन कतिपय मदों को निकाला है जिन पर भारी राजस्व शुल्क अथवा/और परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लागू होते हैं और जिन्हें 'नाजुक' किस्म का समझा जाता है। ब्रिटेन ने भी उन कतिपय मदों को शामिल नहीं किया है जिन पर राजस्व शुल्क लगने होते हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन तेल, सुवासित स्पिरिट, दियासलाई तथा सुवाह्य लाइटर सूती वस्त्र तथा मानव-निर्मित रेशे के वस्त्र और ऊन। कनाडा ने उन उत्पादों को निकाला है जिनके सम्बन्ध में निर्यातक देशों द्वारा ऐच्छिक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जैसे कि वस्त्र, इलैक्ट्रोनिक ट्यूबें तथा जूते। न्यूजीलैंड ने 407 मदों की एक रूची के सम्बन्ध में रियायतें प्रदान करने की पेशकश की हैं।

(ग) अधिमानों की सामान्यीकृत योजना से कुछ हद तक विकसित देशों में होने वाले आयात व्यापार का रूख बदलकर अन्य विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर तो हो ही जायेगा, बल्कि विकासशील देशों के अपरम्परागत निर्मित व उसके निर्मित-उत्पादों के निर्यात के लिए अतिरिक्त अवसर भी मिल सकेंगे। चूंकि भारत उन थोड़े से विकासशील देशों में से जिनमें, इस योजना के अन्तर्गत आने वाले निर्मित व अर्ध-निर्मित उत्पादों के उत्पादन का बढ़ता हुआ आधार मौजूद है अतः भारत इसे योजना के पूर्णरूपेण क्रियान्वित हो जाने पर निम्न टैरिफ दरों से अधिक लाभ उठाने की बेहतर स्थिति में होगा।

(घ) इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्योरे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'न्यू अपारट्यूनिटी फार इण्याज एक्सपोर्टस नामक प्रकाशन में उपलब्ध है।

(ङ.) अंकटाड-3 के लिये भारतीय प्रतिनिधिमण्डल मुख्यतः नवम्बर, 1971 में विकासशील देशों के 77 के समूह की सीमा में हुई मन्त्रिस्तरीय बैठक में स्वीकृत कार्यवाही के कार्यक्रम के सिद्धान्तों की घोषणा के अनुसार कार्य करेगा। यह दस्तावेज दिनांक 23 नवम्बर, 1971 को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जा चुका है।

रेलवे बोर्ड के विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय में लेख याचिका

4792. श्री था० किरूतिनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टेगरल कोच फैक्टरी में काम कर रहे प्रोग्रेसमेनों ने रेलवे बोर्ड के दिनांक 27 अगस्त, 1960 के आदेश संख्या पी० सी०/6० पी० एस-51 टी० पी०-II के विरुद्ध मद्रास न्यायलय में लेख याचिका दाखिल की है ;

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालय का क्या निर्णय है ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने उच्च न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया था ; और

(घ) क्या रेलवे बोर्ड ने दक्षिण रेलवे को उच्च न्यायालय के आदेश अनुरूप उचित निदेश जारी नहीं किये हैं ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां,

(ख) उच्च न्यायालयों ने कर्मचारियों की यह दलील स्वीकार कर ली थी कि अपेक्षित अर्हताएं न होने के आधार पर उनकी पदावनति गैर कानूनी थी और यह मत व्यक्त किया कि ऐसी अर्हता का निर्धारण केवल भविष्य प्रभावी होना चाहिए ।

(ग) जी हां, सवारी डिब्बा कारखाना के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है ।

(घ) दूसरी रेलों पर जिनमें दक्षिण रेलवे भी शामिल है इन्हें क्रियान्वित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ द्वारा अजमेर में पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

4793. श्री प्रवीण सिंह सोलंकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ ने 11 जुलाई, 1970 के पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक से उसके अजमेर आने पर भेंट की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस भेंट में क्या निर्णय किये गये ;

(ग) क्या उस समय किये गये अधिकांश निर्णयों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन सभी के क्रियान्वित करने के लिए सरकार कितना समय लेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

Construction of dam from Buxar to Koilwar

4794. Chandrika Prasad : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether Government of Bihar are constructing a dam from Buxar to Koilwar along the border of Uttar Pradesh and if so, whether the Government of Bihar have got it examined by the poona Research Centre so that it may ho affect Ballia District of Uttar Pradesh adversely ;

(b) whether Gaighat Birla dam and certain other dams in Uttar Pradesh are likely to give way as result of the construction of the said dam ; and

(c) if so, Central Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) :

(a) to (c) The Government of Bihar are preparing the scheme for the construction of an embankment from Buxar to Koilwar taking into account the result of model studies carried out at the Central Water and Power Research Station Poona. The proposed alignment of the embankment has also been discussed recently at a meeting of the Chief Engineers of Bihar and Uttar Pradesh. There is no apprehension that this embankment is likely to endanger the Casting embankments on the Uttar Pradesh side.

डाक्टरों की अनुपस्थिति में कम्पाउडरों द्वारा मरीजों को नुस्खा देने के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक

4795. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे स्वास्थ्य एकंकों में जहां एक डाक्टर, एक कम्पाउन्डर, एक ड्रेसर और एक सफाई कर्मचारी तक ही स्टाफ सीमित हैं, डाक्टरों के छूट्टी चले जाने पर कम्पाउन्डर को मरीजों के लिए दवाई लिखनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पाउन्डरों को अतिरिक्त कार्य के लिये कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में विधान सभा के नए निर्वाचन कराने का प्रस्ताव

4796. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल राज्य विधान-सभा के लिए नए निर्वाचन कराने का प्रस्ताव है और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में बिजली की कमी

4797. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की सप्लाई बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में बिजली की कितनी-कितनी कमी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां । केरल, मैसूर और मध्य प्रदेश राज्यों के अलावा, जहाँ बिद्युत फालतू है और उसका उपयोग पास के राज्यों में किया जा रहा है, देश के शेष राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति बहुत तंग है ।

(ख) उत्तर प्रदेश में विद्युय की प्रतिदिन की कमी 5 मिलयन यूनिट की है । नंगल खाद कारखाने के लिए प्रतिदिन की यह कमी एक मिलियन यूनिट की है ।

चालू मौसम के दौरान, विद्युत की कमी के कारण, महाराष्ट्र में 8 प्रतिशत तक की और गुजरात में 25 प्रतिशत तक की कटौतियाँ लागू करनी पढ़ी थीं । 1 मई, 72 से गुजरात में विद्युत की कटौती को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है ।

दक्षिणी उड़ीसा में, जो मचकुंड जल विद्युत पर निर्भर है, प्रतिदिन 0.3 मिलियन यूनिट तक की विद्युत की कमी है ।

आन्ध्र प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 मिलियन यूनिट तक की विद्युत की कमी है और 25 प्रतिशत तक की कटौती की सूचना दे दी गई है ।

भारत-रूस व्यापार करार

4798. श्री वयासार रवि : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1972 के लिये रूस के साथ व्यापार करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये हैं ;

(ख) यदि हां तो इस देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इससे रूस के साथ व्यापार पर किस हद तक दुष्प्रभाव पड़ा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : भारत तथा सोवियत संघ की सरकारों के व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के बीच हुई वार्ताओं के परिणामस्वरूप

एक व्यापार संलेख पर 24-12-71 को आद्यक्षर किये गये थे और दोनों देशों के बीच माल का आदान-प्रदान अब इसी संलेख के अनुसार चल रहा है। मई, 1972 के पहले सप्ताह में मास्को में मंत्रिस्तरीय वार्ताओं का एक और दौर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उस संलेख पर हस्ताक्षर होने से पूर्व, व्यापार की मात्रा में वृद्धि करने की संभावनाओ पर और आगे विचार-विमर्श किया जावेगा।

केरल के काजू कारखानों में जबरन छुट्टी

4799. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य काजू विकास-निगम द्वारा अब तक अधिकार में लिये गये काजू कारखानों में कुल कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या वहाँ कोई जबरन छुट्टी की गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कारखानों में जबरन छुट्टी को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केरल राज्य काजू विकास निगम के चालू 20 कारखानों में नियुक्त कर्मचारियों की सख्या 16745 है।

(ख) वहाँ किसी प्रकार की कामबंदी नहीं हुई है लेकिन कच्ची गिरी के अभाव में कारखाने 35 दिन बंद रहे।

(ग) भारतीय काजू निगम को निदेश दिये गये हैं कि वह केरल राज्य काजू विकास निगम को आयातित कच्चे काजू की गिरियों का कुछ तदर्थ आवंटन कर दे ताकि बंद पड़े ये कारखाने पुनः चालू हो सकें।

केरल तथा तमिलनाडु में पन बिजली, तापीय बिजली तथा परमाणु शक्ति योजनाएं

4800. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल तथा तमिलनाडु में क्रियान्वित की जाने वाली **पन बिजली, तापीय बिजली** तथा परमाणु शक्ति योजनाओं के नाम क्या है ;

(ख) क्या ये सभी योजनायें 1974 से पहले क्रियान्वित की जायेंगी ;

(ग) यदि नहीं, तो 1974 से पहले क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के नाम तथा उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) इन दोनों राज्यों में ये सभी योजनाएं कब तक कार्यान्वित की जायेंगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) केरल और तमिलनाडु में चौथी योजना के दौरान जिन जल, ताप एवं परमाणु-विद्युत् स्कीमों को कार्यान्वित किया जाना है उनके नाम विवरण में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। उन स्कीमों की संख्या और नाम विवरण में बताए गए हैं जिनके 1973-74 में कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है।

(घ) चौथी योजना में सम्मिलित शेष सभी स्कीमों के पाचवीं योजनावधि में ही कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

विवरण

केरल और तमिलनाडु में चौथी योजना के दौरान कार्यान्वयनार्थ स्कीमें

(क) चालू की गई अथवा मार्च, 1974 तक चालू होने के लिए संभावित स्कीमें :—

1. केरल

कुट्टियाडी जलविद्युत्	3 × 25	75 मेगावाट
कुल :		75 मेगावाट

2. तमिलनाडु

परांबिकुलम् अलियार जलविद्युत्	1 × 60 2 × 25 1 × 25	155 मेगावाट
कोडयार जल विद्युत्	1 × 60 1 × 40	100 मेगावाट
बेसिन ब्रिज तापविद्युत्	1 × 30	30 मेगावाट
एन्नोर तापविद्युत्	2 × 55 2 × 110	330 मेगावाट
नेवेली (केन्द्रीय परियोजना) तापविद्युत्	2 × 100	200 मेगावाट
कुल :		815 मेगावाट

(ख) वे स्कीमें जो पांचवीं योजना में अग्रनीत और चालू होंगी :

1. केरल

इडिक्की जलविद्युत्	2 × 130	260 मेगावाट
कुल :		260 मेगावाट

2. तमिलनाडु

कुंडा चरण-चार जलविद्युत्	1×60 1×50	110 मेगावाट
एन्नोर विस्तार तापविद्युत्	1×110	110 मेगावाट
कल्पक्कम् (केंद्रीय स्कीम) परमाणु	1×200	200 मेगावाट
कुल :		420 मेगावाट

केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

4801. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में केन्द्र सरकार ने केरल सरकार को कितनी राशि दी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : चतुर्थ योजना के आरम्भ से ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर व्यय राज्य योजना संसाधनों से, जिसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है, पूरा किया जाता है। चतुर्थ योजना में केरल की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 450 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 50 लाख रुपये योजना के प्रथम वर्ष के वास्ते व्यवस्थित थे। चतुर्थ योजना के आरम्भ में विद्युतीकृत ग्रामों और पम्पसेटों की संख्या क्रमश: 1137 और 13909 थी। चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष में विद्युतीकृत ग्रामों और पंपसेटों की संख्या क्रमश: 27 और 4570 थी। फरवरी, 1972 के अन्त तक, विद्युतीकृत ग्रामों और पम्पसेटों की कुल संख्या क्रमश: 1264 और 27788 है। ग्राम विद्युतीकरण निगम, जो केन्द्रीय सेन्टर में जुलाई, 1969 से स्थापित किया गया है, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए राज्य बिजली बोर्डों को योगात्मक धन की व्यवस्था करता है। मार्च, 1972 तक निगम ने केरल में 8 स्कीमों को स्वीकृत किया है जिसमें 246 ग्रामों और 5046 पम्पसेटों के विद्युतीकरण के लिए 359 लाख रुपये की ऋण-सहायता परिकल्पित है।

केरल को बिजली की सप्लाई

4802. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केरल राज्य को औद्योगिक तथा कृषि कार्यों के लिये बिजली की सप्लाई करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या केरल की वर्तमान तथा आगामी दो वर्षों की कुल आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) केरल में उद्योगों द्वारा विद्युत की खपत, जो 1969-70 के अंत तक 1148 मिलियन यूनिट थी, 1971-72 के अन्त तक बढ़कर 1580 मिलियन यूनिट हो गई उसी अवधि में कृषि-क्षेत्र द्वारा की जाने वाली 40 मिलियन यूनिट की खपत बढ़कर 45 मिलियन यूनिट हो गई।

(ख) जी, हाँ। सातवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण ने इस समय और 1972-73 और 1973-74 के दौरान केरल में पीक माँगों का अनुमान क्रमशः 350 मेगावाट, 375 मेगावाट और 400 मेगावाट लगाया है। इसके लिए क्रमशः 455 मेगावाट, 485 मेगावाट और 520 मेगावाट की प्रतिष्टापित क्षमता रखना आवश्यक है। इन आवश्यकताओं की तुलना में, पूरी अवधि में 622 मेगावाट विद्युत उपलब्ध होने की सम्भावना है।

———

अल्प सूचना-पत्र
SHORT NOTICE QUESTION

कोयले के लिए रेल डिब्बों की कमी के कारण बिहार में बिजली के उत्पादन तथा सप्लाई को खतरा

अ० सू० प्र० संख्या 3. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला ढोने के लिए रेल डिब्बों की अनुपलब्धता के कारण बिहार में बिजली का उत्पादन तथा सप्लाई तुरन्त बन्द हो जाने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण संशोधन आदेश

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1972 हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या एम० ओ० 966 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1883/72]**

उर्दू के विकास के लिए समिति के बारे में विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं प्रो० एस० एल० हसन की ओर से उर्दू के विकास के लिए एक समिति बनाने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले सकल्प की एक प्रति सभा-पटल पर रखता है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या। एल० टी० 1884/72]**

पटसन उत्पाद निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जर्ज) : निर्यात (गु०-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत पटसन उत्पाद निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 967 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1885/72]**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय प्रोद्योगिक संस्थान, कानपुर के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये एल० टी० 1886/72]**

उपदान संदाय विधेयक
PAYMENT OF GRATUITY BILL

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेल कम्पनियों, दुकानों या अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिए एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

नियम 377 के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

वेतन आयोग का प्रतिवेदन

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुप) वेतन आयोग ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया हैं कि वह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर रहा है। इसमें केन्द्र सरकार के 22 लाख कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के नेताओं ने वेतन आयोग कार्यालय के सामने 24 घटे का शक्तिपूर्ण धरना दिया है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे भविष्य में कोई गम्भीर स्थिति उत्पन्न न हो। वेतन आयोग से कहा जाना चाहिए कि वह दो मास के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।

मुझे आशा है कि सरकार वेतन आयोग से परामर्श करके आज या कल इस सम्बन्ध में कोई वक्तबय देगी ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं माननीय सदस्य विचारों को वेतन आयोग तक पहुँचा दूगां ।

अनुदानों की मांगें 1972-73
DEMANDS FOR GRANTS, 1972-73

रक्षा मन्त्रालय

Shri Jagdish Chandra Dixit (Sitapur) : Basically I support the demands for grants of the Defence Ministry. But certain points are necessary to be mentioned here. It is a fact that our armed forces, Army, Air, and Navy have done great deeds in the last war in Bangla Desh. Our nation is proud of them. Even then the conditions of other ranks in the Army is not very satisfactory. They are low-paid and deprived of basic amenities. The procedure regarding recruitment in Army has not been changed according to the needs of socialistic pattern of society in the country Certain classes of society in the country are not allowed to join our Armed Forces. This tendency should be changed and the personnel of low ranks in Indian Forces should be provided adequate facilities.

With the creation of Bangla Desh our Government should not feel that the danger is over : Even now we are getting indications from our Western border that at any time our country may have to face difficulties. In these circumstances there is a need to strengthen our forces continuously. It has been observed that our ordinance factories are not utilizing their full capacity resulting in reduction in production. If may be attributed to the fact that more and more work is assigned to the private contractors. The figures regarding the defence production given by the hon. Minister two—three days back could not reveal the true facts and as far as I know the fact is that our ordinance factories are not working at their full capacity. It is also a fact that the employees of these factories are disappointed with the policy of the Government regarding fixation of their pay scales etc. Abnormal delay in presentation of Report by Pay commission has created unrest and distress amongst these employees. Government are unable to check the price increase and they are also indifferent to the various difficulties faced by these employees. In these circumstances how can it be expected from these employees that they should not feel discouraged. I suggest that Government should ask the Pay commission to expedite the submission of their Report or give some financial relief to these low-paid employees.

I also suggest that retirement age of personnel in active service and other services should also be increased as has been done in the industrial sector.

I would also like to draw the attention of the hon. Minister towards the cantonment employees who are doing scavenging work. These are the persons from depressed classes and Government should give certain facilities as an encouragement to them. With these words I support the demands for grants of the Ministry of Defence.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : It is a matter of great pleasure and pride that our amed forces have done distinguished service for the country during the recent Indo-Pakistan war. I have great honour for them who have laid their lives for the cause of the country.

It should be understood that Britishers did not give us freedom out of generosity. Actually they recognised the fact that Indian army was no longer loyal to them. Besides,

various agitations launched by Indian leaders including Shri Subhash Chandra Bose forced them to give independence to our country. They also felt that after second World War it was not possible for them to have their control over a big country like India. If we had understood their policy we would not have ignored the importance of military powers after achieving independence. Our then Prime Minister concentrated his efforts to bring peace in the world and tried to have friendly relations with the countries like China. But his faith in friendship and peaceful co-existance was shaken in 1962 when China attacked India without any cause. It has also been mantained in the Report that Government had to increase defence expenditure after 1962 from Rs. 260 crores to Rs. 800 crores. Now it has been increased to Rs. 1400 crores. It is true that Government have now paid their attention to the defence forces. While formulating policies regarding warfare Government should take into consideration the military strength of the enemy countries like China and Pakistan. China is a super power having atomic and nuclear bombs. In these circumstances Government should decide to have atomic bombs because to-day we can not afford to depend upon other countries for such things. It is a matter of encouragement that Late Dr. Bhabha had said that India could also produce high power atomic bombs provided Government wants to have it **(Interruptions)**. Peace can be maintained in the world only when there is balance of power. Any weak country can not claim to be safe. Strong countries want to have their influence over a group of smaller countries. India should also follow this path. In recent past Shri Swaran Singh thought that it was possible to develop friendly relations between India and China. I feel it is possible only when we do not lag behind in producing nuclear weapons. We cannot ignore the claim of Shri Bhutto to the effect that Pakistani Forces would be one of the best forces in Asia very soon **(Interruptions)**. Actually his advisors and friends do not want to see India as a strong nation. Therefore they want perpetual tension between Pakistan and India.

Government should not repeat the mistake committed in Tashkent. If Pakistan withdraw their forces from our territory which she has occupied in Jammu and Kashmir and in Kutch and if it is ascertained that Pakistan would not create any difficulty for us in future only then we can have friendly relations with her. What our Jawans have gained after their great sarifices should not be lost at political level by the Government again.

Asian countries have much hope from India as a result of this historic achievement made by our Forces who have liberated Bangla Desh. Certain mistakes committed in the past should not be repeated again. Therefore, it is necessary for us to equip our forces with the most modern arms and ammunition including nuclear weapons. Government should also increase naval strength with latest type of submarines supported with atomic energy. I do not agree to the point raised by certain persons that defence and development programmes can not be taken up side by side. By nature man has to engage himself in defensive and development activities simultaneously. We have a vast sea-coast which necessitates us to have effective naval basis in Indian ocean to maintain our influence.

It is also necessary to have coordination between three parts of the armed forces. During the recent conflict we found an appreciable coordination amongst them which led to our victory over Pakistan. I suggest that Government should have a Chief of Staff who can give necessary suggestions to the Defence Minister regarding maintenance of effective coordination among the three forces and other important Defence matters. He should also participate in the meetings of Planning commission and Defence Committee of cabinet so that at the level of planning defence needs he can highlight them.

Government should also create All India Defence Service to utilise the specialised know-how. Emergency Commissioned officers released from Army are facing certain difficulties. Those, who got employment through competitions, are being treated as new entrants in the service without giving them benefit of their seniority. Government should take suitable steps in this matter.

After retirement certain militarymen want to do farming but they do not have their land. Government should give such retired militarymen land. Besides, certain other basic facilities are to be provided to them such as accommodation, education to their children etc.

While concluding I would like to mention a point regarding the disparity between the pay scales of Pilots of Civil Aviation and Flight Lieutenants. The plea that since Civil Aviation is a commercial Department earning revenue for the country therefore the pilots of this department are entitled to have better pay scales while Flight Lieutenants are not a earning staff, is not justified. Considering equality of seriousness of risk in both the services Government should remove this disparity of pay scale.

Shri Swami Brahmanand ji (Hamirpur) : I rise to support the demands of the Defence Ministry. We are proud of our Jawans who have brought great honour and glory to the country in the recent war. I congratulate them including the hon. Minister of Defence for this victory. Our Defence forces are immune from any kind of corruption. Our Jawans only know to die for the cause of country.

According to our **Shastras** only free men can follow the path of justice and **Dharma**. Our valiant Jawans have maintained our freedom and security for which we are highly obliged to them. It is, therefore, our duty to suggest certain points to the Government for their welfare. My first suggestion is that various regiments should be named after our martyrs like Subhash Chandra Bose and the great leaders and not after certain communities and castes. I have repectedly demanded that caste system should be removed from the country.

We should never forget the great sacrifices of our militarymen. The families of our Jawans who have laid their lives should be fully compensated. I also suggest that all type of corruption should be removed from rest of the Departments of Government of India. With these words I support the demands of the Ministry of Defence.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय वास्तव में हमारे सैनिको ने विजय प्राप्त करके एक सराहनीय कार्य किया है तथा विश्व में हमारे देश का गौरव बढ़ाया है।

हमारी कार्यनिपेंक्षता की नीति बंगला देश में पहुँची तथा उसके परिणाम स्वरुप वहां से सैनिक तानाशाही समाप्त कर दी गई।

अमरीका तथा चीन जैसे देशों को हमारी यह नीति पसंद नही आई। इसी कारण में दोनों देश विभिन्न प्रकार की चालें खेलकर अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं अमरीका ने सातवें बड़े को स्थाई रुप से हिन्दमहासागर में एकत्र कर लिया जिनसे एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। वर्तमान स्थिति में भारत की सुरक्षा के लिये तीन प्रकार की समस्याऐं खड़ी की गई है। पहली समस्या परमाणु शास्त्रों की धमकी दूसरी हिन्द महासागर में बड़े देशों द्वारा तनाव की स्थिति तथा तीसरी चीन और अमरीका द्वारा हस्तक्षेप की नीकि। इन बातों का भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ना नितान्त आवश्यक है।

इन खतरों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सुरक्षा बजट में कमी नही कर सकते हैं। हमारे लिये यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय करें। हमें अपनी सैनिक शक्ति का गठन इस बात को ध्यान में रखकर करना होगा कि वह शत्रु देशों को उस शक्ति का भी मुकाबला कर सके जो भविष्य में बनेगी।

जहां तक परमाणु शस्त्रों का प्रश्न है मेरा इस सम्बन्ध में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। देश के समक्ष विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस विषय पर गम्भीरता से विचार

किया जाना चाहिए। परमाणु शस्त्रों के उत्पादन के सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार सभा के सदस्यों द्वारा प्रकट किये जाते हैं तथा दोनों विचारों में ही अतिशायता पाई जाती है कुछ माननीय सदस्यों के विचार हैं कि यदि हम परमाणु शास्त्र नहीं बनाते तो देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसमें पक्ष का विचार है कि यदि इस ओर कदम बढ़ाया गया तो देश का विकास रुक जाएगा तथा देश की गरीबी हटाना असम्भव हो जायेगा।

आणविक शक्ति का विकास हम परमाणु हथियारों के लिए करें अथवा विकासात्मक कार्यों अर्थात परमाणु प्रोद्योगिकी के लिए करें, यह दोनों बातें आपस में एक प्रकार से सम्बन्ध हैं। यदि हम परमाणु प्रोद्योगिकी की इस समस्या से संबंधित आधार तथ्यों को स्वीकार करनें का प्रयत्न करें तो प्रतीत होगा कि चाहे हमारा देश परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए निर्णय करें अथवा हम निर्माण कार्यों के लिए परमाणु उर्जा का उत्पादन करें दोनो कार्यों में प्रारम्भिक छह-सात प्रक्रियाएं समान है। यह सोचना कि यदि सम परमाणु हथियारों के उत्पादन पर कुछ व्यय करेंगे तो यह व्यय उस स्थिति में व्यर्थ हो जाएगा जब हस यह निश्चय करलें कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग हम केवल शाँतिपूर्ण प्रयोजन के लिऐ ही करेंगे सर्वथा गलत है। अतः इस दिशा में किया गया व्यय इन में एक उद्देश्य को छोड़ देने पर भी व्यर्थ नहीं होगा।

हमें इस पर भी विचार करना है कि परमाणु हथियारों के निर्माण के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। हम इस दिशा में धीमी नीति अपना सकते हैं। परन्तु हमारा दृष्टिकोण कम से कम कूटनीति पूर्ण होना चाहिये। चीन और पाकिस्तान के नेताओं के मन पर हमेशा यह बात छाई रहनी चाहिये कि आज यदि भारत परमाणु हथियारों का उत्पादन नहीं कर रहा तो कल पर भी सकता है। हमें इस संबंध में शीघ्रता करके सभी राष्ट्रों को यह नहीं सूचित करना चाहिये कि भारत ने परमाणु हथियारों का निर्माण न करने का निश्चय कर लिया है। सरकार औरज नता के सामने दोनो विकलप रहना चाहिये जिससे कि युद्धदनीति की तरह किसी भी समय हम देश की आर्थिक स्थिति और संशोधनों की उपलब्धता को देखते हुए इस दिशा में कुछ भी निर्णय कर सकें।

आत्म तिर्भरता के बारे में आज बहुत बातें की जा रही हैं परन्तु प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की कुछ बारीफियां हैं। यदि भारत को विश्व राजनीति में स्वतन्त्र निर्णय का केन्द्र बनाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि युद्ध के आधुनिक उपकरणों के क्षेत्र में हम आत्म-निर्भतता प्राप्त करने की कोशिश करें, इस बात के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि अनुसन्धान और विकास पर खर्चे थी बढ़ाया जाए। वर्ष 1962-63 में हमने अपने प्रतिरक्षा बजट का 1.1 प्रतिशत भाग इस परियोजना के लिए व्यय किया। वर्ष 1965-66 में इस दिशा में व्यय के आंकड़ों में तो वृद्धि हुई परन्तु प्रतिशतता घट कर 1 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1972 और 1973 में इस परियोजना के लिए कुल प्ररिरक्षण वजट के दो प्रतिशत के व्यय की संभावना हैं यदि हम दूसरे देशों द्वारा इस परियोजना के लिए किये जा रहे व्यय को देखें तो हमें पता लगेगा कि इस में अमरीका द्वारा 7.6 प्रतिशत, इंगलैंड द्वारा 11.6 प्रतिशत और चीन द्वारा 20 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है। अतः हमें इस दिशा में व्यापक आयोजना करनी चाहिये।

हमारी प्रतिरक्षा समस्याएं बड़ी जटिल होती जा रही हैं अतः देश में दीर्घकालीन प्रति-रक्षा आयोजना के लिए औद्योगिक आयोजना और प्रतिरक्षा उत्पादन आयोजन की एक समेकित राष्ट्रीय योजना ढांचे में ढालना आवश्यक है।

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : मै इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। श्री फ्रैंक एन्थनी ने अपने भाषण में कहा है कि युद्ध के दौरान समन्वय की कमी थी। उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पंडित नेहरू व लाल बहादुर शास्त्री के समय समन्वय समिति की बैठकें होती थीं परन्तु अब समन्वय समिति की बैठकें नहीं हुई। परन्तु उनकी यह शिकायत निराधार है। उन्होंने शायद प्रतिरक्षा मंत्रालय का प्रतिवेदन नहीं देखा है। प्रतिवेदन में कहा है कि "प्रधान मन्त्री, रक्षा मन्त्री, विदेश मन्त्री, सेनाध्यक्षों और संबधित असैनिक अधिकारियों ने बहुत ही निकट का सम्पर्क बनाए रखा।"

इस वर्ष हम अपनी स्वाधीनता की रजत जयन्ती मनाने जा रहे हैं। हमने यह निर्णय किया है कि इस वर्ष हम, कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिनसे देश का हित होगा। देश में ग्रामीण क्षेत्रों को नागरिय क्षेत्रों से मिलाने वाली सड़कों का निर्माण इस प्रकार का एक कार्य है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नांगल बांध को रेल लाइन द्वारा तलवाड़ा से और चण्डीगढ़ को रोपुड़ मे मिला दिया जाए। इससे रास्ता अम्बाला और चण्डीगढ़ नई दिल्ली से पठानकोट के लिए सैनिकों को लाने ले जाने में सुविधा रहेगा।

इस समय हमारे पास 'विक्रान्त' नामक केवल एक ही विमान वांहक पोत है। यह जल पोत अब पुराना भी होता जा रहा हैं। समुन्द्री तट की लम्बाई को देखते हुए, यह आवश्यक है कि हमारे पास एक और विमान-वाहक जलोपोत हो।

प्रतिवेदन मे पता चलता है कि मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के 4600 पद इस समय खाली हैं। इसका क्या कारण है। क्या इनके लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। इस दिशा में पर्याप्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

(इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म. प. तक के लिए स्थागित हुई)

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर चार मिनट म. प. पद पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sahha ressmbled after luch of four uuintes fourteen of the Clock)

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए / Mr. Depty Speaker in the chair }

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं, चौदह दिवसीय युद्ध के कारण सशस्त्र सेनाओं को हार्दिक बधाए देता हूँ। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति दी।

बहुत से सदस्यों ने यह विचार किया है कि हमारे देश को अणु बम बनाना चाहिए, अणुबम्ब बनाने पर तो ये लोग लाखों रुपया व्यय करना चाहते हैं परन्तु दूसरी ओर शहीदों की याद में इंडिया गेट मे बनाए गए स्मारक के खर्चे पर ये आपत्ति करते हैं। यह बातें समझ में नहीं आतीं। अब समय आ गया है जबकि हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि हमारी प्रतिरक्षा

नीति क्या होगी ? अमरीका, रूस, चीन और फ्रांस के पास अणु बम हैं। परन्तु दूसरी ओर वियतनाम के पास नहीं है, फिर भी पिछले 13 वर्षों से यह देश विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के साथ युद्ध कर रहा है अणु बम तथा अन्य आणविक हथियारों से अमरीकी साम्राज्यवादी क्या कर सके हैं।

इस सन्दर्भ में अणु बम न बना कर शांति पूर्ण उपायों के लिए अणु शक्ति का उपयोग करने सम्बन्धी हमारा निर्णय बिल्कुल उचित है। मैं अपने दल की ओर से इसका समर्थन करता हूं।

शहीद सैनिकों की बातें हम बहुत करते पर उनके लिए करते कुछ नहीं। हाल के युद्ध में कानपुर के लेफ्टिनेंट दीपक दास शहीद हुए। कानपुर के छावनी बोर्ड ने यह फैसला किया कि एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। परन्तु उन्हें बताया गया कि जब तक छावनी बोर्ड अधिनियम में संशोधन न किया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। माननीय रक्षा मंत्री को इस मामले पर ध्यान देना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि हमने परम्परागत हथियारों के बारे में आत्म-निर्भरता प्राप्त करली है। इसकी प्राप्ति के लिए आयुध कारखानों के श्रमिकों की प्रशंसा की जानी चाहिये।

कानपुर में विशेष मिश्रित इस्पात संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इसके उत्पादन प्रारम्भ करने पर हमें आधुनिक शथियार बनाने के विशेष मिश्रित इस्पात का आयात नहीं करना पड़ेगा।

विजयंत टैंक बनाने के कारखाने में औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होना चाहिए, रक्षा उत्पादन बोर्डों में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देना चाहिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी हाल के अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि सभी सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों को साझीदार बनाया जाना चाहिये।

वर्ष 1971 में औद्योगिक परिषद् सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि 25-30 वर्षों तक एक ही ग्रेड में काम करने वाले श्रमिकों की पदोन्नति कर दी जाएगी। इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। औद्योगिक परिषद् के निर्णयों के प्रति हमें गम्भीर होना चाहिये। इनके कार्यान्वित न किये जाने का उत्तरदायित्व मन्त्री पर आना चाहिये।

आयुध कारखानों में नियुक्तियां करते समय अपेक्षित प्रतिशतता में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को नहीं चुना जाता। उनके न चुने जाने का कारण उनके गन्दे कपड़े होते हैं। यह दृष्टिकोण उचित नहीं है।

सैन्य इन्जीनियरिंग सेवा में ठेका प्रणाली समाप्त होनी चाहिये। इसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है।

मजदूर यूनियनों की कार्यवाहियों के कारण पश्चिम बंगाल, जबलपुर, कानपुर अथवा अन्य स्थानों पर जिन कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है उनके मामलों पर मन्त्री महोदय को फिर से विचार करना चाहिये।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद की देन, पुराने छावनी अधिनियम को समाप्त करके इसके स्थान पर नया विधेयक तुरन्त लाया जाना चाहिये।

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : हाल ही के युद्ध में सशस्त्र सेनाओं और मंत्रालय की विजय से हमें इस ओर से अति विश्वस्त नहीं हो जाना चाहिये। यदि हम अपने पड़ौसी देशों की ओर देखें तो भारत की प्रतिद्वन्द्वी शक्ति के रूप में हमें चीन दिखाई देता है। चीन के एक हाथ में अणु बम है और दूसरे हाथ में संयुक्त राष्ट्र में निषेधाधिकार। चीन की हमारी भूमि पर कुदृष्टि है। रक्षामन्त्री को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये जिससे कि चीन से भावी खतरे का हम उसी तरह मुकाबला कर सकें जिस तरह हमने पाकिस्तान के खतरे का किया।

लोगों का ध्यान सामान्यता इस ओर जाता है कि हमारी सेनाएं आधुनिक शस्त्रास्त्रों से लैस हैं अथवा नहीं। मंत्रालय को इस बारे में स्थिति का निरन्तर मूल्यांकन करने और आधुनिक हथियारों और उपकरणों की व्यवस्था करने की नीति अपनानी चाहिये।

जिन लोगो ने मातृ-भूमि की सुरक्षा और प्रभुसत्ता के लिए अपने प्राणो का उत्सर्ग किया उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। परन्तु अब सरकार तथा जनता का भी कर्तव्य है कि उनके परिवारों के कल्याण की ओर ध्यान दिया जाए। सरकार ने इस बारे में कुछ कार्यवाही की है। परन्तु में सरकार से यह अपील करता हूँ कि इस बारे में और अधिक कार्य किया जाना है अतः धन की कमी की बात इस कार्य के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिये। सशस्त्र सेनाओ के लिए आधुनिक शस्त्रास्त्र जुटाने के लिए भी धन की कमी की रुकावट नहीं होनी चाहिये।

देश में अत्यावश्यक वस्तुओ के मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे है। सेवा निवृत्त सैनिको के जीवन-स्तर पर भी इसका दुप्रभाव पड़ता है। रक्षामन्त्री को इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिये,

रक्षामंत्री (श्री जगजीवन राम) : हमारी सशस्त्र सेनाओं ने हाल ही में सीमाओं की सुरक्षा करने में और पड़ौसी देश की मुक्ति में जो कि प्रभुसत्ता समाप्त, धर्म निरपेक्ष और लोक तान्त्रिक बंगला देश के रूप में उदित हुआ है, सहायता करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं बातों के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय के बजट पर चर्चा हो रही है। इस अभूतपूर्व विजय और उपलब्धि के लिए व्यक्तिगत रूप से मेरी और सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों और सैनिकों की जो प्रशंसा तथा सराहना की गई है उसके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूं।

सभा को ज्ञात है कि पाकिस्तान की जानबूझ कर की जा रही कार्यवाहियों के परिणाम-स्वरूप पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में हमारी सीमाओं पर खतरा बढ़ गया था। हमने हर क्षण संकट को टालने की कोशिश की परन्तु पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने 25 मार्च, 1971 को जो रास्ता पकड़ा था उससे हटने की कोशिश न की। पाकिस्तान में भी अब यह अनुभव किया जा रहा है कि इन दुखदायी घटनाओं का उत्तरदायित्व पाकिस्तान के सैनिक शासकों पर है। 15 नवम्बर को इस सदन में दी गई मेरी चेतावनी के पश्चात्, पाकिस्तान ने अपनी पहले की धमकी के अनुसार 3 दिसम्बर 1971 को भारत पर युद्ध थोंप दिया। हमारी सावधानी का ही यह परिणाम था कि हमारे हवाई अड्डों पर किए गए पूर्व नियोजित आक्रमण सफल न हो सके। हमारी सेना ने पूर्वी सीमा पर मुक्तिवाहिनी के साथ निकट सम्पर्क स्थापित किया और कुशलता तथा दृढ़ता के साथ समन्वित रूप से कार्य किया।

दुस्ह क्षेत्रों को और पाकिस्तान सेनाओं द्वारा स्थापित दृढ़ छावनियों का सामना करते हुए हमारी सेनाओं का एक अग्रिम दस्ता संघर्ष के ग्यारहवें दिन ढाका से बाहर जा पहुँचा। बंगला

देश में पाकिस्तानी वायु सेना का पहले ही नाश किया जा चुका था। इसके परिणामस्वरूप भी हमारी सेनाओं को शीघ्र सफलता में सहायता प्राप्त हुई। पश्चिमी क्षेत्र में घमासान युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारी रक्षा पंक्तियों को तोड़ने के लिए बार-बार प्रयास किए, पर वह असफल रहे। जैसा कि मैंने सदन में वचन दिया था, युद्ध शत्रु के क्षेत्र में ही हुआ। 16 दिसम्बर 1971 को बंगला देश में पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त कमांड के सन्मुख आत्म-समर्पण कर दिया और ढाका एक स्वतन्त्र देश की स्वतन्त्र राजधानी बन गया। 17 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान ने युद्ध जारी रखने के अपने फैसले को बदल कर युद्ध-विराम के हमारे एक-पक्षीय प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

सभा को स्मरण होगा कि हम पाकिस्तान की तुलना में, विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र में, कुछ ही बेहतर थे। वास्तव में कुछ हथियारों में पाकिस्तान हमसे आगे था। परन्तु इन परिस्थितियों में हमारी सफलता का श्रेय हमारे वीर अधिकारियों तथा जवानों पर, युद्ध क्षेत्र के कमान्डरों पर और सेनाध्यक्षों पर तथा उच्चस्तरीय व्यवस्थापक मण्डल पर है। हमारी रक्षा सेनाओं की सफलता सैनिक इतिहास में एक स्मरणिम अध्याय है।

तथापि यह कहा गया है कि रक्षा सेनाओं की कार्यवाहियों में समन्वय एक आकस्मिक घटना थी। मुझे यह कहना है कि यदि ऐसी बातें कहने से पूर्व हमारे वार्षिक प्रतिवेदन में 'योजना और प्रबन्ध' अध्याय पढ़ लिया जाता तो ऐसी बातों की आवश्यकता नहीं रहती। उस अध्याय में सुविचारित योजना और प्रबन्ध का निश्पक्ष वर्णन है। हमारी नौसेना की कार्यवाहियां, पाकिस्तान के हवाई हमलों से बचाव, उनके टैंकों आदि को नष्ट करने आदि में भारतीय वायु सेना का योगदान—ये ऐसे उदाहरण हैं जो असामान्य परिस्थितियों में सम्भव नहीं थे। यह कार्य एक समुचित विकसित प्रणाली के परिणाम थे जिसके कारण तीनों सेनाएं अपनी योजनाओं को एकीकृत कर सकीं और सु-गठित दल के रूप में कार्य करने में समक्ष हुईं। देश की सुरक्षा के लिए, शांतिकाल में और युद्धकाल में विभिन्न सेनाओं में पारस्परिक सहयोग ही केवल आवश्यक नहीं होता। इसके लिए राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर समन्वय की भी आवश्यकता होती है। हम यह दावा नहीं करते कि जो प्रणाली हमने अपनाई वह पूर्णतया सही है। हम वास्तविक कार्यक्रम और अनुभव के आधार पर इसमें और सुधार करेंगे। परन्तु कुछ सदस्यों द्वारा जो सुझाव दिये गए हैं वे हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हैं और न ही वे हमारी लोकतन्त्री प्रक्रियाओं के अनुकूल हैं।

सेनाध्यक्षों से सम्बन्धित मामलों का भी चर्चा में उल्लेख किया गया है। सभा की परम्परा के अनुसार, इस प्रकार के मामलों की चर्चा सभा में नहीं होनी चाहिये। और फिर सेनाध्यक्षों के वर्तमान दल ने संकट के समय संयुक्त नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी पश्चिमी सीमाओं पर स्थिति अभी भी असामान्य है। अतः सेना की परम्पराओं के प्रति हमें सम्मान का भाव रखना चाहिये। मैं इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि यह नहीं समझा जाना चाहिये कि सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध-बिराम रेखा का उल्लंघन, अपने सैन्य-सामर्थ्य में वृद्धि करने, बिदेशी स्रोतों से हथियार आदि प्राप्त करने की बातें भी चर्चा के दौरान उठाई गई हैं। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के कुछ तत्व फिर से संघर्ष के लिए तैयारी करते प्रतीत हो रहे हैं। भयत वस्तुतः शांति के प्रति, सारे विश्व में शांति एशिया में शांति और विशेष रूप से इस

महाद्वीप में शांति के प्रति दृढ़ संकल्प है। इस सदन ने सरकार की इस शांति नीति के प्रति अपना समर्थन दिया है। इसी नीति के अनुसरण में हमसे पाकिस्तान के साथ बिना शर्त बार्ता की अपनी इच्छा व्यक्त की। हमारी प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो के बीच होने वाली शिखर वार्ता की रूपरेखा हाल ही में 'मरी' में हुए सम्मेलन में तय हुई है।

इस समय हमें बंगाल देश, भारत और पाकिस्तान के लोगों के लाभ के लिए रचनात्मक सहयोग की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। अत: पाकिस्तान द्वारा की गई कार्यवाही का वृतान्त मैं इस समय नहीं देना चाहता। पाकिस्तान द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्वयं खरीदें जाने वाले हथियारों तथा उसको अन्य देशों से मिलने वाले हथियारों पर हम निगाह बांधे हुए हैं। हम अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने देंगे।

बंगला देश की आजादी के पश्चात अब वहां पर सामान्य स्थिति लाने की ओर ध्यान देना है। अपने इन उपायों में हमें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। विद्रोही तत्वों की तलाशी ली गई है तथा उनसे हथियार आदि जब्त कये गये हैं। सड़कों से सुरंगें आदि साफ की गई हैं। नये पुलों का निर्माण-कार्य हाथ में लिया गया है। नौका तथा रेल सेवायें बहाल कर दी गई हैं। दूरसंचार लाइनों की मरम्मत की गई है तथा उन्हें पुन: चालू कर दिया गया है। हवाई अड्डों की मरम्मत की गई है। बन्दरगाहों से भी सुरंगें साफ कर दी गई हैं और उनको यातायात के लिए खोल दिया गया है। हमारी सेनाओं को जो कार्य सौंपा गया था वह उन्होंने तीन महीने में पूरा कर दिया है। सेनाओं को निर्धारित समयसूची के अनुसार 12 मार्च, 972 को वापस बुला लिया था। हमारी सेनाओं ने जिस लगन से इस ऐतिहासिक कार्य को किया है उस पर हमें गर्व है। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और मजबूत हुंई है।

हमने अल्प संख्यकों तथा आत्म-समपर्ण करने वाली पाकिस्तानी सेना को संरक्षण तथा अच्छे व्यवहार का बचन दिया था। उस वचन को हमने पूरा कर दिया। पाकिस्तानी सेना को बहुत तेजी से भारत लाया गया था। अब उनको शिविरों में रखा गया है। उनके साथ परम्परा तथा युद्ध के कानुनों के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है। रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति को शिविरों में जाने तथा युद्ध बन्दियों से मिलने की पूरी सुविधायें दी गई हैं। समिति ने हमारे प्रबन्धों की सराहना की है।

पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बन्दियों की संख्या बहुत कम है। हमें उनके कल्याण की चिन्ता है। उनसे सम्पर्क बनाने तथा उनको उपहार भेजने के उपाय किये गये हैं। हमें रेउक्रास के अन्तर्राष्ट्रीय समिति ने विश्वास दिलाया है कि उनकी अच्छी तरह देख भाल की जा रही है। रोगी युद्ध बन्दियों को भारत वापस बुला लिया है। भारतीय युद्ध-बन्दियों से बुरे व्यवहार के कुछ मामले हमारे ध्यान में आये हैं; हमने रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्री समिति को इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया है।

सभा ने मार्च के महीने में 177 करोड़ रुपये की जो अनुपूरक मांगे पास की थीं उनके लिए मैं सभा का आभारी हूं। वास्तव में माल के परिवहन, आपरेशनल वर्गी, सामान की खरीद, कच्चे माल का व्यापार करने तथा महत्वपूर्ण पुर्जों की खरीद पर अधिक खर्च हुआ है। मैं सभा को आश्वासन दिला सकता हूं कि मिल मालिको के लिए पूरी सावधानी बरती गई है। सभा इस बात की सराहना करेगी कि हमने देश पर आये गम्भीर खतरे पर काबू पा लिया है।

सभा के समक्ष अब जो मांगें रखी गई हैं वे कुल राष्ट्रीय उत्पाद का केवल 3.8 प्रतिशत ही हैं। 56 में से 34 देश अपने प्रतिरक्षा बजट पर कहीं अधिक व्यय करते हैं। 13 देशों ने सुपर पावर के साथ आपसी सुरक्षा प्रबन्ध कर रखे हैं। सभी जानते हैं कि अभी भी कुछ शक्तियां इस क्षेत्र में तनाव बनाये रखना चाहती है। हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की होड़ से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अमरीकी सातवें बेड़े के क्षेत्राधिकारमें जो परिवर्तन किया गया है वह कुछ चिन्ता का विषय है। मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि सभा चाहती है हमारी नौसेना और वायु सेना में जो कमियां हैं उनको शीघ्रता से दूर किया जाये। मैं इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न करूंगा।

सेना को 75/24 पैय हों 130 एम की तोपें और विजयंत टैंक दिये गए हैं। सेना को105 एम एम की तोप भी शीघ्र ही सत्लाई कर द्री जायेगी। आर्मड पर्सनत्र कैरियरों की संख्या में भी बृद्धि की है। उनको देश में वनाने का कार्य हाथ में लिया गया है। एच० ए० एल० द्वारा एम० ए० 135 हैलीकाप्टर वनाए जाने का प्रस्ताव है।

कुछ माननीय सदस्यों ने नौसेना को आधुनिक बनाने तथा इसके लिए और अधिक धन रखने का अनुरोध किया है नौ सेना को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाये गेये हैं। नये जहाज खरीदे जा रहे हैं। बेड़े को बढ़ाया जा रहा है उसकी मार शक्ति तथा मिसाईल तथा क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। पनडुब्बी बेड़े को भी मजवूत बनाया जा रहा है। कुछ और गश्ती नौकाएं निकट भविष्य में नौसेना को प्राप्त हो जायेंगी। पहला लीडर क्लास युद्ध-पोत शीघ्र ही नौसेना को दे दिया जावेगा ; युद्ध पोतों के निर्माण कार्य को तेज किया जा रहा है। गश्ती नौकाओं के निर्माण का कार्य अन्तिम अवस्था में है। सी वाई डिफैन्स बोट्स एवं वैसन्स, टग्स और डूजरों के निर्माण के लिए देश में क्षमता स्थापित की गई है। इस क्षमता का विस्तार किया जा रहा हैं। नौसेनिक विमान विंग को मजबूत किया जा रहा है। सी किंग हैलीकोप्टरों से हमारी पनडुब्बी-विरोधी क्षमता में वृद्धि हुई है।

अब हम अपने अनुभव से लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शीघ्र ही विगम्शल्य का निर्माण आरम्भ कर दिया जायेगा। नैट अथवा एच० एकम्प विमानों के सुधरे हुए माडल तैयार किये जायेंगे। एच०एस० 748 को सुधारे हुए डिजाइनों का तजुर्वा दिया जा रहा है। नीची उड़ान भरने वाले जहाजों का पता लगाने के लिए राडार लगाये जा रहे हैं। एयर डिफेंस ग्राऊण्ड एनवायर्नमेंट सिस्टम की स्थापना की जा रही है।

देश के समक्ष जो तुरन्त खतरा था उसको देखते हुए योजना पर कार्य बन्द कर दिया गया था। अब इस पर कार्य चालू कर दिया गया है और इसके लिए संबंधित बातों तथा टेक्नालोजी को ध्यान में रखा जा रहा है।

कार्यक्रम बनाने, मूल्यांकन करने, बजट बनाने, आपरेशन सम्बन्धी अनुसंधान, लागत के अनुसार उसका प्रभाव तथा इलैक्ट्रोनिक पद्धति से आंकड़े तैयार करने में आधुनिक प्रबन्ध को लागू किया जा रहा है। वार्षिक प्रबन्ध, इन्वैन्टरी कन्ट्रौल, संचार तथा उत्पादन आयोजन में इलैक्ट्रोनिक पद्धति द्वारा आंकड़ें तैयार करने की पद्धति को लागू कर दिया गया है। रोजगार, चयन, विकास, उत्पादन आधुनिक हथियारों की पद्धति की स्थापना तथा उनको सेना को देने सम्बन्धी क्षेत्रों में 17 परियोजना प्रबन्ध ग्रुप कार्य कर रहे हैं।

हमारी सेना के जवानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि युद्ध मशीन पर कार्य करने वाले व्यक्ति ही जीतते हैं। जवानों के वेतनमानों में वृद्धि करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। उनको अनेक प्रकार के नकदी भत्ते तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं। उनकी वार्षिक वृद्धि की दर भी बढ़ा दी गई है इन पर वार्षिक 22 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इसमें अन्तरीम राहत कर होने वाला व्यय शामिल नहीं है। जवानों के वेतनमानों के पुनरीक्षण का कार्य पहली वार वेतन आयोग को सौंपा गया है।

जवानों की सेवा नियुक्ति की आयु को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है, तकनीकी ब्रांचों में काम करने वालों को कम से कम 15 वर्ष तक सेना में कार्य करना होता है। शेष जवानों को दस वर्ष की सेवा के पश्चात सेवा से मुक्त कर दिया जाता है परन्तु उनके सेवाकाल को पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि वे जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी बन जायें तो उनके सेवाकाल को 25 वर्ष कर दिया जाता है। फिर भी इस मामले पर विचार किया जा रहा है। जवानों को निशुल्क यात्रा सुविधायें, आफिसरों तथा जवानों के लिए मनोरंजन क्लबों की व्यवस्था है। उनको केन्टीनों से रियायती दरों पर राशन दिता जाता है और उनके बच्चों को बजीफे आदि भी दिये जाते है। उनको विक्री कर तथा मनोरंजन कर से छूट प्राप्त है।

विवाहित जवानों को आवास सुविधाएं प्रदान करने की अवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है। और भी अनेक मकान वनाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

सेवा निवृत्ति के पश्चात जवानों को रोजगार देने के लिए अनेक योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया है। इस बारे में वार्षिक प्रतिवेदन मैं कुछ व्यौरा दिया गया है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसमें राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को भी लाभ होगा। इस वारे में हम राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों तथा गैर सरकारीं उपक्रमों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पद आरक्षित करें। सरकारी उपक्रमों में इस बारे में निर्बेश दे दिये गये हैं। विशेषतः अधिकरणों के परामर्श से स्व० नियोजन सम्बन्धी योजनायें भी बनाई गई हैं। रोजगार महा-निर्देशालय पुनर्गठन तथा उसको सुदृढ़ करने के लिए कार्यवाही की गई है ताकि इससे अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। मैं इस वात से सहमत हूँ कि भूतपूर्व सैनिक को रोजगार दिलाने में 'मुल्की नियमों' को बाधा नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों को भूमि देने के सुझाव आये हैं परन्तु यह तो राज्यों के अधिकार में है और अधिकांश राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है। संघ राज्य क्षेत्रों में भी ऐसा किया जा रहा है:

भूतपूर्व सैनिकों और शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं व आश्रितों के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं गत युद्ध में हुई 3,158 विधवाओं और अपंग सैनिकों के पुनर्वास की और अन्य लाभ देने की योजनाएं बनाई गई हैं। पेंशन बढ़ाने में निर्णय से वे लगभग वेसा जीवन व्यतीत कर सकेंगे जैसा कि वे सेवा में रहते हुए करते। यह निर्णय पहले के युद्धों से प्रभावित सैनिकों पर भी लागू होगा।

रक्षा मन्त्रालय में एक विशेष संगठन बनाया गया है जो इन विभिन्न योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया हैं कि वे इनके बच्चों की प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम तक निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करे। उनका उत्तर काफी उत्साहवर्धक है।

विधवाओं और अपंग सैनिकों के लिए स्थायी आवास प्रबन्ध होने तक कोई ठिकाना जुटाने की योजना तैयार करके उस पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है :

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जीवन बीमा निगम ने इनके लिए रियायती दरों पर लम्बी अवधि के ऋण देने का प्रस्ताव किया है जो विचाराधीन है।

युद्ध में घायल हुए कुल 8,635 सैनिको में से 4,251 की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है और शेष की चिकित्सा या तो हो रही है या वे वहां स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इनके रोजगार का पर्याप्त प्रबन्ध किया जा रहा है।

हमारे सीमावर्ती गांवों के निवासियों की विशेष प्रशंसा की जानी चाहिए। हम भी उनकी फसलों को युद्ध की तैयारी आदि में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करते रहे है इनके लिए पंजाब में 36.64 लाख, जम्मू-कश्मीर में 9·05 लाख और राजस्थान के लिए 6·23 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसी प्रकार पूर्वी सीमा के राज्यों को भी सहायता दी जाएगी।

यद्यपि सदस्यों द्वारा दिए गए अनेक सुझावों की मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा, तथापि मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि उनके सुझाव नोट कर लिए गए हैं और उन पर विचार के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती सहोदरा बाई राम, श्री सरजू पांडे और श्री एस० एम० बनर्जी ने अनुरोध किया था कि सेना में अधिक संख्या में अनुसूचित जाति। जन जाति के व्यक्ति लिए जायें। श्री दीक्षित चाहते हैं कि सम्पूर्ण भर्ती नीति बदल जायें। श्री विमल चाहते हैं कि रेजिमेंट के नाम बदले जायें मैं सदस्यो को विश्वास दिलाता हूं कि हमारा ध्येय सशस्त्र सेनाओं में अधिकतम प्रतिनिधित्व देना है।

युद्ध ने सिद्ध कर दिया है कि लड़ाकू और गैर-लड़ाकू कौमों की बात निराधार है। सभी धर्मों और क्षेत्रों के सैनिक मातृ भूमि की रक्षा के लिए आगे रहे हैं। सभी राज्यों और क्षेत्रों में भर्ती का उचित प्रबन्ध करके यह सूचित सुनिश्चित किया जाएगा कि सेनाओं में सभी राज्यों और समुदायों को सेवा करने का उचित अवसर मिले।

यद्यपि पुरानी रेजिमेंटों के नाम बदलना संभव नहीं है फिर भी सरकार की नीति रही है कि नई बनने वाली किसी रेजिमेंट का नाम वर्ग, जाति, क्षेत्र या धर्म के नाम पर न रखा जाये।

आणविक शस्त्रों के बारे में अनेक सुझाव आए हैं और अधिकांश सुझाव परस्पर-विरोधी हैं। मैंने सभी सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद फैसला किया है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए हमें अपनी वर्तमान नीति में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। (**कुछ माननीय सदस्य** ; नही, नहीं) जहां तक अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग का सम्बन्ध है, भारत में काफी विकास हो चुका है और इससे 27,00 मेगावाट बिजली 1980 तक बनने लगेगी। भू-गर्भीय विस्फोट करने के बारे में भी अध्ययन जारी है।

में उन सभी सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी सेनाध्यक्षों, सेनाओं और रक्षा विभाग में काम कर रहे असैनिक कर्मचारियों की प्रशंसा की और साथ ही मैं उन्हें तथा राष्ट्र को आश्वासन देता हूँ कि हम सच्चे दिल से अपनी सीमाओं की पवित्रता एवं अस्तित्व की रक्षा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए एक साथ रखूं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ।

उपाध्यश्र महोदथ द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All The Cut Motions was put and negatvied

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रक्षा मन्त्रासय की निम्नलिखित मांगें मतदान के खिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following demands in respect of the Ministry of Defence were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रक्षा मन्त्रालय	1,00,99,000
2	रक्षा सेवाएं, सक्रिय थल-सेना	7,68,28,33,000
3	रक्षा सेवाएं, सक्रिय जल-सेना	56,6968,000
4	रक्षा सेवाएं, सक्रिय वायु-सेना	2,26,59,83,000
5	रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय	45,08,33,000
104	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	1,58,91,67,000
105	रक्षा मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	520,83,000

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय ; अब सभा द्वारा श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय की मांग संख्या 61 से 63 और 124 पर चर्चा तथा मतदान होगा जिसके लिए 6 घन्टे नियत हैं।

जो माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं और अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वे पर्चियों पर उनके क्रमाँक लिखकर 15 मिनट के अन्दर भेज दें। इन्हें प्रस्तुत हुआ माना जाएगा।

श्रम और पुर्नवास मन्त्रालय की वर्ष 1972-73 के अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
61	श्रम और नियोजन विभाग	1,37,61,000
62	श्रम और नियोजन	18,62,17,000
63	पुर्नवास विभाग	7,17,41,000
124	श्रम और पुर्नवास मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	6,65,87,000

Shri Muhammad Ismail (Barrackpur) : At the very outset, I may state that Government has not been pursuing any labour policy so far, as a result of which the labour class in our country has suffered a lot. Although many Acts were passed, awards were announced and recommendations were made but none were implemented effectively to their benefit. This resulted in absolute dictatorship of the employer. Government have never framed a national wage policy or a minimum wage policy and so their intentions never became clear.

As a result of this, casual labourers remain so even after serving for long periods. On the other hand, the employers have always been enjoying the right of retrenchment, closure of factories and of rationalisation and increasing the work-load.

Today, when these Demands are being discussed, I am focussing attention of Government to these facts for the consideration of the House.

For twenty-five long years, the interests of labour were ignored but today, in 1972, when the writ of a single party runs throughout the country, they want ban on strikes for three years, formation of a joint National Council labour-employer relations—but still they are not prepared to fix a minimum national age. They have permitted closure of a factory of two month's notice, but what about the fate of the workers thus rendered idle ?

Nearly 2,000 factories have been closed down in the entire country. of which 300-400 have closed in West Bengal alone. They have no banned closure. Instead employers have benefit allowed to do so.

The emplorer-employee relations cannot improve unless their exploitation stops and a ban is not imposed on closure of factories Instead, Government is trying to forge unity in INTUC, AITUC and H.M.S. on this issue through back door.

The Ministry has since been demoted from Cabinet rank in 1971. How can we expect a correct labour policy ?

It is regrettable that the Secretary of this Department continues on his post despite the fact that the charges of irregularities in relief welfare fund and his having relations with colliery owners were proved.

After 1971, the rights of Trade Unions were badly hit by the incident offorcible occupation of Union offices in Calcutta by ruling partymen with the help of local police. If the Ministry is helpless in the matter, why not scrap the T.U. Act itself ? All trade Union activity has come to a standstill after 1971 and union office bearers are not being allowed to go to work despite lodging complaints with the police. Workers are being coerced to join certain Trade Unions only.

It was unanimously decided in the last Labour Conference that a bill be brought to reopen closed units and maintain **Status-quo** by re-engaging the old workers. But nothing has happened so far.

Only the other day, the Hon. Minister was speaking highly of Heavy Vehicles Factory at Avadi but it was later reported that 5,000 workers are on stay-in strike and 5 workers have been charge-sheeted. Similar condition prevails in I.O.P.L. and L.I.C. There is wide-spread discontent in workers.

I shall, therefore, request the Hon. Minister to consider the points raised by me and cover them in his reply.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, only yesterday the workers of India took a pledge to end capitalism and monopolistic practices and today we are discussing labour

Ministry's demands. We had hoped that in the light of changed political climate and world events, the Budget would reflect basic changes in labour policy but unfortunately this conventional Budget strikes at their rights by giving maximum latitude to monpoly Capitalism and giving them maximum opportunities to exploit the workers. Socialism cannot be ushered in by mere slogan-mongering. All labour laws have been framed on the pattern of Britishers and these are anti-labour at the core. There are different labour laws in various States. Take the recent legislation of Maharashtra—it is anti labour in character but they do not have the courage to oppose it

The interest of labour will continue to suffer unless they extend support to really representative Unions, irrespective of their party affiliations. Instead, Government supports and encourages only INTUC, which is their own labour Wing.

The President called upon the country to declare moratorium on indusrial strikes for three years and the Prime Minister supported it but we have to examine the circumstances leading to strikes. If they go on allowing the mill-owners to flout the laws openly and fill their coffens with money on the one hand and deny any increase in the wages of workers in the face of sky-rocketting prices, they cannot expect industrial peace.

The Essential Services Maintenance Act should be withdrawn as it is a 'black law'. Only then they can regain the confidence of labour.

They urge the workers to increase production. But is it in their power ? Capitalists control raw-material and prices. They create scarcity and thus prices soar. These tendencies shall have to be curbed and workers demands met, only then they can ensure increased production.

The demand of nationalisation of the industries run by 75 big monopoly Capitalists is being made by workers, propressive citizens and those who want to bring in socialism in the country and it should be accepted. But Government cannot touch them as they control the reins of Government itself.

The only proper criterion for recognition of trade Unions is verification plus secret ballot but this is not acceptable to I.N.T.U.C., though this was jointly agreed to by INTUC, AITUC and H.M.S. I want the Hon. Minister to declare that this formula shall be adopted.

Unemployment is mounting in the country due to anti-labour policy of Government. It requires serious consideration.

Regarding gratuity, the legislation has yet to be brought. This shall also ease the unemployment in the country.

I understand that construction workers shall not get gratuity and that grant of 10 percent interim relief is proposed. I want an announcement in this regard to be made today, itself. A minimum of 8.33 percent bonus should also be declared.

Arrears of 22 crores of rupees are yet to be paid by Employers towards Employees Provident Fund and for this top bureuerats in the Labour Ministry are responsible.

The Employees of Andhra Bank Ltd. are on strike since 9th March, but the management of the Bank is not prepared to negotiate with their All-Cadre representative Union. They want the Hon. Labour Minister to mediate. What is the hurdle then ?

Recently, Insurance Employees also observed one-day's strike to demand bonus, more H.R. Allowance recognition of their Union and other facilites.

Lastly, I want the EPDP Colony to be named as Chittaranjan Park after the great martyr Deshbandhu C.R.Das.

श्रम और पुर्नवास मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
62	4	श्री रामावतार शास्त्री	कृषि-श्रमिकों के लिये समान मजदूरी निश्चित करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
	5	,,	बिहार में कृषि-श्रमिकों के लिए 4 रु० प्रतिदिन की दर से न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
61	43	,,	सरकार की श्रमिक विरोधी और पूंजीवादी नीतियों को बदलने में असफलता ।	
,,	44	,,	औद्योगिक तथा अन्य श्रमिकों की आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन देने में असफलता	,,
,,	45	,,	राज्य सरकारों द्वारा गठित श्रम सलाहकार समितियों का असन्तोषजनक कार्य ।	,,
,,	46	,,	कार्मिक संघों के रजिस्ट्रेशन में अनावश्यक बिलम्ब ।	,,
,,	47	,,	एक उद्योग में एक ही कार्मिक संघ कायम करने की नीति को क्रियान्वित करने में असफलता ।	,,
,,	48	,,	सरकारी उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों को हिस्सा लेने देने की घोषित नीति के बावजूद इसकी क्रियान्वित में असफलता ।	,,
,;	49	,,	वेतन मण्डलों की सिफारिशों को क्रियान्विति अनिवार्य रूप से करवाने में असफलता ।	,,
,,	50	,,	इनटक को मजदूरो का समर्थन न रहने पर भी इसे उनके उपर थोपने की नीति ।	,,
,,	51	,,	बिहार, उड़ीसा लथा अन्य राज्यों में खानों में चालू ठेकेदारी प्रथा का अन्त करने में विफलता	
,,	52	,,	मजदूरों की शंचित निधि की राशि अदा न करने वाले मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में असधलता ।	

1	2	3	4	5
61	53	श्री रामावतार शास्त्री	बहुसंख्यक मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों को मान्यता दिलवाने में असफलता	राशी घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	54	,,	मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधि स्वरूप की जांच के लिए गुप्त मतदान प्रणाली लागू करने में विफलता ।	,,
,,	55	,,	कम से कम 8·33 प्रतिशत बोनस दिलवाने में असफलता ।	,,
,,	56	,,	खेतिहर मजदूरों को जीने लायक मजदूरी दिलवाने में असफलता ।	,,
61	63	,,	उपदन कानून बनाने में अनावश्यक विलम्ब ।	,,
,,	69	,,	कारखानों में की जाने वाली तालाबन्दियों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कानून बनाने में असफलता ।	,,
,,	70	,,	कारखानों, खानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में की जाने वाली छटनियों पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता ।	,;
,,	71	,,	हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी चर्चा को सर्वदा के लिये समाप्त करने की अवश्यकत्ता ।	,,
,,	72	,,	श्रम न्यायाधिकरणों के फैसलें की क्रियान्विति में असफलता ।	
,,	73	,,	उपदान सम्बन्धी कानून को निर्माण कार्य सम्बन्धी मजदूरों पर भी लागू करने की आवश्यक्ता ।	,,
,,	74	,,	ऐसे उद्योगपतियों एवं कारखानेदारों के विरुद्ध, जो भविष्य निधि में अपना अंशदान नहीं करते हैं, सख्त कार्यवाहीं करने की आवश्यक्ता ।	,,
62	78	,,	बोकारो इस्पाम कामगार संघ को मान्यता देने में असफलता ।	100 रुपये
,,	79	,,	हाटिया कामगार संघ को मान्यता देने में असफलता ।	;,
,,	80	,,	बिहार लघु उद्योग निगम लिमिटेड, पटना के कर्मचारियों को भविष्य निधि की जमा हो गई बकाया राशि दिलाने में असफलता ।	,, ,,

1	2	3	4	5
62	81	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार फ्लाइंग क्लब, पटना के कर्मचारियों को भविष्य निधि की बकाया राशि दिलाने में असफलता ।	100 रुपये
,,	82	,,	चीनी मिलों के मजदूरों के लिये गठित मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता ।	,,
,,	83	,,	सब वर्गों के मजदूरों को बोनस देने में असफलता ।	,,
,,	88	,,	आल इण्डिया प्राविडेंट फण्ड एम्पलाईज फेडरेशन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	89	,,	बिहार रीजनल प्राविडेंट फण्ड एम्पलाईज यूनियन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	90	,,	विहार क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने कार्यालय के लिये पटना में भवन निर्माण कराने में असफलता ।	,,
,,	91	,,	कर्मचारी भबिष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बौर्ड ये लिये पूर्णकालिक अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट करने की आवश्यक्ता ।	,,
,,	92	,,	कर्मचारी भविश्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासीं बोर्ड के निर्णयों को सरकार द्वारा स्वीकृति करने की आवश्यक्ता ।	,, ,,
,,	93	,	कर्मचारी भविश्य निधि संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के मकान किराया भत्तों में वृद्धि करने की आवश्यक्ता ।	,,
,,	94	,,	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का दर्जा घोषित करने में असफलता ।	,,
,,	95	,,	कर्मचारी भविष्य दिधि संगठन के कर्मचारियों के वेतनमानों को राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम तथा बैंककारी उद्योग के कर्मचारियों के समकक्ष लाने की आवश्यक्ता ।	,,
,,	96	,,	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को प्रतिशत अतिरिक्त मकान किराया भत्ता देने की आधश्यवता ।	,, ,,

1	2	2	4	5
62	97	श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारी भविश्य निधि संगठन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ मिलाने से रोकने की आवश्यक्ता ।	
,,	98		कर्मचारी भविष्य निधि के संगठन के केन्द्रीय न्यासी बौर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भागिता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
,,	98	,,	दिल्ली स्थिति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा उसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों मेंनौकर शाही समाप्ति करने की आवश्यकता ।	,,
61	108	,,	रेल कर्मचारियों के लिये श्रम कानुत लागू करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
,,	109	,,	मालिकों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन करने की कार्यवाहियों को रोकने तथा इसके लिए उन्हें दण्ड देने में असफलता ।	,,
,,	110	,,	बेरोजगारी की समस्या को हल करने में उसफलता ।	,,
,,	111	,,	बेरोजगार व्यक्तियों को काम अथवा बेरोजगारी भत्ता देने में असफलता ।	,,
62	112	,,	विहार क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, पटना में काम करने वाले कर्मचरियों के लिए आवास की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
,,	113	,,	खान मजदूरों को उनकी संचित निधि की बकाया राशि दिलवाने में असफयता ।	,,
,,	114	,,	खान मजदूरी के लिए गठित मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
,,	115	,,	कोल वर्कर्स यूनियन, गिरीडीह को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	116	,,	गिरीडीहल क्षेत्र में काम करने वाले 10 हजार से अधिक अभ्रक कर्मचारियों की छंटनी रोकने में असफलता ।	
,,	117	,,	मजदूरों की ठेका समाप्त करने में प्रणाली असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
62	118	श्री रामावतार शास्त्री	बोनस कानून का उलंघन करने वाले मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।	100 रुपये
"	119	"	स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के बराबर बोनस देने में असफलता ।	"
"	120	"	टेंकों में दलाल एवं प्रति द्वन्द्वी यूनियनों के गठन के लिये प्रोत्साहन देना ।	"
"	121	"	आन्ध्र बैंक लिमिटेड के व्यवस्थापकों की मजदूर-विरोधी नीति को समाप्त करने में असफलता ।	"
"	122	"	खान मजदूरों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों की असफलता ।	"
"	123	"	पटना स्थित प्रदीप लैम्प वर्क्स के मजदूरों को कानून के अनुसार मजदूरी दिलवाने में असफलता ।	"
"	124	"	अस्पतालों में काम करने वाले मजदूरों की यूनियनों को मान्यता देने में असधलता ।	"
"	125	"	दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा सम्बधी शर्तों सम्बन्धी मांगों को पूरा कराने में असफलता ।	"
63	126	"	शरणार्थियों की समस्याओं का संतोष जनक हल निकालने में असफलता ।	,,
,,	127	,,	अनधिकृत रूप बैठे शरणार्थियों की बस्तियों को नियमित करने में असफलता ।	,,
62	128	,,	अप्रैल 1972 में बरौनी गढ़हरा के दस हजार रेलवे मजदूरों की हड़ताल को समाप्त करने के क्रम मे श्रम मन्त्रो द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्पवाही न किये जाने के लिये दिये गये आश्वासन का उल्लंघन ।	,,
,,	129	,,	आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इण्डियन नेशनल ट्रेड कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध यूनियनों को मान्यता देने सम्बन्धी स्वीकृति सिद्धान्तों को सम्पूर्ण देशश में एक समान लागू करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
62	13	श्री डी० के० पंडा	कृषि-श्रमिकों के लिये आवश्यकतानुकूल न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिये कानून बनाने में असफलता ।	100 रुपये
,,	23	,,	दूसरे वेतन बोर्ड की सिफारिशों को, सामान्यतया चीनी उद्योगों के लिये तथा उस्के सहकारी चीनी उद्योगों के लिये विशेष रूप से क्रियान्वित करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	24	,,	चीनी मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार उस्के (उड़ीसा) सहकारी चीनी उद्योगों के 140 से अधिक मजदूरों की जबरी छुट्टी को रोकने में असफलता ।	,,
,,	25	,,	श्रम मंत्रालय द्वारा घोषित बोनस सम्बन्धी सूत्र को क्रियान्वित करने के लिये अनुवर्ती कदम उठाने में असफलता ।	,,
,,	26	,,	बोनस अधिनियम के उपबंधों को सामान्यतया तथा उस्के सहकारी चीनी उद्योगों (उड़ीसा) में विशेष रूप में क्रियान्वित करने में असफलता ।	,,
,,	27	,,	उड़ीसा में खानों तथा चीनी उद्योगों के मजदूरों को न्यूनतम बोनस देने में असफलता ।	,,
,,	28	,,	औद्योगिक श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
,,	29	,,	उपयुक्त श्रम सम्बन्धी कानून बना कर, कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने में असफलता ।	,,
,,	30	,,	औद्योगिक एककों में अधिकांश मजदूरों का समर्थन प्राप्त कार्मिक संघों को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	31	,,	मान्यता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए श्रमिक संघों का प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिये गुप्त मतदान प्रणाली आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
62	32	श्री डी. के. पंडा	अभिलेख में वास्तविक सदस्य संख्या की जांच किये बिना दूसरे संघों को, जिन्हें अधिकांश मजदूरों का समर्थन प्राप्त है, अलग कर भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काग्रेस के नेतृत्व वाले संघों को मान्यता देकर सभी उद्योगों में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अपने प्रभुत्व जमाने के प्रयत्नों को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
,,	33	,,	अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध हरिद्वार हैवी इलेक्ट्रिकल्स मजदूर संघ को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	34	,,	केवल अभिलेख में सदस्य संख्या की जांच के आधार पर मान्यता देने की प्रथा समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
,,	35	,,	उड़ीसा में गंजम में जयश्री केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और गंजम क्लोरिनेटर लिमिटेड के मजदूरों के लिये स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	36	,,	कर्मशाला से लेकर आयोजन तथा उत्पादन तक, अर्थात् सभी स्तरों पर श्रमिकों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों का नामान्यतया उद्योगों पर तथा सरकारी उपक्रमों पर विशेष रूप से, संयुक्त नियन्त्रण सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
,,	37	,,	सरकारी उपक्रमों में तथा गैर-सरकारी उद्योगों में भी श्रमिकों को प्रबन्ध में भागिता देने की घोषित नीति को लागू करने में असफलता ।	,,
,,	38	,,	उड़ीसा में मयूरभंज जिले में महिषासुनी में तथा खनिजों का उत्पादन करने वाले अन्य जिलों में खानों के बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए हजारों आदिवासी मजदूरों का पुनर्वास करने की आवश्यकता ।	,,
,,	39	,,	उड़ीसा और बिहार की खानों में ठेके के मजदूर रखने की पद्धति को समाप्त करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
62	40	श्री डी० के० पंडा	मयूरभंज, कियोन्झार और कोरापुट में आदिवासी लड़कियों का, जो बेरोजगार हो गई थीं; पुनर्वास करने में असफलता ।	100 रुपये
"	41	"	राउरकेला में हिन्दुस्तान स्टील लिमटेड के 526 सुरक्षा बल सैनिकों का तुरन्त पुनर्वास करने की आवश्यकता ।	"
"	42	"	हरिद्वार हैवी इलैक्ट्रिकल्स मजदूरसंघ के चार मजदूरों पर उनके संघ की मान्यता के प्रश्न के संबंध में, किये गये आक्रमण की जांच करने की आवश्यकता ।	"
61	57	श्री प्रसन्नभाई मेहता	रेल कर्मचारियों तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मकरचारियों के सम्बन्ध में श्रमिक कानून लागू करने में असफलता ।	राशि घटा 1 रुपया कर दी जाये ।
"	58	"	सरकारी क्षेत्र में लाभ में से मजदूरों को हिस्सा देने की नीति को कार्यान्वित करने में असफलता ।	"
"	59	"	श्रमिकों को बोनस देने के मामले को निपटाने में असफलता ।	"
"	60	"	प्रबन्ध सम्बन्धी योजनाओं में श्रमिकों को शामिल करने की नीति को कार्यान्वित करने में असफलता ।	"
"	61	"	महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बिजली के संकट के कारण औद्योगिक कर्मचारियों को हुई मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति करने में असफलता ।	"
62	62	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	श्रम मन्त्रालय द्वारा विहित बोनस प्रक्रिया के कार्यकरण में विलम्ब ।	"
"	63	"	श्रमिक भविष्य निधि का विभिन्न औद्योगिक संगठनों के संचालकों द्वारा मनमाना उपयोग किये जाने को रोकने में सरकार की असफलता ।	"
"	64	"	चीनी मिल मजदूरों की द्वितीय शक्कर वेतन आयोग की सिफारिशों का अब तक लाभ न मिलना ।	"

1	2	3	4	5
62	65	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रम कानुनों की निरन्तर होने वाली अवहेलना को रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	66	,,	गोपनीय मतदान प्रणाली द्वारा श्रमिक संगठनों की मान्यता की पद्धति की क्रियान्वित में विलम्ब ।	,,
,,	67	,,	अखिल भारतीय मजदूर संघ को अखिल भारतीय मजदूर संगठन के रूप में मान्यता देने में विलम्ब ।	,,
63	75	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल में अनधिकृति रूप से बैठे शरणार्थियों की बस्तियों को नियमित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
,,	76	,,	पश्चिम बंगाल में निर्धन तथा मथ्यम वर्गों के शरणार्थियों के मकान मिर्माण सम्बन्धी ऋणों की बकाया राशियों को बट्टे खाते डालने की आवश्यकता ।	,, ,,
,,	77	,,	पश्चिम बंगाल में अनधिकृत रूप से बैठे शरक्षार्थियों की बस्तियों के समुचित विकास के लिए पर्याप्त धन राशि राशि स्वीकृति करने की आवश्यकता ।	,,
62	84	,,	सब वर्गों के मजदूरों को आवश्वकता पर आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी देने की आवश्यकता ।	
,,	85	,,	ठेके के मजदूरों की व्यवस्था पूर्णतया समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
,,	86	,,	बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी देने अथवा बेरोजगार मजदूरों को बेकारी-भत्ता स्वीकृत करने की आवश्यकता ।	,,
,,	87	,,	समस्त देश में ग्रामीण निर्धन तथा मजदूरी करने वाले लोगों के लिए रोजगार की सम्भावनाएं बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
		श्री मोहम्मद इस्माइल		
62	100	"	रानीगंज में नीमच कोयला खान में अपंजीकृत यूनियन को करार करने से रोकने में असफलता जिसके कारण 700 स्थायी कर्मचारियों की छटनी की गई है।	100 रुपये
"	101	"	आसनसोल क्षेत्र की अधिकाँश कोयला खानों में मंहगाई भत्ते और मजदूरी के बारे में कोयला मजदूरी बोर्ड के पंचाट पर अमल करवाने के लिए कड़ा रुख अपनाने में असफलता।	"
"	102	"	कर्मकारों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी यूनियन में सम्मिलित होने के उनके अधिकार को सुरक्षित रखने में असफलता।	"
"	103	"	उन समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता जो मज़दूर संघों के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को कारखानों में अपने काम पर जाने से रोकते हैं।	"
"	104	"	जिन व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं, उनके विरुद्ध मंत्रालय को पेश किये गये दौफरा प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करने में असफलता।	"
"	105	"	पश्चिम बंगाल में पुलिस की उपस्थिति में समाज विरोधी तत्वों द्वारा पंजीकृत मजदूर संघों के 300 कार्यालयों पर जबरन कब्जा करने से उन्हें रोकने के लिए कदम उठाने में असफलता।	"
"	106	"	उन कोयला खानों से, जिन्होंने कोयला मजदूरी बोर्ड के पंचाट का पालन नहीं किया है, कोयला खरीदने, विशेषकर रेलवे के लिए कोयला खरीदने पर लगाई गयी रोकों के बारे में, सरकारी आदेश को कार्यान्बित करने में असफलता।	"
"	107	"	बन्द कारखानों को पुनः खोलने के बारे में त्रिपक्षीन श्रम सम्मेलन की सिफा रिशों को अमल में लाने में असफलता।	"

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : गत वर्ष राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में संगठित श्रमिक वर्ग द्वारा किये गये कार्य को पूरे समाज और राष्ट्र ने सराहा है। भारत में इस समय श्रमिक वर्ग ने अपनी देशभक्ति की भावनाओं के कारण ही ख्याति प्राप्त नहीं की है अपितु यह समाज में एक प्रगतिशील शक्ति के रुप में उपर उठा है।

[श्री आर० डी० भंडारे पीठसन हुए
Shri R.D. Bhandare in the Chair]

गत दो वर्षों के दौरान हमारा यह अनुभव रहा है कि जो श्रम नीति निर्धारित की गई है उससे यह मालूम नहीं होता है कि श्रमिक वर्ग द्वारा अपनी भूमिका प्रभारी ढंग से निभाने के लिये श्रम मन्त्रालय ने कोई गम्भीर प्रयास किया है। फिर चाहे यह प्रश्न सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कदम उठाने का या नीति निर्धारण का और प्रशासन का हो अथवा श्रमिक कल्याण का और शिक्षा संबंथी उपायों का या औद्योगिक संबंधों अथवा कानूनी सुरक्षा का हो, इन सभी पहलुओं के बारे में श्रम नीति की विकास की गति अत्यन्त धीमी रही है। अब औद्योगिक नीति में पूरी तरह से सुधार करने की दृष्टि से ईसमें परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक जागृति के लिये जो श्रम नीति आवश्यक हैं, उसकी कोई स्पष्ट रुप रेखा हमारे सामने नहीं है।

पूरे श्रमिक वर्ग का कर्तव्य है कि वह सामने आ कर सरकार की श्रम नीति को उचित और सही आकार दे। इसके अतिरिक्त यदि श्रमिक वर्ग के अनुसार, कोई नीति प्रगतिशील नहीं है तो उसका विरोध करनै की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमें यह बताया गया है बि उद्योगों की व्यवस्था में श्रमिको को भागीदार बनाने के लिये पिछले कइ वर्षों से परीक्षण किया जा रहा है और लगभग 80 प्रनिष्ठानों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदे स्थापित की गई हैं। यह भी कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों और कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों को कम्पनियों के निदेशक बोर्डो में लेने हेतु सरकार ने निर्णय किया हैं। यद्यपि ये उपाय प्रगतिवादी हैं किन्तु इन्हें कार्य रुप देने में बहुत विलम्ब हुआ है और अब स्थिति श्रम मंत्रालय के नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। अतः उन्हें ऐसे उपायों पर विचार करना चाहिये जो वर्तमान परिस्थिवि के अनुकूल हों।

श्रनिक वर्ग को प्रोत्साहन देने संबंधी सभी बर्तमान योजनायें पुरानी पड़ गई हें और उनमें प्रगतिशील तत्व विद्यमान नहीं है। क्या श्रम मंत्रालय औद्योगिक उपक्रमों में शेयर खरीदने पर कोई सीमा निर्धारित नही कर सकता ? अब समय आ गया है कि उद्योगों का कर्मचारियों द्वारा स्वर्य संचालन करने की कोई योजना तैयार की जाय। उद्योगों की वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था का ढांचा, चाहे वह सयुक्त स्टाक कम्पनी हो, स्वायतशासी निगम हो अथवा विभाग द्वारा चलाइ जाने वाली कोई संस्था ही, ऐसा है कि अपेक्षिन स्तर तक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये श्रमिकों कों अपना उत्तरादायित्व निभाने के लिये तैयार करना बहुत कठिन है।

आज कल शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और हमने जिला परिषदों को अधिकार दे दियेहैं और ताकि ग्राम्य आर्थिक विकास तीव्र गति से किया जा सके। उन्हें उत्तरदायित्व सौंप दिये हैं प्रतिनिधियो को यह स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वे इसी प्रकार श्रमिकों के निर्वाचन उत्पादन और लाभों के वितरण आदि जैसे मामलों में निर्णय ले सकें। उनके पास कार्यकारी और विधायी शक्तियां होनी चाहियें। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उद्योगों में कर्मचारयों द्वारा स्वय प्रबन्ध करने की बात

बिलकुल नयी है लेकिन इस की प्रबन्ध व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये। यही एक उपाय है, जिससे श्रमिकों में उत्साह का संचार किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय को भी इस पर विचार करना चाहिए। यदि वह ऐसा कर सके, तो सभी समस्याओं का हल सरल हो सकता हैं।

श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत अनेक सेवा संगठन काम कर रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे सेवा संगठनों में स्वयं प्रबन्ध पद्धति शुरू की जानी चाहिए। कर्मचारी बीमा निगम, भविष्य निधि, परिवार पेंशन योजना, कारखाने संबंधी विधान, कारखाना प्रशासन, कर्मचारियों की शिक्षा आदि जैसे सेवा संगठनों का प्रबन्ध नौकरशाही तंत्र क्यों करे ? श्रमिकों के सेवा संगठनों का प्रबन्ध नौकरशाही संस्थागत व्यवस्था द्वारा क्यों किया जाये ? मैं श्रम मत्रालय को इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिये किसी प्रकार की स्वयं प्रबन्ध पद्धति का विकास करने के प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना औद्योगिक श्रमिकों के लिये की गई है लेकिन इसकी योजना में निर्णय लेने में ईतनी नौकरशाही विद्यमान है कि इस निगम के हजारों कर्मचारियों को अपनी इच्छा के विरुद्ध हड़ताल करनी पड़ती है क्योंकि संगठन की प्रक्रिया प्रारम्भ से ही खराब है।

श्रम मंत्रालय को तीन मुख्य सगठनों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार मान्यता प्राप्त संघ का चुनाव किया जावे और औद्योगिक विवादों को हल करने के लिये और राष्ट्रीय परिषद् की नियुक्ति के लिए सामूहिक समझौता कैसे किया जाये। इन तीनों उपायों के प्रभाव को उचित प्रकार से समझा जाना चाहिये क्योंकि श्रममंत्रालय को देश में श्रम अभियान को अभी पूरी तरह समझना है।

हम श्रमिक एकता का स्वागत करते हैं। श्रमिक एकता आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण खेल अदा करेगी।

श्रम मंत्रालय को यह नहीं समझना चाहिये कि बह श्रमिक सम्बन्धी विधान आसानी तथा शीघ्रता से बना सकता है। उसे सर्वप्रथम इस बात पर सहमत होना जाहिये कि कौद्योगिक विवाद अधिनियम को रद्द किया जाना चाहिये क्योकि यह हड़तालों को रोकने के लिये बनाया गया था। गत 20-25 वर्षों में यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है। हड़तालों की रोका नहीं जा सका है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के बावजूद हड़तालों की संख्या में बृद्धि हुई है। ऐसे क्षेत्रों और ऐसी सेवाओं में हड़तालें हो रही हैं जहाँ उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

श्रम मंत्री ने यह स्पष्ट किया था कि हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई विचार नहीं है, प्रश्न यह है कि हड़तालों को कैसे रोका जाये और ऐसी स्थिति कैसे पैदा की जाये कि हड़तालों की आवश्यकता ही न रहे। श्रम मंत्रालय इस बारे में एक सामूहिक विधान प्रस्तुत करे। सरकार फो इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

सरकार को सामूहिक समझौते के बारे में नीति अपनाने में एक वर्ष लगा है। मुझे भय है कि औद्योगिक विवादों को हल करने में सरकार को एक वर्ष से अधिक समय लगेगा। श्रम

मंत्रालय को यह निश्चय करना चाहिये कि उसे क्या भूमिका निभानी है, क्योंकि श्रम मंत्रालय को कभी-कभी बड़ी कठिन भूमिका निभानी पड़ती है।

देश में इस समय 11 सरकारी उपक्रम काम कर रहे हैं और उनमें 7 लाख से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अन्य उपक्रमों के लिये आदर्श होने चाहिये। श्रम मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों पर प्रभाव डालना चाहिये और उसे स्वयं को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिये।

श्रम मंत्रालय ने वर्ष 1963 में सब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों से सलाह करके यह निर्णय लिया था कि पदोन्नति के आदर्श नियम होने चाहिये चार वर्ष बाद अर्थात 1967 में पदोन्नति के कुछ सिद्धान्त बनाये गये। श्रम यंत्रालय ने इन सिद्धान्तों की एक प्रति सरकारी उद्यम ब्यूरो तथा एक प्रति औद्योगिक विकास मंत्रालय को भेजी। इन मंत्रालयों ने अपनी टिप्पणी दिये बिना तथा अनुवर्ती कार्यवाही किये बिना उन प्रतियों को सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भेज दिया। दो वर्ष तक कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई। आज तक भी कोई नहीं जानता कि पदोन्नति के आदर्श नियम हैं भी अथवा नहीं और क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उन्हें क्रियान्वित भी किया गया है अथवा नहीं। यदि सरकारी क्षेत्र उपक्रम इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो भारतीय श्रमिक वर्ग के लिये सरकारी क्षेत्र के विकास में गर्व अनुभव करना कठिन हो जायेगा।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : I eongratulate the Hon. Minister for improving the labour relations and for solving the labour disputes. The Hon. Minister has considerable experience in this field. He has tried his best to see that the Labour Ministry functions efficiently.

It is wrong to say that the Government want to help the big industrialists and to work against the interests of the people.

We want to make progress to achieve the goal of socialism. The poor people should be most benefited from socialism. Exploitation of the labourers should be stopped. We have not been able to create a feeling in them that we are determined to fight against expolitation of labourers. There is a great deal of unrest amongst the labourers. We have not been able to create confidence amongst the labourers. The Government should evolve some dynamic policy to solve the labour problems. We have not been able to give them security of service. They have to fight for gratuity. We have not been able to solve the problem of their pay scales. They learn their work for ten to fifteen years and as soon as a particular work is completed, their services are terminated. As soon as a particular project is completed, the labourers of that project should be absorbed in some other project.

Some provisions should be made for their old age. There is no housing scheme for industrial workers in Chandigarh. They live like cattle. They do not get due respect from the employers, the officers or the millowners. Unfortunately, in our country, the more a man works the more he suffers.

In Chandigarh, the workers do not get proper uniforms and it becomes a cause of dispute. Attention should be paid to the solving of such petty disputes.

The house rent in Chandigarh is very high. Attention should be paid to the solving of the housing problems of the labourers.

The decisions of the Labour Mlnistry should be final. A provision should be made in this regard.

*श्री एम० राजंगम : (डिंडीगुल) गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से केवल 67·4 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो सका है जबकि सरकारी उपक्रमों से 1·07 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हैं ।

बेरोजगारी सम्बन्धी समिति ने जून, 1971 में अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि लगभग 65 000 इंजीनियर स्नातक बेरोजगार हैं और लगभग 20·53 शिक्षित युवक रोजगार की तलाश में हैं । हमें आशा थी कि योजना मंत्री अपने भाषण में बेरोजगारी भत्ते का उल्लेख करेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नही किया । अपनी तकनीकी शिक्षा पर इतना अधिक व्यय करने के बाद भी यदि इन युवकों को नौकरी नहीं मिलती तो मुझे इसमें संशय है कि देश इस समस्या का मुकाबला कर भी पायेगा ।

शिक्षित नवयुवकों की इस प्रकार की उपेक्षा खतरे का संकेत है । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि यदि देश को अभूतपूर्व विपत्ति से बचाना है तो रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु कोई सुनियोजित योजना तैयार कर के उसे क्रियान्वित करना चाहिये ।

गत तीन वर्षों में प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के हिस्से को भविष्य निधि में जमा न करने वाले अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है । इन अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में मंत्री महोदय को उल्लेख करना चाहिये ।

गत फरवरी, के अन्त तक 670 सूती कपड़ा मिलें काम कर रहीं थीं और 63 सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ीं थीं । इन मिलों के बन्द होने के परिणाम स्वरूप लगभग 63,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं । यदि मिलों का इसी प्रकार बन्द होना जारी रहा तो बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर हो जायेगी और वह नियण्त्रण मे बाहर हो जायेगी । सरकार को इन बन्द मिलों को खोलने के लिये यथासम्भव प्रयास करने चाहिये ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित अनेक उद्योगों ने अपने औद्योगिक लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया है । ऐसे औद्योगिक लाइसेंसों को वापिस ले लिया जाना चाहिये जिससे ये उत्पादन क्षमताएं या तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकें ।

जब तक श्रमिकों को उद्योगों के प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जायेगा, वे उद्योगों के विकास में रुचि नहीं लेंगे । कर्मचारियों को यह अनुभव होने देना शाहिये कि उद्योग उनके अपने हैं और उद्योगों की प्रगति में उनकी भी प्रगति है ।

यदि देश में औद्योगिक शान्ति नही होगी तो औद्योगिक विकास के हमारे प्रयास बेकार रहेंगे । देश में औद्योगिक शान्ति के लिये श्रमिकों को प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

भविष्य निधि अधिनियम का कार्य ठीक न करने का अभिप्राय है कि बोनस अधिनियम भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है । चूंकि रेलवे और डाक-तार विभाग भी लाभ अर्जित करने वाले विभाग हैं, अतः इन दोनों विभागों में बोनस अधिनियम लागू किया जाना चाहिये ।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised translated version based on English translation of the Speech delivered in Tamil.

20 आयुध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस नही मिल रहा है। इस सम्बन्ध में धन की कमी का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिये।

सरकारी उपक्रमों के उच्चाधिकारियों के बार-बार स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप श्रमिकों की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार नहीं किया जाता। उन्हें उपक्रमों की प्रगति की अपेक्षा अपनी पदोन्नति की अधिक चिन्ता रहती है।

श्रमिक संघ अधिनियम में संशोधन कर कार्मिक संघो को सहायता दी जानी चाहिये।

यदि एक उद्योग के लिये एक संघ होगा तो औद्योगिक विवादों के स्थान पर अधिक औद्योगिक शान्ति होगी।

कार्मिक संघों के मामले में बाहरी हस्तक्षेप होने के कारण स्थिति बहुत जटिल हो जाती है और विवाद उठ खड़े होते हैं। श्रमिकों सम्बन्धी कानून में इस प्रकार संशोधन किये जाने चाहियें जिससे इस कानून से कर्मचारियों को लाभ हो सके।

वर्मा से वापिस लौटे 1318 परिवारों को अभी तक बसाया नहीं गया है और उन्हें अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है। वार्षिक प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया हैं कि श्रीलंका से आये शरणार्थियों को बसाने के लिये अनेक बागान योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार को इन योजनाओं का ब्यौरा देना चाहिये। पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने अनेक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं और समिति की सिफारिशें क्रियान्वित करने के लिये 14 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। लेकिन सरकार ने अब तक केवल 5·45 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। अभी तक इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये अपेक्षित धनराशि आवंटित न करने के क्या कारण हैं?

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि औद्योगिक विवाद का कारण चाहे कुछ हो, सरकार को औद्योगिक एककों को पुनः चालू करवाने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिये। प्रधानमंत्री ने भी यह बात कही है कि यदि औद्योगिक एकक बन्द पड़े रहते हैं तो आत्म निर्भरता प्राप्त करने के देश के प्रयास को धक्का लगेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पदोन्नति के बारे में 11 सूत्री "आदर्श सिद्धांतो" को श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श से क्रियान्वित किया जाना चाहिये। सभी प्रकार की श्रमिक विधियों का उद्देश्य श्रमिक कल्याण होना चाहिये। श्रमिक विधियों का उद्देश्य संकुचित राजनीतिक लाभ उठाना नहीं होना चाहिये।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla): Mr. Chairman, Sir...

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Chairman, Sir, there is going to he an interesting speech. Let there be quorum in the House.

Mr. Chairman: Quorum bell is ringing...

[**Shri K. N. Tiwary in the Chair**
श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

Shrimati Savitri Shyam: Mr. Chairman, Sir, before I express my views on the Demands for Grants of the Ministry of Labour and Rehabilitation, I would like to congratulate the Hon. Labour Minister and workers who stood firmly by the Prime Minister during the hour of crisis. Our Prime Minister has given a call to the Nation for eleminating poverty, disparity and social injustice. But it cannot be done by one-sided efforts. Simply by adding to the burden of labourers and 'framing' rules and regulations by the Government, we cannot

achieve these objects. It is a matter of pleasure that this Parliament has identified itself with the labourers by observing 1st May as a holiday. May Day should be observed as Labour Welfare day and be treated as a paid holiday for labourers.

The achievements of Labour Ministry during the last two years are commendable. The number of strikes and lockouts has come down. Several conferences have been held and many acts have been passed by this Parliament. I want to stress that only those unions will flourish which will work for the benefit of labourers.

If we look at the history of the period from 1961 to 1971, the number of industrial disputes, strikes and loss of man-days have increased three times. The demands of Bonus and Dearness Allowance are not the only reasons for it. The other reason for this discontentment is that labourers are not allowed to ventilate their grievances. Some time back, it was decided that whenever workers would be working under the Industrial Disputes Act, Workers Councils would be formed. I would like to know that by this time how many Workers Councils have been set up ? In 1970, when late shri Dr. Sanjivayya was Labour Minister, he said, "Apart from wages and better living and working conditions, there should be a sort of involvement of workers in the Units and Undertakings in which they work. The worker should have the feeling that it is his own unit or his own factory. Therefore, Joint Management Councils were called for." He promised to fulfil these assurances. In 1968, a Joint Management Council was set up in Labour Ministry to look after the interests of Labourers. But I feel that high officials of the Ministry who are on the helm of affairs are not keen about Labour Welfare. For active labour participation in a management a new division for the purpose should be opened and Labour Ministry should be expanded. It is impossible to increase the production and give social justice to labourers without labour participation in management.

Mr. Chairman, Sir, about 66 percent industrial disputes arise for want of bonus and allowances. This fact is evident from the history of the past ten years. It is correct that some preventive measures have been taken by the Labour Ministry, but these have not been up to the mark. A national policy should be framed to solve the problems of dearness allowance because national wage policy has failed. Price index should be made the basis of increase in dearness allowance.

Now I would like to highlight the difficulties of working ladies. These ladies are forced to take up employment for financial reasons. The number of uneducated working ladies, specially those working in cotton textile, jute and Bidi industries has gone down. The benefit of permanency and maternity leave should be provided for them. They should not be thrown out of service in the name of modernisation. A separate cell should be set up to go into the problems of ducated and uneducated employed ladies.

Today, 80 percent labourers in the country are unorganised. May I know from the Hon. Minister as to what is being done for unorganised labour ? I think there should be an organisation to look into the conditions of unorganised labour.

Shri M.C. Daga (Pali) : Mr. Chairman, Sir, I am fortunate enough that Planning, Labour and Industrial Ministers are present here. They all have given different assurances to labour. But I am frank enough to say that after a period of 25 years, they have come to realise that most of the assurances given by our leaders are hollow. Now the time has come, when they have become impatient and desperate. Most of our trade union leaders are actually not the leaders of working class : As a matter of fact, they are such politicians who have failed to unite workers to give them proper leadership. They have always misguided our poor and innocent workers. These semi-politicians have failed to prove good labour leaders. It is high time that we should realise that by 1981 there would be as many as 23 crores of workers. Then it will not be possible for any party or Government to pacify them by slogans and assurances. I would like to submit that by that time they will be capable enough to take their legitimate rights forcibly. It is high time that the Government should realise this fact.

It is a sorry state of affairs that today our workers are under the influence of various political parties. Their Unions are being controlled by different political parties which have their political axe to grind. They are exploiting the workers for their own ends. I would, therefore, request the workers that they should realise that they should not fight for political issues, but for the issues which are vitally concerned with their welfare. They should fight for the whole community of workers. At the same time, Government should also adopt speedy means to bring a social transformation in the country. The Labour laws should be changed. In the States, if the Ministers are elected on the basis of capitalistic system, they cannot safeguard the interest of labour. In this context, I would like to cite an example of Pali...**(Interruptions)**

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Chairman, Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति दी गई है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जब भी कोई सदस्य अपना भाषण समाप्त करे, वह कृपया अपना स्थान ग्रहण कर अन्य सदस्यों को भी सुनने का प्रयास करे । अपना भाषण समाप्त करने के शीघ्र बाद ही सदन से बाहर चले जाने की परम्परा अच्छी नहीं है ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : गणपूर्ति के बारे में मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे एक घंटे में केवल एक ही बार चुनौती दी जानी चाहिये । हर मिनट के बाद इसे चुनौती देने की प्ररम्परा नहीं है ।

Sri Hukam Chand Kachwai : It Is not provided in the Constitution I will not haee any objction to it, if the Constitution is amended accordingby.

श्री राजबहादुर : सदन और कार्य मंत्रणा समिति दोनों ही इस पर विचार कर सकते हैं । यदि आवश्यक हो तो नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है । सदस्यगण लाबी में या समितियों के कार्य में कई बार दायित्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं । इसलिए बार-बार गणपूर्ति का प्रश्न उठाना उचित नहीं लगता । आप मेरा सुझाव अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखें ।

सभापति महोदय : आप का सुझाव अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दिया जायेगा । या तो संविधान में ही परिवर्तन किया जाना चाहिये या फिर सदस्यों को ही गणपूर्ति का प्रश्न वार-बार नहीं उठाना चाहिये ।

Shri Hukam Chand Kachwai : They oan amend the Constitution. they have got 327 Memhens, why can't they be present in the Hense ?

सभापति महोदय : वर्तमान नियमों के अनुसार तो आप की बात ठीक है । मैं यह सुझाव अध्यक्ष महीदय तक पहुँचा दूंगा । वही इस पर विचार करेंगे ।

Shri M. C. Daga : The greivances of the labourers are not given any attention. The pace of nation building will eccelerate only when will owners and Minister realise their difficulties.

What provision his been made in the minimum wages Act for the welfare of agricultural labourers ?. What are the minimum wages fixed for Rajasthan ? The labourer can hardly make his two ends meet. Some revolutionary steps have to be taken for the welfare of the labourers

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : हमारा एक कल्याणकारी राज्य है और हमारा लक्ष्य लोगों को यथाशीघ्र रोज़गार प्रदान करना है इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा सामाजिक लक्ष्य मज़दूरों को रोज़गार दिलाना है । सामाजिक तनाव कम करना हमारा कर्त्तव्य है ।

देश में औद्योगिक शांति कायम रखने के लिए श्रम मंत्रालय का योगदान नकारात्मक रहा है। सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या श्रमिकों के कल्याण हेतु इस मन्त्रालय अथवा सरकारी प्रतिष्ठानों में आधिक तालमेल कक्ष की स्थापना करना सम्भव है ?

बंगला देश के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु सरकार ने द्रुतगामी कार्यवाही की थी लेकिन पुनर्वास कार्य के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिये गये वे केवल बड़े बड़े अधिकारियों कों ही दिये गये। छोटे कर्मचारियों की सेवाओं ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा भेद-भाव नहीं होना चाहिए था।

सरकार ने पुराने विस्थापितों क लिए एक पुर्नविलोकन समिति की स्थापना की थी। मैं यह नहीं जानता कि क्या सरकार इस समिति के कार्य से संतुष्ट है ? मैं मन्त्री महोंदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर विचार करे कि क्या इस समिति के कार्यों को सीमित करना इस समय उचित है जब पुरानी समस्याओं का समाधान न हुआ हो। इस समिति की कार्यवाही बढ़ायी जानी चाषिए।

दंडकारण्य परियोजना पर अब तक लगभग 44 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। रिपोर्ट से पता चलता हैं कि अब तक 2882 आदिमजातीय परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। शेष राशि किस उद्देश्य के लिए खर्च की गई, इस बात का कोई पता नहीं। सभा के सामने प्रति-वेदन रखा जाना चहिए, जिससे पता लग सके कि प्रति व्यक्ति कितना धन खर्च हुआ है।

शिविर कमांडरों शक्तियों तथा शिविर की गतिविधियों के बारे में कई आरोप लगाये गये हैं। मन्त्रालय ने इन आरोपों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

दिल्ल में कालका जी नाम की शरणार्थी बस्ती के प्रबन्ध में कई अपनियमितताएँ की गई हैं। इस विशेष बस्ती से भूमि किराया वसूल किया जाता है। क्या पुनर्वास मन्त्रालय को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है ? सरकार को चाहिए कि इस भुमि किराये मामले को निपटाये इस बस्ती में दुकानें उचित ढंग से नहीं बनाई गई हैं। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि दुकानों का निर्माण उचित ढंग से कैसे किया जाये। इस बस्तीके नामकरण के सम्बन्ध में भी निर्णय की तुरन्त घोषणा करनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मु) : मैं पुनर्वास मन्त्रालय को बंगाला देश के शरणार्थियों केन्द्र के पुनर्वास सम्बण्धी कार्य के लिये बधायी देता हूँ। लेकिन मैं यहां यह बताना भो उचित समझता हूं किबंगला देश के शारणार्थियों के वापिस चले जाने से बाद कई अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति अस्थिरता में है, क्योंकि उन्हें आवश्यक नियुक्ति एवं स्थानान्तरण आदेश नहीं दिये गये। गृह मन्त्रालय को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिए।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण छंब क्षेत्र से लगभग ढाई लाख लोग बेघर होकर आये हैं जिनमें से कुछ शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को यह समझना चाहिए कि राज्य सरकार ही इस समस्या को निपटाने की स्थिति में नहीं है। अतः उसे इस कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए।

यह तीसरा मौका है जबकि इन व्यक्तियों को अपने घरों से उजाड़ दिया गया है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वर्ष 1965-66 में इन विस्थापितों को जो ऋण दिया गया था, उसे बट्टे खाते डाल दिया जाय जिससे उसको कुछ राहत तो मिल सके।

जहां तक मुनव्वर तवी नदी के उस पार के शरणार्थियों का प्रश्न है। मुझे सन्देह है कि हम अगर उस क्षेत्र को वापस भी ले लें, तो ये विस्थपित वहां फिर से बसना चाहेंगे; क्योंकि उस

क्षेत्र में पाकिस्तान ने तीसरी बार हमला किया है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन विस्थापितों को अधिक सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाय।

शरणार्थियों का एक वर्ग ऐसा है जो जम्मू-कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र मुख्यत: राजौरी और पूंछ जिलों से आये हैं। केन्द्रीय सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दी है, मगर कुछ परिवारों को अभी भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Chairman, there is quorum.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जाय—अब गणपूर्ति है। सदन की परम्परा यह रही है कि 6 बजे के बाद गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जाय।

सदस्य का निलम्बन
SUSPENSION OF MEMBER

Shri Hukam Chand Kachwai : Under what rule ?

Shri Raj Bahadur: It is the rule that question of quorum cannot be raised after 6 P. M.

Shri Hukam Chand Kachwai : If it is so, then business of the House cannot be conducted after 6 P. M.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Mr. Chairman, Honourable Shri Kachwai is defying the Chair, he may, therefore, be expelled from the House.

Shri Hukam Chand Kachwai : I challenge your ruling. It is not proper.

Mr. Chairman : It has been the convention...

Shri Inder J. Malhotra : I think Shri Kachwai does not like refugee problem, that is why he raises the question of quorum time and again.

Shri Hukam Chand Kachwai : Does he like the people who are outside ?

Shri Shashi Bhushan : The persons who have deceived the people and in whose lap he himself has come here, are not present here Neither the Rani of Gwalior is here, nor the Maharaja.

Shri Hukam Chand Kachwai : You have come here after deceiving the people. You deceive the people.**

Mr. Chairman : Why are you doing all this ? Mr. Kachwai, please take your seat. **(Interruptions)**

Shri Hukam Chand Kachwai : ... (Interruptions) How did he say that ?**

Mr. Chairman : This would not go on record. If you use such language in future, I would ask you to leave the House. How can you use such unparliamentary words ? **(Interruptions)**

Shri Raj Bahadur : Mr. Chairman, Such abusive words have never been used in the history of Parliament. Neither the chairman has misbehaved in such a manner. I urge the chair to name him. **(Interruptions).**

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the chair.

Shri B. P. Maurya (Hapur) : Now abuses have been started in this House ?

Shri Raj Bahadur : Either he should apologise or he should be named.

Mr. Chairman : The words used by you are not in keeping with the decorum of the House. You should please apologise for that.

Shri Hukham Chand Kachwai : I have said nothing against you.

Mr. Chairman : But you have said against an hon. member of the House.

Shri Raj Bahadur : He has uttered big abuses.

Shri Hukam Chand Kachwai : Do you know which particular word was uttered by Shri Shashi Bhushan ?

Mr. Chairman : The language used by Shri Kachwai is unparliamentary. He should kindly withdraw those words.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मैं सभापति महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि गणपूर्ति का प्रश्न उठाना क्या बुरी बात है ?

सभापति महोदय : नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य को गणपूर्ति का प्रश्न उठाने का अधिकार है । परन्तु इस समय इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I have not used any abusive words. Shri Shashi Bhushan always uses provocative language, expecially agianst me. My submission is that if he withdraws his words. I would also do so. If his words would remain or record, my words must also remain on record.

Mr. Chairman : The words used by Shri Shashi Bhushan were not unparliamentary. You should, therefore, withdraw your abusive words.

Shri Hukam Chand Kachwai : I would not withdraw my words.

श्री राजबहादुर : श्रीमान् जी, नियम 374 के अन्तर्गत सदस्य के आचरण की गरिमा के प्रतिकूल व्यवहार का दोसी पाया गया है, अत: उनका नाम लिया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य का नाम लेता हूँ ।

श्री राज बहादुर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि श्री हुकम चन्द कछवाय को, जो इस सदन के सदस्य हैं और सभापति ने जिनका नाम लिया है तीन दिन के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि श्री हुकम चन्द कछवाय को, जो इस सदन के सदस्य हैं और सभापति ने जिनका नाम लिया है, तीन दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : सदस्य को सदन की सेवा से तीन दिन के लिए निलम्बित किया जाता है ।

श्री बी० पी० मोर्य : अब सदस्य को सदन में बैटने का कोई अधिकार नहीं है । उनसे सदन से बाहर चले जाने को कहा जाना चाहिये ।

Mr. Chairman : Mr. Kachwai, you should now leave the House under rule 374 (3), You have been suspended and motion has been adopted to this effect. **(Interruptions).** You should not create another scene. You should not force me to take another action—Marshal should take him away—Watch and ward staff should help the Marshal.

श्री हुकम चन्द कछवाय : **

सभापति महोदय : वह जो कह रहे है वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया जायगा।

(तत्पश्चात् श्री हुकम चन्द कछवाय सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri Hukam Chand Kachwai then left the House)

Shri Raj Bahadur : I would request that the abusive words used by Shri Kachwai should not go on record. This unpleasent action has been taken not because he raised the question of quorum, but because he used unparliamentary and abusive language.

Shri Ramavatar Shashi : Mr. Chairman, The Government should ensure quorum in the House.

Mr. Chairman : This action was not taken because he raised the question of quorum, but because he did not maintain the decorum of the House. Whatever he has said would not go on record and it would also not be reported in the Press.

अब श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा अपना भाषण जारी रखे।

अनुदानों की मांगें 1972-73

DEMANDS FOR GRANTS, 1972-73

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि राजौरी और पुंछ क्षेत्र के विस्थापितों का उचित पुनर्वास करने के लिए केन्द्रीय सरकार वहां एक विशेष दल सर्वेक्षण हेतु भेजें। यह दल राज्य सरकार के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकता है, जिससे कि समस्या को शीघ्रातिशीघ्र हल किया जा सके।

अब मैं ऐसे शरणार्थियों की चर्चा करना चाहता हूं, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में वर्ष 1947 से रह रहे रहैं। ये शरणार्थी पश्चिमी पंजाब क्षेत्र से आये थे और अस्थायी तौर पर जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों में बस गए थे। सन् 1947 से वे जमीन सर खेती कर रहे हैं। परन्तु उन्हें राज्य के नागरिकों कादर्जा नहीं दिया यया है और न ही वह जमीन उन्हें कानूनी तौर पर आवंटित की गई है। इस प्रकार के व्यक्ति लोक-सभा के चुनाव के लिए तो मतदान कर सकते है, परन्तु विधा सभा के लिए नहीं। मैं पहले भी कई बार यह समस्या केन्द्रीय सरकार के समक्ष रख चुका हूं। केन्द्रीय सरकार को सभी प्रकार के संवैधानिक और कानूनी उपाय करके इस समस्या को हल करना चाहिए।

पुंछ क्षेत्र में बमवारी और गोलाबारी से अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने कुछ सहायता कार्य उनके लिए किया था, परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। जो विशेष दल इन क्षेत्र में सर्वेपाण के लिए भेजा जाय, वह इस समस्या का भी अध्ययन करे और क्षेत्र में बमबारी एवं गोलीबारी से बेघरबार हुए। व्यक्तियों के समुचित पुनर्वास की व्यकस्था करे।

शरणार्थी कैम्पों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए काफी कुछ किया गया है, परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। उन्हें टेन्टों में आवास नकद राशि और वस्त्र आदि दिये जा रहे है, परन्तु उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता। हम कब तक उन्हें शरणार्थी केम्पों में बेकार बिठाये रखेंगे। अगर राज्य के अन्य भागों में जमीन उपलब्ध हो, तो उन्हें वहां अस्थायी तौर पर बसाया जा सकता है।

मुनव्वर तवी के उस पर से आये शरणार्थी अब पुनः उस स्थान पर वापस जाकर बसना पसन्द नहीं करेंगे. इसलिए राज्य सरकार से परामर्श करके उनके स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

अन्त में, मैं माननीय मन्त्री और मंत्रालय के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। मैं इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि शरणार्थी शिविरों का संचालन करने वाले अधिकारियों की उचित तैनाती के लिए शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये।

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri Balgovind Verma) : So far as rehabilitation problem is concerned, I had hoped that many Members would express their views, but only three Members have spoken about it. This shows that either the work of the rehabilitation department has been very satisfactory and they do not find anything to say about it or they do not have full information about it.

The Rehabilitation Ministry has done a lot of work. As you all know, nearly ten million refugees were provided with temporary accommodation, food and medical facilities.

Shri Rajangam, a Member of D M. K. has raised certain things about the repatriates from Burma and Ceylon. As you all know 2,30,000, persons of Indian origin have come here, because their trade was nationalised. Upto February, 1972, nearly 1,90,988 had come to India. 62,885 families out of 63,663 families were provided with credit to do their business and 9,777 people were provided with employment. A sum of Rs. 12.43 crores has been spent upto March, 1972. People from Burma are still coming and 1,300 families have just now arrived and we have not been able to make special arrangements for them. Because, first of all, we provide them temporary accommodation and thereafter, we rehabilitate them and provide them employment.

So far as repatriates from Ceylon are concerned, you are aware of the fact that according to 1964 Agreement 5,25,000 persons of Indian origin have to be repatriated to India. Only 56,966 persons have been able to come back so far. In 1972, nearly 40,000 people are expected to come to India and full arrangements have been made to rehabilitate them in Tea plantations at Nilgiri, as well as in rubber plantations of Kanyakumari (Tamilnadu), Subia (Mysore) and Quilon (Kerala), because these people were working there in plantations. The persons engaged in agriculture are being rehabilitated in Tamilnadu and in coffee plantations in Andhra Pradesh. A sum of Rs. 14.66 crores has been sanctioned for these plantation schemes 2,812 families repatriated from Ceylon have been rehabilitated and arrangements for 5,804 families are being made. A sum of Rs. 6.35 crores has already been spent. It would, therefore, not be proper to say that Government has not taken proper care of the repatriates from Burma and Ceylon.

Honourable Shri Das Chaudhary raised the question of refugees. At the time of the division of the country, nearly 42 lakh refugees had come to India. All of them had been trehabilitated till 1960–61 and Rs. 21.88 crores had been provided to the Government of Wes Bengal for doing the remaining part of the work. The Review Committee set up under the chairmanship of Shri N. C. Chatterjee had submitted nine reports. Four of them have been accepted by the Government and a sum of Rs. 5.45 crores have been sanctioned. Remaining five reports are under consideration of the Government and necessary funds would be provided after that. Even after the division of the country, the influx of refugees did not stop. In 1964, Hindu-Muslim riots took place there and 8,54,000 people came here between the period from January 1, 1964 to December 31, 1969. All of them have been rehabilitated and nearly 35,000 families were rehabilitated in agriculture.

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : वर्ष 1958 से 1964 के बीच कितने शरणार्थी आये ?

Shri Balgovind Verma : Very few people came during that period.

6,200 families were sanctioned loans for business purposes. 400 families were provided employment in industrial schemes and 4,500 families were provided Government services. 5,991 families were rehabilitated in Dandakaranya on the land provided by the States. Now we nead 1,70,000 acres of land to rehabilitate the families who came here in 1970 and before March, 1971. Land in Chambal Valley has been offered. Our study team is conducting

a survey there and if it is not very expensive, displaced persons would be rehabilitated there. One-fourth of the total land would be given to the State Governments to rehabilitate the villages. People are also being rehabilitated near Sarni river in Madhya Pradesh and Dina river in Chanda district.

Now 28,000 families have to be rehabilitated in agriculture, 2,000 families would be rehabilitated in Maharashtra and 1,000 families would be rehabilitated on the 5,000 acres of land in Andhra Pradesh. The Orissa Government has offered 40,000 acres of land under Pitaru Irrigation Scheme and 7,500 families would be rehabilitated there. 5,000 families would he rehabilitated on 31,000 acres of land in Fulbansi. Nearly 3,000 families are being provided business loans. We have spent Rs. 367,55,00,000/-so far on the refugees from East Pakistan.

सदस्य का निलम्बन
SUSPENSION OF MEMBER

श्री आर० डी० भण्डोर (बम्बई मध्य) : नियम 380 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री कछवाय ने जिन अपशब्दों का प्रयोग किया, उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि श्री कछवाय द्वारा प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी मैं कार्यवाही-वृत्तान्त को एक बार पुनः देखूगा और अगर कोई असंसदीय अथवा आपत्तिजनक शब्द कहां हैं, तो उन्हें निकाल दिया जायेगा। संवाददाताओं से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इससे सम्बन्धित कोई भी समाचार प्रकाशित न किया जाय।

श्री राज बहादुर : आप संवाददाताओं को यह बता सकते हैं कि आपत्तिजनक शब्दों को छोड़कर तथ्यपूर्ण घटना का समाचार प्रकाशित किया जा सकता है।

सभापति महोदय : हां, ऐसा ही होगा।

श्री राज बहादुर : कार्यवाही-वृत्तान्त में यह तो रहना चाहिए कि सदस्य ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया इसीलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई।

अनुदानों की मांगें, 1972-73
DEMANDS FOR GRANTS, 1972-73

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri Balgovind Verma) : Shri Das Chaudhary has stated that people have not got much benefit from Dandakaranya Project. I, can only say that displaced persons have been rehabilitated in 214 new villages and adivasis have been rehabilitated in 105 new villages. Nearly 15,000 families of displaced persons and 3,000 families of tribal people had been rehabilitated till 1st December, 1971. The strike of teachers at Mana Camp has been called off and enhanced ailowance has been granted to them.

Sixteen Members of Parliament had written a letter about Kalkaji. Five out of six Associations there had urged the name of Chitaranjan Park, whereas many other persons had suggested the name as Purbenchal. When a final decision is taken, I would inform the House.

सभापति महोदय : आप अपना भाषण करना जारी रख सकते है।

इसके पश्चात् लोकसभा बुधवार 3 मई, 1972/13 वैशाख, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई।

The Lok Sabha them adjourned till Eleven of the clock on Wednesdoy, May 3, 1972/Vaisakba 13, 1894 (Saka).

Argus Publishing House (P) Ltd., July, 1972.